दसवीं माला, खण्ड 10, अंक 22

गुरुवार, 26 मार्च, 1992
6 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

63
7/4/93

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 26 मार्च, 1992/6 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 419 से 414	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—265
तारांकित प्रश्न संख्या : 415 से 426 और 428	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4652 से 4657, 4659 से 4663, 4665 से 4692, 4694 से 4705, 4707 से 4773, 4775 से 4787 और 4789 से 4861	
कर्नाटक में नागरहोल आरक्षित वन और अभयारण्य में आग लगने के बारे में	265—267
बोफोर्स स्कैंडल के बारे में	273—278
सभा पटल पर रखे गए पत्र	284—288
कार्य मंत्रणा समिति	289
तेरहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	289—293
(एक) उड़ीसा में झारसुगुडा होते हुए भुवनेश्वर को रायपुर से विमान सेवा द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	289

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(दो) दक्षिण-पूर्व रेलवे के नैनपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन लाल झिकराम 290

(तीन) असम की बारक घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 29

(चार) कानपुर की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए कानपुर में गंगा नदी पर बराज का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जगत वीर सिंह द्रोण ... ... 290—2

(पांच) पूरे देश में गन्ने का एक समान मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद ... ...

(छः) देश के मुख्य सीसा उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों की कार्य स्थिति का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय ... ... 291—

(सात) तमिलनाडु सरकार को मद्य-निषेध नीति का पालन करने के कारण हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस० एस० आर० राजेन्द्रकुमार ... ...

(आठ) सूखाग्रस्त स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल ... ... 292—

मंत्री द्वारा वक्तव्य ... ... 293—

तीन बीघा

श्री माधव सिंह सोलंकी ... ... 293—

विषय				पृष्ठ
बजट (सामान्य), 1992-93—सामान्य चर्चा	...	...	...	297
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	...		...	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य,) 1991-92	...	...	...	
श्री सुख राम	...	...	...	297—301
श्री मुही राम सैकिया	...	...	...	301—302
श्री शिव शरण सिंह	...	...	...	302—306
श्री गोपी नाथ गजपति	...	...	...	307—310
श्री मोरेश्वर सावे	...	...	...	310—314
श्री ई० अहमद	...	...	...	314—317
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	...	...	...	317—319
श्री भेरू लाल मीणा	...	...	...	319—321
श्री अन्ना जोशी	...	...	...	321—323
श्री मणि शंकर अय्यर	...	...	...	323—329
श्री विजय कुमार यादव	...	...	...	329—332
श्री सुनील दत्त	...	...	...	332—338
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	...	...	...	338—339
श्री उदयसिंह राव गायकवाड़	...	...	...	340—342
श्री सन्त राम सिंगला	...	...	...	342—346
श्री असलम शेर खां	...	...	...	347—348
श्री इन्द्र जीत	...	...	...	348—351
श्री मनमोहन सिंह	...	...	...	353—364
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	...	...	...	365—372
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1991-92	...	...	...	372—376
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992	...	...	...	377—379
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री मनमोहन सिंह	...	...	...	377

विषय	पृष्ठ
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	377
श्री राम नाईक	377
श्री पी० वी० नरसिंह राव	377
खण्ड वार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	397
विनियोग विधेयक, 1992	379—380
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	380
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	380
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	380

लोक सभा

गुरुवार, 26 मार्च, 1992/6 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की विश्व कप में शानदार विजय पर उन्हें बधाई भेजकर प्रसन्नतापूर्वक आज का कार्य आरम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम ऐसा कर सकते हैं।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : लेकिन हमने उनको हराया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु राज्यों की आवश्यकताएं

[अनुवाद]

***409. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु अर्द्ध सैनिक बल तैनात करने, आधुनिक हथियार, वाहन तथा संचार सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यवार क्या-क्या विशिष्ट आवश्यकताएं केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखी हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक मद के अन्तर्गत क्या-क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अर्द्ध सैनिक बलों, आधुनिक हथियारों, आदि के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं। इन मांगों को, संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यथा सम्भव पूरा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता

हूं कि मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था कि राज्यवार क्या-क्या मांगें राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकारों के सामने रखी हैं। 'ब' भाग में उसी तरह से पूछा था कि राज्यवार केन्द्रीय सरकार ने उनको किस-किस उपाय के लिये कितनी-कितनी सहायता दी है। उत्तर केवल चार लाइन का दे दिया गया कि आवश्यकतानुसार दे दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि 28 फरवरी, 1992 को आतंकवाद से प्रभावित राज्यों की गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी। उसमें तय किया गया था कि आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में एक साथ कार्रवाई की जायेगी और उसका मिल-जुलकर मुकाबला करेंगे। मिल-जुलकर मुकाबला करने के नाम पर जो तय किया गया, उस हिसाब से पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने 30 बटालियनें मांगी थीं। उसके अनुसार क्या मध्य प्रदेश को इतनी बटालियन देने पर सरकार विचार कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : महोदय, पहले भाग का उत्तर सामान्य ढंग से दिया गया है क्योंकि इन हथियारों की संख्या का ब्यौरा सामान्य तौर पर नहीं दिया जाता है। इसके साथ-साथ जब माननीय सदस्य किसी भी प्रकार की विशिष्ट जानकारी चाहते हैं तो उन्हें यह उपलब्ध कराई जा सकती है।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, मध्य प्रदेश सरकार ने तीस कम्पनियों का अनुरोध किया है और इन तीस कम्पनियों में से, जिनकी उन्होंने मांग की है, दस कम्पनियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अभी महाकुम्भ लगने वाला है जिसमें अप्रैल और मई में दो करोड़ के आस-पास लोग पहुंचेंगे। जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, आतंकवादी मध्य प्रदेश में भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक का रिकार्ड रहा है कि जब-जब उत्सव होते हैं, वहां कार्रवाई होती है। इतना बड़ा जब महाकुम्भ लग रहा है तो उसमें 10 बटालियन भेजने से काम नहीं चलेगा।

दूसरा मेरा 'ब' प्रश्न यह है कि जो और बटालियनें मांगी गई हैं और दूसरे और हथियार मांगे गये हैं, विस्फोटक विरोधी दस्ते, विध्वंसक पदार्थ नष्ट करने की दृष्टि से जो सशस्त्र पुलिस बल और कमांडो मांगे गये हैं, खोजी कुत्ते मांगे गये हैं और दूसरे हथियार मांगे गये है, उनको सरकार कब तक देगी ?

तीसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की अपनी···।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक ही पूछना है। ऐसे नहीं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं 'ब' पूछ रहा हूं, इससे संबंधित है। मध्य प्रदेश की सरकार की जो अपनी क्षमता है और उसकी 24 बटालियनें मध्य प्रदेश सरकार की दूसरे प्रदेशों में भेज दी गई हैं और यह बटालियन भेजने का दूसरे प्रदेश वाले खर्चा भी नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की बटालियन दूसरे प्रदेशों में—असम, पंजाब, त्रिपुरा और कश्मीर में भेजी गई हैं, वह कितनी हैं और उन पर अभी तक कितना खर्चा हो गया है और जो खर्चा राज्य सरकारों का मध्य प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा है तो मध्य प्रदेश की सरकार को यह खर्चा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से कब तक दिलायेगी ?

महोदय ने कहा कि मामले पर विचार हो रहा है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि 16 दिसम्बर, 1971 से जब हमने बांग्लादेश को मुक्त कराने में सहायता की थी, इस पर विचार हो रहा है। चूंकि अब 21 वर्ष बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि संभवत: बांग्लादेश के लिए भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना सम्भव नहीं है। क्या भारत सरकार, बांग्लादेश में उत्पादित गैस के उत्पादों के लिए उनकी खरीद की व्यवस्था के साथ बांग्लादेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए बांग्लादेश सरकार से सम्पर्क करेगी ताकि बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस को अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : वस्तुत:, बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की बातचीत 1980 से चल रही है। यद्यपि जैसा कि हमने प्रश्न के मुख्य उत्तर में पहले ही कहा था, यह बातचीत विभिन्न राजनयिक स्तरों पर हो रही है परन्तु बंगलादेश से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मेरे विचार से उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि गैस की और आगे आपूर्ति करने के प्रयोजन से बंगलादेश से नेचुरल गैस लाने की योजना पर आप विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां गैस उत्पन्न होती है—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बंगलादेश से गैस लाने के सम्बन्ध में है।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो गैस उत्पन्न हो रही है, उसमें से कई करोड़ रुपये की उपयोगी गैस बेकार जलाई जा रही है। क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जो गैस बेकार जलाई जा रही है उसका सही उपयोग हो सके ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, भारत इस समय प्रतिदिन 4 करोड़ 80 लाख घन मीटर गैस उत्पन्न करता है। गैस के उत्पादन में वृद्धि करने की विभिन्न योजनाएं हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण 25 प्रतिशत गैस जला दी जाती है। जला दी जाने वाली गैस की मात्रा को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करके 7,200/- करोड़ रुपये की एक परियोजना के माध्यम से 1994-95 तक कम करके शून्य कर देने की सरकार की एक योजना है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*411. श्री आयनम्म अर्जेविन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में क्रमश: कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में खाद्यान्नों

के उत्पादन की वृद्धि-दर में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1969-70 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के अन्त को आधार=100 मानते हुए 1979-80 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्ति मूल्य 132.0 होने का अनुमान लगाया गया था जबकि इसकी तुलना में वास्तविक स्तर सूखे के कारण 114.8 रहा। 1984-85 तथा 1989-90 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के सूचकांक क्रमश: 154.3 तथा 183.4 थे, जो यह दर्शाते हैं कि सूखे के प्रभाव पर विचार किये बिना छठी और सातवीं योजना अवधियों में खाद्यान्न उत्पादन का सूचकांक प्रतिशतता में क्रमश: 16.89 तथा 18.86 की वृद्धि होने का अनुमान लगा लिया गया था।

(ख) जी, नहीं। 1979-80 के उत्पादन के प्रवृत्ति मूल्य को आधार मानते हुए, छठी और सातवीं योजना अवधियों में सूचकांकों के बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर खाद्यान्न उत्पादन की संयुक्त वृद्धि दरें क्रमश: 3.17 और 3.51 प्रतिशत प्रतिवर्ष होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कावलम सबैश्चिन : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा अपने उत्तर में दिये गये सूचकांक की प्रवृत्ति से पता लगता है कि खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि छठी और सातवीं योजना अवधियों में सबसे अधिक उत्पादन वाले वर्ष कौन-कौन से हैं तथा छठी और सातवी योजना अवधियों के सबसे अधिक उत्पादन वाले वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, पांचवीं योजना अवधि में औसत वार्षिक उत्पादन 11 करोड़ 80 लाख टन था और उत्पादन का सर्वाधिक उच्च स्तर 13 करोड़ 19 लाख टन था। छठी योजना में वार्षिक उत्पादन 13 करोड़ 80 लाख 60 हजार टन था और उत्पादन का उच्चतम स्तर 15 करोड़ 28 लाख 70 हजार टन था। सातवीं योजना में वार्षिक उत्पादन 15 करोड़ 51 लाख टन था और उत्पादन का उच्चतम स्तर 17 करोड़ 10 लाख 40 हजार टन था।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर निम्न प्रकार थी :—

1949-50 से 1964-65	2.93% प्रतिवर्ष
1967-68 से 1978-79	2.77% प्रतिवर्ष
1967-68 से 1984-85	2.68% प्रतिवर्ष
1967-68 से 1989-90	2.74% प्रतिवर्ष

अध्यक्ष महोदय : सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ था ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं इसे बाद में बताऊंगा।

श्री कावलम सबैश्चिन : शताब्दी के अन्त तक घरेलू खपत के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए देश को 24 करोड़ टन खाद्यान्नों की आवश्यकता है। वृद्धि की वर्तमान दर के अनुसार उस स्तर तक पहुंचने में लगभग 30 वर्ष का समय लगेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न का अन्तिम भाग पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, वस्तुतः यह प्रश्न राज्य में आतंकवाद और हिंसा के संबंध में है। इसीलिए हम केवल आतंकवादी क्रियाकलापों तथा इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, तक ही सीमित रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ भागों में नक्सलवादी समस्या व्याप्त है। इसीलिए हमने नक्सलवादी विद्रोह को समाप्त करने के लिये उन्हें दस कम्पनियां दी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार की उत्सव, जिसमें भारी संख्या में लोग एकत्र होते रहे है, के लिये अन्य मांग, एक भिन्न मामला है। यह सरकार के विचाराधीर है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह सम्भव है या नहीं और यह कहां तक सम्भव है। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि देश के अन्य भागों से कितनी कम्पनियां वापस ली जा सकती हैं। इस बात की भी जानकारी ली जायेगी।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष जी, जो मेरा दूसरा प्रश्न था, खर्चे की बात है, 30 करोड़ रुपये के सम्बन्ध में मैंने पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, जहां तक तमिलनाडु का मामला है, श्रीलंका के साथ इसकी लम्बी समुद्र-सीमा लगी है। सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र समस्या ग्रस्त है तथा विदेशी आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण यह पूर्णरूप से पीड़ित है। तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार से पहले ही अनुरोध किया है कि वह जम्मू-कश्मीर तथा असम जैसे अन्य सीमा क्षेत्र राज्यों के साथ-साथ तमिलनाडु के मामले पर भी विचार करे। इसके अलावा जैसा कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि उन्हें शारीरिक दृष्टि से समाप्त करने तथा विशेष जांच दल के मुख्यालय को उड़ाने, जिसकी पुष्टि खुफिया ब्यूरो ने भी की है, के लिए एक आत्मघाती दस्ता तमिलनाडु में पहले ही प्रवेश कर चुका है। तमिलनाडु में अशांत स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अशांत स्थिति से निपटने के लिए पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा असम को जिस प्रकार से विशेष सहायता दी गई है क्या उसी प्रकार चालू वर्ष में तमिलनाडु को भी विशेष सहायता दी जायेगी और मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिल पायेगा और फिर आप शिकायत करेंगे।

श्री पी० जी० नारायणन : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिट्टे आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों तथा तमिलनाडु में उनके आत्मघाती दस्ते की उपस्थिति के समाचार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लिट्टे पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में शीघ्र कदम उठायेगी ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, इस प्रश्न का मुख्य भाग तमिलनाडु में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री अपने विचार स्पष्ट कर चुके हैं तथा साथ ही उन्होंने लिट्टे की विभिन्न घृणास्पद गतिविधियों के बारे में भी हमें सूचित किया है और सरकार भी इससे अवगत है।

पुलिस बल को आधुनिकीकरण करने के लिए उपलब्ध की गई राशि के अतिरिक्त —तमिलनाडु में पुलिस बल को आधुनिकीकरण के लिए करीब 131.17 लाख रुपये दिये गये हैं—तमिलनाडु के मुख्य मंत्री तथा राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाये गये विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दस करोड़ रुपये का एक विशेष अनुदान भी दिया गया है।

श्री पी० सी० नारायणन : इतना ही काफी नहीं है।

श्री एम० एम० जैकब : निश्चय ही, तमिलनाडु की सरकार ने इसके लिए 80 करोड़ रुपये के भारी धन की मांग की थी। हम इससे अवगत हैं। उपरोक्त धनराशि चालू वर्ष के लिए दिया गया था। हम लोग संसाधन की उपलब्धता तथा सम्भावित धमाके के बारे में आगामी वर्ष विचार करेंगे।

जहां तक आत्मघाती दस्ते का मुद्दा है, तो हम लोग इस बात से अवगत हैं कि लिट्टे तमिलनाडु में अपनी आत्मघाती दस्ता भेजा रहा है। हम ऐसे आत्मघाती दस्तों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, जहां भी आवश्यकता हो, हरसम्भव प्रयास कर रहे हैं तथा सीमा पर भी चौकसी रखने को कहा गया है। हमारी सुरक्षा बलों को भी इसके लिए सावधान कर दिया गया है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, इस संबंध में मैं और कुछ कहना चाहता हूं? मुझे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर, धमाके के मुद्दे पर, चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था तथा मैंने उनसे कहा था कि वहां जो भी अतिरिक्त सैन्य बल की आवश्यकता होगी, भारत सरकार उपलब्ध करायेगी। जहां तक लिट्टे पर प्रतिबंध लगाने की बात है तो यह मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री तारा सिंह : महोदय, पंजाब में सेना की तैनाती के पश्चात अनेक भयानक आतंकवादी हरियाणा में घुस आये हैं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारना प्रारम्भ कर दिया है। कुछ विधायक तथा भूतपूर्व विधायक इनका विशेष लक्ष्य है। राज्य सरकार के पास न तो उच्च-स्तर के हथियार हैं और न ही परिवहन। इस संबंध में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार इन विधायकों तथा भूतपूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, विधायकों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। पुलिस बल योजना को आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया के अधीन हमने चालू वर्ष में हरियाणा को 47.81 लाख रुपये दिये हैं। अब हरियाणा सरकार ने पंजाब से हरियाणा में आये आतंकवादियों की धमकी से निपटने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उसे अतिरिक्त बल और ज्यादा हथियार की आवश्यकता हो सकती है। परिवहन, हथियारों, गोला-बारूदों के अनुरोध पर हम विचार कर रहे हैं तथा इसकी छानबीन की जा रही है। यह मुद्दा भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है तथा स्थिति का जायजा लेने के पश्चात सरकार निश्चय ही सकारात्मक ढंग से इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गत तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बराबर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और पिछली दो सरकारों ने उन आतंकवादी गतिविधियों कम करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा

बल और आधुनिक हथियार तथा और भी बहुत-सी आवश्यक चीजें मांगी हैं। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विगत दोनों सरकारों द्वारा मांगी गई जो सहायता थी, उसमें क्या-क्या पूरा किया है और आगे क्या-क्या पूरा करने जा रहे हैं जिससे तराई इलाके में आतंकवादी गतिविधियां कम हों ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जेकब : महोदय, विदित मानदण्डों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस बल को आधुनिकीकरण के लिए हमने 224.20 लाख रुपये दिये हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि माननीय सदस्य ने तराई क्षेत्र तथा अन्य जगहों पर आतंकवादी हिंसा का उल्लेख किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए दस करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा जाना चाहिए था। अगर आपने पूछा है तो आपको उत्तर दे देंगे।

बांग्ला देश से पश्चिम बंगाल को गैस

[अनुवाद]

*410. श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस की और आगे आपूर्ति करने के प्रयोजन से बांग्ला देश से पश्चिम बंगाल तक गैस लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुब्रत मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि उत्तर में किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि त्रिपुरा से लगे बांग्ला-देश के क्षेत्र में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस का पता लगाया गया है। बांग्लादेश पाइप लाइन के जरिए इस गैस को ढाका ला रहा है। लेकिन प्राकृतिक गैस की इस भारी मात्रा को अपने देश में खपत करने अथवा उपयोग करने की क्षमता बांग्लादेश में नहीं है। इसके साथ-साथ हमारे देश में प्राकृतिक गैस और किसी भी तरह के ईंधन की भारी कमी है। जहां तक मेरी जानकारी है, बंगलादेश......

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पढ़िए मत, आपको प्रश्न पूछना है।

श्री सुब्रत मुखर्जी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका प्रश्न इतना अधिक लम्बा है और उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो आप खुश नहीं होंगे ।

श्री सुब्रत मुखर्जी : मेरा प्रश्न अत्यन्त साधारण है । जहां तक मुझे जानकारी है, बांग्लादेश पिछले कुछ महीनों से इस मामले में भारत सरकार से सम्पर्क कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, क्या आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय विचार विमर्श के दौरान अथवा मार्च में चर्चा के दौरान किसी भी समय बांग्लादेश होकर अथवा बांग्लादेश से पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में गैस लाने के प्रश्न पर कोई चर्चा हुई थी या नहीं ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, जैसा कि हमारे पास जानकारी उपलब्ध है बांग्लादेश प्रतिदिन 1.5 करोड़ घन मीटर गैस का उत्पादन कर रहा है और वह देश उस गैस का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है और इस समय उसके पास फालतू गैस नहीं है ।

जहां तक बांग्लादेश से भारत में गैस आयात करने का सम्बन्ध है, बांग्लादेश सरकार ने कोई सम्पर्क नहीं किया है और न ही कोई प्रस्ताव भेजा है, लेकिन तेल की खोज करने वाली एक कम्पनी लिमिटेड ने यह सुझाव देते हुए भारत को प्रस्ताव किया है कि वे 80 लाख से 1 करोड़ घन मीटर तक प्रति दिन गैस दे सकेंगे । यह कम्पनी भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी । समय-समय पर सरकारी स्तर पर कई बार विचार विमर्श हुआ है । माननीय सदस्य महोदय इस बात से भी सहमत होंगे कि यह बात राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित है । पिछले पांच-छ: वर्षों के दौरान कई बार ऐसा हुआ है जब यह प्रस्ताव निष्क्रियता की स्थिति में था, लेकिन एक समय हमें यह प्रतिक्रिया मिली की बांग्लादेश सरकार इस मामले पर खुले दिमाग से बात करना चाहती है । हमने भारतीय गैस प्राधिकरण से कहा है कि वह आंकड़े इकट्ठे करे और इस कंपनी के साथ सौदा करे लेकिन उसने पिछले डेढ़ वर्ष से हमें कोई उत्तर नहीं दिया है । मैं यह भी कह सकता हूं कि बंगलादेश में उत्पादित अधिकांश गैस उस देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है और भारत में या और कहीं ले जाने के लिए उन्हें यमुना नदी पार करनी होगी जिसमें भारी धन राशि खर्च करनी पड़ेगी और इसमें निवेश करने के सम्बन्ध में अन्य कई समस्याएं हैं । अत: यह सुझाव एकदम प्रारम्भिक स्थिति में है और इसीलिए हमने कहा है कि हमारे पास कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह कुछ हद तक सेटिस्फेक्ट्री है । ऐसी परिस्थिति में मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने नेगोसिएशन की बात कही है, उसे वह कब तक पूरा करने का बंदोबस्त कर लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : बंगलादेश सरकार के साथ कोई सौदेबाजी नहीं हो रही है । जैसा कि मैंने पहले कहा है, बांग्लादेश सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया था, यह प्रस्ताव केवल कम्पनियों के बीच था लेकिन जब निकट भविष्य में बांग्लादेश से प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री सहित उच्च पदाधिकारी भारत यात्रा पर आएंगे तो सम्भवत: इस सुझाव की बात को उठाया जा सकता है ।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि चूंकि यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यह मामला कुछ समय तक निष्क्रियता की स्थितिमें रहा, क्योंकि अब मन्त्री

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूं कि वृद्धि दर की गति तेज करने के लिए क्या उन्होंने कोई विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव किया है ताकि देश शताब्दी के अन्त तक 24 करोड़ टन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : हमें इसके लिए योजना बनानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भी हमें इसकी गति तेज करनी होगी।

अत: हम सभी बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं तथा उसी के अनुसार योजना बना रहे हैं। अनेक नई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। सिंचाई क्षमता में वृद्धि करनी होगी, खाद्यान में वृद्धि करनी होगी। दूसरी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा; नये बीजों का इस्तेमाल करना होगा। इन सभी बातों को उसमें शामिल किया गया है। हम ये सभी कदम उठा रहे हैं।

सरकार ने समेकित कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम बनाये हैं। सरकार ने मक्का तथा ज्वार-बाजरे के लिए विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम भी बनाये हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को उथले नलकूप लगाने तथा कुएं खोदने के लिए सहायता दी जाती है। यह सभी बातें उसमें शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें सिंचाई कार्य की गति को बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। हमारे 70 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई वर्षा से होती है तथा शेष 30 प्रतिशत है। सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को लाने में काफी धन व्यय होता है। किंतु हम नदियों में बह कर जाने वाले पानी का उपयोग करने के लिए सिंचाई के उन्नत तरीके इस्तेमाल करके अधिकाधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न कर रहे हैं इन सब बातों में समय लगता है। हम उसी के अनुसार योजनाएं तैयार कर रहे हैं और मेरे विचार से हम सही दिशा में अग्रसर हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब, खाद्यान्न उत्पादन में अपनी गति बनाए हुए है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि यह प्रश्न तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन से संबंधित है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरा सवाल यह है कि क्या पंजाब ने छठी और सातवीं पंच-वर्षीय योजनाओं में उत्पादन को बरकरार रखा है और यदि हां, तो गेहूं और चावल के संबंध में राष्ट्रीय भण्डार में पंजाब का कुल कितना योगदान रहा।

श्री बलराम जाखड़ : पिछले वर्ष हमने लगभग 54 लाख टन की खरीद की और हम फिर वही करने जा रहे हैं। इस वर्ष हम 120 लाख टन फसल होने की उम्मीद कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह राष्ट्रीय भण्डार का कुल कितना प्रतिशत है?

श्री बलराम जाखड़ : 60 से 65 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक या दो सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं। किन्तु मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह प्रश्न तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन से संबंधित है। यह राज्यों में उत्पादन से संबंधित नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हाल ही की योजना अवधियों में सिंचाई के अन्तर्गत बहुत कम क्षेत्र लिया

गया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो आठवीं योजना के अन्त तक निकट भविष्य में यह जनसंख्या वृद्धि से कम हो जाएगा और हमारे देश को खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा और यद्यपि आपने अभी-अभी उन नीतियों और उपायों का उल्लेख किया जो आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए करने जा रहे हैं, किन्तु क्या वह सरकार इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कृषि के लिए आबंटन बढ़ाने पर विचार कर रही है तथा सरकार कृषि के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ; हाल ही की इस खबर से कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंक पम्पसैटों के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अपना समर्थन वापस ले रहे, स्थिति चिंताजनक हो गई है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस योजना को चालू रखने के लिए वित्त मन्त्री से बातचीत करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस बात का जवाब पहले ही दे चुका हूं। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मुझे और अधिक धन की जरूरत होगी क्योंकि दाम बनाए काम। यदि अधिक धन उपलब्ध कराया जाता है तो विकास कार्य तेज होंगे। वित्तीय स्थिति के अनुसार जो कुछ भी उपलब्ध है मैं उससे अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं जानता हूं कृषि के लिए सिंचाई, एक आधारभूत आवश्यकता है और उसके लिए जो कुछ भी सम्भव है मैं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : पम्पसैटों के विद्युतीकरण के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस बारे में पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रोडक्शन का टारगेट जैसा कि चर्चा में बताया गया 240 मिलियन टन है इस शताब्दी के अन्त तक अनाज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, वर्षा पर जो आधारित इलाके हैं, उनके खेती के विकास के लिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, सरकार क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहती है ? इसके लिए श्री वी० पी० सिंह जी की सरकार में आठवीं पंचवर्षीय योजना में वाटर-डेवलपमेंट-प्रोग्राम, रेन-फेड-एरिया आदि कार्यक्रमों को एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया था। इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी रिजोल्यूशन लाने की बात हुई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या इस सत्र में सरकार उस रिजोल्यूशन को लाना चाहती है ? यदि लाना चाहती है, तो कब लाना चाहती है ? भाग "ख"—सरकार ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी हटा दी है। मैं जानना चाहता हूं, उससे हमारे प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ने वाला है और किसानों ने क्या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम किया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले और दूसरे भाग का उत्तर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, देखिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं हम चाहते हैं कि जो खेती वर्षा पर आधारित है, जो भी हमारी भूमि है या क्षेत्र है उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे बीज इस प्रकार के देने की चेष्टा की जाएगी, जो कम पानी से पैदा हों और वहां जितना पानी उपलब्ध है उसका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना

होगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और भी विनती करना चाहता हूं वह यह है कि जिस प्रकार से देश में तरक्की हुई है उसके कुछ भू-भाग तो आगे बढ़ गए हैं और कुछ भू-भाग अभी पीछे हैं और उनकी सरकारों से विनती करना चाहता हूं, माननीय सदस्य जो वहां उस प्रदेश को यहां रिप्रजेंट करते हैं उनसे भी विनती करना चाहता हूं, कि वहां वे उनको कुम्भकरण की निद्रा से जगाने की चेष्टा करें और वहां तरक्की करनी है क्योंकि जो इम्बेलेंस खराब कर रहा है, एक भू-भाग अकेला, जो पूर्व का हमारा प्रदेश है—उड़ीसा, बिहार, पूर्वी यू० पी० और दूसरे साथी हैं, वहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां भगवान ने हमें सब कुछ दिया है सिर्फ उपलब्धि इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमने उस प्रकार के कदम नहीं उठाए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है वहां जल भी है, व्यवस्था भी हो सकती है, बिजली भी पैदा की जा सकती है और सिंचाई और खेती के तरीके भी सिखाए जा सकते हैं ताकि हम वहां और आगे कदम बढ़ा सकें, इसके लिए सिर्फ करने वाले चाहिए।

मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उस काम को करें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आपने कहा कि तादात बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है तो उसमें आप सब मिलकर इस काम को करें और सबको प्रचार भी करें तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना भू-भाग तो उतना ही है। यह तो बढ़ता नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। ···(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आप बैठ जाएं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अभी दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर शैड प्रोग्राम में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हमने आठवें प्लान के लिए जितना धन मांगा है अगर मुझे वह मिल गया तो उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता भी वाटर शैड प्रोग्राम को दी जाएगी क्योंकि वही एक कारण हो सकता है जिससे कि हम पानी को बचा सकते हैं और आगे के लिए उत्पत्ति करके आने वाले भविष्य में उसका हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैंने एग्रीकल्चर पालिसी रेजोल्यूशन के बारे में भी पूछा है।

श्री बलराम जाखड़ : एग्रीकल्चर पालिसी रेजोल्यूशन के मुतल्लक मैंने उस वक्त भी विनती की थी, आज भी वही बात है, मैंने भारतवर्ष के हर भू-भाग के अपने किसानों के नेताओं से, सबसे बातचीत की है और हम चाहते हैं कि इसकी कुछ ठोस नीति सामने आनी चाहिए जो कि कुछ सिद्ध कर सके।

पुस्तक बैंक योजना

*412. श्री अन्नूभाई देशमुख :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए शुरू की गई 'पुस्तक बैंक योजना' से अब तक राज्यवार कितने-कितने छात्रों को लाभ पहुंचा है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के लिए, राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के॰ कमला कुमारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

[अनुवाद]

मेडिकल तथा इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंकों की केन्द्र प्रायोजित योजना 1978-79 में आरम्भ की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या क्रमशः 1067।1 और 21,062 थी। राज्यवार विवरण संलग्न है।

2. अब इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष से कृषि और पशु चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रमों तथा पोलीटैक्निक के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को शामिल करने हेतु संशोधित किया गया है।

3. 1991-92 के लिए बजट आबंटन 5.00 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी आवश्यकतानुसार केन्द्रीय हिस्सा दिया जाता है, राज्य के हिस्से का प्रावधान उनके बजट में होता है तथा उन्हें प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग उन्हें करना होता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पुस्तक बैंक की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1985-86 लाभग्राहियों की सं०	1986-87 लाभग्राहियों की सं०	1987-88 लाभग्राहियों की सं०	1988-89 लाभग्राहियों की सं०	1989-90 लाभग्राहियों की सं०	1990-91 लाभग्राहियों की सं०
1		3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2601	3119	3432	3281	3481	3481
2.	असम	—	—	1057	—	1301	895
3.	बिहार	1097	1168	1175	—	—	—
4.	गुजरात	2316	953	830	800	900	600
5.	हिमाचल प्रदेश	27	—	—	140	—	—
6.	हरियाणा	381	403	406	507	528	5569
7.	जम्मू और कश्मीर	—	140	—	—	259	—
8.	कर्नाटक	8100	3509	3250	3575	8575	3932
9.	केरल	654	981	1123	1295	1641	2156

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र	—	—	1106	—	2104	—
11.	मणिपुर	—	—	—	248	286	—
12.	मध्य प्रदेश	—	2701	4338	4771	3653	3187
13.	उड़ीसा	687	722	919	1023	943	998
14.	पंजाब	769	915	420	647	638	979
15.	राजस्थान	1081	—	1226	1235	1275	1460
16.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
17.	त्रिपुरा	119	107	129	159	151	—
18.	तमिलनाडु	3385	3583	—	2650	1272	2156
19.	उत्तर प्रदेश	—	1542	1560	1560	2190	—
20.	पश्चिम बंगाल	77	139	—	126	117	159
21.	गोवा	25	18	29	—	26	31
22.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
23.	दिल्ली	25	—	—	607	1627	—
24.	पांडिचेरी	—	128	186	—	197	219
25.	चंडीगढ़	280	—	—	193	—	250
		16,822	19,631	21,185	23,007	26,084	21,062

[हिन्दी]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार का बहुत बड़ा पापुलेशन है। वर्ष 1998-89, 1989-90, 1990-91 में, वहां एक भी बेनिफिशरी नहीं है। महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा पापुलेशन है 1985-86, 1986-87, 1988-89 और 1990-91, वहां भी एक भी बेनिफिशरी नहीं है। वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा पापुलेशन है उसमें खाली 77,139 1987-88 में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि वहां लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में ऐसा होता है, यह क्या बात है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है वहां पापुलेशन कम से कम 20-25 करोड़ है और इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ही इंजीनियर या डाक्टर बनता है, इसका मतलब है यह बहुत कम है और हमारी पालिसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को ऊपर लाने की, उनको डाक्टर, इंजीनियर बनाने की, बहुत बड़ा आदमी बनाने की फेल हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सिर्फ बुक बैंक से संबंधित है, सारी चीजों से जो आप पूछ रहे हैं, उनसे संबंधित नहीं है। इन सारी चीजों पर ले जाएंगे तो उत्तर आने में मुश्किल हो जाएगी। बुक बैंक का कितना उपयोग हुआ है, इतना ही प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छा उत्तर चाहते हैं तो इसी विषय पर प्रश्न पूछिए।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लास्ट इयर वर्ष 1990-91 में इस कार्य के लिए एलोकेशन कितना था और कितनी राशि खर्च की गई।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, 1990-91 में 21062 लोग इस योजना से बेनिफिटेड थे और 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैंने यह भी पूछा था कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार में लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। क्या मंत्री महोदय द्वारा इस बात का सर्वेक्षण किया गया है?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों की रिक्वीजिशन के अनुसार उनको अनुदान दिया जाता है। जिन प्रदेशों से मांग नहीं आती है, उनको हम नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : अध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों में स्टूडेंट इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उन राज्यों में मंत्री महोदय को जांच करनी चाहिए, ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके और बुक बैंक का सब लोगों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किताबों का उपयोग छात्र क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण जानने की क्या आप कोशिश करेंगे?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, हम निश्चित रूप से इसके कारण जानने की कोशिश करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुविधा उन छात्रों को दी जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यदि हां तो उसकी सीलिंग कितनी है और यह सीलिंग कब फिक्स हुई थी।

दूसरा मैं यह जानना चहता हूं, मेरी इस विषय में मंत्री महोदय से बात भी हुई थी कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस मांग को लेकर और होस्टल्स तथा स्कालरशिप की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछली 20 फरवरी से दलित छात्र जेल में बन्द हैं। होम मिनिस्टर साहब भी यहां मौजूद हैं। दफा 395 में उन छात्रों को बन्द किया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्या आप इसको देखेंगे कि ये जो लड़के बन्द हैं, इनको जेल से छोड़ा जाए और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जाए। (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यदि बुक बैंक को लेकर यह हड़ताल या आन्दोलन हुआ है या स्कालरशिप से संबंधित आन्दोलन हुआ है या इस तरह से जो भी उनकी मांग है उसको लेकर आंदोलन हुआ है, चूंकि सभी लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम हों या कोई भी दल की सरकार हो, हम लोग गरीबों, निर्धन समाज के लिए हैं, ऐसी अवस्था में बुक बैंक के लिए आन्दोलन है या स्कालरशिप न मिलने की वजह से आन्दोलन है, यह विचारणीय विषय है। इस संबंध में मैं संबंधित सरकार से जरूर निवेदन करूंगा कि इस तरह के आन्दोलन के मामले में उनसे नेगोशिएट करके सैटल करूं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 1989-90 में 2190 विद्यार्थियों को किताबें दी गयीं, कुछ न कुछ काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन बिहार में 1988-89, 1989-90 और 1990-91, इन तीन सालों में एक भी विद्यार्थी को इस बुक बैंक योजना का लाभ नहीं मिला है तो पहले तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या सरकार ने इस प्रकार की जांच की है कि वहां कोई विद्यार्थी शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के नहीं हैं, इस कारण मांग नहीं कर रहे हैं या वहां सरकार ऐसे ही चल रही है कि उसको विद्यार्थियों के हितों का ख्याल नहीं है? इसके बारे में कोई जांच की है क्या? साथ ही उसी प्रकार से लोक संख्या की तुलना में वैस्ट बंगाल में 159 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, यानि बहुत कम विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, जहां इस प्रकार से कम लाभ दिया गया है, ऐसे सारे मंत्रियों की एक मीटिंग लेकर, ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम या मिटिंग क्या आप बुलाएंगे?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, जहां तक बिहार प्रदेश की सरकार की बात है, रिपोर्ट आने में कुछ समय लगता है। तीन साल हो या चार साल हो, मेरे पास जो रिपोर्ट है वह आपके सामने रखी हुई है। जहां तक प्रश्न है कि वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विद्यार्थियों की कमी नहीं है, यह बात ठीक है। कितनी दूर तक पब्लिसिटी की है या नहीं की है, इस संबंध में हम छानबीन करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। जहां तक आपने वैस्ट बंगाल की बात कही वह ठीक है, बुक बैंक के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपया पहली बार 1990-92 में हमने निवेदन करके आप लोगों की सेवा के लिए किया है। पहले यह एक करोड़ था। मैं विस्तार से कह देता हूं। पांच करोड़ में से 56 लाख रुपया हम डिस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं। प्रादेशिक सरकारों को निवेदन भेजते हैं, बार-बार निवेदन भेजा है कि अपने यहां की रिक्वीजीशन भेजिए ताकि मैं इसको पूरा कर दूं। जिन प्रदेश सरकारों ने मांग की है उसको हमने पूरा कर दिया। 31 मार्च तक जितनी आवे की रिक्वीजीशन है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विधि स्नातकों को भी यह सुविधा देगी और क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान कोई वजीफा देने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी : यह अभी तक हमारी सूची में नहीं है। पहले मैडिकल, इंजीनियरी के लिए था। अभी हमने एग्रीकल्चर, वेटर्नरी डिप्लोमा कोर्स के लिए किया है। इनका सुझाव विचारणीय है।

श्री मानक राम सोडी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बुक बैंक से जो पुस्तकें विद्यार्थियों को मिलती हैं वे सीमित पीरियड के लिए रहती हैं या साल भर के कोर्स के लिए दी जाती हैं ?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, यह तीन सालों के लिए होता है। चाहे वह वेटरीनरी; इंजीनियरिंग या मैडिकल के लिए यानी तीन छात्रों के लिए होता है और इसकी तीन साल की सीमा है।

श्री रति लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो बुक बैंक योजना को सहयोग देने के लिए कहा तो दिन-प्रति-दिन गुजरात के अन्दर 1985-86 से…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गुजरात से संबंधित नहीं है। यह राष्ट्र का प्रश्न है और प्रान्त में ले जाना ठीक नहीं है।

श्री रति लाल वर्मा : इसका लाभ लेने वालों की प्रतिदिन संख्या कम होती जा रही है। सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग को ध्यान में न रखकर अन्य फैकल्टीज को इस बुक बैंक का लाभ मिल सके; ऐसा सरकार सोच रही है क्या ?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, वेटरीनरी और डिपलोमा कोर्स का प्रश्न है और उन्होंने लॉ के संबंध में कहा और उन्होंने जो कहा उस पर भी हम विचार करेंगे।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

[अनुवाद]

*413. श्री मुमताज अन्सारी :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इस समय की जा रही दूध की सप्लाई दूध की आवश्यकता

को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में कुछ और दुग्ध बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ङ) ये दुग्ध बिक्री केन्द्र कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) दिल्ली में दूध की अनुमानित दैनिक मांग लगभग 20-25 लाख लीटर है। दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी मिलकर लगभग 11 लाख लीटर प्रतिदिन की सप्लाई करते हैं। शेष मांग कुछ पड़ोसी राज्यों के सहकारी संघों और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों की प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पूरी की जाती है।

(ग) इस समय मुख्यतया क्षमता संबंधी कठिनाइयों के कारण और अधिक दुग्ध बूथ खोलना कठिन है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री मुमताज अंसारी : मंत्री महोदय ने यह उद्घाटित किया है कि दिल्ली में अनेक सहकारी समितियां कार्यरत हैं और दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति पर उनका एकाधिकार है। अनेक सहकारी समितियों की प्रकृति और उनका स्वरूप जाली है। उनके पास कोई पशु नहीं है। वे तो दूध का व्यापार करने वाली समितियों की तरह कार्य कर रही हैं। वे अन्य स्रोतों से दूध खरीद रही हैं और उसे दिल्ली दुग्ध योजना को बेच रही हैं। इसके साथ-साथ उन्हें मंत्रालय से अनुपूरक भुगतान भी मिल रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक जांच का आदेश दिया था। जांच करने पर यह पता चला कि अधिकांश सहकारी समितियां बोगस हैं परन्तु फिर भी उन्हें 4 करोड़ रुपये का अनुपूरक भुगतान प्राप्त हो रहा है। मंत्री महोदय और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

एक बार यह आदेश दिया गया था कि खुली निविदा की जाएगी और खुले बाजार से दूध खरीदा जाएगा। परन्तु मंत्रालय ने बीच में दबाव क्यों डाला और वह प्रणाली त्याग दी गई ?

दिल्ली दुग्ध योजना का घाटा 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस घाटे को कम करने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

श्री के० सी० लेंका : दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के बारे में कुछ आरोप लगाए गए हैं कि अधिकांश सहकारी समितियां असली नहीं हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के बारे में अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जहां तक टेंडर के बारे में प्रश्न है, जब दिल्ली दुग्ध योजना ने देखा कि दूध की कमी है तो उसने खुले टेंडर मंगवाने का निर्णय किया। इस वर्ष दिल्ली दुग्ध योजना ने निविदा के माध्यम से कुछ निजी ठेकेदारों को दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने के लिए कहा है।

घाटे के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही है। इस वर्ष के अन्त तक दिल्ली

दुग्ध योजना का घाटा 200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और इस वर्ष यह केवल 50 करोड़ रुपये होगा। घाटे का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली दुग्ध योजना अपना दूध अत्यन्त कम दर पर बेच रही है। प्रति लिटर हमें लगभग 2 रुपये का घाटा हो रहा है। इसीलिए सरकार कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है।

श्री मुमताज अंसारी : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि जांच के आदेश दिए गए थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की है और यह पाया है कि सहकारी समितियां जाली हैं और उनके काम-काज में अनेक अनियमितताएं हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः, मंत्री महोदय का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है।

यहां नौ अनधिकृत और अवैध संयंत्र कार्यरत हैं और वे पनीर खोया, जैसे दुग्ध उत्पाद और अन्य चीजें बना रहे हैं। ये संयंत्र दिल्ली की दूध की कुल आवश्यकता का आधा अर्थात प्रति दिन 10 लाख लीटर दूध की खपत कर रहे हैं। यह नगर कानून, केन्द्रीय कानून और प्रदूषण रोधी कानूनों के विरुद्ध है। इन सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए ये अनधिकृत और अवैध संयंत्र कार्यरत है। अतः, इन संयंत्रों को रोकने के लिए मन्त्री महोदय क्या कार्यवाई करेंगे ताकि दूध की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो सके और घाटा भी रोका जा सके।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, यह प्रमाणित करना कि कोई सहकारी समिति असली है या नहीं, हमारा काम नहीं है। यह देखना सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का काम है कि समितियां असली है या नहीं। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो से भी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ज्योंही हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जो अनिश्चित संयंत्र लगाए गए हैं उनके मामले में हमें आरोप मिला है कि दिल्ली के आस-पास और दिल्ली में कुछ अनधिकृत संयंत्र लग गए हैं। हमने दिल्ली के उप-राज्यपाल को इन अनधिकृत संयंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निदेश दिए हैं। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने अनधिकृत संयंत्रों को दण्डित किया गया है ?

श्री चेतन पी० एस० चौहान : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि दूध की मांग 25 लाख लीटर प्रति दिन है और उत्पादन लगभग 12 लाख लीटर है। क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री के० सी० लेंका : दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता पांच लाख लीटर से बढ़ाकर सात लाख लीटर करने का प्रस्ताव है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

प्रौद्योगिकी का विकास

* 414. डा० वेंकटेश्वर राव :

श्री जगमीत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में बागवानी विकास के लिए अनन्तिम रूप से एक योजना तैयार की है। बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने पर जोर दिया जायेगा जिसमें निर्यात-प्रधान बागवानी उत्पादन और कटाई उपरान्त के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने अनन्तिम तौर पर निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्रों का प्रस्ताव रखा है :

(1) राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसन्धान केन्द्र—बीकानेर (राजस्थान)

(2) राष्ट्रीय केला अनुसन्धान केन्द्र—तिरुची के निकट कुमुलूर (तमिलनाडु) में।

(3) राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसन्धान केन्द्र—नासिक (महाराष्ट्र)।

(4) राष्ट्रीय औषधीय और सुगन्धदार पौध अनुसन्धान केन्द्र—आनन्द (गुजरात)।

(5) राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसन्धान केन्द्र—दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

दो राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र, एक अंगूर के लिए तथा दूसरा आयल पाम के लिए, खोलने का भी प्रस्ताव है। इनके स्थानों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री जगमीत सिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से देश में बागवानी के विकास के बारे में जानना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सेब की खेती में अग्रणी राज्य है जिसका एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें है, इसके पश्चात जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश आते हैं। ऐसा अनुमानहै कि20 प्रतिशत फसल ही सुस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय किस्मों से तुलना योग्य है और विश्व बाजार में सफलतापूर्वक कर सकती है। क्या माननीय मन्त्री इसके उत्पादन में वृद्धि करने तथा निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं ?

दूसरे, मैं माननीय मन्त्री को बता देना चाहता हूं कि सेब के बड़े पैमाने पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सेब को प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए क्योंकि देश में सेब के रस का विस्तृत बाजार है। मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं, जगमीत सिंह जी एक ही प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना

चाहता हूं कि मैं सेब की नई किस्मों, वामन किस्में आरम्भ करने तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की कृषि पर विचार कर रहा हूं। मैंने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों से कृषकों की सहायता करने को कहा है। वस्तुतः यह एक शर्म की बात है कि हम लगभग 20 टन उत्पन्न कर सकते हैं और लगभग 4 से 5 टन ही उत्पन्न कर रहे हैं। यह अत्यधिक शर्म की बात है। अतः मैं समझता हूं कि हमें बहीन कृषि तरीकों तथा नई किस्मों का प्रयोग करना होगा। मैं कृषि में विविधता भी चाहता हूं जिसके विषय में मैंने अपना इरादा पहले ही बता दिया है। हम बागवानी के क्षेत्र में अर्थात पैकेजिंग, वर्गीकरण करने, विपणन, प्रसंस्करण, ढुलाई, शीत भंडारण तथा विदेशों को ताजे फलों के निर्यात में भी विविधता लाने पर विचार कर रहे हैं। यह देश में किसानों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत होगा।

श्री जगमीत सिंह : महोदय, माननीय कृषि मन्त्री स्वयं भी एक कृषि पंडित हैं। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, मैं वहां बागवानी के विकास के बारे में जानना चाहता हूं। पंजाब देश के गेहूं उत्पादन का 71 प्रतिशत गेहूं पैदा करता है। पंजाब के किसान अब बागवानी की ओर आ रहे हैं। पिछले तीन चार वर्षों में अंगूर की कृषि ने पंजाब के विशेषकर उन जिलों में, जो मालवा क्षेत्र के बंजर जिले हैं, काफी प्रगति की है। फसल के पश्चात की क्रिया-कलापों के लिए अपर्याप्त साधनों के कारण तथा खराब बाजार नेटवर्क के कारण किसानों को इन 4 या 5 वर्षों के दौरान भारी नुकसान हुआ है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई योजना है ताकि प्रयोगशाला-से-भूमि कार्यक्रम को बड़े स्तर पर कार्यान्वित किया जा सके।

श्री बलराम जाखड़ : दरअसल में माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अंगूर की खेती में अग्रणी था। मैंने 1960 में पहली बार अंगूरों का उत्पादन आरम्भ किया था। मैं इनकी कृषि करने वाला पहला व्यक्ति हूं। इसकी कृषि काफी बड़े पैमाने पर होती है। अब मैं समझता हूं कि देश में अकेले अंगूरों की कृषि 25,000 एकड़ भूमि में होती है। परन्तु मुझे कहना चाहिए कि किस्म इतनी अधिक अच्छी नहीं है। जब यह कम था तब बाजार योग्य था। अब हम किस्मों में परिवर्तन करना होगा।

मैंने कृषि वैज्ञानिकों से कहा है कि वे ऐसी किस्में तैयार करें जो इनकी ढुलाई आदि को बरदाश्त कर सकें। इन सभी चीजों पर विचार करना होगा।

मैंने 50 : 50 विपणन की एक योजना लागू की है—50 प्रतिशत केन्द्रीय और 50 प्रतिशत राज्य—यदि वे इसे इस प्रकार कर सकते हैं। हमने किन्नू खरीदों तथा अंगूर की कृषि एवं अन्य सब्जियों की खरीददारी के लिए यह समर्थन दिया है। जैसा भी मामला होगा, हमें अंगूर रस अथवा अंगूर की शराब के प्रसंस्करण की इस प्रगतिशील सम्भावना के लिए कुछ करना होगा। परन्तु यह तभी किया जा सकता है जब वे उसी के अनुसार किस्मों में परिवर्तन करें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : महोदय, आन्ध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। जहां तक बागवानी उत्पादन का सम्बन्ध है, यह उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे स्थान पर है। विशेषकर आम, अंगूर तथा नारियल के तेल के मामले में भी वहां भारी उत्पादन होता है।

क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में या तो आम अथवा अंगूर अथवा नारियल के तेल के लिए एक राष्ट्रीय बागवानी अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : मन्त्रालय में समय-समय पर इसके बारे में विचार होता रहता है । हम इन पर विचार करते हैं । हम नासिक में एक नया राष्ट्रीय प्याज अनुसन्धान केन्द्र स्थापित कर रहे हैं । अन्य चीजें भी की जा रही हैं । हमने वहां विश्वविद्यालय खोले हैं और यह हमेशा विचाराधीन रहता है ।

श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे : अध्यक्ष महोदय, सरकार दो राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र—एक अंगूरों के लिए तथा दूसरा नारियल के तेल के लिए—आरम्भ करने पर विचार कर रही है ।

महाराष्ट्र अंगूरों के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है । केवल यही नहीं, यह निर्यात भी करता है । क्या महाराष्ट्र विशेषकर पूने का इस केन्द्र की स्थापना के लिए चयन किया जा सकता है ।

श्री बलराम जाखड़ : जी हां ।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : मुजफ्फरपुर लीची के लिए सारे देश में मशहूर है···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न देश का है, किसी प्रान्त का या शहर का नहीं है । ऐसे नहीं होता है, आप सोच-समझकर प्रश्न पूछें ।

श्री वृशिण पटेल : पिछली सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव था कि मुजफ्फरपुर में लीची के विकास के लिए विकास केन्द्र की स्थापना करेंगे । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने की दिशा में क्या कोई कार्यवाही की है ?

श्री बलराम जाखड़ : लीची सबको आकर्षित करती है हम इस पर विचार करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त चरण दास : महोदय, तेलताड़ की खेती उड़ीसा की मिट्टी के लिए अत्यधिक उपयुक्त है । क्या भारत सरकार के पास तेल ताड़ की खेती के लिए एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ? इसके अतिरिक्त पीपला जड़, जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले के पोडवा में तथा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पाडेरू में भी पैदा की जाती है, चिकित्सा में काम आती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास पीपला जड़ तथा तेल ताड़ की कृषि के लिए उड़ीसा में एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बलराम जाखड़ : हमने तेल ताड़ की कृषि केरल और आन्ध्र प्रदेश में करनी आरम्भ कर दी है तथा उसके लिए काफी पौधे लगाये गए हैं । अभी तक उड़ीसा में ऐसा कोई स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान में तेल व गैस की खोज

[हिन्दी]

*415. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से राजस्थान में तेल व प्राकृतिक गैस के नये स्रोतों का पता लगाने में संलग्न एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खोज का काम कौन-कौन से स्थानों पर हो रहा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) अब तक इस खोज के क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) और आयल इंडिया लि० (ओ०आई०एल०)।

(ख) इस समय अनेक स्थानों पर कार्य चल रहा है जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा डांगेवाला, घोटार और मानहेरा टिबा संरचनाएं और आयल इंडिया लि० द्वारा बीकानेर-नागौर बेसिन शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान राजस्थान में अन्वेषी वेधन और सर्वेक्षण पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 50.30 करोड़ रुपए और आयल इण्डिया लि० ने 49.80 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के 5 स्थानों पर अर्थात कमरी टिब्बा, बांकिया, घोटारु, बरताल और मानहेरा टिब्बा में गैस की खोज की है। आयल इण्डिया लि० ने जैसलमेर बेसिन में तनोत, रामगढ़, डांडेवाला और बलासरवाला में गैस की और बीकानेर-नागौर बेसिन के बघेवाला में भारी तेल की खोज की है।

कर्नाटक में उद्यानों का विकास

[अनुवाद]

*416. श्री कोडाकनी पौडाला शिवप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्रियान्वित किये जाने हेतु एक उद्यान-विकास परियोजना केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिये प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपनी इस परियोजना को अन्य राज्यों से असम्बद्ध रखे जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) : कर्नाटक सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ): ये प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरकों की कालाबाजारी

*417 : श्री शशि प्रकाश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विक्रेता विशेष रूप से उर्वरकों की दोहरी मूल्य संबंधी नीति लागू किये जाने के बाद से, उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में राज्यवार अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भारत सरकार उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा चोरबाजारी के संबंध में राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करती है। 1991-92 के दौरान जब दोहरा मूल्य निर्धारण लागू किया गया था, केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्वरकों की चोरबाजारी के 16 मामलों की सूचना दी है।

(ग) उर्वरकों के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत विनियमित किये जाते हैं तथा राज्य सरकारों को सांविधिक रूप से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरकों को बेचने के मामले में कानूनी कार्यवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा आकस्मिक छापामारी/ जांच की जाती है। स्टॉक जब्त करना, डीलरशिप का निलंबन/ रद्द करना, अपराधिक कार्यवाही करना, आदि कुछ उपाय हैं जो अपराधियों के खिलाफ किए जाते हैं।

आयल पाम के पेड़ लगाना

*418. श्री के० ओकाराव :

प्रो० उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आयल पाम के पेड़ लगाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान आयल पाम के पेड़ लगाने वाले प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इस समय आंध्र प्रदेश में कितने क्षेत्र में आयल पाम के पेड़ लगे हैं और चालू वर्ष के दौरान कितने क्षेत्र में आयल पाम के पेड़ लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में पामोलीन तेल निकालने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 के दौरान तेलताड़ उत्पादक राज्यों को भारत सरकार द्वारा अब तक दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

	(लाख रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	311.55
कर्नाटक	350.51
महाराष्ट्र	114.61
गुजरात	31.02

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अब तक लगभग 1600 है० क्षेत्र तेलताड़ खेतों के तहत लाया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान 2000 है० और क्षेत्र तेलताड़ बागान के तहत लाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) : जी, हां एक मी० टन एफ० एफ० बी० प्रति घंटा क्षमता का एक पाम आयल एक्सट्रैक्शन संयंत्र आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेदावेगो में निर्माणाधीन है। तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना के तहत संयुक्त क्षेत्र में उपयुक्त क्षमता का एक दूसरा ऑयल पाम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जायेगा।

उत्पादन तथा भण्डारण संबंधी प्रौद्योगिकियां

*419. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन और भंडारण संबंधी प्रौद्योगिकियों में और सुधार करने तथा किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं भी प्रदान करने के लिये कोई कार्य-योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) (क) जी हां।

(ख) अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने तथा लागत को कम से कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी में विविधता लाने एवं उसे प्रचलित करने हेतु कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तंत्र की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कृषि पर आधारित उद्योग

[हिन्दी]

*420. श्री सूर्य नारायण यादव :

डा० सुधीर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कृषि पर आधारित उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में 1992-1993 के दौरान ऐसे कितने उद्योग लगाने का विचार है और वे किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क),(ख) और (घ) जी, हां। देश में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है। खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये राज्य सरकारी संगठनों/सहकारी संस्थाओं/स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को सहायता देने हेतु कई विकासात्मक योजना स्कीमें बनाई हैं। लेकिन, यह मंत्रालय किसी राज्य में सीधे इस प्रकार के उद्योग स्थापित नहीं करता। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सहकारी क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की ओर भी विशेष ध्यान दे रहा है।

(ग) सभी खाद्य परिसंस्करण उद्योगों की संख्या तथा उनके उत्पादन/परिसंस्करण को विस्तृत मद के बारे में इस मंत्रालय में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। एफ० पी० ओ० के तहत पंजीकृत चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, फल और सब्जी परिसंस्करण यूनिटों और मोठे गैस युक्त पानी के निर्माता यूनिटों तथा मछली परिसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या अनुबंध-1,2 और 3 में दी गई है।

विवरण-एक

1-1-92 को रोलर आटा मिलों की कुल संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आटा मिलों की कुल संख्या.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	56
2.	असम	41
3.	बिहार	44
4.	चंडीगढ़	2
5.	दिल्ली	17
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	16

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	18
10.	कर्नाटक	54
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	25
13.	महाराष्ट्र	45
14.	मणिपुर	1
15.	उड़ीसा	21
16.	पंजाब	16
17.	पांडिचेरी	2
18.	राजस्थान	5
19.	तमिलनाडु	58
20.	उत्तर प्रदेश	70
21.	पश्चिम बंगाल	27
22.	सिक्किम	1
23.	गोवा	1
24.	त्रिपुरा	2
		583

(2) मछली परिसंस्करण यूनिट (31-12-90 के अनुसार)

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1	2
केरल	98
कर्नाटक	19
लक्षद्वीप	1

1	2
तमिलनाडु	28
महाराष्ट्र	38
गुजरात	29
गोवा	6
आन्ध्र प्रदेश	23
पश्चिम बंगाल	30
उड़ीसा	12

इनके अतिरिक्त, 130 बर्फ बनाने वाले यूनिट तथा 313 शीत भंडार हैं।

विवरण-दो

1-1-92 को चावल मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हलर	शेलर	हलर एवं शेलर	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	305	14	1871	418	2608
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	2	222	1115
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	-	—
8.	कर्नाटक	9131	62	1103	3674	14370
9.	केरल	13413	2	13	2668	16096
10.	मणिपुर	71	—	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	6191	99	472	2515	9277

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	3114	239	227	94	3674
13.	मेघालय	85	—	8	—	93
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	17
19.	तमिलनाडु	13292	144	1530	3262	18228
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9404	2	71	980	10457
23.	चंडीगढ़	4	—	—	27	31
24.	दिल्ली	3	—	—	31	34
25.	पांडिचेरी	179	—	8	33	220
26.	अंडमान और निकोबार	116	—	—	—	116
27.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	8	1	—	—	9
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	गोवा	675	—	5	37	717
31.	मिजोरम	—	—	—	—	—
		86315	4098	8300	32969	13682

विवरण-तीन

(1) फल और सब्जी परिसंस्करण यूनिट तथा मीठे गैस-युक्त पानी के निर्माता यूनिटों की संख्या।

राज्य का नाम		एफ० एंड वी०पी० यूनिट	एस०ए० डब्ल्यू० यूनिट
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	201	64
2.	असम	19	2

1	2	3	4
3.	बिहार	43	10
4.	गुजरात	171	52
5.	हरियाणा	115	17
6.	हिमाचल प्रदेश	70	1
7.	जम्मू और कश्मीर	68	6
8.	कर्नाटक	176	38
9.	केरल	259	24
10.	मध्य प्रदेश	82	27
11.	महाराष्ट्र	506	85
12.	मणिपुर	11	1
13.	मेघालय	7	1
14.	नागालैंड	4	—
15.	उड़ीसा	17	4
16.	पंजाब	158	9
17.	राजस्थान	78	24
18.	सिक्किम	2	—
19.	तमिलनाडु	314	35
20.	त्रिपुरा	3	
21.	उत्तर प्रदेश	379	39
22.	पश्चिम बंगाल	214	23
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	—
25.	चण्डीगढ़	24	7
26.	दादर और नगर हवेली	5	2
27.	दिल्ली	131	18

1	2	2	3
28.	गोवा	131	86
29.	मिजोरम	2	—
30.	पांडिचेरी	9	2
	कुल—	3232	577

दिल्ली में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध

*421. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में प्रदर्शनों, धरनों, भूख हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि इनके लिए की जाने वाली विशेष सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था से जनता को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सभाओं, जुलूसों, बैठकों, इत्यादि के लिए अनुमति देते समय दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

कुवैत के न्यायालयों में भारतीयों के मृत्यु संबंधी मुआवजे के मामले

[अनुवाद]

*422. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराकी आक्रमण से पूर्व कुवैत के न्यायालयों में भारतीयों के मृत्यु संबंधी मुआवजे के कोई मामले लंबित पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन मामलों को निपटाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) 10 मामले अनिर्णीत थे जिनमें से 7 निपटा दिए गए हैं। कुवैत स्थित हमारे राजदूतावास ने शेष तीन मामलों को निपटाने के लिए तेजी से कार्यवाही की है। राजदूतावास द्वारा नियुक्त एक वकील इस मामले पर कार्यवाई कर रहा है।

कृषि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

[हिन्दी]

*423. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री साईमन मराण्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशान्त क्षेत्र तथा एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ कृषि क्षेत्र में परस्पर सहयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि प्रशांत और एशिया के देशों के साथ कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग की गुंजाइश का औपचारिक मूल्यांकन या अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि कृषि क्षेत्र में ऐसे आपसी सहयोग की मौजूदा क्षमता का लाभ उठाने के लिए अफगानिस्तान, बंगलादेश, ईरान, इण्डोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, डी० पी० आर० कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपीन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, भारत विभिन्न बहु-पक्षीय तथा राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत जर्म प्लाज्म तथा तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों के जरिए उक्त क्षेत्र के देशों के साथ कृषि विकास में अनुभवों का आदान-प्रदान करता रहा है।

पशुधन विकास कार्यक्रम

*424. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पशुधन विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पशुधन विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक राज्य ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों को 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	164.54	225.28	22051
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.96	20.09	18.97
3.	असम	25.22	40.86	43·60
4.	बिहार	59.64	68.36	100.66
5.	गोवा	16.25	22·60	27.10
6.	गुजरात	135.85	146.60	169.93
7.	हरियाणा	127.77	180.67	134.52
8.	हिमाचल प्रदेश	31.25	50.11	50.27
9.	जम्मू और कश्मीर	96.40	119.16	74.51
10.	कर्नाटक	91.32	148.30	166.35
11.	केरल	125.25	174.23	310.43
12.	मध्य प्रदेश	135.22	172.18	219.19
13.	महाराष्ट्र	104.74	132.36	169.74
14.	मणिपुर	9.87	13.06	24.32
15.	मेघालय	11.24	31.73	36-31
16.	मिजोरम	21.51	22.56	21.46
17.	नागालैंड	46.50	83.13	61.70
18.	उड़ीसा	76.96	207.85	162.96
19.	पंजाब	40.38	54.79	150.58
20.	राजस्थान	125.26	141.59	130.94
21.	तमिलनाडु	89.98	187.69	181.62

1	2	3	4	5
22.	त्रिपुरा	65.98	42.47	45.16
23.	उत्तर प्रदेश	209.68	213.08	266.28
24.	पश्चिम बंगाल	47.84	60.30	71.18
25.	सिक्किम	10.59	54.84	56.96
	कुल (राज्य)	1866.30	2613.88	2904.24

निर्मुक्त की गई धनराशियां सामान्यतया राज्यों द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती हैं।

तेल के मूल्यों में कमी

[अनुवाद]

*425. श्री मोहन सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में तेल के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तेल के मुख्य बाजारों में तेल के मूल्य कितने प्रतिशत कम हुए हैं; और

(ग) तेल के मूल्यों में कमी को देखते हुए सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए अपने तेल की खरीद खुले बाजार से तथा नियत अवधि के करारों के आधार पर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव दोनों ही आए हैं।

(ग) आवधिक करारों और साथ ही स्थल-खरीद के अधीन कीमतें बाजार से सम्बन्धित हैं और ये आपूर्ति के समय की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से संयोजित होती हैं। स्थल-खरीद मास-दर-मास आधार पर की जाती हैं जबकि आवधिक करार आमतौर पर एक वर्ष के लिए होता है और करार की अवधि की समाप्ति पर इनका नवीकरण किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल

*426. श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री भेरू लाल मीणा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्मित किए गए होस्टलों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) निर्माणाधीन तथा वर्ष 1992-93 के दौरान निर्माण हेतु प्रस्तावित होस्टलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी है और वर्ष 1992-93 के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति लड़कों और लड़कियों के संबंध में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 तथा अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों के संबंध मे वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 मे निर्मित/निर्माणाधीन होस्टलों की संख्या उनके स्थान और दी गई सहायता संलग्न विवरण एक, दो, तीन, चार और पांच में दी गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों के होस्टलो दोनों के लिए ही उनकी आवश्यकताओं, उनसे प्राप्त प्रस्तावों और पहले निर्मुक्त की गई सहायता के उपयोग के संदर्भ में बराबरी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

विवरण-1

गत तीन वर्षों (1988-89, 1989-90, 1990-91) के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए निर्मित/निर्माणाधीन होस्टलों की संख्या

अनुसूचित जातियों के लिए होस्टल

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	केन्द्र द्वारा दी गई सहायता	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,10,62,638	(बालिकाएं) 1. मुसुनुरुर, कृष्णा 2. पेडना, कृष्णा 3. बेकाडू, नेल्लोर 4. पालटूर, चित्तूर 5. अवचेरला, महाबूबनगर 6. बवागिरिगुट्टुर, नालगोंडा 7. उत्नूर, आदिलाबाद 8. सेपुर, आदिलाबाद 9. आसिफाबाद, आदिलाबाद

1	2	3	4
			10. कोमारागिरिपत्नम, पूर्वी गोदावरी
			11. विय्यामपेटा, विजीनग्राम
			12. धर्मजीगुदम, पश्चिम गोदावरी
			13. पोड्डील-द्वो, प्रकसम
			14. पिलर-चित्तूर
			15. चित्तूर-तीन, चित्तूर
			16. द्रोनपाडु, कुरनूल
			17. शंकरपल्ली, रंगारेड्डी
			18. कोट्टरे, मेडक
			19. कोडक, नालगोंडा
			20. येल्लानडूर, खाम्माम
			21. चित्तीवालसा, विशाखापत्तनम
			22. मडुनोपाल्ली, करीमनगर
			23. चितलपेडु, करीमनगर
			24. वाई० पलेम, प्रकासम
			25. दौलताबाद, मेडक
			26. गंभीरीपेट, करीमनगर
			(बालक)
			1. ब्रह्मनघरता, श्रिरीकाकुलम
			2. एल० एन० पेटा, सिरीकाकुलम
			3. दरमवरम, विजीग्राम
			4. रविबालसा, विजीग्राम
			5. गोपालपत्नम, विशाखापत्तनम
			6. एस० राव्यावरम, विशाखापत्तनम
			7. अलमूर, पूर्वी गोदावरी
			8. मंडापेटा, पूर्वी गोदावरी
			9. द्रक्षारमम, पूर्वी गोदावरी
			10. पेणुगोंडा, पश्चिमी गोदावरी
			11. कैकरम, पश्चिमी गोदावरी
			12. कोयलागुडा, पश्चिमी गोदावरी
			13. जनागरोड्डीगुडेन, पश्चिमी गोदावरी

1	2	3	4
			14. चन्द्रलपाडु, कृष्णा
			15. रामापेट, प्रकासम
			16. इयामुक्कला, प्रकासम
			17. मथुकुर, नेल्लोर
			18. तेल्लमपाडु, नेल्लोर
			19. कीवनेर, चितूर
			20. रामल्लकोटा, कुरनूल-1
			21. येम्मीगनूर, कुरनूल
			22. नंदीवनापरली, रंगारेड्डी
			23. सिपुरे, रंगारेड्डी
			24. मेरीरल, रंगारेड्डी
			25. केम्मती, मेडक
			26. सिरगापुर, मेडक
			27. असदगंज, मेडक
			28. बोऊगुटा, मेडक
			29. भोइगा, नालगोंडा
			30. कडाकुडा, नालगोंडा
			31. पालाकुर्तीमंडल में युदूर, वारंगल
			32. मामचूर में असतीपल्ली, खम्माम
			33. सरजगापुर, करीमनगर
			34. वामोराकोगेटा, करीमनगर
			35. रामारेड्डी, निजामाबाद
			36. वरनी, निजामाबाद
2.	असम	19,11,700	बालिकाएं
			1. सुलकुची
			2. घितामोरा, धाकुखाने
			बालक
			1. प्रकाश विनाविया कॉलेज, पानिबाद में पानिगांव, एन/लखीमपुर

1	2	3	4
			2. नलबारी कालेज, नलबारी
			3. कामरूप, एच० एस० स्कूल, गुवाहाटी
			4. पश्चिम धाकुखाने बालिका, हाई स्कूल, धाकुखाने
			5. हाजो, बालिका हाई स्कूल, हाजो
			6. उत्तर धाकुरवाने बालिका हाई स्कूल, धाकुखाने
			7. बी० बारोह कालेज, गुवाहाटी
			8. फेलंगी हाई स्कूल थोवारा, शिवसागर
			9. मरकुची आंचलिक हाई स्कूल बरुआ, नलबरी
			10. कटारी चपरी हाई स्कूल, उत्तर लखीमपुर
			11. छायगांव चंपकनगर बालिका हाई स्कूल, छायगांव।
			12. शांतिपुर हाई स्कूल, बर्मा, नलबरी
3.	बिहार	1,94,67,500	बालिका
			1. पटना
			2. रोहतास
			3. मुंगेर।
			4. नालंदा
			5. गया
			6. पलामू
			7. औरंगाबाद
			8. समस्तीपुर
			9. जहानाबाद
			10. आरा
			11. वैशाली
			12. मुजफ्फरपुर-दो
			13. मधुबनी
			14. नरवाह

1	2	3	4
			15. छपरा-दो
			16. हजारीबाग
			17. मुजफ्फरपुर
			बालक
			1. फुलवनी
			2. बीकरमगंज, रोहतास
			3. कुरथा, जहानाबाद
			4. ओडा, नालंदा
			5. कोइलवार, भोजपुर
			6. तेता, गया
			7. वारिसलीगंज, मुजफ्फरपुर
			8. नोईनगर, औरंगाबाद
			9. जरनगोही, मुजफ्फरपुर
			10. लहुवेई बुजुरग, वैशाली
			11. तेमहो, पूर्वी चम्पारन
			12. शीओहर, सीतामढ़ी
			13. बानुचप्पर, पश्चिम चंपारन
			14. भरहाउस, सरन
			15. मेरेवा, सीवन
			16. बरोली, गोपालगंज
			17. केवती, दरभंगा
			18. लौमुहन, मधुबनी
			19. अनजीतपुर, समस्तीपुर
			20. संजत, बेगूसराय
			21. झाझा, मुंगेर
			22. कोटोरिया, भागलपुर
			23. सोपाल, सहरसा
			24. धमदाहा, पूर्णिया
			25. गोड्डाबाजार
			26. मुरलीगंज, मधेपुरा

1	2	3	4
			27. जयनगर, हजारीबाग
			28. बेलदार, खगरिया
			29. घंडेया, गिरिडिह
			30. हुंडी, धनबाद
			31. असेहर, पलामू
			32. नारायणपुर, दुमका
			33. बसंतराय, गोड्डा
			34. मधेपुर, देवघर
			35. ओर्मा, रांची
			36. बंडगांव, सिंहभूमि
			37. चैनपुर, गुमला
			38. स्नेहा, लोहारडग्गा
			39. साहेबगंज, साहेबगंज
4.	कर्नाटक	1,91,72,812	बालिका
			1. अलूर
			2. कर्से
			3. घाटकल
			4. भगदानगी
			5. बेवारगी
			6. येलनडम
			7. चितागुप्त
			8. हुलसूर
			9. बदामा
			10. सिवलघुट्टा
			11. सी० आर० पाटन हुसन
			12. बयावदी; धारवाड़
			13. पांडवपुर; मध्य
			14. बल्बर; रायचूर
			15. मंगलोर; रायचूर
			16. गुडीबांदा, कैबर

1	2	3	4
			17. हुगेरी, बोम्मानहल्ली बेल्लारी जिला
			18. गुडलगी, बेल्लारी जिला
			19. होसपेट, बेल्लारी जिला
			20. जगलपुर, चित्रदुर्ग जिला
			21. हिरियार, चित्रदुर्ग जिला
			22. येलाहांका, बंगलौर (यू)
			23. सेत्तामाहाल्ली, मंगलौर (आर)
			24. होन्नाल, शिमागो जिला
			25. शिग्गाओ, धारवाड़ जिला
			26. पावगडा, तुमकुर जिला
			27. रिबाबाग, बेलगाम जिला
			28. इक्कानायकनाह, तुमकुर जिला)
			बालक
			1. कुदूर, मगडी तालुक
			2. कनकपुरा कस्बा
			3. चमनंगल कामनगर, तालुक
			4. बंगारपेट, कोलार जिला
			5. हारोबाली कस्बा
			6. अवानी, मालानागाल तालुक
			7. येनाडु, गुदलबांदा कोलार जिला
			8. नागरपेट, गोरीबिदनूर तालुक, कोलार जिला
			9. कादूर, चिकमगलूर जिला
			10. कारुबुराबुदिनाल, चिकमगलूर
			11. कन्नूर, केल्लागल्ल तालुक, मैसूर जिला
			12. सरगूर, एच० डी० कोटा, तालुक, मैसूर जिला
			13. सिगमायलूर, कोल्लागेल तालुक, मैसूर जिला
			14. बासवकल्याण, बीदर जिला
			15. कलघाटगी, धारवार जिला

1	2		4
5.	गुजरात	3,96,000	बालिका
			1. सुरेन्द्रनगर
			2. भुज
6.	उत्तर प्रदेश	39,63,500	बालक
			1. लखनऊ
			2. कानपुर
			3. वाराणसी
			4. गोरखपुर
			बालिका
			1. सीतापुर
			2. बस्ती
			3. हमीरपुर
			4. रायबरेली
			5. इटावा
			6. रामपुर
			7. गोरखपुर
7.	पश्चिम बंगाल	54,45,000	बालिका
			1. जलपाईगुड़ी
			2. मिदनापुर
			3. कूचबेहार
			4. उत्तर 24-परगना
			5. बीरभूम
			6. नादिया
			7. बर्धमान
			8. गोबिंदपुर, हावड़ा
			9. तलपर्ल, हुगली
			10. सुल्तानगाची; हुगली
			11. सयालबेह (बांकुरा)
			12. बोरनगाव; हुगली
			13. बेहरहट; उत्तर 24-परगना

1	2	3	4
			14. उलूबेरिया, हावड़ा
			15. 24-परगना
			16. मुर्शिदाबाद
			17. दिनाजपुर
			18. मिदनापुर
			बालक
			1. माताभांगा, कूचबेहार
			2. सागर, दक्षिण 24-परगना
8.	हिमाचल प्रदेश	5,13,075	बालिका
			1. माताया
			2. पिजोंग
9.	त्रिपुरा	8,56,875	बालिका
			1. आनन्द नगर
			2. नूतन नगर
			3. ककराबन
			4. मोहनपुर
			बालक
			1. तलतला, पश्चिम त्रिपुरा
10.	पंजाब	3,50,000	बालिका
			1. संगरूर
			2. लुधियाना
11.	केरल	28,84,548	बालिका
			1. वैकम
			2. अजिकूर
			3. इरनाकुलम
			4. कोझीकोड
			5. पालाकोलकाम
			6. कोजीम्मपेरा
			बालक
			1. कोल्लाम

1	2	3	4
			2. वेल्लायनबतम, त्रिवेन्द्रम
			3. पथनामथीट्टा
12.	महाराष्ट्र	1,51,31,760	बालिका
			1. अम्बरगांव
			2. नागपुर
			3. गोन्द्रा
			4. जालना
			5. वर्ली
			6. पारनार
			7. नागपुर
			8. नागपुर
			9. ओरंगाबाद
			10. उदयगिर
			बालक
			1. वेनगुरला, सिंधुदुर्ग जिला
			2. संगली
			3. नागपुर
			4. नागपुर
			5. गौंडिस, भान्द्रा
			6. भान्द्रा
			7. पथरडी, अहमद नगर
			8. उदयगिर, प्रभानी
			9. कलमनुरी, प्रभानी
			10. हिंगोली
			11. उमेरखेड, यवतमाल
13.	तमिलनाडु	2,66,16,875	लड़कियों के लिए
			1. मुलनकरीची
			2. कन्याकुमारी
			3. पलायनकट्टई
			4. कुड्डालोर

1.	2	3	4
			5. बनाई
			6. रामनाथ पुरम
			7. नल्लाईवसल
			8. बलाजाह
			9. तिरूचेंगोल
			10. सेलम
			11. श्रीपेरूबंबरं
			12. रानीपेठ
			13. इन्जनबक्खन, चेंगल
			14. कलानजानी सेलम
			15. विल्लथीकुलम, चिदम्बरनार
			16. आयुवशकैल, पदूकोट्टाई
			17. सी० पुडापट्टी, मदुरै
			18. वीरावल्लू तिरूनेलई
			19. श्रीविल्लाईपटूर, काकराबर
			20. शोलापर, कोंयम्बटूर
			21. बराबर अपूरम, त्रिचाई
			22. गाईडलोर, नीलगिरि
			23. वन्देसन्दूरी डिडूंगाब
			24. श्रीयूबन्डेडू दक्षिणी एरकोटे
			25. पूलाचपलम —तदैव—
			26. पोलर तिरूवनामलाई
			27. वेल्लोर, उत्तरी एरकोट
			28. मनचरामूर त्रिचाई
			29. वादुथामपपलायम, कमबतल
			30. विरूकुडुविलाय, तनबावुरै
			31. बालापाडो, सालेम
			लड़कों के लिए
			1. वानेबबर
			2. दक्षिण आरकट
			3. कडापक्कलम, चेंगई-अन्ना जिला

1	2	3	4
			4. गुनामंगलम, त्रिचाई
			5. कौंडामूर, दक्षिण आरकट
			6. कलूम्बर, दक्षिण आरकट
			7. वेलावानू —तथैव—
			8. कडापूर, धर्मपुरी
			9. कलाडापक्कलम; तिरुवन्नामलाई-सामबूवरयार
			10. मलाईपयपूर, पदूकोट्टाई
			11. वलामानीकन पट्टी, नेल्लाई
			12. पोलापक्कम, चेंगई-अन्ना जिला
			लड़कियों के लिए
14.	मध्यप्रदेश	3,83,64;625	1. बिलासपुर
			2. इन्दौर
			3. सिनोर
			4. टीकमगढ़
			5. पन्ना
			6. शाजापुर
			7. दुर्ग
			8. रायपुर
			9. रीवा
			10. बेतुल
			11. खरगुरु
			12. मंबोसोम
			13. झाबु
			14. बिलासपुर
			15. बिलासपुर
			16. —तथैव—
			17. —तथैव—
			18. धार
			19. खारगोन

1	2	3	4
			20. नेपानगर
			21. कोरबा
			22. चिमनवानी
			23. दमोह
			24. कांकेर
			25. सुवासरा, मवपूर
			26. पन्ना; पन्ना
			27. बालाघाट बलबहुड
			28. रायसेन; रायसेन
			29. बीरापुर; रायगढ़
			30. सारंगपुर
			31. तालेन
			32. सुवासिया
			33. लटेरिया; विदिशा
			34. घाटिया; उज्जैन
			35. खातेगांव; देवास
			36. कुन्नूर —तदैव—
			37. हातेपिपीया
			38. सुसनेर; शाजा
			39. गोलखेड़ा
			40. मघम्मा
			41. पौड़ी
			42. सिवरोली; बंचारे
			43. देपालपुर; इन्दौर
			44. सता, बिलासपुर
			45. पचारिया
			46. अकलतारा
			47. सारगांव
			48. चूंगा
			49. मरवानी
			50. धर्मपुरा

1	2	3	4
			51. राजीम, रायपुर
			52. अरंगा
			53. पढ़ूंका
			54. धमतरी
			55. बिलाईगढ़
			56. देवर, ग्वालियर
			57. इक्लतारा
			58. बजरंगढ़ गढ़; गुना
			59. मकेसूबनगढ़
			60. बरनाबदा
			61. कूलभराज
			62. भिरोगराज
			63. भिरोगराज
			64. कूनाखाड़ा; दतिया
			65. सतना; सतना
			66. सागरा; सागर
			67. महाराजपुर
			68. रबुरई
			69. मलथान
			70. केसली
			71. केसली
			72. देवती
			73. पटेरा; दमोह
			74. पठारिया
15.	मध्य प्रदेश		75. हटा
			76. पावई, पन्ना
			77. पालेरा; टीकमगढ़
			78. बीजापुर, छतरपुर
			79. बाक्सवानेरा
			80. आमला, बैतूल

1	2	3	4
			81. कोवती, रतलाम
			82. आसरबाड, रबरनोज
			83. बावबाह
			84. दामनोद, धार
			85. अलीराजपुर, झाबुआ
			86. बरुव, खनवा
			87. बीड
			88. सम्बलपुर, दुर्ग
			89. मुदवारा, जबलपुर
			90. कोवलारी, सिवनी
			91. कानकीर
			92. जगदलपुर, बास्तर
			93. कटनगी, बालाघाट
			94. पानधुना, छिन्दवाड़ा
			95. अमरवाड़ा
			लड़कों के होस्टल
			1. मन्दसोर
			2. गोहद
			3. ललितपुर
			4. लश्कर
			5. पिछोर
			6. रायपुर
			7. पोरदा
			8. आरपीरा
			9. पुमनेर
			10. बदोवा
			11. अबार
			12. विदिशा
			13. छिटोडा
			14. दीपालपुर

1	2	3	4
			15. खरवाकाल
			16. गिरातगंज
			17. अब्दुलागंज
			18. मन्डी दीप
			19. जोरा
			20. साबाल गढ़
			21. राधोगढ़
			22. रवाते गांव
			23. कारीरा
			24. अलामपुर
			25. गुना
			26. खरगपुर
			27. मनासा
16.	उड़ीसा	78,87,750	1. बालासोर
			2. माधोपुर, कटक
			3. बालुगांव, पुरी
			4. चांदी खंट, कटक
			5. ओरोदाफर, बालन्दी
			6. बिहीरा, "
			7. बीरमहारगपुर, बोलबपुर
			8. पानारपाद, पुरी
			9. भुबनेश्वर
			10. बुगुदा पुरी
			11. रामचन्द्र पुर, कटक
			12. पालीसती, पाताक
			13. रामपली, कटक
			14. रामबहा, कुटा
			15. रामबहा, बंबम
			16. पालाहारा, बाबकरात

1	2	3	4
			17. बहुवान, ग्रनकोन्डा
			18. समबुसपुर
			19. जयपथ, कालोहान्डी
			20. जयन्तपुर
			21. धरमगढ़
			22. दीनोयंन, बोलानगपुर
			23. प्रदीप, कटक
			24. बिनबोतरापुर, कटक
			लड़कों के होस्टेल
			1. सम्बलपुर
			2. कालाहान्डी
			3. बीलकहान्डा, कालाहान्डी
			4. आमुन कीरा, सम्बलपुर
			लड़कियों के होस्टेल
16.	जम्मू व कश्मीर	1,53,300	1. उधमपुर
			2. बावरबाथ
			3. उधमपुर
			लड़कियों के होस्टेल
17.	पाण्डिचेरी	1,2,77,500	यांठमा

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)	अवस्थिति	जिलों सहित अवस्थिति जिला
1	2	3	4	5
			लड़कियों के छात्रावास	
1.	आन्ध्र प्रदेश	86.014 लाख	कालोवम्मा देवीपटनम	श्रीकाकुलम प० गोदावरी

1	2	3	4	5
			मेहबूबाबाद	वारंगल
			खंमम	नेल्लूर
			अलूरू	नेल्लूर
			श्रीसेलम	कुरनूल
			अचमपेटा	मेहबूब नगर
			त्रिपुरारम	नालगोन्डा
			कोटगुडम	वारंगल
			जलेरू डाम साईट	प० गोदावरी
			पाडेरू	विशाखापट्टनम
			लड़कों के छात्रावास	
		8?.215 लाख	हैदराबाद में 5 छात्रावास	हैदराबाद
			कालीबग्गा	श्री काकुलम
			देवीपत्तनम	प० गोदावरी
			गुन्डल	खाम्मम
			कुनावरम	खाम्मम
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.125 लाख	लड़कियों के छात्रावास	
			नामफाई	चान्गलेनी
			सोमपोई	चाम्गलेनी
			सेलग	पूर्वी सिआंग
			हरिकन	पूर्वी सिआंग
			जेमिथग	स्वांग
			शेरगांव	कामांग
			मालूकपोंग	कामांग
			कोडक	यू० सुबांसीर
			दरक	ए० सिआंग
			तोरू	एम० सुबांसीरी
		28.175 लाख	लड़कों के छात्रावास	
			बामे	प० सिआंग

1	2	3	4	5
			पोकटो	प० सियांग
			केकांग	पूर्वी सियांग
			दीरांग	प० कामेंग
			मीआयू आई० बी० स्कूल	एल० सुबांसीरी
			देचन थंग	प० सियांग
			मेचुका	प० सियांग
			वी० के० वी० सुनपुरा	लोहित
			वी० के० विश कुम्पोरीनो	यू० सुबांसीरी
			वी० के० मिशन, मिआयु	एल० सुबांसीरी
3.	असम	31.00 लाख	लड़कियों के छात्रावास	
			कलाईगांव	मंगलदेई
			गुवाहाटी	गुवाहाटी
			बिलासिपारा	धाकुआखाना
			कालीआबोर	कालीआबोर
			माजूली	माजूली
			धाकोआखाना	धाकोआखाना
			मंगलदोई	मंगलदोई
			उ० लखीमपुर	उ० लखीमपुर
			धेमाजी	धेमाजी
			डिबरूगढ़	डिबरूगढ़
			नलबाड़ी	नलबाड़ी
			धाकुआखाना	धाकुआखाना
			तामुलपुर	तामुलपुर
			मजूली	मजूली
			सिबसागर	सिबसागर
			धाकुआखाना	धाकुआखाना
			गुवाहाटी	गुवाहाटी
			उ० लखीमपुर	उ० लखीमपुर

1	2	3	4	5
			हेलम	हेलम
			मंगलदोई	मंगलदोई
			गुवाहाटी	गुवाहाटी
			धाकुआखाना	धाकुआखाना
			—वही—	—वही—
			लुहित मुखा	लुहित मुखा
			माजुली	माजुली
			तालबाडी	तालबाडी
			सेंटल गर्ल्स स्कूल	गुवाहाटी,
			जे० एन० कालेज	बोओ
			दुधनोई कालेज	दुधनोई
			दर्रग कालेज	तेजपुर
			धेमाजी गर्ल्स कालेज	धेमाजी
			लखीमपुर गर्ल्स कालेज	लखीमपुर
			जेंगराईमुख गर्ल्स हाई स्कूल	माजुली
			गोस्साईगांव कालेज	गोस्साईगांव
			कोकराझार कालेज	कोकराझार
			बिपुरिया कालेज	लखीमपुर
			बी० बी० किशन कालेज	जलाह बारपेटा
			सोनाच सेनोवाल चेरिटेबल ट्रस्ट,	डिब्रूगढ़
			माजोपुर हाई स्कूल	—वही—
			युनाईटेड ट्राइबेल हाई स्कूल	धेमजी
			साऊपथाल गर्ल्स हाई स्कूल	गोलाघाट
			रुकमिणी बालिका विद्यालय	गुवाहाटी
			भीमबोर देवरी गर्ल्स स्कूल	भीमबोर
			धनीराम बारमन पब्लिक स्कूल	काचारपर

1	2	3	4	5
		31.00 लाख	लड़कों के छात्रावास	
			तरुणी जे० एन० अकादमी	धूबी
			मध्य सुबांसीरी मिशिंग हाई स्कूल	उत्तरी लखीमपुर
			महुरा हाई स्कूल	बोकाखाट
			बाल्का बाघसारा हाई स्कूल	सुबांसीरी, उ० लखीमपुर
			बर्कूची हाई स्कूल	रंगीया
			आमीरो सिलीमारी हाई स्कूल	उत्तरी लखीमपुर
			बागर्बाडी हाई स्कूल	मंगलदोई
			दमलीन सरकारिया हाई स्कूल	आकुआखाना
			अबानारी जनजातीय हाई स्कूल	उ० लखीमपुर
			पालबबाड़ी आंचलिक हाई स्कूल	कामरूप
			बाजी हायर सेकेंडरी स्कूल	आकूखाना
			देहकिन बापारी हाई स्कूल,	आकूखाना
			खेतरी हाई स्कूल	कामरूप
			बाबुआ ट्राइबेल हाई स्कूल	आकुआखाना
			धीपानी हाई स्कूल	धेमाजी
			निहाई पुखुरी हाई स्कूल	सिबसागर
			पन-आकुआखाना जनजातीय स्कूल	आकुआखाना
			अनिरुद्धदेव भागेश देवरी हाई स्कूल	उ० लखीमपुर
			कोकराझार कालेज	कोकराझार
			एस० टी० बॉयज होस्टल	सिलचर
			दुधनोई कालेज	गोलपाड़ा
			डिब्रूगढ़ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल	डिब्रूगढ़

1	2	3	4	5
			लोहित डिकरोंग हायर सैकेन्डरी स्कूल	लीहपुरिया एन/एल०
			नाजिरा कालेज	सिबसागर
			नौहपुरिया कालेज	उ० लखीमपुर
			युनाईटेड ट्राइबल एम० ई० स्कूल	धेमाजी
			सिबसागर कालेज	सिबसागर
			रेजिडेंसियल इंगलिश कालेज	सिलापथेर
			कावांग हाई स्कूल	डिबरूगढ़
			सादिया कालेज	सादिया
			गोस्साईगांव कालेज	गोस्साईगांव
			खोवांग कालेज	डिबरूगढ़
			चाईगांव आंचलिक जनजातीय एम० ई० स्कूल	लखीमपुर
			माधवदेव कालेज	लखीमपुर
			नकारी देवरी ब्वायज होस्टल	एन/एल
			जनजाती एम० ई० स्कूल	सिलापाथर
			जेनगराईमुख कालेज	माजूली
			श्रीराम देवरी एम० ई० स्कूल	माजूली
			जोनामुख कालेज	धेमाजी
			नार्थ लखीमपुर कालेज	उ० लखीमपुर
			लखीमपुर लॉ कालेज	लखीमपुर
			लोहित खाबूजी एम० ई० कालेज	लोहित खाबूजी
			सिमालुपुरी एम० एस० स्कूल	सिमालगुरी
			नमानी सुबांसिरी एम० ई० स्कूल	,,
			बैबेसुकान एम० ई० स्कूल	लीहपुरिया
			बाधारगांव हाई स्कूल	जोनाी

1	2	3	4	5
			गोस्साईगांव कालेज	गोस्साई गांव
			दक्षिण कालीबाडी हाई स्कूल	गोहपुर
			एन० एन० कैकिया कालेज	तीताबाड़ी
			माधवदेव कालेज	उ० लखीमपुर
			आदर्श ट्राईबल हाई स्कूल	गोपुर
			तमागांव हाई स्कूल	धाकुआखाना
			हाहम हाई स्कूल	कामरूप
			बुगीसुती ट्राईबल हाई स्कूल	धाकूआखाना
			नभाती बालिका विद्यालय	नलबाड़ी
			मंदिर हाई स्कूल	,,
			लईत्पुरिया मीसींग हाई स्कूल	धाकूआखाना
			नमानी मीरी हाई स्कूल	गोहपुर
			अकंजन इंग्लिश हाई स्कूल	धेमाजी
4.	बिहार	85.95 लाख	लड़कियों के छात्रावास	
			बुन्दु	रांची
			गुमला	गुमला
			चैबासा	सिंहभूम
			तेत्रहट	पलामू
			राड़ू	रांची
			गोस्सानेर	रांची
			टोटी	रांची
			महेशपुर	साहेबगंज
			हेमडंडा	रांची
		43.34 लाख	लड़कों के छात्रावास	
			ककारिया, बारा	रांची
			बुन्दु	रांची
			चाकी	रांची
			तार	रांची

1	2	3	4	5
			अर्की	रांची
			खारसोवाग, बमकुम	रांची
			कुरदग, सिमदेगा	गुमला
			कुरदग, सिमदेगा	गुमला
			केस्साई	गुमला
			भान्द्रा	लोहारडागा
			कुमारडुंगी	सिंहभूम
			मजहारी	सिंहभूम
5.	गुजरात	51.23 लाख	लड़कियों के छात्रावास	
			वीरपुर टी० वालोद	सूरत
			सनाली टी० वस्ता	बनासकान्था
			व्यारी	सूरत
			शामलाजी टी० भीलोडा	साबरकान्था
			रायपुर टी० भीलोडा	साबरकान्था
			विजय नगर, भीलोडा	साबरकान्था
			मोटाकान्था, भीलोडा	साबरकान्था
			भावसामोट, वालिया	भरूच
			वालवाड़ा, छिसाल	वालसद
			उखाल्वा, सांगाध	सूरत
			तोखला	बडोदरा
			टी० लखवाडिया	बडोदरा
		36.322 लाख	लड़कों का छात्रावास	
			वलसद	वलसद
			भरूच	भरूच
			मोधारा	पंचमहल
			बाबापुर	अमरेली
			बाडेली	बडोदरा

1	2	3	4	5
			मरटियंग	जैनसिया हिल्स
			टूरा	प० गोरा हिल्स
			ससबलपारा	पूछ ,, ,,
			डायनचीय	,, ,,
			मेरंग	पं० खासी
			संतंगा	जैनसिया
			चीपु हाईस्कूल	पूछ सातेहिल्स
			खासकरा ,,	प० ,, ,,
		6.0 लाख	लड़कों के लिए होस्टल	
			लतिवाड़कोट	पू० खासी हिल्स
			पारीयोम	प० ,, ,,
			मावसिरम	पू० ,, ,,
			डिलमा बपाल एच. एस.	,, ,,
			खसमचिरा एच. एच.	,, ,,
			चगापात ,, ,,	,, ,,
13.	मिजोरम	12.25 लाख	ऐजवाल में लड़कों का एक होस्टल	आइज्बॉल
			,, ,, लड़कियों का एक होस्टल	,,
14.	उड़ीसा	75.927	लड़कियों के होस्टल	
			बरगांव	सुन्दरगढ़
			पोडामड़	कोरापुट
			सेमलीगुडा	कोरापुट
			बरोपडा कालेज	मयूरभंज
			पंचपोर	,,
			लक्ष्मीपुर	गंजम
			गुम्मा एच० एस०	,,
			कोसंगा	कोरापुट

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र	9087 लाख	10 होस्टल—राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए लड़कियों के लिए तथा लड़कों के लिए होस्टल	
			कथबान	रामागिरी
			कोरेगांव	नासिक
			सामंतवाडी	पूना
			अवाल बलेश्वर	संत नगर
			मनीकपुर	अमरावती
			वाय	,,
			सायलेडा	बुलधाना
			मीनार	थाना
			ओढनखेडा	जलगांव
			बाडेश्वर	पूना
			बरबवेट	कोठापुर
			कण्परा	यूटमल
			चिंचवड	,,
11.	मणिपुर	29,588	लड़कों के लिए	
			डी एम कालिज	इंफाल
			पैसमाटा	सेनापति
			चचंद्रपूर	चचंद्रपुर
			उखमल	उखमल
11.	मणिपुर	30.13 लाख	लड़कियों के लिए होस्टल	
			डी राम कालिज कंपलैक्स	इम्फाल
			टाडूबी	सेनापति
			चादेल	चादेल
			तमंगलांग	तमंगलांग
12.	मेघालय	10.91 लाख	लड़कियों के लिए होस्टल	
			रंगसापारा	पश्चवासी हिल्स
			कोमकला	पूर्वी ,,

1	2	3	4	5
			छोटे गांव	देवास
			सरवान	रतलाम
			मिनबार	सिधी
			लोहारा	दुर्ग
			बालिरामारंभ	दुर्ग
			सचित	बिलासपुर
			पिपरिया	मंडला
			बिचनिया	,,
			बरेती	रायसीव
			बाणे	,,
			शाहेवेल	शाडोल
			कपसी	बस्तर
			बीजापुर	,,
			करवा	शाहडोल
			बिचुपा	छिनवाडा
			बारसिा	रायगढ़
			गडी	बालाघाट
		73,204	लड़कों के लिए होस्टल	
			रायगढ़	रायगढ़
			पपलपुर	पपलपुर
			सिंधी	सिंधी
			इन्दौर	इन्दौर
			झबुआ	झबुआ
			सागर	सागर
			बालाघाट	बालाघाट
			रतलाम	रतलाम
			रायपुर	रायपुर

1	2	3	4	5
			दुधियाप	पंचमहल
			तेजगढ़	वडोदरा
6.	हिमाचल प्रदेश	8.58 लाख	लड़कियों के छात्रावास	
			रामपुर	बुसेहर
			लड़कियों के होस्टल	
7.	कर्नाटक	6.125 लाख	हीरामानी डी० सागर	सिमोगा
			लड़कों के होस्टल	
		6.422 लाख	चामराज नगर	मैसूर
			टी० चोकरा नगर	,,
			लड़कियों के होस्टल	
8.	केरल	23.98 लाख	पालघाट	पालघाट
			पाछा	त्रिचूर
			इदुक्की	वायनद
			कण्पावाचाल	वायंद
			चित्तूर	पाथामिथोतू
			पोगाला	इदुक्की
			लड़कों के होस्टल	
		23.865 लाख	ओदाकायाम	मालापुरम
			अरन्नाकुलम	वायनरद
			चकरी	,,
			पुथुप्पदी	कोझीकोडी
			पुदूर, अलाप्पवली	पालाक्कद
			वोयोकुवली	वायनदर
			कोल्लाम	कोल्लाम
			लड़कियों के होस्टल	
9.	मध्य प्रदेश	127.175 लाख	नालछा	धार
			बदनावीर	,,
			डालारपुर	,,

1	2	3	4	6
			कैसागुमदा	,,
			बोईमरोगुदा	,,
			उमरकोट	,,
			निसानडिहा	क्योंझार
			कुचिंदा	संबलपुर
			रेटों बीरकेड़ा	सुन्दरगढ़
			पुहुका	,,
			कुसाडिहा	बालासोर
			डा० डी० कालेज क्योंझर	क्योंझार
			तेलकोई	,,
			रामसोली कालेज	,,
			बिसन कटक	कोरापुट
			बालदा	सुन्दरगढ़
		22.52	लड़कों के होस्टल	
			क्षेमपुरा	क्योंझार
			झेराकेला	बोलनगोर
			राऊरकेला	सुन्दरगढ़
			गुमुंडा	कोरापुट
			करंजिया	मयूरभंज
			चित्रकोंडा	कोरापुट
			ननपावर	फूलबनी
			भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
15.	राजस्थान	62.43	लड़कियों के होस्टल	
			रिसावदर	उदयपुर
			कोसलगढ़	बांसवाड़ा
			आबू रोड	सिरोही
			प्रमोतप	चित्तौड़गढ़

1	2	3	4	5
			उदयपुर	उदयपुर
			बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
		17.12	लड़कों के होस्टल	
			उदयपुर	उदयपुर
			बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
16.	सिक्किम	12.841	लड़कियों के होस्टल	
			खेंपला सेकण्डरी स्कूल	दक्षिणी जिला
			जलमसिंह जाब एस०एस०	पूर्वी ,,
			लिके एस० एस०	पूर्वी ,,
			पैलिंग एस० एस०	पश्चिम ,,
			ग्यालसिंग गर्ल्स स्कूल	पश्चिम ,,
		17.125	लड़कों के होस्टल	
			टोंगबोंग सेकण्डरी स्कूल	उत्तरी जिला
			फोडलांग ,, ,,	,,
			मगम ,, ,,	,,
			कोक ,, ,,	दक्षिण जिला
			लिंगी ,, ,,	,, ,,
			रंगबंगला ,, ,,	,, ,,
			स्लूक ,, ,,	पश्चिम ,,
17.	त्रिपुरा	12.027 लाख	लड़कियों के होस्टल	
			तेतुबारा हाई स्कूल	अमरपुर
			सुन्दरनगर ,, ,,	सुन्दरनगर
			अम्पबरना ,, ,,	पश्चिम त्रिपुरा
		27.00	लड़कों के होस्टल	
			सेंट पाल स्कूल	अगरतला
			जमपुरी हाई स्कूल	उत्तर त्रिपुरा
			बुफबंगा ,, ,,	अगरतला

1.	2	3	4	5
18.	तमिलनाडु	16.227 लाख	लड़कियों के होस्टल	
			गोमुखी दास	दक्षिणी अरकाट
			अमुनामारुफूर	सम्बुवरयू
			पेमलपलयम	त्रिची
		16.142	लड़कों के होस्टल	
			मल्लुककवी	सलेम
			गोमुखीदाम	दक्षिणी अरकाट
19.	उत्तर प्रदेश	2.971 लाख	बाजपुर में लड़कियों के होस्टल	नैनीताल
		8.158	लड़कों के होस्टल	
			धरमा	पिथौरागढ़
			खातीमा	नैनीताल
			बोलरामपुर	गोंडा
20.	प० बंगाल	32.03	लड़कियों के होस्टल	
			मलबाजार	जलमाइगुड़ी
			बसखोगुडी	दार्जीलिंग
			मालरा शहर	मालदा
			कलट्रास शहर	लंकूरा
			डूंडर	बकूरा
			नबरी	बोरभूम
		29.63	लड़कों के होस्टल	
			हराग्राम	मिदनापुर
			नगरकटा	जलपाईगुडी
			रानी बांध	बंकूरा
			गोपाकल्लाबपुर	मिदनापुर
			बर्धमान	पुरुलिया
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		गेसरा द्वीप समूह में	ग्रेट अंडमान

1	2	3	4	5
		10.275 लाख	लड़कियों के होस्टल	पोर्ट ब्लेयर
		4.281	पोर्ट ब्लेयर में लड़की के होस्टल	
22.	दमन और दीव	3.833	दमन वाड़ा में लड़कियों के होस्टल	मोती दमन
23.	दादरा और नगर हवेली	29.683	खनेवेल में लड़कियों के होस्टल	सिलवासा
		17.178	सिलवासा में लड़कों के होस्टल	सिलवासा
24.	लक्षद्वीप	22.05	एम॰सी॰ कालेज, अंडरोथ में लड़कों का होस्टल	अंडरोथ
		14.69	ककरमती में लड़कियों का होस्टल	कवरत्ती
		कुल : 1405.448		

विवरण-दो

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान स्वीकृत बालिका होस्टल योजना के अन्तर्गत होस्टलों और स्थानों की संख्या का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	राज्य	1989-90 होस्टल	1989-90 स्थान	1990-91 होस्टल	1990-91 स्थान	1991-92 होस्टल	1991-92 स्थान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	3	300	4	400	7/700
2.	असम	—	—	30	2[illegible]0	18	155	48/395
3.	बिहार	—	—	4	200	5	350	9/550
4.	गुजरात	6	383	5	156	4	260	15/799
5.	हिमाचल प्रदेश	1	100	—	—	—	—	1/100
6.	कर्नाटक	—	—	—	—	1	50	1/50
7.	केरल	3	140	4	210	—	—	7/350

1	2	3		5	6	7	8	9
8.	मध्य प्रदेश	--	—	20	1000	—	—	20/1000
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	13	700	13/780
10.	मणिपुर	1	108	—	—	3	102	4/210
11.	मेघालय	5	104	5	125	—	—	10/229
12.	मिजोरम	—	--	—	—	1	50	1/50
13.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	
14.	उड़ीसा	14	420	—	—	7	210	21/630
15.	राजस्थान	1	100	2	200	3	300	6/600
16.	सिक्किम	—	—	5	150	—	—	5/150
17.	त्रिपुरा	2	50	1	20	2	40	5/110
18.	तमिलनाडु	—	—	1	100	2	100	3/200
19.	उत्तर प्रदेश	—	—	1	48	—	—	1/48
20.	पश्चिम बंगाल	—	—	6	390	—	—	6/390
21.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10	200	—	—	10/200
22.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	60	—	—	—	—	1/60
24.	दमन और दीव	—	—	1	30	—	—	1/30
25.	दादरा और नागर हवेली	—	—	1	100	*	*	1/100
	कुल	34	1465	98	3469	68	279	195/7683

*होस्टलों का कार्य पूरा करने के लिए पिछले वर्षों में दी गई राशि।

विवरण-तीन

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान स्वीकृत बाल होस्टल योजना के अन्तर्गत होस्टलों और स्थानों का ब्यौरा

		1989-90		1990-91		1991-92		
क्र० सं०	राज्य	होस्टल	स्थान	होस्टल	स्थान	होस्टल	स्थान	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	5	520	4	400	9/920

1	2	3	4	5	5	7	8	9
2.	असम	—	—	30	240	29	160	59/400
3.	बिहार	—	—	12	600	—	—	12/600
4.	गुजरात	—	—	3	300	4	140	7/400
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—			
6.	कर्नाटक	—	—	1	75			1/75
7.	केरल	—	—	3	120	5	210	8/330
8.	मध्य प्रदेश	3	150	7	450	10	600	20/1200
9.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	13	2060	13/2060
10.	मणिपुर	—	—	4	370	×	×	4/870
11.	मेघालय	—	—	6	150	1	50	6/150
12.	मिजोरम	—	—	—	—	1	50	1/50
13.	उड़ीसा	1	50	5	150	2	60	8/260
14.	राजस्थान	—	—	2	200	—	—	2/200
15.	सिक्किम	—	—	7	200			7/200
16.	त्रिपुरा	1	100	2	110	×	×	3/210
17.	तमिलनाडु	—	—	1	100	1	75	2/175
18.	उतर प्रदेश	—	—	3	144			3/144
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	3	230	3	200	6/430
20.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	10	230	10/230
21.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	1	90	1/90
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	25			1/25
23.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1	100	×	×	1/100
	कुल	5	300	96	4084	83	4275	184/8659

× पिछले वर्षों के कार्यों के लिए दी गई शेष राशि।

विवरण-चार

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में बालिका होस्टल के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदानों का ब्योरा

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.40	40.309	31 305	86·014
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	17.125	—	17.125
3.	असम	—	15.00	16.00	31·00
4.	बिहार	—	17.13	68.82	85.95
5.	गुजरात	9.44	11.66	30.13	51.23
6.	हिमाचल प्रदेश	8.56	—	—	8.56
7.	कर्नाटक	—	—	6.125	6.126
8.	केरल	6.00	17·98	—	23.98
9.	मध्य प्रदेश	63.30	63.875	—	127.175
10.	कर्नाटक	13.95	4.[illegible]7	32.50	51.12
11.	मणिपुर	22.31	—	7.82	30.13
12.	मेघालय	5.91	5.00	—	10.91
13.	उड़ीसा	28.50	10.00	37.427	75.927
14.	राजस्थान	8.56	17.12	36.75	62.43
15.	सिक्किम	—	12.841	—	12.841
16.	तमिलनाडु	—	4.1[illegible]2	12.125	16.227
17.	त्रिपुरा	3.94	3.127	4.96	12.027
18.	उ र प्रदेश	—	2.971	-	2.971
19.	पश्चिम बंगाल	—	18 00	14.03	32.03
20.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6.[illegible]5	3 525	—	10.275

1	2	3	4	5	6
21.	दादरा और नागर हवेली	—	29.203	0.48	29.683
22.	दमन और दीव	—	3.8[illegible]3	—	3.883
23.	लक्षद्वीप	3.25	11.44	—	14.69
24.	मिजोरम	—	—	6.125	6.125
	कुल :	194.87	303.9[illegible]	304.597	808·378

विवरण-पांच

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान बाल होस्टलों के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदानों का ब्योरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	—	33.215	49.00	82.215
अरुणाचल प्रदेश	—	—	28.175	28.175
असम	—	15.00	16.00	31.00
बिहार	—	43.34	—	43.34
गुजरात	—	19.162	18.16	36.322
हिमाचल प्रदेश	-	—	—	—
कर्नाटक	—	6.422	—	6.422
केरल	—	10.275	23.58	33.855
मध्य प्रदेश	9.46	28.744	35.00	73.204
महाराष्ट्र	—	—	39.75	39.75
मणिपुर	—	28.138	1.37	29.508
मेघालय	—	6.00	—	6.00
मिजोरम	—	—	6.125	6.125

1	2	3	4	5
नागालैंड	—	—	—	—
उड़ीसा	1.54	10.00	10.98	22.52
राजस्थान	—	17.22	—	17.12
सिक्किम	—	17.125	—	17.125
तमिलनाडु	—	8.562	7.58	16.142
त्रिपुरा	6.00	6.00	15.00	27.00
उत्तर प्रदेश	—	8.158		8.158
पश्चिम बंगाल	—	14.69	14.94	29.63
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	4.281		4.281
दादरा और नागर हवेली	—	5.718	11.41	17.128
दमन और दीव	—	—		
लक्षद्वीप	—	—	22.05	22.05
कुल :	17.00	2[illegible]1.95	298.12	597.07

ऊर्जा की बचत संबंधी प्रौद्योगिकी

*428 श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्री निवास प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी बड़ी औद्योगिक एककों से आग्रह किया है कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को संसाधित करते समय उर्जा की बचत संबंधी प्रौद्योगिकी अपनायें; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या मार्ग-निर्देश जारी किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : तकनीकी विकास महानिदेशालय ने बड़ी औद्योगिक इकाईयों से कहा है कि वे ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी अपनाएं विकास पैनलों और उद्योग कि विकास परिषदों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों को सुझाव परिचालित किए गए हैं, जो इन के बारे में है ऊर्जा जांच के लिए सुझाव, ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए उपाय को स्पष्ट करते हुए सूचना प्रणाली, सफलता की कहानियों का प्रकाशन, उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण पर प्रशिक्षण सहित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, आदि ।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने वाली तेल रिफाइनरियों को भी लगातार कहा जाता है कि वे ऊर्जा बचत की तकनीकें अपनाएं और उनके कार्य-निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण पर समिति

[हिन्दी]

4652. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की जांच करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई डा० जी० वी०के० राव समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त डा० जी० वी० के० राव समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) रिपोर्ट में की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें इन से संबंधित हैं- प्रशासनिक सुधार, अधिकारों का प्रत्यायोजन, प्रक्रिया का सरलीकरण, विश्व-विद्यालयों/वैज्ञानिक संगठनों के साथ संपर्कों को सुदृढ़ बनाना, प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, अनुसंधान के ओर दिए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाना और अनुसंधान नियोजन कार्यान्वियन, प्रबोधन और मूल्यांकन प्रणालियों इत्यादि में सुधार, आदि।

(ग) अधिकांश सिफारिशों को भा० कृ० अ० परिषद ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गयी है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द संस्थान का गठन

4653. श्री बारे लाल जाटव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द संस्थान का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) : सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिल्ली में एक पंजीकृत संस्था के रूप में राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द संस्थान का गठन किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री इसकी शासी परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसमें अन्य प्रख्यात व्यक्ति भी शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालय, मास्को के कर्मचारी

[अनुवाद]

4654 : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

डा० लालबहादुर रावल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय, मास्को के कर्मचारियों को उनके बच्चों का मेडीकल कालेजों में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित स्थानों में उनके बच्चों की पात्रता के संबंध में भारतीय मिशन का कर्मचारी समझा जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री : (श्री माधव सिंह सोलंकी : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियमों के अन्तर्गत इस मंत्रालय को जो सीटें आबंटित हैं वे केवल विदेश स्थित मिशनों में काम कर रहे भारत आस्थानी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं।

मत्स्य उद्योग संबंधी विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना

4655. श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व खाद्य कार्यक्रम ने असम में मछली उत्पादन बढ़ाने संबंधी चालू परियोजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख)) असम में अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास पर चल रही परियोजना के विस्तार चरण में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 102 बीलों की बहाली और विकास के लिये $4\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में 3.7 मिलियन अमेरिकी डालर मूल्य की खाद्य सहायता अनुमोदित की है जिससे राज्य में मछली उत्पादन में वृद्धि होगी।

आदिम जनजातियां

[हिन्दी]

4656. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आदिम जनजातियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की जनसंख्या कितनी है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) देश में चौहत्तर आदिवासी समुदायों की आदिम आदिवासी समूहों के रूप में पहचान की गई है। 1991 की जनगणना के अनुसार आदिम आदिवासी समूहों की जनसंख्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। 1981 की जनगणना के अनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	आदिम जनजाति का नाम	1981 जनगणना
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. बोडो गडाबा	28049
		2. गुतोब गडाबा	
		3. चेनचू	28297
		4. बोण्ड पूरजा	
		5. परांजी पोर्जा	
		6. खोंड पोर्जा	
		7. कोलाम	30352
		8. कोंडा रेड्डी	54473
		9. कोंडा सवरस	18189
		10. कुटिया खाण्डो	50727
		11. डोंगरिया खोंड	
		12. थोटी	11753
	कुल :		228213
2.	बिहार	1. असरस	8683
		2. बिरहोर	4277
		3. बिरजा	4057
		4. हिल खरिया	14177

1	2	3	4
		5. कारवास	21940
		6. मालपहाड़िया	79322
		7. पहाड़ियास	24012
		8. सरिया पहाड़िया	39269
		9. सावेर	3014
	योग :—		198751
3.	गुजरात	1. कथोड़ी	4360
		2. कोटवालिया	15837
		3. पाधार	9322
		4. सिद्दोई	5600
		5. कोटमा	26060
	योग :—		61179
4.	कर्नाटक	1. जनु कबास	17865
		2. कोरगास	15810
	योग :—		33675
5.	केरल	1. चोलक्यानस	8803
		2. कादर	1603
		3. कन्ननायकनस	1283
		4. कुरुम्बस	1503
		5. कोरगास	
	योग :—		13374
6.	मध्य प्रदेश	1. अबुझमारिस	15500
		2. बायगास	13966

1	2	3	4
		3. मारियास	1589
		4. हिल कोरवस	16860
		5. कामरस	13600
		6. साहारियास	207600
		7. बिरहार	886
	योग :—		395600
7.	महाराष्ट्र	1. कटकारिया (कटोडिया)	174602
		2. कोलाम	118073
		3. मरिया गोण्ड	66750
	योग :—		359425
8.	मणिपुर	1. करम्म नागास	5972
	योग :—		5972
9.	उड़ीसा	1. बिरहार	142
		2. बोन्डापोरजा	5895
		3. डिडाई	1978
		4. डोंगरिया खोण्डा	1145
		5. जुआंग	4217
		6. खारिया	1531
		7. कुटिया खोंडा	5208
		8. लांजिया सौरा	6255
		9. लोधास	5100
		10. मंकीडायस	205

1	2	3	4
		11. पान्डी भुयानस	7145
		12. सौरा	6216
	योग :—		45037
10.	राजस्थान	1. सहरिया	33978
	योग :—		33978
11.	तमिलनाडु	1. कत्तु नाकोनस	26383
		2. कोटस	604
		3. कुरूम्बस	4354
		4. इरुला	108757
		5. पेजियाना	6393
		6. टोडस	875
	योग :—		144366
12;	त्रिपुरा	1· रिअंगस	84004
	योग :—		84004
13.	उत्तर प्रदेश	1. बुकसा	30938
		2. राजिया	478
	योग :—		31416
14.	पश्चिम बंगाल	1. बिरहोर	214
		2. लोढा	53717
		3. टोटो	716
	योग :—		54647

1	2	3	4
15.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1. ग्रेट अण्डेमानीज	28
		2. जारवा	200
		3. ओंगी	98
		4. सेण्टनलसी	214
	योग :—		620
	महा योग :—		1690257

केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन की स्थापना

[अनुवाद]

4657. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ परिषद ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य और प्रयोजन क्या है और इसके लिए किस प्रकार वित्त उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) फाउण्डेशन की स्थापना में क्या प्रगति हुई है और फाउण्डेशन द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना को किस प्रकार चलाने का विचार है; और

(घ) परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा जुलाई; 1989 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम; 1860 के अन्तर्गत मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के इसके पंजीकरण के समय प्रस्तुत संस्था ज्ञापन पत्र में उल्लिखित उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके उद्देश्यों के संवर्धन के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सरकार से और केन्द्रीय वक्फ परिषद से अनुदान सहायता प्राप्त कर सकता है तथा वक्फ निधियों और दोनों सहित पदों के अन्दर और बाहर से दानकर्ताओं तथा अन्य स्रोतों से निधियां जुटा सकता है।

(ग) और (घ) इस प्रतिष्ठान ने अनुदान सहायता के लिए सरकार से अनुरोध किया है जो सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विवरण

उद्देश्य

यह प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक गैर-राजनीतिक, लाभ न कमाने वाला समाज सेवा संगठन है जो भारत के मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेत है। जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के लिए यह प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय वक्फ परिषद की योजनाओं तथा शैक्षिक योजनाओं को लागू करना और उन्हें आगे बढ़ाना;

(2) मुसलमानों में शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करना तथा उनमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे तथा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद के राष्ट्रीय आदेशों के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(3) इस दिशा में राज्य की शिक्षा की (शिक्षा संबंधी नीतियों के निरूपण को प्रभावित करने के लिए अनुसंधानात्मक एवं अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना। आयोजित करना;

(4) यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जाती है;

(5) शिक्षा की प्रगति को आघात पहुंचाने वाले कारणों के बारे में अध्ययन करना। उनकी जांच करना तथा तत्संबंधी सूचना का प्रचार करना ताकि मुस्लिम शिक्षा के लिए नीतियां निर्धारित करते समय राज्य की एवं गैर-राज्यीय एजेंसियों द्वारा इनको ध्यान में रखा जा सके;

(6) शिक्षा के विकास हेतु सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों (जिनमें अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी संस्थान भी शामिल है) को प्रोन्नत/स्थापित करना तथा उनका रख-रखाव करना;

(7) शिक्षा के विकास में लगे संस्थानों/संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना;

(8) शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों/संगठनों का प्रकाशन, प्रबन्ध एवं शिक्षा में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना;

(9) निर्धन तथा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता/या अन्य सहायता प्रदान करना;

(10) छात्रों को उनकी शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी अभिरुचियों के बारे में उनका मार्गदर्शन करना, शिक्षा के लिए अथवा किसी अन्य शैक्षिक/व्यावसायिक मामले के संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करना;

(11) भारत में शिक्षा के बारे में डाटा बैंक के रूप में कार्य करना तथा भारत एवं विदेश में अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के बारे में इसी प्रकार की सूचना भेजना।

(12) जर्नलों एवं अन्य पत्रिकाओं सहित समस्त प्रकार की लिखित सामग्री तैयार करना तथा या उसे प्रकाशित करवाना अथवा अन्य जनसम्पर्क माध्यमों के लिए सामग्री का प्रचार करना, जिससे प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी;

(13) उन्हीं उद्देश्यों वाले अथवा प्रतिष्ठान के समान उद्देश्यों वाली सोसायटियों/संगठनों के साथ स्वयं को सम्बद्ध करना या सहयोग करना ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम/क्रियाकलाप बेहतर हों तथा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित किए जाएं;

(14) ऐसी समस्त निधियों अर्जित/संचालित करना जो प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को लागू करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त हों और ऐसी निधियों के वितरण को नियंत्रित/विनियमित करना;

(15) तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रत्याशियों की कोचिंग तथा व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश, मिडल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उपचारी तथा प्रवर्तक कक्षाओं और लड़कियों के लिए होस्टलों के प्रावधान के संबंध में युवाओं विशेषकर महिलाओं को विशेष सहायता और अवसर प्रदान करना;

(16) कारीगरों के बच्चों को उनके पूर्वजों के कौशल तथा सामान्य शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना;

(17) विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए सुरक्षा गृह की स्थापना करना अथवा उसकी स्थापना में सहायता करना तथा उन्हें कार्योन्मुखी व्यवसायों में प्रशिक्षण देना ताकि वे अपने पांवों पर खड़ी हो सकें और उपयोगी नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सकें।

(18) अधिक से अधिक महिलाओं को छोटी से छोटी नौकरियों तक प्राप्त करने और अपनी आर्थिक दशा सुधारने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सघन आबादी वाले मुस्लिम क्षेत्रों में शिशु-गृहों तथा नर्सरी स्कूलों की स्थापना करना या उनकी स्थापना में सहायता करना;

(19) वे सभी कार्यकलाप आरम्भ करना जिनका जिनका विशिष्ट उल्लेख उपर्युक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में नहीं हुआ है किन्तु जो कुल मिलाकर उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे और जो भारतीय मुसलमानों को शिक्षा तथा विकास के उसी स्तर को लाने में सहायता करेंगे जिसको भारतीय समाज के उन्नत वर्गों ने प्राप्त किया है;

(20) मुसलमानों द्वारा स्थापित तथा संचालित शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों के शिक्षण कौशल को उन्नत करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ब्रिटिश गैस कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम

4659. श्री बी० देवराजन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेशमाव गैस तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण कार्य के

विकास के लिए ब्रिटिश गैस कम्पनियों के साथ कोई संयुक्त उद्यम लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र के मूल्यांकन और विकास से सम्बद्ध तकनीकी कार्यकलाप के सभी पहलुओं में सहयोग के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और ब्रिटिश गैस, यू० के० के बीच वर्ष 1991 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।

आदिवासियों का उत्थान

4660. श्री माणिक्य सोबर्णम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जनजातियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) उक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत जनजातीय लोग कुल जनजातीय लोगों की तुलना में गरीबी की रेखा से ऊपर हैं; और

(ग) इन राज्यों में जनजातीय लोगों की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) आदिवासियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए अर्थात् आदिवासी विकास के लिए मुख्य कार्य नीतियां निम्न प्रकार हैं :—

(1) आदिवासियों तथा आदिवासीय क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करते हुए, आदिवासी उप-योजना कार्यनीति को अन्यों के समकक्ष लाना।

(2) भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करना।

(3) केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन।

(4) संस्थागत वित्त को जुटाना।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) लड़कों के लिए छात्रावास।

(2) लड़कियों के लिए छात्रावास।

(3) आश्रम विद्यालय।

(4) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण।

(5) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(6) वृक्ष तथा वनमूल के तेलबीजों का विकास।

(7) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

उपर्युक्त के अतिरिक्त; राज्य सरकारों को इस प्रकार के अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं :—

(1) विशेष केन्द्रीय साहायता।

(2) अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान।

—इसके अलावा; राज्य आदिवासी सहकारी निगमों/वन निगमों को आदिवासियों के लिए लघु वन उत्पादों/अतिरिक्त कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन समर्थन मुहैया कराने हेतु अगस्त, 1987 में एक राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निगमित निकाय नामत: भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि० (ट्राइफेड) का गठन किया गया है। भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय भी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्रदत्त अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या का मानीटर करता है ताकि वे 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अन्तर्गत गरीबी की रेखा को पार करने में सक्षम हो सके।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रम/योजनाएं बिहार; उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) आदिवासियों की प्रतिशतता; जो राज्यों की कुल आदिवासी जनसंख्या की तुलना में गरीबी की रेखा से ऊपर है; इस प्रकार :—

	बिहार		उड़ीसा		मध्य प्रदेश	
	गरीबी की रेखा से ऊपर%	जनसंख्या लाख में	गरीबी की रेखा से ऊपर%	जनसंख्या लाख में	गरीबी की रेखा से ऊपर%	जनसंख्या लाख में
ग्रामीण	35.10	54.49	31.10	56.42	32.90	115.53
शहरी	60.20	3.61	47.20	2.73	66.00	4.34
कुल जनसंख्या		58.10		59.15		119.87

(स्रोत : योजना आयोग के आंकड़े—1983-84)

(ग) इन तीन राज्यों में देश में विभिन्न आदिवासी कार्यक्रमों का अनुसंधान तथा मूल्यांकन शुरू करने के लिए आदिवासी अनुसंधान संस्थानों (टी० आर० आई०) की स्थापना की गई है। टी० आर० आई० संग्रहालयों में आदिवासी परिशिल्पों का परिरक्षण भी करते हैं। इन परिशिल्पों में आदिवासी लोगों की संस्कृति से संबंधित वस्त्र, आभूषण वाद्य यंत्र तथा अन्य सामग्री शामिल है। वे विभिन्न आदिवासी समुदायों से संबंधित आदिवासी संस्कृति तथा विरासत का अध्ययन करते हैं और आदिवासी संस्कृति तथा विरासत को सुरक्षित रखने में विशिष्ट सुझावों की सिफारिश करते हैं। राज्य सरकारों

को प्रत्येक वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत टी० आर० आई० को निधियां मुहैया कराई जाती हैं। 1991-92 के दौरान, इन संस्थानों के लिए इन तीन राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 25.05 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई गई है, आदिवासी लोकाचार तथा संस्कृति के संदर्भ में टी० आर० आई० अनुसूचित जनजातियों का विद्यमान पारम्परिक नियमों पर अनुसंधानात्मक अध्ययन भी करते हैं। इस पहलू पर अनुसंधान शुरू करने के लिए अनुसंधान संगठनों तथा विश्वविद्यालयों को अनुसंधानात्मक अध्ययनों के कार्य सौंपे गए हैं।

पुलिस बल पर गठित श्रीवास्तव समिति

4661. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस बल को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 1985 में गठित की गई श्रीवास्तव समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण का अध्ययन करने और उसमें संशोधन करने के लिए सिफारिशें करने हेतु दिसम्बर, 1984 में गठित श्रीवास्तव समिति ने फरवरी, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मुख्य सिफारिशों में (I) तीन अतिरिक्त जिलों का सृजित करना, (II) 12 नये उप-डिवीजन तथा दिल्ली में 37 नये पुलिस स्टेशनों को स्थापित करना, शामिल है। इसके अलावा, समिति ने अतिरिक्त स्टाफ के सृजन करने तथा वाहनों/उपकरणों, इत्यादि को खरीदने के बारे में विभिन्न सिफारिशें की हैं।

केरल में धान की खेती के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र

4662. श्री ए० चार्ल्स :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से धान की खेती के अन्तर्गत लिए जाने वाले क्षेत्र में काफी कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र में कितनी कमी आई है; और

(ग) धान की खेती के क्षेत्र को अन्य फसलों के लिए उपयोग किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां। 1980-81 से 1988-89 के दौरान केरल में धान के क्षेत्र में वृद्धि दर अनुमानतः (—) 4.20 प्रति वर्ष थी।

(ख) केरल में 1990-91 में समाप्त विगत 4 वर्षों के दौरान धान का क्षेत्र निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	धान के तहत क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1987-88	604.0
1988-89	577.5
1989-90	578.2
1990-91	559.4

(ग) केरल में धान की पैदावार के क्षेत्र में हाल ही में आई कमी का मुख्य कारण इस क्षेत्र को गैर-खाद्यान्न फसलों विशेषकर तिलहन/नारियल की खेती में परिवर्तित कर देना है। सरकार का चावल के पैदावार क्षेत्र के गैर-खाद्यान्न में परिवर्तन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अपितु धान उत्पादन में प्रति हेक्टेयर पैदावार में सुधार करने के लिए उपाय करना है।

वर्षा पर आधारित कृषि

4663. श्री अमल दत्त

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा पर आधारित भूमि की उत्पादकता क्षमता में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) : बारानी भूमी पर खेती से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसंधान के लिए 930.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

वर्षासिंचित क्षेत्रों (एन० डब्ल्यू० पी०आर० ए०) हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना से चल रही है। अभी तक 281.85 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) अनुसंधान और विकास पद्धतियों से प्राप्त उपलब्धियों में उन्नत फसल पद्धति, लागत प्रभावी और स्थान विशिष्ट मृदा और जल संरक्षण उपाय जिनसे मौसम की असामान्य परिस्थितियों के दौरान उत्पादन पद्धतियों की समुत्थान शक्ति बढ़ी, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्म का मूल्यांकन और सम्बर्धन, वन चरागाह की उन्नत पद्धतियां, अप्रवाह प्रबंधन आदि शामिल हैं।

संतरे के वृक्षों को कोलशी कोढ़े से बचाना

4665. श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोला की पंजाब कृषि विद्यापीठ ने संतरे के बीजों की नई किस्म विकसित की है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या संतरे के अधिकांश पेड़ों में कोलशी नामक कीड़ा लग जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस कीड़े की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) काली मक्खी द्वारा पैदा होने वाले "कोलशी" का प्रकोप 1986-87 के दौरान अधिक पाया गया। बाद में इस पर नियंत्रण कर लिया गया।

(घ) इस नाशी कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए एक पूर्णतया परिक्षित टेक्नालोजी विकसित की गयी और किसानों के खेतों में इसका प्रदर्शन किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना, जिसका शीर्षक "प्रमुख नाशी कीटों और रोगों पर नियंत्रण' है, के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने भी वित्तीय सहायता दी है। कोलशी (काली मक्खी) भी इसके अंतर्गत आती है।

जम्मू में पूजास्थल से मूर्ति की चोरी

4666. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में हाल ही में पूजास्थल से एक प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मूर्ति को बरामद करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) तक जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि सारथाल माता मंदिर, किश्तवार, जिला डोडा, की वह मूर्ति जो दिनांक 8/9 फरवरी, 1992 की रात्रि को चोरी हो गई थी, सारथाल से दो किलोमीटर दूर ग्राम-बेबा से 7 मार्च, 199 को बरामद हो चुकी है। चोरी के इस मामले में सम्बद्ध बताए गए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

तमिलनाडु के बाढ़ और तूफान पीड़ितों को सहायता

4667. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ और तूफान पीड़ितों को तुरन्त राहत देने में तमिलनाडु सरकार ने प्राकृतिक आपदा राहत कोष समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तमिलनाडु सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में

पुनर्निर्माण कार्य कराने के लिए बनाई गई परियोजना पर विश्व बैंक से बात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 39.00 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक आवंटन में से दिसम्बर, 1991 तक आपदा राहत कोष में से 28.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में अनधिकृत रूप से वाहन खड़े करना

4668. डा० सी० सिलवेरा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अनेक सड़कों पर अनधिकृत रूप से वाहन आदि खड़े करके कब्जा कर लिया गया है;

(ख) क्या नई दिल्ली और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशनों के आस-पास ऐसे यातायात वाहनों का अनधिकृत रूप से खड़ा करना आम बात है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) तक दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वाहन को अनधिकृत रूप से खड़े करने के मामले अधिकतर उन स्थानों पर होते हैं जहां पर मार्किट है या जहां पर वाहन खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। रेलवे स्टेशन पर वाहनों को अनधिकृत रूप से खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। रेलवे स्टेशनों पर 24 घण्टे यातायात पुलिस तैनात की जाती है और अनधिकृत रूप से खड़े किए वाहन को उठा लिया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

राज्यों को अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

4669. उद्धव बर्मन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों को अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी मिलती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुजरात, असम, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी मिल रही है। त्रिपुरा राज्य को केवल प्राकृतिक गैस पर रायल्टी मिल रही है क्योंकि वहां कच्चे तेल का उत्पादन नहीं होता है। नागालैंड राज्य को भी कच्चे तेल पर रायल्टी उपचित होती है परन्तु

कोई भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अभी यह सूचित किया जाना है कि किस प्राधिकारी को रायल्टी का भुगतान किया जाए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई रायल्टी का विवरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

	1988-89	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	0.17	0.39	1.06
अरुणाचल प्रदेश	0.72	0.63	0.74
असम	112.70	135.35	264.37
गुजरात	112.59	127.55	407.07
नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	0.58	3.92	12.63
त्रिपुरा	0.13	0.18	0.41

पलामू जिला, बिहार में कोलतार कारखाना

[हिन्दी]

4670. श्री ललित उरांव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले से कोलतार बनाने के लिए बिहार में पलामू जिले के बरवाडीह क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) क्या उक्त कारखाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय पुलिस दूरसंचार के अधिकारियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

4671. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पुलिस दूरसंचार के अधिकारियों का सम्मेलन 7 जनवरी, 10 जनवरी 1992 तक दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां तो, किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

संसदी यकार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : सम्मेलन में संरचनात्मक तंत्र सहित, पुलिस दूरसंचार से संबंधित विभिन्न मामलों, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिलों और पुलिस थानों के स्तर पर सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्यों और केन्द्रों के बीच लागत के विभाजन संबंधी मामले अन्तग्रस्त हैं, पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न पहलुओं, जिसमें लागत संबंधी पहलु भी शामिल हैं, की जांच करने के बाद ही पुलिस दूरसंचार योजना को कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

सांकेतिक संदेशों को अवरुद्ध करना

4672. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित खालिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसका संचालन कनाडा से हो रहा है; के कुछ सांकेतिक संदेशों को इस वर्ष गणतंत्र की पूर्व संध्या को खुफिया एजेंसियों ने मार्ग में रोक लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) (ख) और (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे :

राज्यपाल की नियुक्ति

4673. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री लाल कृष्ण आडवानी :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों की नियुक्ति से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करने के बाद की गई थी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) : किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय परम्परा के रूप में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है।

राज्यपालों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, बरखास्तगी, त्यागपत्र तथा आचरण आदि से संबंधित मामले गोपनीय प्रकार के होते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती

[हिन्दी]

4674. श्री सुकदेव पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी 1981 की छठी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि भारतीय पुलिस सेवा में पचास प्रतिशत पद ही सीधे भर्ती द्वारा भरे जायें; और शेष पचास प्रतिशत राज्य सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरे जायें।

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी 1981 की छठी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारतीय पुलिस सेवा में इस समय सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदों का कोटा घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाय और कुल रिक्तियों का $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सीमित परीक्षा द्वारा भरा जाय, जो केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों सहित, सभी पुलिस अधिकारियों के लिए खुली होगी और यह कि शेष $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत पद पदोन्नति के कोटे के लिए पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जायें।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) सीधी भर्ती का कोटा अर्थात $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत पद सभी 3 अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा; भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए है। इस कोटे को, एकरूपता और अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसके उद्देश्यों के कारण बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

आतंकवाद से निपटने के लिए विदेश और खुफिया एजेंसियों की सहायता

4675. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए दूसरे देशों और खुफिया एजेंसियों की सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों और एजेंसियों के नाम क्या है जिनसे यह सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) यह सहायता किस प्रकार की होगी और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीयों की कुवैत वापसी

4676. श्री स्वामी सुरेशानन्द :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में भारतीयों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : प्रतिपूर्ति के दावों को समेकित किया जा रहा है और दावों के समेकित हो जाने के बाद ही वास्तविक हानि निश्चित की जा सकती है ।

दार्जिलिंग का दर्जा

[अनुवाद]

4677. श्री चित्त बसु :

श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष ने हाल ही में केन्द्र को दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के दर्जे के संबंध में अल्टीमेटम दे दिया है जैसा कि 20 फरवरी, 1992 के टेलीग्राफ में समाचार छपा था। और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष, श्री सुभाष घीसिंग ने भारत-नेपाल शान्ति और मैत्री संधि, 1950 को ध्यान में रखते हुए दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों को "वैधानिक" वैधता स्पष्ट करने के बारे में सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है। तथापि, सरकार का यह दृढ़ मत है कि दार्जिलिंग भारत का एक अभिन्न अंग है, अत: इसकी वैधानिक वैधता के बारे में किसी प्रकार की शंका होने का प्रश्न ही नहीं होता, तथा अब किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

बाम्बे हाई की परियोजनाएं

4678. प्रो० राम कापसे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बे हाई की कुछ परियोजनाएं सरकार के पास स्वीकृत हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाएं सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी हैं;

(घ) इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रस्तुत पश्चिमी अपतट से संबंधित तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार की निवेश-स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। ये निम्नलिखित हैं :—

(1) दक्षिण बेसिन से हाजिरा तक गैस के परिवहन के लिए दूसरी पाइपलाइन और हाजिरा टर्मिनल का विस्तार।

(2) आई० सी० पी०-हीरा ट्रंक पाइप लाइन।

(3) चरण-1 के आर-15-ए का विकास।

(ग) से (ङ) ये साध्यता रिपोर्टें वर्ष 1991 में प्रस्तुत की गई थीं और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

पटसन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में कथित प्रशासनिक अनियमितताएं

4679. श्री असीम बाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक के विरुद्ध प्राप्त कुछ शिकायतों के विरुद्ध एक जांच का आदेश दिया गया है।

(ख) और (ग) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

सोंठ का मूल्य

4680. प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोंठ के मूल्य में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो अदरक के मूल्य में स्थिरता लाने तथा इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) अदरक के मूल्य, केरल राज्य के खरीद केन्द्रों में ज्यादा आवक के बावजूद 2050-2100 रुपये प्रति क्विंटल की सामान्य रेंज में प्रचलित है।

(ख) अदरक के मूल्य स्थिर करने के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों अर्थात केरल और मेघालय में ताजे अदरक के वास्ते मण्डी हस्तक्षेप योजना चालू की जा रही है।

अदरक के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार हैं .—

1. सी० एफ० टी० आर० आई० के सहयोग से अदरक आधारित उत्पादों का विकास।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में मसाला तेलों तथा ओलिओरेज़िन्स एवं अदरक उत्पादों के संबंध में अध्ययन मिशन।

3. पश्चिमी यूरोप में, तेलों तथा ओलिओरेज़िन्स एवं अदरक उत्पादों की चुनिन्दा मण्डियों के संबंध में अध्ययन मिशन।

4. पूर्वी यूरोप में तेलों तथा ओलिओरेज़िन्स एवं अदरक उत्पादकों की चुनिन्दा मण्डियों के संबंध में अध्ययन मिशन।

5. पूर्वी यूरोप में विभिन्न खाद्य परिसंस्करण उद्योगों में मसाला तेलों और ओलियोरेज़िन्स तथा अदरक उत्पादों का प्रयोग शुरू करना।

6. अदरक आधारित उत्पादों के गुणवत्ता पहलुओं तथा निर्यात के विकास को शुरू करने के लिए जापान, सिंगापुर तथा हांगकांग में मण्डी अध्ययन मिशन।

7. अदरक फसल को खुदाई के कार्यों पर उत्पादों/कृषि सम्बन्धी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

8. निर्यातक स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को शुरू करने के लिए राजसहायता देना।

9. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, भारतीय रेस्टोरेन्टों आदि के जरिए विदेशी मण्डियों में प्रोत्साहनात्मक साहित्य/नुस्खा कार्डों का मुद्रण तथा वितरण।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता

[हिन्दी]

4681. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में विकास हेतु दी गई सहायता का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदान की गई निधियों को अन्य गतिविधियों पर लगाने के संबंध में कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

यूगोस्लाविया में "पीस कीपिंग आपरेशन"

[अनुवाद]

4682. श्री पी० एम० सईद :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भारत से यूगोस्लाविया में शान्ति स्थापना कार्यवाही (पीस कीपिंग आपरेशन) में भाग लेने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर भारत ने यूगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र संरक्षण बल के सैन्य कमांडर के रूप में एक ले० जन० की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983 को स्वीकृति देना

4683. श्री सी० माडे गौडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक शिक्षा विधेयक; 1983 राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कब मिला था; और

(ख) इस विधेयक को कब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राज्य विधान मंडल द्वारा यथापारित तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983 तारीख 16-7-1984 को प्राप्त हुआ।

(ख) कर्नाटक सरकार से कुछ स्पष्टीकरण भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार से इसकी प्राप्ति होने के बाद ही मामले पर आगे की कारवाई की जा सकती है।

जनजातीय उप-योजना के लिए मध्य प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता

4684. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री बाइल आन अंजलोज :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और प्रत्येक योजना पर उनके द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या मंजूर राशि का राज्यों द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए क्या-क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) इन योजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण; आश्रम विद्यालय; लड़कियों के लिए छात्रावास, लड़कों के लिए छात्रावास पुस्तक बैंक आदिवासी विकास निगमों आदि को शामिल है जो योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता तथा उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का विवरण-I में संलग्न है।

(ङ) ये योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयनाधीन हैं। निधियों के उपयोग संबंधी सूचना राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से सूचित नहीं की जाती है। तथापि, राज्य सरकारों से निधियों का उचित उपयोग करने के लिए कार्यक्रमों का समवर्ती मानिटरिंग तथा मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है। निधियों के उपयोग के बारे में कल्याण मंत्रालय को नियमित रूप से समय पर सूचना भेजने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

(च) मानदण्ड विवरण-II पर है।

विवरण-एक

सातवीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्मुक्त

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि 1985-86	सूचित व्यय 1985-86	निर्मुक्त राशि 1986-87	सूचित व्यय 1986-87	निर्मुक्त राशि 1987-88	सूचित व्यय 1987-88
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	740.00	722.79	850.38	972.77	1053.23	1190.48
असम	632.40	493.38	410.63	689.09	705.83	704.90
बिहार	1964.41	1841.23	2066.05	1920.69	2178.10	1853.57
गुजरात	1125.66	1126.66	1245.92	1246.96	1347.58	1023.75
हिमाचल प्रदेश	215.35	202.52	241.84	233.93	227.29	253.94
कर्नाटक	148.13	142.30	106.25	129.88	127.47	142.59
केरल	80.01	76.75	77.76	72.16	82.74	83.80
मध्य प्रदेश	3969.98	3180.52	4399.72	4392.00	4518.48	4797.00
महाराष्ट्र	950.69	1028.56	1072.00	1075.78	1284.51	1157.60
मणिपुर	252.85	257.89	280.91	305.66	281.75	305.01
उड़ीसा	915.00	1896.82	2174.48	2174.24	2293.82	2125.02
राजस्थान	910.28	595.76	1019.90	700.40	1138.15	726.16
सिक्किम	38.99	38.71	38.96	37.53	39.57	36.47
तमिलनाडु	145.93	145.39	145.09	155.60	178.54	185.03
त्रिपुरा	250.17	229.65	263.67	178.96	273.23	219.16
उत्तर प्रदेश	27.87	18.34	31.10	18.28	26.23	19.68
पश्चिम बंगाल	616.27	617.19	701.29	792.39	836.57	836.57
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	24.25	40.00	25.36	50.00	45.26
गोवा दमन और दीव	5.00	4.98	6.00	5.10	7.11	7.11
कुल योग :	14000.00	12693.75	15500.00	15434.89	16650.00	15713.85

धनराशि तथा सूचित किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

निर्मुक्त राशि 1988-89	सूचित व्यय 1988-89	निर्मुक्त राशि 1989-90	सूचित व्यय 1989-90	7वीं योजना के दौरान कुल निर्मुक्त	7वीं योजना का कुल व्यय
8	9	10	11	12	13
11.65.12	929.22	1347.45	455 431	5156.18	4320.543
786.86	—	886.08	—	3721.90	886.38
2472.15	—	2731.50	—	11412.21	5625.49
1330.59	1260.85	1611.96	1672.74	6663.75	6630.96
257.32	227.32	376.25	258.00	1347.96	1176.71
137.82	4.87	153.90	48.18	680.58	457.82
115.78	90.78	126.21	127.89	473.50	451.38
4984.15	832.49	5582.90	158.47	23405.23	13361.48
1286.41	1426.97	1486.57	277.05	6060.58	4975.96
282.89	88.01	320.30	—	1417.71	975.57
2388.56	1240.73	2755.98	505.40	11457.94	7942.21
1234.03	1357.55	1429.54	1342.41	6732.00	4712.28
49.22	34.00	60.64	—	2027.38	0046.71
194.95	194.95	229.92	222.00	911.43	902.57
305.55	241.051	336.30	492.87	1429.62	1361.591
105.11	20.38	46.92	39.52	246.28	116.30
876.29	691.55	1016.56	811.52	4042.00	3559.40
60.00	44.263	41.00	31.550	221.00	171.463
10.00	9.99	9.00	8.20	37.00	35.38
18000.00	2694.966	20550.00	6462.431	84695.00	58599.697

विवरण-दो

आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए अपनाया गया मनादंड

विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल परिव्यय से आदिवासी उपयोजना की व्यापक कार्यनीति नामत: टी० एस० पी० (आई० टी० डी० पी०) माडा (पाकेट्स) तथा आदिम आदिवासियों के अन्तर्गत इन तीन कार्यक्रमों के हिस्से की गणना प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या के अनुपात में की जाती है। इन कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्र सहायता का अन्तर्राज्यीय आबंटन निम्न प्रकार से किया गया है : --

(क) आई० टी० डी० पी० को विकास केन्द्र सहायता के आबंटन के लिए राज्यों को तीन समूहों में रखा गया है। श्रेणी "क" में मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों वाले राज्य अर्थात : (1) आन्ध्र प्रदेश (2) बिहार (3) गुजरात (4) हिमाचल प्रदेश (5) मध्य प्रदेश (6) महाराष्ट्र (7) मणिपुर (8) उड़ीसा (9) राजस्थान (10) सिक्किम आते हैं।

श्रेणी "ख" में आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों के साथ छितरी आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य जैसे (असम (2) पश्चिम बंगाल (त्रिपुरा) आते हैं।

श्रेणी "ग" में वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जिनमें आदिवासी जनसंख्या कुल मिलाकर बहुत छोटे क्षेत्रों में हितेरी हुई हैं जैसे (1) कर्नाटक (2) केरल (3) तमिलनाडु (4) उत्तर प्रदेश (5) अंडमान निकोबार द्वीप समूह (6) गोआ दमन और द्वीव आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के कुल परिव्यय में से इन तीन श्रेणियों में से आदिवासी उपयोजना के प्रत्येक समूह में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर आबंटन किया जाता है। तत्पश्चात श्रेणी "क" को आबंटित निधियां राज्यों को तीन मापदंडों के आधार पर वितरित की जाती है। अर्थात (1) 50% आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर (2) 30% आदिवासी उपयोजना के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तथा (3) 20% आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के भीतर आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए राज्यों के प्रति व्यक्ति कुल राज्य घरेलू उत्पाद (एन० एस० डी० पी०) के व्युत्क्रमानुपात में। संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से का हिसाब दो मानदंडों के आधार पर लगाया जाता है अर्थात 70% आदिवासी उप-योजना की अनु-सूचित जनजाति जनसंख्या के अनुसार तथा 30% आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के भीतर आदिवासी जनसंख्या को तरजीह देते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद (एन० एस० डी० पी०) के व्युत्क्रमानुपात में।

केबल टेलीविजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4685. श्री जीवन शर्मा :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश भागों में केबल टेलीविजन नेटवर्क ने हाल ही में श्रमिकों की

हड़ताल होने के कारण कार्यक्रमों का प्रसारण स्थगित कर दिया था जैसा कि 21 फरवरी, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समाचार पत्र में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनाजों की मांग और उत्पादन

4686. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 2000 तक अनाजों की मांग में तेजी से वृद्धि होगी;

(ख) क्या सन् 2000 तक अनाजों के अनुमानित उत्पादन से बढ़ी हुई मांग पूरी होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) से (ग) खाद्यान्नों की मांग और उत्पादन के मौजूदा पूर्वानुमानों के अनुसार आठवीं योजना अवधि में मांग में लगभग 3.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा उत्पादन के मामले में करीब 3.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी। ऐसा रुख 2000 ईसवी तक जारी रहने की सम्भावना है। इस प्रकार, उत्पादन में लक्षित वृद्धि मांग की पूर्वानुमानित वृद्धि से अधिक है।

उर्वरक प्रयोग का तरीका

4687. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के प्रयोग में इसकी अनुशंसित मात्रा, समय और तरीके सहित परम्परागत "पैकेज" तैयार करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इनकी समीक्षा करने की अवधि क्या है;

(ग) क्या देश के दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को इनके प्रयोग की जानकारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) खरीफ और रबी मौसमों के प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकारें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से प्रत्येक फसल के लिए पैकेज पद्धतियों, जिसमें उर्वरक के प्रयोग पर सिफारिशें भी शामिल हैं, को अन्तिम रूप देती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें अपनी विस्तार मशीनरी के माध्यम से सिफारिश की गई पैकेज पद्धतियों के बारे में किसानों को, जिसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसान भी शामिल हैं, जानकारी देती हैं।

राज्यों को मिट्टी का तेल

[हिन्दी]

4688. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान जनवरी, 1992 तक 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य को माह-वार मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा दी गई थी;

(ख) क्या उक्त वितरण में कोई असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अगस्त, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन अगस्त, 1991-जनवरी, 1992
1	2	3
1.	हरियाणा	77114
2.	हिमाचल प्रदेश	18360
3.	जम्मू और काश्मीर	35626
4.	पंजाब	163725
5.	राजस्थान	137 89
6.	उत्तर प्रदेश	462963
7.	चंडीगढ़	10328
8.	दिल्ली	124125
9.	आसाम	120297
10	बिहार	238260

1	2	3
11.	मणिपुर	9690
12.	मेघालय	7890
13.	नागालैंड	4797
14	उड़ीसा	76881
15.	सिक्कम	3003
16.	त्रिपुरा	9501
17.	पश्चिम बंगाल	356671
18.	अरुणाचल प्रदेश	4362
19.	मिजोरम	2544
20.	अंडमान	1866
21.	गुजरात	340357
22.	महाराष्ट्र	766080
23.	गोवा	13794
24.	दमण	738
25.	द्वीव	741
26.	दादर और नगर हवेली	1713
27.	मध्य प्रदेश	192156
28.	आंध्र प्रदेश	285690
29.	कर्नाटक	217839
30.	केरल	130839
31.	तमिलनाडु	374228
32.	पाण्डिचेरी	6849
33.	लक्षद्वीप	414
	कुल :	204825

नकली उर्वरक

4689. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री राम बदन :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के अनेक मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान नकली उर्वरकों की बिक्री के मामले, जो सरकार की जानकारी में आए हैं, का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् है :—

वर्ष	सूचित किए गए मामले
1989-90	9
1990-91	17

(ग) उर्वरकों की गुणवत्ता के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत निरीक्षक नियुक्त किए हैं तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क स्थापित किए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में आशुलिपिकों का चयन

[अनुवाद]

4690. श्री अन्नारासु इरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आशुलिपिकों ग्रेड-तीन के पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु सितम्बर/अक्तूबर 1987 में आयोजित परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस बीच परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) (क) से (ङ) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सितम्बर-अक्तूबर, 1987 में आशुलिपि श्रेणी-III के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षा ली थी। उपरोक्त परीक्षा के आधार पर 20 व्यक्तियों को नियुक्ति के योग्य पाया गया था। उनमें से केवल 16 व्यक्तियों ने शुरू-शुरू में कार्यभार ग्रहण किया था, जिनमें से 7 व्यक्तियों ने बाद में नौकरी छोड़ दी और इस समय केवल 9 व्यक्ति कार्यरत हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र भेजने के बाद उपरोक्त परीक्षा संचालन में कथित गड़बड़ी के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की विस्तृत रूप से जांच की गई। दो मामलों में सम्भव हेरा-फेरी के कुछ प्रमाण मिले हैं। संदेहास्पद दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक, शिमला से इस विषय में परामर्श किया गया था। उपलब्ध प्रमाण तथा रिकार्डों के आधार पर यह महसूस किया गया कि इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी मुकर्रर करना मुश्किल होगा।

20 सूत्री योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भूमि का आबंटन

4691. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "लैंड एलॉटमेंट अन्डर 20 प्वाइंट स्कीम, पुलिस, प्रॉपर्टी डीलर्स फाइटन एस० सी०/एस० टी० इन्टु साइलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) 20 सूत्री योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित भूमि को पुन: मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल समन्वय समिति द्वारा उपकर की वापसी

[हिन्दी]

4692. श्री मोहनलाल झिकराम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित तेल समन्वय समिति द्वारा उपकर वापस लिए जाने के क्या कारण हैं जबकि इसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है और जनता के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उपकर की दरें क्या हैं और उपकर वापस लिए जाने से प्रति वर्ष कितनी बचत होती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल समन्वय समिति द्वारा कोई उपकर नहीं लगाया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में दूध की कीमत

[अनुवाद]

4694. श्री हरिन पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अन्डमान-निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर (ए० एन० आई० आई० डी० सी० ओ०) ने पुनसंघटित दुग्ध के मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दूध के मूल्य में इस वृद्धि के विरुद्ध पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न भागों से विरोध/प्रदर्शन हुए हैं।

(घ) ए० एन० आई० आई० डी० सी० ओ० द्वारा उत्पादित पुनसंगठित दुग्ध के उत्पादन का मूल्य क्या है और क्या अण्डमान प्रसाशन के पशुपालन विभाग द्वारा इसे आपूर्ति किये जाने वाले ताजे दूध के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है। और

(ङ) सरकार ए० एन० आई० आई० डी० सी० ओ० को दुग्ध संयंत्र चलाने और पोर्ट ब्लेयर में लोगों को दूध की आपूर्ति के लिए कितनी राजसहायता/छूट प्रदान करती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लि० ने 16-9-91 से पुनसंगठित दूध का विक्रय मूल्य 6.25 रुपये प्रति लिटर से बढ़ाकर 8.00 प्रति लिटर किया था। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लि० को भारतीय जनता पार्टी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से इस संबंध में विरोध पत्र प्राप्त हुआ। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लि० द्वारा उत्पादन किये जाने वाले पुन: संगठित दूध की लागत 7.82 रूपये प्रति लिटर बैठती है, इसमें कर्मचारियों का वेतन घटक शामिल नहीं है क्योंकि इसकी पूर्ति प्रशासन के पशुपालन विभाग की निधियों से की जाती है। प्रशासन के पशुपालन विभाग द्वारा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लि० को सप्लाई की जाने वाली ताजे दूध के मूल्य में वृद्धि नहीं की गयी है।

(ङ) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से अण्डमान- निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लि० को आरंभ में दुग्ध संयंत्र चलाने के लिये आवर्ती निधि के रूप में 17,18,000 रुपये नकद और 16,27,200 रूपये के मूल्य का दुग्ध चूर्ण मुहैया किया गया था। इसमें वेतन संबंधी घटक शामिल नहीं है क्योंकि इसकी पूर्ति 1991-92 तक प्रशासन के पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। 1992-93 से तीन वर्षों के लिये प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये के अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के पेंशन के मामले

4695. श्री के० प्रधानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के पेंशन हेतु लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) :- इस समय स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के 698 मामले लम्बित पड़े हैं। जब विधवाएं पेंशन के हस्तान्तरण के लिए आवेदन करती हैं तो उन्हें शिनाख्त संबंधी दस्तावेज और पेन्सनर्स हाफ-आफ पेंशन पेमेन्ट आर्डर प्रस्तुत करने होते हैं। इन दस्तावेजों के प्राप्त न होने से कभी-कभी विलम्ब होता है। जहां स्वतंत्रता सेनानी ने अपने आवेदन पत्र में अपनी पत्नी का नाम नहीं दिया है। उन मामलों में विधवा के ब्यौरे के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगानी पड़ती है। जिन मामलों में आवेदन पत्र सभी तरह से परिपूर्ण होता है, उन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर आदेश जारी किए जाते हैं। अन्य मामलों में, दस्तावेज या जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट, जैसा भी मामला है, मंगायी जाती है।

उर्वरकों का वितरण

4696. श्री बी० कृष्ण राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वितरण में भारी बरबादी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरकों के वितरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) परिवहन, भण्डारण और वितरण के दौरान उर्वरकों का नुकसान होता है। तथापि, बड़े पैमाने पर बरबादी होने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सम्भाल में हानि को कम करने के लिए बेहतर पैकेजिंग और भण्डारण के अधिक वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। उर्वरक की बोरियों पर हूकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है।

अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का उत्पादन

[हिन्दी]

4697. श्री जगमीत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि सन् 2000 तक अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों की कितनी मांग हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सन् 2000 तक सरकारी क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का उत्पादन करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल में तेल की खोज

[अनुवाद]

4698. श्री थाइल जान अंजलोस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन स्थानों पर तेल के भंडार हैं और कहां-कहां से तेल निकाला जा रहा है;

(ख) क्या क्विलोन जिले में भी तेल की खोज किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केरल में तेल के भंडार प्राप्त नहीं हुए हैं। भूभौतिकी आंकड़े केरल के तटवर्ती क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न होने की संभावना को इंगित नहीं करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का उत्पादन

[हिन्दी]

4699. श्री मदन लाल खुराना :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

श्री छेदी पासवान :

डा० रामा सिंह रावत :

श्री राम बदन :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक गेहूं उत्पादक राज्य में गेहूं का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में गेहूं का उत्पादन कम होने का अनुमान है; और

(ग) यदि हां, तो गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1990-91 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं का उत्पादन संलग्न है।

(ख) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान वर्ष, अर्थात 1991-92 के दौरान गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक होने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1988-89 से 1990-91 तक गेहूं का राज्यवार उत्पादन

क्रम सं०	राज्य	उत्पादन (हजार मीटरी टन में)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.5	8.5	10.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4 5	6.4	6.7
3.	असम	122.3	87.5	10[illegible].8
4.	बिहार	3557.0	3270.2	3539.8
5.	गुजरात	151?.5	1101.7	1443.7
6.	हरियाणा	6225.0	5913.0	6440.0
7.	हिमाचल प्रदेश	512 5	543.7	601.7
8.	जम्मू और कश्मीर	245.6	262.2	262.2
9.	कर्नाटक	166.3	89.3	90.3
10.	मध्य प्रदेश	4797.4	4119.7	5550.3
11.	महाराष्ट्र	043.2	907.1	918.7
12.	मेघालय	[illegible].7	5.9	5.9

1	2	3	4	5
13.	उड़ीसा	69.3	64.9	59.0
14.	पंजाब	11580.0	11681.0	12165.0
15.	राजस्थान	3964.1	3400.1	4308.5
16.	सिक्किम	17.8	20.3	21.6
17.	तमिलनाडु	0.1	0.1	0.1
18.	त्रिपुरा	6.1	6 6	6.9
19.	उत्तर प्रदेश	19611.3	17684.1	18355.5
20.	पश्चिमी बंगाल	625.0	569.0	530.2
21.	दादर और नागर हवेली	0.4	0.4	0.3
22.	दिल्ली	33.6	107.8	110.9
	अखिल भारत	541¹0.2	49849.5	54522.1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्र

[अनुवाद]

4700. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री बलराज पासी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्यवार कितने जाली प्रमाण पत्र पकड़े गए;

(ग) इन जाली प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिका-रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना—अनुपालनार्थ बिन्दु

1. सामान्य : (सभी मामलों में लागू)

जहां कहीं कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करता है वहां, यह सत्यापित किया जाए :

(1) कि व्यक्ति और उसके माता-पिता वास्तव में उस समुदाय से सम्बद्ध हैं जिसका कि उसने दावा किया है;

(2) कि सम्बन्धित राज्य के सन्दर्भ में वह समुदाय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल कर लिया गया है;

(3) कि व्यक्ति उस राज्य या राज्य के उस क्षेत्र से सम्बद्ध है जिसके बारे में समुदाय को अनुसूचित किया गया है;

(4) यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने का दावा करता है तो उसे या तो हिन्दू अथवा सिख अथवा बौद्ध होना चाहिए;

(5) यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करता है वह कोई भी धर्म मान सकता है।

2. प्रव्रजन के मामले :

(1) जहां कोई व्यक्ति राज्य के एक ऐसे भाग से जिसमें उसका समुदाय अनुसूचित है उसी राज्य के दूसरे भाग में जहां उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है जो बसता है वह उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा;

(2) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन करता है वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होने का दावा कर सकता है केवल उसी राज्य के संबंध में जिसका वह मूल रूप से है न कि उस राज्य के सम्बन्ध में जिसमें उसने प्रव्रजन किया है।

3. विवाह के माध्यम से दावे :

मार्गदर्शी सिद्धान्त यही है कि कोई व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नहीं है उसे केवल इसलिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना नहीं जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्ति से शादी कर ली है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो, का सदस्य जारी रहेगा। भले ही उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

4. धर्म परिवर्तन तथा पुन: धर्म परिवर्तन के मामले :

(1) जहां कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिन्दू धर्म अथवा सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपना लेता है और फिर पुन: हिन्दू धर्म अथवा सिख धर्म में लौट आता है उसे मूल अनुसूचित जाति में वापिस समझा जाएगा यदि उसे जाति विशिष्ट द्वारा अपने सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

(2) यदि किसी अनुसूचित जाति के धर्म परिवर्तन करने वाले किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी मात्र हिन्दू धर्म अथवा सिख धर्म में परिवर्तन कर लेता है, तो केवल इस कारण से उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जिससे उसके पूर्वज संबंधित थे। यह सत्यापित करना होगा कि ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले के दावे को सम्बन्धित जाति के सदस्यों द्वारा एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

5. दत्तकग्रहण के मामले :

जहां कहीं कोई व्यक्ति इसी आधार पर अनुसूचित जाति का होने का दावा करता है कि उसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने दत्तकग्रहण किया है, तो ऐसे मामले में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई जाति प्रमाण पत्र दिए जाने से पूर्व दत्तकग्रहण की वैधता स्पष्ट तौर पर सत्यापित की जानी चाहिए। यह उस पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह अपने दावे के लिए योग्य तथा विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करे।

(1) हिन्दू दत्तकग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा 6 से 11 में वैध दत्तक ग्रहण की अपेक्षताएं दी गई हैं। बच्चों को वास्तव में दत्तक रूप में देना और लेना अनिवार्य अपेक्षता है तथा तत्पश्चात दत्तक ग्रहण लिया गया बच्चा, उसका दत्तक ग्रहण करने वाले पिता अथवा माता के लिए सभी प्रयोजनार्थ उनका ही बच्चा माना जाएगा तथा बच्चा अपने जन्म वाले परिवार से सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा। यदि उन पक्षों में ऐसी रीति अथवा रिवाज लागू नहीं है तो सामान्यतया कोई भी बच्चा जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा जो विवाहित है दत्तक स्वरूप नहीं दिया जा सकता।

(2) यह निर्णय करने में कि दत्तक ग्रहण वैध है, प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को स्वयं सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि सभी कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा चुका है। उसे बच्चे के दत्तक ग्रहण के उपरान्त उसके व्यवहार को भी देखना चाहिए कि क्या बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता के साथ रहता है और वे उसका पोषण करते हैं तथा उसके मूल माता-पिता से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाती है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती, तो प्रमाण पत्र के लिए इन्कार कर दिया जाना चाहिए।

(3) जहां कहीं दत्तक ग्रहण किसी विवाहित व्यक्ति अथवा 15 वर्ष की आयु तथा उससे अधिक आयु वाले का मामला हो तो प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जायेगा तो दत्तक ग्रहण की वैधता, तथा कि क्या वैधता पक्षों में व्याप्त रीति अथवा रिवाजों द्वारा अनुमत्य है, की जांच के उपरान्त इस आशय का पृष्ठांकन प्रमाण पत्र पर

करेगा। ऐसे रीति अथवा रिवाज सतत होने चाहिए तथा लम्बे समय तक चले आए होने चाहिएं तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र के हिन्दुओं अथवा समुदाय या समूह अथवा परिवार में कानून के समान लागू होने चाहिएं बशर्ते कि रीति या रिवाज निश्चित हों तथा अनुपयुक्त अथवा लोक नीति के विरुद्ध नहीं हों तथा किसी परिवार विशेष के मामले में रीति अथवा रिवाज को समाप्त कर दिया गया हो इसके अतिरिक्त यह सत्यापित किया जाए कि वैध दत्तक ग्रहण कि अन्य सभी शर्तें जिनमें दत्तक ग्रहण किए गए व्यक्ति का दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता को वास्तव में सौंपा जाना तथा उसके द्वारा अपने मूल माता-पिता से सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लेने की शर्तें शामिल हैं, पूरी होनी चाहिए।

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

4701. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितना धन आबंटित किया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए प्रतिपादित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथार ज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित धनराशियों से संबंधित विवरण I-IX संलग्न है। अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के संबंध में राज्य सरकारों को निधियों का आबंटन करने के संबंध में कल्याण मंत्रालय में कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है। हाल ही में, 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया गया है। इस निगम की हिस्सा पूंजी के लिए 1991-92 के दौरान 25.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सिविल पदों तथा सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिक गरीब वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तथापि, इससे संबंधित आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

विवरण-एक

वर्ष 1988-89 के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्यवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	पी०एम०एस०	प्री०एम०एस०	पुस्तक बैंक	अ० जा० लड़कियों के छात्रावास	कोचिंग और सम्बद्ध	पी०सी०आर० अधिनियम	एस० सी० डी० सी०	अ०जा० और अ० जन जा० के लिए और एस० सी०ए० और एस०सी०पी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	852.64	8.43	10.00	60.00	3.10	75.21	150.00	1444.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	169.31	—	—	—	—	—	41.39	210.28
4.	बिहार	644.26	2.00	—	24.84	8.00	—	50.00	1636.31
5.	गुजरात	124.54	19.36	1.53	3.98	—	13.08	—	374.10
6.	गोवा	0.17	—	—	—	—	—	—	5.57
7.	हरियाणा	24.60	1.49	1.66	—	3.46	23.70	43.45	367.61
8.	हिमाचल प्रदेश	14.89	—	0.17	5.14	0.79	20.34	23.00	166.95
9.	जम्मू और कश्मीर	23.11	—	—	—	—	—	3.00	65.34
10.	कर्नाटक	116.64	3.98	1.94	52.80	2.29	6.64	30.00	919.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	केरल	170.93	—	4.42	1.88	3.02	2.88	16.00	414.91
12.	मध्य प्रदेश	176.51	3.96	3.60	20.44	7.28	232.22	8.80	1267.12
13.	महाराष्ट्र	508.46	2.27	—	96.70	—	104.65	27.93	1113.38
14.	मणिपुर	18.40	—	0.90	—	—	—	—	8.72
15.	मेघालय	52.92	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	41.98	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	62.36	0.25	8.48	12.50	—	—	21.41	718.28
19.	पंजाब	43.09	1.44	2.00	1.00	2.09	5.00	48.45	649.24
20.	राजस्थान	40.32	3.52	0.50	—	1.48	103.50	15.00	1037.45
21.	सिक्किम	0.17	—	—	—	—	—	—	5.75
22.	तमिलनाडु	145.58	6.16	6.70	76.65	2.54	118.85	50.00	1299.62
23.	त्रिपुरा	0.20	0.30	0.74	3.00	—	—	57.66	51.59
24.	उत्तर प्रदेश	680.00	—	6.20	14.08	—	90.99	804.66	4054.26
25.	पश्चिम बंगाल	312.70	0.08	0.63	8.54	0.95	195.43	115.25	2052.27
	कुल : राज्य	4213.73	53.24	44.44	381.53	29.95	1091.44	1000.00	17847.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	1.00	—	—	0.89	—	7.81
28.	दादरा और नागर हावेली	0.87	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	0.70	—	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	32.57	—	2.31	—	1.36	—	—	127.97
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	0.50	—	—	—	—	7.67	—	16.76
	कुल—संघ राज्य क्षेत्र	34.64	—	3.31	—	1.36	8.66	—	152.35
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	4248.37	53.24	47.24	081.53	31.31	1100.00	1000.00	18,000.00
	गुवाहाटी परियोजना :	2.00							
	कर्मचारी चयन आयोग					5.00			
	विश्वविद्यालय/निजी॰ संस्थान	(100% आधार)				32.07			
	कुल योग :	4250.37	53.24	47.75	381.53	68.38	1100.00	1000.00	18,000.00

100% आधार पर सीधा सहायता अनुदान

1. =106.34 लाख
2. = 30.00 लाख

1. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (अ॰ जा॰)
2. अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना

विवरण-बी

वर्ष 1989-90 के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्यवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

क० सं०	राज्य का नाम	पी०एम० एस०	प्री०एम० एस०	पुस्तक बैंक	अ० जा० लड़कियों के लिए छात्रावास	अ० जा० लड़कों के लिए छात्रावास		कोचिंग और सम्बद्ध	पी०सी०आर०	अधिनियम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2120.689	8.43	10.00	112.46	—	3.82	72.00	14.72	260.21	1416.05
2.	असम	389.496	—	6.45	6.99	—	—	8.00	—	55.42	179.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	1720.7451	22.00	—	31.94	13.84	—	125.00	12.00	87.50	1617.51
5.	गोवा	0.17	—	0.15	—	—	—	—	0.98	—	2.73
6.	गुजरात	408.48	20.76	8.15	—	—	—	—	16.85	48.02	402.24
7.	जम्मू और कश्मीर	7.37	—	1.00	1.53	—	—	—	—	49.78	66.46
8.	हिमाचल प्रदेश	27.60	—	—	—	—	—	—	0.50	66.42	162.06
9.	हरियाणा	40.00	1.6875	1.00	—	—	—	20.00	—	60.56	327.36
10.	कर्नाटक	568.008	3.0076	1.58	19.16	—	2.91	60.00	15.71	65.00	852.06
11.	केरल	459.701	—	3.00	10.22	—	—	—	—	129.83	375.61
12.	मध्य प्रदेश	712.95	8.9675	4.68	56.61	—	—	137.01	16.29	68.20	1347.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	महाराष्ट्र	2207.5087	32.03477	9.84	—	—	—	60.00	3.91	99.37	1165.94
14.	मणिपुर	62.86	—	0.50	—	—	1.00	—	—	—	3.50
15.	मेघालय	104.40691	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	78.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	100.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	274.944	0.25618	3.80	22.50	6.39	1.36	76.47	4.41	39.30	688.71
19.	पंजाब	240.00	84.28935	1.98	1.00	—	2.61	—	5.00	84.21	618.64
20.	राजस्थान	164.364	3.065	0.50	—	—	8.88	150.00	—	42.50	1025.27
21.	सिक्किम	3.70	—	—	—	—	—	—	—	—	2.31
22.	तमिलनाडु	409.79	9.15655	0.40	55.38	—	1.71	51.52	33.15	262.91	1458.83
23.	त्रिपुरा	20.84544	0.21	0.22	3.00	12.77	0.39	20.00	—	15.29	47.67
24.	उत्तर प्रदेश	1107.00	—	6.09	—	—	5.36	240.00	5.13	240.50	4224.71
25.	पश्चिम बंगाल	628.29	—	0.87	17.97	—	—	—	3.80	254.39	1949.92
	कुल राज्य :	11857.6382	88.37935	54.71	338.76	33.00	28.04	1000.00	132.45	2070.41	17853.91
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	0.95	7.15	13.05
28.	दादर और नगर हवेली	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	0.8916	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	1.20	—	0.74	12.77	—	0.20	—	10.00	19.83	12.78
32.	दिल्ली	12.49	—	2.14	—	—	1.18	—	—	56.10	120.31
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	18.5816	—	2.88	12.77	—	1.38	—	10.95	83.08	146.0
	गुवाहाटी परियो०	3.00									
	कुल योग :	11879.2198	88.37935	57.59	351.53	33.00	29.42	1000.00	143.40	2103.49	18000.00

सीधा सहायक अनुदान

1. अनु० जाति के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण — रु० 12,52,489/-
2. अनु० जाति के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता — रु० 153,85,944/-
3. अनु० जाति, जनजाति के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं — रु० 28,84,785/-
4. विश्व/कालेज कर्मचारी चयन आयोग — रु० 5,00,000/-

विवरण-तीन

1990-91 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	पी०सी०आर० और अधिनियम	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	अ०जा० विकास निगम	एस०सी०पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	100.67	—	9.36	108.59	129.57	10.00	20.00	60.68	1221.73	1721.38
2.	असम	16.49	13.00	1.30	6.00	1.18	2.00	—	114.86	21.13	201.36
3.	बिहार	218.44	1.[illegible]7	—	51.10	97.81	3.20	9.68	383.81	81.43	2246.01
4.	गुजरात	213.86	—	0.22	—	—	7.03	78.98	—	60.18	553.62
5.	हरियाणा	3.34	0.21	1.33	—	—	—	—	45.56	58.56	397.36
6.	हिमाचल प्रदेश	1.89	—	—	—	—	—	0.75	—	25.48	260.65
7.	जम्मू और कश्मीर	5.94	—	—	6.25	—	—	—	—	56.66	72.01
8.	कर्नाटक	157.22	0.99	2.62	43.12	76.65	3.29	97.87	22.00	44.88	958.94
9.	केरल	83.15	—	3.00	2.57	11.17	0.19	0.50	—	87.97	510.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	मध्य प्रदेश	260.66	1.08	4.00	268.61	38.33	—	25.77	134.98	167.02	1760.36
11.	महाराष्ट्र	53.88	0.77	—	—	54.61	3·80	2.04	23.83	69.90	1421.19
12.	मणिपुर	4.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	5.77	—	—	—	—	0.96	—	—	—	—
14.	नागालैंड	44.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	100.56	—	1.00	23.00	15.00	—	1.00	—	31.03	80.370
16.	पंजाब	10.56	—	1.98	—	1.50	3.01	6.00	—	118.47	743.59
17.	राजस्थान	112.51	1.45	1.00	—	—	—	—	160.91	46.92	1107.54
18.	सिक्किम	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	2.18
19.	तमिलनाडु	61.86	3.68	11.68	57.49	63.88	—	72.24	142.61	236.09	1802.44
20.	त्रिपुरा	32.67	—	—	13.00	2.57	2.17	—	109.87	43.40	46.42
21.	उत्तर प्रदेश	297.97	—	—	3.35	22.56	—	88.88	973.12	368.18	4426.42
22.	पश्चिम बंगाल	43.67	0.05	0.80	18.52	10.22	0.69	3.78	136.74	458.39	2491.58
23.	चंडीगढ़	—	—	1.00	—	—	—	—	—	6.00	9.14
24.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	दिल्ली	—	—	—	—	—	1.78	—	—	49.04	131.83
26.	गोवा	0.05	—	0.10	—	—	—	—	—	71	2.61
27.	पांडिचेरी	—	—	1.88	—	—	—	8.34	—	21.54	12.64
28.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	मिजोरम	18.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल :	1860.38	22.97	41.22	591.27	533.00	38.06	423.20	2305.37	3218.00	21631.00

1. स्वयंसेवी संगठन 183.329/सोसा अनुदान

2. कोचिंग और सम्बद्ध योजना 36.09 + 38.06 = 74.15
विश्वविद्यालय और अन्य निजी संस्थान (और कर्मचारी चयन आयोग + राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र)

3. अनुसंधान और प्रशिक्षण 30.08

विवरण-चार

वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजाति उप-योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	आई० टी० डी० पी०	आई० टी० डी० पी० से बाहर	माडा	समूह	आदिम जाति	सीमान्त राशि	विशेष योजनायें	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	587.00	108.01	216.00	—	67.11	87.00	100.00	1165.12
2.	असम	704.00	67.86	—	—	—	15.00	—	786.86
3.	बिहार	1898.00	76.19	213.00	9.44	75.54	—	200.00	2472.15
4.	गुजरात	1119.00	70.50	126.00	1.81	13.28	—	—	1330.59
5.	हिमाचल प्रदेश	215.00	4.32	8.00	—	—	—	60.00	287.32
6.	कर्नाटक	111.00	15.18	—	—	5.64	3.00	—	134.82
7.	केरल	69.00	12.54	—	—	9.24	—	25.00	115.78
8.	मध्य प्रदेश	3756.00	253.22	626.00	14.56	168.58	—	115.79	4934.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	महाराष्ट्र	928.00	178.40	67.00	19.49	73.52	—	—	1266.41
10.	मणिपुर	276.00	2.21	—	—	4.68	—	—	282.89
11.	उड़ीसा	1876.00	127.19	175.00	9.72	72.75	10.00	118.00	2388.66
12.	राजस्थान	671.00	111.70	365.00	9.98	10.67	—	65.68	1234.03
13.	सिक्किम	38.00	4.22	—	—	—	—	7.00	49.22
14.	तमिलनाडु	149.00	30.77	—	—	15.18	—	—	194.95
15.	त्रिपुरा	238.00	11.28	—	—	21.37	35.00	—	305.65
16.	उत्तर प्रदेश	16.00	5.69	4.00	—	10.42	—	69.00	105.11
17.	पश्चिम बंगाल	625.00	170.72	—	—	30.57	50.00	—	876.29
18.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	44.00	—	—	—	16.00	—	—	60.00
19.	दमन और दीव	10.00	—	—	—	—	—	—	10.00
	कुल :	13330.00	1250.00	1800.00	65.00	594.53	200.00	760.47	1800.00

विवरण-पांच

वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उप-योजना)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आई०टी० डी०पी०	आई० टी० डी० पी० के बाहर	माडा	क्लस्टर	आदिम आदिवासी	सीमांत धन	विशेष योजनाएं	लघु सिंचाई/प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	641.00	130.00	252.00	—	93.00	107.50	93.00	30.95	1347.4
2.	असम	768.00	81.00	—	—	—	—	—	37.08	886.0
3.	बिहार	2071.00	91.00	249.00	15.00	104.00	—	101.50	100.00	2731.5
4.	गुजरात	1221.00	85.00	147.00	3.00	18.00	—	79.00	58.96	1611.9
5.	हिमाचल प्रदेश	227.00	14.00	9.00	—	—	3.00	112.29	10.96	376.2
6.	कर्नाटक	122.00	18.00	—	—	8.00		—	5.90	153.9
7.	केरल	77.00	15.00	—	—	13.00	2.50	15.00	3.71	126.2
8.	मध्य प्रदेश	4098.00	303.00	730.00	22.00	232.00		—	197.90	5582.9
9.	महाराष्ट्र	1014.00	214.00	78.00	30.00	102.00		—	48.97	1486.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	मणिपुर	296.00	3.00	—	—	7.00	—	—	14.30	320.3
11.	उड़ीसा	2055.00	165.00	204.00	15.00	100.00	11.50	118.25	99.23	2755.9
12.	राजस्थान	733.00	134.00	426.00	15.00	15.00	—	71.24	35.40	1429.0
13.	सिक्किम	43.00	5.00	—	—	—	—	10.32	2.32	60.0
14.	तमिलनाडु	164.00	37.00	—	—	21.00	—	—	7.92	229.9
15.	त्रिपुरा	261.00	14.00	—	—	30.00	19.20	—	12.60	336.0
16.	उत्तर प्रदेश	19.00	7.00	5.00	—	15.00	—	—	0.92	46.0
17.	पश्चिम बंगाल	681.00	205.00	—	—	42.00	55.70	—	32.88	1016.0
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	15.00	—	—	—	26.00	—	—	—	41.0
19.	दमन और दीव	9.00	—	—	—	—	—	—	—	9.0
	कुल :	14515.00	1509.00	2100.00	100.00	826.00	199.40	600.60	700.00	20550.0

विवरण-ख:

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरित की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

नाम और राज्य का नाम	आई० डी० डी० पी०	आई० डी० डी० पी० से बाहर	माडा	समूह	आदिम जाति	विशेष केन्द्रीय सहायता	लघु सिंचाई/प्रिमिटि ट्राइबल ग्रुप के लिए अतिरिक्त अनुदान	सीमान्त राशि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	705.10	143.00	277.20	—	102.30	—	21.49	96.00	1345.09
असम	844.80	89.10	—	—	—	—	16.35	—	950.25
बिहार	2278.10	100.10	273.90	16.50	114.40	100.00	48.72	—	2931.72
गुजरात	1343.10	93.60	161.70	3.80	19.80	—	28.40	—	1649.80
हिमाचल प्रदेश	249.70	15.40	9.90	—	—	95.16	4.81	—	374.97
कर्नाटक	134.20	19.80	—	—	8.80	—	2.85	—	165.65
केरल	164.70	16.60	—	—	14.80	89.50	—	—	275.00
मध्य प्रदेश	4507.30	333.30	803.00	24.20	255.20	260.09	53.69	—	6237.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	1115.40	235.40	85.80	33.00	112.20	—	27.69	—	1609.49
मणिपुर	326.60	8.30	—	—	7.70	—	6.89	—	349.49
उड़ीसा	2260.50	168.30	324.40	16.50	110.00	121.76	98.86	9.80	3110.12
राजस्थान	806.30	147.40	468.60	16.50	16.50	103.20	24.18	—	1582.68
तमिलनाडु	180.40	40.70	—	—	23.10	—	4.28	—	248.48
त्रिपुरा	287.10	16.40	—	—	33.00	—	5.87	—	342.37
उत्तर प्रदेश	20.90	7.70	5.50	—	16.50	17.358	0.89	—	68.848
पश्चिम बंगाल	749.10	225.50	—	—	46.20	—	17.87	67.25	1105.92
सिक्किम	47.30	5.50	—	—	—	11.94	0.92	—	65.66
जम्मू और कश्मीर	200.00	—	—	—	—	—	—	—	200.00
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	57.00	—	—	—	33.00	—	—	—	90.00
दमन और दीव	10.00	—	—	—	—	—	—	—	10.00
कुल :	16277.10	1659.90	2310.00	110.00	913.00	799.008	304.06	173.05	22546.118

अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न सामाजिकार्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति को सीमान्त राशि ऋण दिया जाता है।

विवरण-सात

अनुसूचित जातियों के लिए लड़कों के छात्रावासों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सातवीं योजना अवधि (1989-90) और आठवीं योजना के पहले वर्ष (1990-91) में दी गई अनुदान सहायता दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91
आन्ध्र प्रदेश	—	33.215
अरुणाचल प्रदेश	—	—
असम	—	15.00
बिहार	—	43.34
गुजरात	—	19.162
हिमाचल प्रदेश	—	—
कर्नाटक	—	6.422
केरल	—	10.275
मध्य प्रदेश	9.46	28.744
महाराष्ट्र	—	—
मणिपुर	—	28.138
मेघालय	—	6.00
नागालैंड	—	—
उड़ीसा	1.54	10.00
राजस्थान	—	17.12
सिक्किम	—	17.125
तमिलनाडु	—	8.562
त्रिपुरा	6.00	6.00
उत्तर प्रदेश	—	8.158
पश्चिम बंगाल	—	14.69
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	4.281
दादर और नगर हवेली	—	5.718
दमन और दीव	—	—
लक्षद्वीप	—	—
कुल :	17.00	281.95

नोट : योजना 1989-90 में आरम्भ की गई।

विवरण-आठ

अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष (1988-89; 1989-90 और 1990-91) के दौरान विमुक्त किए गए अनुदान

क्र० सं०	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.15	9.14	11.50
2.	असम	11.78	13.98	14.84
3.	बिहार	शून्य	0.58	1.44
4.	गुजरात	0.14	शून्य	1.47
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	—
6.	केरल	8.92	10.00	10.00
8.	मध्य प्रदेश	0.58	शून्य	13.80
9.	महाराष्ट्र	6.56	6.96	4.34
10.	मणिपुर	6.50	0.06	9.34
11.	नागालैंड	शून्य	शून्य	—
11.	उड़ीसा	4.66	4.38	2.08
12.	राजस्थान	शून्य	0.35	1.15
13.	तमिलनाडु	10.80	10.79	25.04
14.	त्रिपुरा	0.50	शून्य	—
15.	उत्तर प्रदेश	3.00	शून्य	10.00
16.	पश्चिम बंगाल	5.41	8.76	—
	कुल :	65.00	65.00	105.00

विवरण-नौ

1989-90 और 1990-91 के लिए लड़कियों के होस्टलों के अन्तर्गत विमुक्त अनुदान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	111.38	14.40	40.309

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	—	—	17.125
असम	—	—	15.00
बिहार	28.10	—	17.13
गुजरात	4.67	9.44	11.66
हिमाचल प्रदेश	—	8.66	—
कर्नाटक	—	—	—
केरल	—	6.00	17.98
मध्य प्रदेश	21.85	63.30	63.875
महाराष्ट्र	1.60	13.95	4.67
मणिपुर	3.14	22.31	—
मेघालय	—	5.191	5.00
नागालैंड	4.00	—	—
उड़ीसा	18.50	28.50	10.00
राजस्थान	—	8.56	17.12
सिक्किम	—	—	12.841
तमिलनाडु	—	—	4.102
त्रिपुरा	—	3.94	3.127
उत्तर प्रदेश	—	—	2.971
पश्चिम बंगाल	4.66	—	18.00
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	6.75	3.525
दादर और नागर हवेली	—	—	29.203
दमन और दीव	—	—	3.833
लक्षद्वीप	5.00	3.25	11.44
कुल :	200.00	194.87	308.911

रसोई गैस रिकवरी संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

4702. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार देश में रसोई गैस रिकवरी संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) लकवा (असम), गंधार (गुजरात), हाजिरा (गुजरात) और उरन (महाराष्ट्र) में।

बिहार में नगद फसलों का उत्पादन

[हिन्दी]

4703. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में 1991-92 के दौरान नगद फसलों का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान नगद फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु बिहार को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ग) बिहार में नगद फसलों के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान बिहार में उत्पादित महत्वपूर्ण नकदी फसलों में अन्य फसलों के साथ-साथ गन्ना, पटसन तथा मेस्ता, तिलहन और तम्बाकू शामिल हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा रेशे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बिहार राज्य में एक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य को 92.90 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। इसी प्रकार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य में प्रचालन में है जिसके लिए 1991-92 के दौरान आज तक केन्द्रीय सरकार ने 48.7? लाख रुपये दिए हैं। गन्ना और तम्बाकू के लिए कोई भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। बहरहाल, गन्ना के विकास के लिए राज्य क्षेत्र के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

लुब्रिकेन्टों का उत्पादन और विक्रय

4704. श्री राजवीर सिंह :

डा० लालबहादुर रावल :

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लुब्रिकैन्टों के उत्पादन और विक्रय के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर उद्योग और विक्रय केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां तो इस कार्य के लिए चुने गए स्थानों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) : सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ तेल कंपनियों तथा निजी क्षेत्र में कुछ विनिमाण इकाईयों द्वारा स्नेहकों का उत्पादन और बिक्री पहले से ही किया जा रहा है। देश में स्नेहकों की मांग प्रत्येक वर्ष आंकी जाती है तथा मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इकाईयों को स्नेहकों के विनिर्माण के लिए बेस आंयल आबंटित किया जाता है। विपणन नेटवर्क और औद्योगिक इकाईयों को सीधे, दोनों ही माध्यम से विपणन किया जाता है।

उड़ीसा में अर्ध-गहन झींगा मछली पालन

[अनुवाद]

4705. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्राप्त ऋण सहायता से उड़ीसा में अर्ध-गहन झींगा मछली पालन योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए अब तक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने कुल कितना ऋण मंजूर किया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितने जल-क्षेत्र को लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) विश्व बैंक के निदेशकों के कार्यकारी मंडल ने 14.1.1992 को वाशिंगटन में हुई अपनी बैठक में लगभग 283 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर उड़ीसा सहित पांच चयनित राज्यों में झींगा तथा मछली पालन के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी थी। यह परियोजना 7 वर्षों से भी अधिक अवधि तक क्रियान्वित किए जाने के लिए 1 मई, 1992 से ऋण प्रभावी हो जायेगी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल लागत का लगभग 70 प्रतिशत ऋण सहायता के रूप में दिए जाने की संभावना है। उड़ीसा में अर्ध-गहन झींगा पालन परियोजना द्वारा 3 स्थलों नामतः बालासौर जिले में चिरीपुर और नरेन्द्रपुर तथा कटक जिले के जगतजोर और रामपद लगभग 870 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किए जाने का लक्ष्य है तथा जलाशय मछली पालन परियोजना 11 जिलों के 19,570 हैक्टेयर में फैले हुए जल क्षेत्र को शामिल करेगा। उड़ीसा में इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 70,13 करोड़ रुपये है।

कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता

[हिन्दी]

4707. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई जातियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के रुप में निम्नलिखित समुदायों का विनिर्दिष्ट किया गया है :-

1. मेघालय

(1) बोरो, कचरी

(2) कोच

(3) राबा, रावा

2. जम्मू व कश्मीर

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटो
4. ब्रोपका, ड्रोपका, दर्द, शिन
5. चान्गपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

3. कर्नाटक

मद सं 38 के सम्मुख नाइक, नायक बेडा, बेदार तथा वाल्मीकि इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया है। तथापि, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश सं० 1950 तथा बाद के आदेशों के संगत पैरा में हिन्दू तथा सिख के साथ-साथ बौद्धों को शामिल करने के लिए दि० 4-6-1990 को संविधान (अनु० जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990 अधिसूचित किया गया था।

तेल शोधन कारखानों का रख-रखाव और संचालन

4708. श्री महावीपक सिंह शाक्य :

श्री नितीश कुमार :

श्री पी० सी० थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तेल शोधक कारखानों के रख-रखाव और संचालन के लिए दिशानिर्देशों हेतु प्रमुख विदेशी कम्पनियों को नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिन-जिन प्रमुख विदेशी कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किया गया है, उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कम्पनियों ने भारतीय तेल निगम के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन कंपनियों के बारे में अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीयकृत आधार पर तेल शोधन तथा विपणन और परामर्शी संगठनों के लिए तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए मैसर्स कालटैक्स सर्विसेज कार्पोरेशन, अमरीका तथा मैसर्स बी० पी० इंजीनियरिंग, लंदन, यू० के० के साथ तकनीकी सेवा करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा

[अनुवाद]

4709. श्री रवि राय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जघन्य अपराधों से निपटने की दृष्टि से चुस्त बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अपराध शाखा के कार्यकरण में और आगे सुधार करने की दृष्टि से इस शाखा का पुनर्गठन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 72: पदों के सृजन के लिए दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय

4710. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती रीता वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों की सुरक्षा पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इराक में शिया समुदाय की पवित्र मसजिदों को हुई क्षति

4711. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती बलराज पासी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईराक में शिया समुदाय की पवित्र मसजिदों को हुई क्षति व तबाही के संबंध में समस्त तथ्यों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा आगे और क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क), (ख) और (ग) अप्रैल, 1991 में बगदाद में भारतीय दूतावास के पुन: खुल जाने के बाद क्षतिग्रस्त मसजिदों के बारे में स्थिति पर निगाह रखी गई है; इन मसजिदों को सितम्बर, 1991 से तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है।

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

4712. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच का ध्यान पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की ओर

आकर्षित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पाकिस्तान के चोरी-छिपे और शास्त्रोन्मुखी स्वरूप के नाभिकीय कार्यक्रम और भारत तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व पर उसके प्रभावों के बारे में सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित कर दिया गया है ।

झारखंड मामला समिति

4713. श्री राम नाईक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड के लिए पृथक राज्य की स्थापना करने की मांग पर विचार करने और उसे पूरा करने के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए झारखंड मामला समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या है;

(घ) उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था;

(ङ) इस प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 23 अगस्त, 1989।

(ग) विवरण-एक संलग्न है ।

(घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट 18-5-1990 को प्रस्तुत की ।

(ङ) समिति, क्षेत्र के लिए एकक राजनैतिक प्रशासनिक निकाय के लिए एकमत फैसले पर नहीं पहुंच सकी । विशेषज्ञों ने राजनैतिक प्रशासनिक ढांचे की सिफारिश की है जिससे क्षेत्र के लिए बिहार राज्य के भीतर कुछ स्वायत्तता प्राप्त होगी ।

(च) एक विवरण-दो संलग्न है ।

विवरण-एक

(क) झारखण्ड आन्दोलन के प्रतिनिधि

डा० आर० डी० मुण्डा

डा० ए० के० सिंह

सर्व/श्री

एन० ई० होरो

सिबू सोरन

बी० बी० महतो

बी० पी० केसरी

एस० एस० बेसरा

प्रभाकर मिंकी

सन्तोष राना

सूरज मंडल

शैलेन्द्र महतो

प्रो० एटीफन मराण्डी

(ख) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

श्री के० बी० सक्सेना

संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

श्री बी० के० मिश्रा

संयुक्त सचिव

जनजाति विकास

कल्याण मन्त्रालय

(ग) राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री जे० एन० आर्य; गृह सचिव, बिहार

सचिव; जनजाति कल्याण; बिहार क्षेत्रीय

विकास आयुक्त, रांची

(घ) विशेषज्ञ

डा० के० एस० सिंह

महानिदेशक; भारतीय मानव

शास्त्रीय सर्वेक्षण

डा० भूपेन्द्र सिंह

भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव

श्री के० एन० प्रसाद

भारत सरकार के भूतपूर्व अपर सचिव

(ङ) अन्य प्रतिनिधि

प्रो० लाल चन्द चूड़ामणी नथ साहदेव,

अध्यक्ष, सदन विकास परिषद, रांची

प्रो० साहिब हुसन,

महासचिव,

सदन विकास परिषद, रांची ।

विवरण-दो

अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल बिहार के दौरे पर गया और 20 और 21 सितम्बर, 1991 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया । यह मुद्दा सामने आया कि दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद के नमूने के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा जल्दी से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया जायेगा । उसके बाद झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक बिहार विधान सभा द्वारा पारित किया गया । हाल ही में केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 18-2-1992 को बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्रियों से बैठक की । दो अन्य मुख्य मन्त्री नामत: मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मुख्य मन्त्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके । इसके अलावा गृह सचिव ने 27-2-92 को उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और बिहार सरकार के गृह सचिव के साथ बैठक की ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकीकृत विकास

4714. श्री विजय कृष्ण हान्डीक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकीकृत विकास करने में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने कार्य का आंकलन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके ढांचे में संशोधन करने तथा इसकी प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) उत्तर-पूर्वी परिषद ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का एकीकृत विकास करने में योगदान दिया है ।

(ख) योजना का आबंटन करते समय, परिषद को योजना के अधीन स्वीकृत कार्यों, उनके

कार्यान्वयन की प्रगति तथा अन्य संबद्ध ब्यौरों पर योजना आयोग में विचारर किया जाता है।

(ग) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

सुरक्षा कर्मियों को उन्नत किस्म के उपकरण देना

4715. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे विशेष ग्रुप को संचार तथा बम और धातु का पता लगाने के लिए उन्नत किस्म के विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता है;

(ख) क्या उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपकरण प्रदान किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस को सुरक्षा इकाई अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस हैं। अति विशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक अत्याधुनिक उपकरणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

वित्त और विकास निगम के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशक

4716. **डा० (श्रीमती) पदमा :**

श्री राम निहोर राय :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के निदेशक मंडल का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशकों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किया जाएगा ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के प्रथम निदेशक मंडल का कार्यकाल 7-12-1992 को समाप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का नया निदेशक मण्डल, जिसमें अन्यों के साथ-साथ 3 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले, 5 गैर-सरकारी निदेशक होंगे, शीघ्र ही गठित कर लिया जाएगा।

कोयले तथा प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल

4717. **श्री बंगारप्पा सालीपल्ली :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल का आयात कम करने के उद्देश्य से कोयले तथा प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के स्रोतों के रूप में इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन के रूप में संपीड़ीत प्राकृतिक गैस के प्रयोग के लिए पायलट परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों के क्रमिक विकल्प के रूप में कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

मत्स्यन बंदरगाह

4718. श्री एन० डेनिस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पश्चिमी तट में इस समय कार्यरत मत्स्यन बन्दरगाहों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के पश्चिमी तट के साथ-साथ मत्स्यन बंदरगाह खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) इस समय देश के पश्चिमी समुद्री तट पर 12 मत्स्यन बन्दरगाहें कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) तमिलनाडु के पश्चिमी समुद्र तट पर एक मत्स्यन बन्दरगाह बनाने के लिए इस समय केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

भारत-पाक मामले

4719, श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को बकाया मामलों को मित्रतापूर्वक निपटाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां। अमरीका भारत-पाक मसलों का समाधान शिमला समझौते की परिधि के भीतर शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय ढंग से ढूंढने का समर्थन करता है।

तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस

4720. श्री आर० जीवरत्नम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु के किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और उसकी मात्रा कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : इस समय तमिलनाडु में नारीमनम तथा अदीयक्कामंगलम से लगभग 740 टन प्रतिदिन तेल का तथा 131500 घन मी० प्रतिदिन की संबद्ध गैस का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 1992-93 में कमलापुरम से उत्पादन शुरू हो जाएगा। जहां दो कूपों में वर्क ओवर चल रहा है।

नई राष्ट्रीय बीज नीति

4721. श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बीज नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

ऑयल पाम, काजू तथा केले की खेती

4722. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार ऑयल पाम, काजू तथा केले की खेती कुल कितने क्षेत्र में होती है;

(ख) क्या केरल सरकार काफी समय से केरल में राष्ट्रीय केला और काजू अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की निरन्तर मांग करती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या अनुवर्ती कारंवाई की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) आयल पाम, काजू और केला की खेती के अन्तर्गत कुल राज्य-वार क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र हजार हेक्टेयर में

राज्य	आयल पाम	काजू	केला
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.60	71.099	33.9
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1.0

1	2	3	4
असम	—	—	35.4
बिहार	—	—	12.5
गुजरात	—	—	15.9
कर्नाटक	1.114	74.082	19.0
केरल	3.70	155.391	61.2
मध्य प्रदेश	—		16.4
महाराष्ट्र	1.00	22.752	56.8
मणिपुर	—	—	3.1
मेघालय	—	—	4.8
मिजोरम	—	—	1.9
उड़ीसा	—	59.983	22.3
तमिलनाडु	—	95.622	47.8
त्रिपुरा	—	1.126	3.5
पश्चिम बंगाल	—	6.798	—
उत्तर प्रदेश	—	—	1.1
गोवा	—	44.639	—
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.[illegible]9	—	1.4
पाण्डिचेरी	—	0.362	0.2
लक्षद्वीप	—	—	0.1

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थल चयन समिति ने केला संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए स्थलों का निरीक्षण किया। समिति ने पाया कि केरल सरकार द्वारा दिया गया स्थल प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह भूमि असमतल थी और जल का कोई सुनिश्चित स्रोत नहीं था तथा वह भूमि केला उगाने के लिए उपयुक्त नहीं थी।

राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र के मामले में कर्नाटक में केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत स्थापित किए गए वर्तमान काजू अनुसंधान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र का रूप दिया गया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन आयल कार्पोरेशन के कल्याण कार्यक्रम

4723. **श्री पीयूष तीरकी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिए अलग-अलग बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनु० जाति/अनु० जनजाति के कल्याण के लिए किए गए जारी उपायों के अतिरिक्त, डा० बी० आर आम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम भी किए गए थे :

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०

(1) विद्यालयों और महाविद्यालयों को डा० बी० आर आम्बेडकर की पुस्तकों का दान।

(2) अनु० जाति/अनु० जनजाति के युवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए बम्बई के वाडला में भारत रत्न डा० बाबा साहिब आम्बेडकर कैरियर विकास एवं अनुसंधान संस्थान को प्रायोजित करना।

(3) एच० पी० सी० एल० के अनु० जाति/अनु० जनजाति कर्मचारी कल्याण संस्थान को दान के लिए एक एम्बुलेंस प्राप्त की गई है।

(4) सिकन्दराबाद में आम्बेडकर अक्षर ज्योति की स्थापना।

( ) विजाग रिफाइनरी द्वारा अनु०जाति/अनु०जनजाति क्षेत्रों में सामग्री का वितरण।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि०

(1) डा० आम्बेडकर के जीवन तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए रामलीला मैदान, नई दिल्ली में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1991 तक अन्य तेल कम्पनियों के साथ एक मंडप की स्थापना

(2) फ्रैंकिंग मशीन में बहिर्गमन संदेशों पर डा० बी० आर आम्बेडकर का विशेष लोगो प्रदर्शित किया गया था।

(3) डा० आम्बेडकर के जीवन और उद्देश्य पर वाक् प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों आदि का आयोजन।

रसोई गैस के संयंत्र

[हिन्दी]

4724. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री के० मुरलीधरन :

श्री उद्धव बर्मन :

(क) देश में रसोई गैस के संयन्त्रों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इनकी संयंत्र-वार वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	बाटलिंग संयंत्र कम्पनी	वर्तमान बाटलिंग क्षमता टी०एम०टी० प्रति वर्ष में (प्रचालन क्षमता)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	10
		चेरलापाली	78
		विजयवाड़ा	22
		विशाखा	44
		टाड़ेपाली	12
2.	असम	बोंगाईगांव	22
		गुहाटी	5
		ओ०आई०एल० दुलियाजान	25
		सिलचर	5
		उपयोग	57
3.	बिहार	जमशेदपुर	25
		बरौनी	18
4.	गोआ	गोआ	22
5.	गुजरात	राजकोट	44
		हाजिया	44
		सूरत	12

1	2	3	4
		गांधीनगर	10
		कोयाली	102
6.	हरियाणा	करनाल	44
		हिसार	10
		पियाला	132
		जींद	22
7.	हिमाचल प्रदेश	बंद्दी	6
8.	जम्मू व काश्मीर	जम्मू	20
		श्रीनगर	7
9.	कर्नाटक	बंगलौर	34
		बंगलौर	34
		मैसूर	22
		हुबली	22
			12
10.	केरला	सी० आर० एस०	25
		त्रिवेन्द्रम	22
		कालीकट	10
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	25
		भिटोनी	44
		मांगलिया	34
		रायपुर	44
12.	महाराष्ट्र	बम्बई	156
		उरन	132
		जलगांव	22
		शोलापुर	22
		बम्बई	65
		औरंगाबाद	22

1	2	3	4
		चन्द्रापुर	22
		दापरी	34
		पुणे	20
		मिरज	22
		माहुल	25
13.	उड़ीसा	बैलासोर	26
		खुर्दा	10
		खुर्दा रोड	44
			70
14.	पंजाब	जालन्धर	34
		लालडू	88
		होशियारपुर	5
		लुधियाना	3
15.	राजस्थान	स्वायमाधोपुर	64
		अजमेर	[illegible]
		जयपुर	10
		जोधपुर	18
16.	तमिलनाडु	कोयबाटोर	[illegible]4
		मंगलोर	[illegible]
		टूटीकोरिन	10
		एम०आर०एल०	75
		सेलम	34
17.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	64
		मथुरा	88
		इलाहाबाद	34
		हल्दवानी	6
		हरिद्वार	6

1	2	3	4
		बरेली	10
		लखनऊ	!10
		कासना	5
		उनाव	10
		गोरखपुर	5
		वाराणसी	25
18.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	44
		दुर्गापुर	44
		हल्दीया	22
		पहाड़पुर	26
संघ राज्य क्षेत्र			
19.	दिल्ली	टिकरीकला	132
		शकूरबस्ती/ बहादुरगढ़	15

उड़ीसा में समेकित जनजातीय विकास परियोजना

4725. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में समेकित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत चुने गए गांवों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : उड़ीसा में 21 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत चुने गए 18943 ग्रामों के ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	जिला	स० आ० वि० परि०	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या पूर्णत:	शामिल किए गए प्रखंडों की संख्या अंशत:	पूर्णत: शामिल किए गये प्रखंडों के नाम	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालासोर	1. नीलगिरी	1	—	नीलगिरी	146
2.	फुलबानी	2. बालीगुडा	9	—	1. बालीगुडा	

1	2	3	4	5	6	7
					2. नौगन	
					3. दरिंगबरही	
					4. तुमडीबंध	
					5. कोटागढ़	
					6. टीकाबल्ली	
					7. उदयगिरी	
					8. रैकिया	
					9. चकापाड	1318
		2. फुलबानी	3	—	1. फुलबानी	
					2. फिरिंगिया	
					3. खजूरीपाडा	879
3.	गंजाम	1. पारलाखेमुंदी	5	—	1. मोहना	
					2. नौगाद	
					3. रामगिरी उदयगिरी	
					4. रायगढ़	
					5. गुम्मा	1332
4.	कालाहांडी	1. धुमाल-रामपुर	2	—	1. धुमाल-रामपुर	767
					2. मांजीगढ़	
5.	केंदुझार	1. केंदुझार	7	—	1. पटना	
					2. घटगां	
					3. केंदुझार	
					4. झुमारापाडा	
					5. हरिचंदनपुर	
					6. तेलकोई	
					7. बैसपाल	

1	2	3	4	5	6	7
		2. चम्पुआ	3		1. जोड़ा 2. चम्पुआन 3. झूमपुरा	417
6.	कोरापुर	1. कोरापुर	9	जिला पूर्णत: शामिल है		1267
		2. रायगढ़ा	4			1274
		3. मलकांगिरी	7			830
		4. जेपेरे	5			555
		5. न्यूरंगपुर	10	सभी 42 प्रखंडों को शामिल करते हुए		828
		6. गुनपुर	7			1542
7.	मयूरभंज	1. बारीपाढ़ा	10	जिला पूर्णत: शामिल है		1955
		2. रायरंगपुर	7			803
		3. करंजिया	5	सभी 26 प्रखंडों को शामिल करते हुए		759
		4. कपटीपाडा	4			484
8.	संबलपुर	1. कोछिडा	3		1. कोछिडा	51
					2. गोबिंदपुर	510
					3. आमनकिरा	737
9.	सुन्दरगढ़	1. सुन्दरगढ़	9	जिला पूर्णत: शामिल है		391
		2. पनपोश	4	सभी 17 प्रखंडों को शामिल करते हुए		596
		3. बनई				
9 जिले (3 पूर्णत: 6 अंशत:)		21 स० आ० वि० परि०	118 प्रखंड पूर्णत: शामिल			18943

दिल्ली में अपराध निवारण योजना

[अनुवाद]

4726. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

कुमारी उमा भारती :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अपराध निवारण की नई योजना "नागरिक रक्षा समिति" प्रारम्भ की गई है जैसा कि 4 फरवरी, 1992 के हिन्दुस्तान में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है;

(ग) दिल्ली में अब तक कितनी नागरिक रक्षा समितियों का गठन किया गया है; और

(घ) इन समितियों के क्या कार्य हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) अभी तक कोई नागरिक रक्षा समिति गठित नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में इस प्रकार की समितियां गठित करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिन्दू

4727. श्री एम० रमन्ना राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिन्दुओं के निवास किए जाने के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार के पास इस संबंध में कोई निश्चित सूचना नहीं है।

महाराष्ट्र में आयल पाम के पेड़ लगाना

4728. श्री सुधीर सावन्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में आयल पाम विकास परियोजना प्राइवेट एजेंसियों को सौंपी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय किसानों को आयल पाम के पौधे दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में कुल कितने क्षेत्र में आयल पाम के वृक्ष लगाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार संयुक्त रूप से कोंकण विकास निगम लिमिटेड, जो महाराष्ट्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है, के माध्यम से महाराष्ट्र में तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। फिलहाल तेल ताड़ प्रदर्शन को निजी एजेंसियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र को तेल ताड़ खेती के तहत लाया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। कोंकण विकास निगम लिमिटेड किसानों से दीर्घावधि पट्टे पर ली गई भूमि पर तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना क्रियान्वित कर रहा है।

(ङ) फिलहाल महाराष्ट्र में तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना के तहत कुल 1000 है० क्षेत्र है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विपणन एजेंट बनाना

4729. डा० ए० के० पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बेची जा रही प्राकृतिक गैस का विपणन एजेंट बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिचौलिए की नियुक्ती सरकारी नीति के अनुरूप है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है जिसके अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के गैस के कुछ परिवहन और विपणन परिसंपत्तियों को गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० को हस्तांतरित किया जाएगा।

दिल्ली नगर निगम का विकेन्द्रीकरण

4730. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम के विकेन्द्रीकरण के संबंध में सरकारिया-बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में कच्चे मोम की कमी

4731. श्री के० मुरलीधरन

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कच्चे मोम की कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो केरल के लिए कच्चे मोम के कोटे में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पैराफिन वैक्स और स्लैक वैक्स का घरेलू उत्पादन सकल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए पैराफिन वैक्स का आयात सम्भाव्य स्तर तक किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय, मंगलौर

4732. श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर में पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्यालय कब से कार्य करने लगेगा ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उनकी संख्या स्थान और समय उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में नशीली दवाइयों का व्यापार

[हिन्दी]

4733. कुमारी उमा भारती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों में नशीली दवाइयों का व्यापार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) देश में नशीली दवाइयों के व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने अनेक वैधानिक, प्रशासनिक तथा निवारात्मक उपाय किए हैं। इस सामाजिक बुराई को नष्ट करने के लिए स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियमित किया गया है। अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत सजा दी जाती है। अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने वाले व्यक्तियों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। जन प्रचार माध्यमों, इश्तिहारों तथा विज्ञापन पट्टों, सिनेमा में स्लाइडों के माध्यम और नशीली दवाइयों के विरुद्ध लघु नाटकों को दिखाकर लोगों को शिक्षित किया जाता है। लोगों में जागृति को बढ़ावा देने के लिए नशीली दवाई की लत छुड़ाने हेतु शिविर लगाए जाते हैं।

गन्ने के उत्पादन में कमी आना

[अनुवाद]

4734. श्री उत्तमराव देवराव पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति होने के कारण गन्ने के उत्पादन में कमी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी आने का अनुमान है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) :(क) राज्य से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन 327.5 लाख मीटरी टन के लक्षित स्तर से अधिक होने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मूंगफली का निर्यात

[हिन्दी]

4735. श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूंगफली के बीजों को निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) वर्ष 1992-9? के दौरान मूंगफली के बीजों की देशवार कितनी-कितनी मात्रा निर्यात करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। मूंगफली के बीज वर्तमान आयात और निर्यात नीति, 1990—1993 के अन्तर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल हैं। सरकार का ऐसे किसी निर्यात का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

ट्रैक्टरों और कृषि संबंधी मशीनरी का आयात

[अनुवाद]

4736. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चावल, दाल, रुई आदि के निर्यात के बदले वह हॉर्स पावर से

कम शक्ति वाले ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण/मशीनरी का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) भाग (क) के उत्तर पर ध्यान देते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

4737. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कितनी मत्स्य पालक विकास एजेंसियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए कितनी धन-राशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 22 मछली पालक विकास एजेंसियां मंजूर की गई हैं। यह मछली पालक विकास एजेंसियां श्रीकाकुलम, विजय नगर, विशाखापत्तनम, काकिनाडा, एलुरू, मछलीपत्तनम, गुंटूर, ओंगोले, नेल्लौर, गुडप्पा, कुरनूल, अनन्तपुर, चित्तूर, खम्माम, करीमनगर, वारांगल, निर्मल, निजामाबाद, नालगोंडा, मेहबूबनगर, रंगारेड्डी और संगारेड्डी में हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान मछली पालक विकास एजेंसी के तहत ताजे जल में मछली पालन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में आन्ध्र प्रदेश को बाईस लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

प्राकृतिक गैस के मूल्य समकरण नीति

4738. श्री धर्मण्णा मोन्डप्पा सादुल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य समकरण नीति का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने प्राकृतिक गैस की कीमत के निर्धारण के लिए अभिवेदन भेजा है। इस संबंध

में निर्णय लेते समय भारत सरकार द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केन्द्र

[हिन्दी]

4739. **श्री कुल चन्द वर्मा :**

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गत एक वर्ष के दौरान यमुनापार क्षेत्र में खोले गए नये दुग्ध बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना पिछले एक वर्ष के दौरान यमुनापार क्षेत्र में निम्नलिखित दो नये मिल्क बूथ खोले हैं।

डिपो सं० 1949	—	सितम्बर, 1991
डिपो सं० 1967	—	अक्तूबर, 1991

(ख) उपभोक्ताओं के लम्बित अनुरोध के आधार पर सामान्यतया दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और यदि न्यायोचित पाया जाता है तो नये बूथ खोले जाते हैं, बशर्ते कि दूध उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम तथा दिल्ली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

[अनुवाद]

4740. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके आर्थिक विकास हेतु ऋण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) आज तक उनके पास कितने-कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आज की तारीख तक राष्ट्रीय अनु० जाति एवं अनु० जनजाति वित्त एवं विकास निगम

के पास 131 तथा दिल्ली अनु० जाति एवं अनु० जनजाति वित्त एवं विकास निगम के पास 28 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ग) राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति वित्त एवं विकास निगम को पूरी सूचना प्राप्त न होना। अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने पर इन आवेदन पत्रों को निपटा दिया जाएगा।

आवेदन पत्र दिल्ली अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम के पास फील्ड सर्वेक्षण और मौके पर जांच के लिए लम्बित रहीं जो कि अब पूरी हो चुकी हैं। अब इन आवेदन पत्रों पर निपटने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

बकरी पालन

[हिन्दी]

4741. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने जर्सी गायों पशुधन की भांति बकरियों की भी संकर की भी नस्ल विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बकरियों द्वारा प्रतिदिन कितने दूध का उत्पादन होता है;

(ङ) क्या सरकार ने गाय तथा बकरी पालन हेतु कोई आर्थिक सर्वेक्षण कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) बकरी पालन समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पात्र कार्यकलाप है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, चयनित गरीब परिवारों को बकरी पालन सहित विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय समन्वित बकरी (दूध के लिए) अनुसंधान परियोजना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर में चलाई गई ताकि इन क्षेत्रों के कृषि जलवायु के लिए उपयुक्त दुधारू बकरी की एक नई नस्ल तैयार की जा सके।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में एल्पाइन, सानन तथा बीटल के विभिन्न आनुवंशिक योग विदेशी वंशावली के विभिन्न स्तरों के साथ तैयार किये गये तथा उनकी क्षमता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनका परीक्षण किया गया। सानन × बीटल संकर, 75 प्रतिशत विदेशी वंशावली के साथ सबसे उत्तम थी जिनमें 296 दिन की दूध देने की अवधि में 399.1 + 34 कि० ग्रा० की औसत पैदावार थी, और शुद्ध प्रचलित बीटल की तुलना में यह 103.5 प्रतिशत बेहतर थी।

केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर में, एल्पाइन, सानन और मालाबारी के विभिन्न आनुवंशिक योग विभिन्न स्तरों के विदेशी "जीनों" के साथ तैयार किये गये तथा उनके तुलनात्मक कार्यनिष्पादन के लिए उनका परीक्षण किया गया। सानन × मालाबारी की 190.5+6.6 दिनों की दूध देने की अवधि के लिए 127.3+17 कि० ग्रा० की दूध की अधिकतम पैदावार थी और यह दुग्ध उत्पादन में स्थानीय मालाबारी के मुकाबले 95 प्रतिशत बेहतर थी।

(क) और (ख) इस समय केरल विश्वविद्यालय, त्रिचूर तथा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय; बीकानेर क्रमश: मालाबारी तथा मारवाड़ी बकरियों का सर्वेक्षण करते हैं और वृद्धि तथा जीन बनने के लक्षणों के बारे में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों तथा प्रयोगशाला अध्ययनों के माध्यम से उनका आनुवंशिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए केरल को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4742. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ केरल को वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शुष्क भूमि में खेती

4743. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शुष्क भूमि पर खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या नीतियां अपनाने का विचार है; और

(ख) शुष्क भूमि खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना

अवधि में बारानी खेती को बढ़ावा देने के लिए पनधारा विकास के सिद्धांतों तथा पद्धतियों पर वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के स्थायी विकास की कार्य योजना को अपनाने का प्रस्ताव है।

(ख) मध्य प्रदेश के अभिज्ञात जिलों सम्बन्धी विवरण संलग्न है।

विवरण

1. इन्दौर
2. धार
3. झबुआ
4. खरगांव
5. खंडवा
6. रतलाम
7. देवास
8. शाजापुर
9. मंदसौर
10. उज्जैन
11. ग्वालियर
12. शिवपुरी
13. दतिया
14. गुना
15. मुरैना
16. भिंड
17. रीवा
18. शाहडूल
19. सीधी
20. सतना
21. सागर
22. दमोह
23. पन्ना
24. छतरपुर
25. टीकमगढ़
26. सिहोर
27. रायसेन
28. राजगढ़
29. विदिशा
30. बेतूल
31. होशंगाबाद
32. जबलपुर
33. शिवनी
34. नरसिंहपुर
35. छिन्दवाड़ा
36. मंडला
37. बालाघाट
38. बिलासपुर
39. रायगढ़
40. सुरगुजा
41. रायपुर
42. दुर्ग
43. राजनांदगांव
44. बस्तर
45. भोपाल

पशु पालन

4744. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पशु पालन के समेकित विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ग) क्या राजस्थान में पशु पालन के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने तथा अधिक आय तथा रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से सरकार पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इस उद्देश्य से, बेहतर प्रजनन पद्धतियों, उन्नत पशु पोषाहार तथा पशुधन के स्वास्थ्य की देख-रेख के जरिये पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित स्कीमें राजस्थान में भी कार्यान्वित की जाती हैं।

उड़ीसा में इण्डियन आयल कार्पोरेशन की परियोजना

4745. श्री एस० बी० सिद्नाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की निर्वाध सप्लाई जारी रखने के लिए उड़ीसा में चार परियोजनाओं पर 78 करोड़ रुपये निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) इंडियन आयल करपोरेशन ने सूचित किया है कि विभिन्न परियोजनाओं जैसे लाइटरेज टर्मिनेस, बंकरिंग सुविधाएं डिपु आदि, जिसके लिए लगभग 78 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है, को उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है।

भू-स्रोत क्षेत्र

4746. श्री आबनल अबेदिन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान देश में भू-स्रोत क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान दो हैक्टेयर और इससे कम तथा दस हैक्टेयर और इससे अधिक भू-जोतों की संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान निर्दिष्ट श्रेणियों के जोत क्षेत्रों के अन्तर्गत पृथक रूप से राज्य-वार कितना-कितना क्षेत्र था; और

(घ) जोत क्षेत्रों की संख्या में भारी भिन्नता होने के क्या कारण हैं और इन श्रेणियों के अन्तर्गत कितना-कितना क्षेत्र है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि संगणना, 1990-91 करने के लिए कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इसके 1992 के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक

4747. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भावी भूमिका की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए हाल ही में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों की साइप्रस में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले से सम्बन्धित किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) इस बैठक ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। जी-77 और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बीच संस्थागत समर्थन और समन्वय के तौर-तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि जिन मदों पर विचार-विमर्श हुआ है उन्हें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आगामी 10वें शिखर सम्मेलन में पेश किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों के समुदायों को जनजातियां घोषित किया जाना

4748. श्री के० चोक्का राव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले किन समुदायों को 1976 के दौरान जनजातियां घोषित किया गया था;

(ख) क्या मैदानी क्षेत्र की जनजातियों के रूप में घोषित की गई जातियां अभिकरण क्षेत्र की मूल जनजातियों के निमित्त वाली भूमि और नौकरियों को हड़प रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने अभिकरण पट्टी में रहने वाली जनजातियों के अलावा अन्य जनजातियों को भूमि के हस्तान्तरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित समुदायों को शामिल किया गया था :

भाग-I आंध्र प्रदेश

1. सम्पूर्ण राज्य में :—

1. चेंचू या चेंचवर

2. कोया या गौड अपनी उपजातियों के साथ—राजा या राशा कोयास; लिंगधारी कोयास (साधारण); कोटू कोयास, भिने कोया और राजकोया .

2. हैदराबाद, महबूब नगर; आदिलाबाद, निजामाबाद मेदक; करीम नगर; वारांगल, खमाम और नालगोंडा जिलों को छोड़कर संपूर्ण राज्य :—

1. बागाटा

2. गाडाबास

3. जटापस

4. कामारा

5. कट्टूनायकन

6. कोंडा धोरास

7. कोंडा कापस

8. कोंडारेड्डीस

9. कोंधस (कोडी और कोधू), देसाया कोंधस, डोंगरिया कोंधस; कुटिया कोंधस; तिकीरिया कोंधस और येमिटी कोंधस ।

10. कोटिया-बेंथो ओरिया, बारटिका, धूलिया और दूलिया, होलवा, पाइको, पूटिया, सान-रोना और सिधोपाइको ।

11. कूलिया

12. मालिस

13. मन्ना धोरा

14. मुखा धोरा या नूका धोरा

15. पोरजा (पारंगीपेरजा)

16. रेड्डी धोरास

17. रोना, रेना

18. सावारस-कापू सावारस, मालिया सावारस या खुटो सावारस

19. सुगालिस (लाम्बाडिस)

20. येयाडिस

21. येरुकुलास

3. हैदराबाद, महबूब नगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारांगल, खम्माम और नालगोंडा जिलों में :—

1. अन्ध

2. भील

3. गोण्ड (नाइकपोड और राजगोंड सहित)

4. हिल रेड्डीस

5. कोलम (मान्नरवारलू सहित)

6. प्रधान

7. थोटी

4. एजेंसी क्षेत्रों में : —

1. गोउडू (धौड)

2. नायक्स

3. वाल्मिकी

अनुसूची

भाग-I—आन्ध्र प्रदेश

1. अन्ध

2. बागाटा

3. भील

4. चेंचू, चेंचवार

5. गाडाबास

6. गोण्ड, नाइकपोड, राजगोंड

7. गोउडू (एजेंसी क्षेत्रों में)

8. हिल रेड्डीस

9. आटापस

10. कम्मारा

11. कट्टूपायाकम

12. कोलम, मन्नेरवरलू

13. कोंडा धोरास

14. कोंडा कापस

15. कोंडारेड्डीस

16. कोंधस, कोडी, कोंधू, देसाया कोंधस, डोंगरिया कोंधस, कुट्टिया, तिकीरिया कोंधस, येनिटी कोंधस।

17. कोटला, बेंथो ओखिन, बार्टिका, धूलिया, दूलिया, होल्वा, पाइको, पूटिया, सानरोना, सिधोपाइको।

18. कोया, गाउड, राजाह, राशा कोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिने कोया, राजकोया।

19. कूलिया

20. मालिस (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद और वारांगल जिलो को छोड़कर)

21. मान्ना धोरा

22. मुखा धोरा, नूका धोरा

23. नायकस, (एजेंसी क्षेत्रों को छोड़कर)

24. प्रधान

25. पोरजा, पारांगीपेरजा

26. रेड्डी धोरास

27. रोना, रेना

28. सावारस, कापू सावारस, मालिया सावारस, खुट्टो सावारस

29. सुगालिस, लाम्बाडिस

30. थोटी (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, महबूब नगर, मेडक, नालगोण्डा, निजामाबाद, और वारांगल जिलों में)

31. वाल्मिकी (एजेंसी क्षेत्रों में)

32. येनाडिस

33. येरुकुलास

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किये गये उत्पादन

4749. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राय: लिये जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त होने वाली पेशकशों को स्वीकार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त किए गए उपकरणों में वेधन रिग, प्लेटफार्म, स्लब

पम्प, कम्प्रैसर्स, वेल हेड तथा एक्स मस ट्रीज, सीमेंटिंग यूनिट, सकर राड पम्प, आदि शामिल हैं।

(ख) एवं (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपनी आवश्यकताओं की अधिप्राप्ति विश्व-व्यापी निविदाओं पर करता है जहां मूल्य योग के आधार पर भारतीय कम्पनियों को कीमत वरीयता दी जाती हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तटवर्ती वेधन रिग तथा कूप प्लेटफार्मों के विनिर्माण के लिए नामांकन आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी आदेश प्रस्तुत करता रहा है।

तिब्बत में परमाणु परीक्षण

[हिन्दी]

4750. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल के इन समाचारों की जानकारी है कि तिब्बत में यूरेनियम के भंडार का पता लगने के पश्चात चीन वहां परमाणु परीक्षणों को केन्द्रित करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना से इन खबरों की पुष्टि नहीं होती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्मा आयोग की रिपोर्ट

[अनुवाद]

4751. श्री गुरुदास कामत :

श्री आर० जीवरत्नम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी हत्याकाण्ड की जांच कर रहे वर्मा आयोग को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) आयोग द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) आयोग ने साक्ष्यों को रिकार्ड करने की कार्रवाई पूरी कर ली है तथा इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने की आशा है।

भवन निर्माण कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करना

475?. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली नगर निगम को भवन निर्माण कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) भवन निर्माण-कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गत 3 वर्ष के दौरान भवन निर्माण कार्य समापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सं०
1988-89	1113
1989-90	1966
1990-91	1621

(ख), (ग) तथा (घ) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 346 के अनुसार भवन निर्माण कार्य समापन प्रमाण पत्र दखलकारी प्रमाण पत्र 30 दिन की अवधि के अन्दर अनुमोदित अथवा अस्वीकृत किए जाने हैं। गत 3 वर्षों के दौरान अस्वीकृत किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

1988-89	490
1989-90	886
1990-91	1723

दलित साहित्य अकादमी

[हिन्दी]

4753. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने 1990 तथा 1991 के दौरान दलित साहित्य अकादमी को कितनी अनुदान सहायता दी है;

(ख) क्या इसके समुचित कार्यकरण पर सरकार का कोई नियन्त्रण है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस अकादमी के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरकार द्वारा साहित्य दलित अकादमी को 1990-91 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में 4,62,420/-रुपये तथा 1991-92 के दौरान 1,56,420/-रु० दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1990-91 का अनुदान अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए एक आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आरम्भ करने के लिए दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर संस्वीकृत किया गया था। तिमाही प्रगति रिपोर्टों, 1990-91 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा उस वर्ष के लिए अपेक्षित वित्तीय विवरण के माध्यम से निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद उपरोक्त योजनाओं के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 1991-92 का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठता।

गैस लिकेज समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

4754. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस लिकेज समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) गैस लिकेज समिति की पहली बैठक हुई है। पहलुओं पर पुनः विचार करने के लिए दूसरी बैठक शीघ्र होने वाली है।

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा

[हिन्दी]

4755. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

कुमारी उमा भारती :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष, निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां, वे 20 और 21 फरवरी, 1992 को भारत यात्रा पर आए थे।

(ख) आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर विचारों पर बहुत समानता थी।

(ग) और (घ) जी हां।

निम्नलिखित 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1. भारत गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य के बीच अन्तर सरकारी संबंधों के मौलिक सिद्धान्तों और निदेशों पर घोषणा।

2. भारत गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

3. भारत गणराज्य की सरकार और कजाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच कौंसली संबंधों की स्थापना पर प्रोतोकोल।

4. भारत गणराज्य की सरकार और कजाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जन-सम्पर्क-माध्यम और खेल-कूद पर सहयोग करार।

5. भारत गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य के बीच व्यापार, आर्थिक संबंध और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग करार।

इन करारों में भारत और कजाकिस्तान के बीच बहुपक्षीय और आपसी हित के सहयोग को बढ़ाने की व्यवस्था है।

उर्वरक का प्रभावी उपयोग

[अनुवाद]

4656. श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव :

श्री सी० पा० मुदाल गिरियप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक की बढ़ती हुई खपत को रोका जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उर्वरक के प्रभावी उपयोग के लिए क्या नीतियां अपनाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने में कोई गम्भीर कठिनाइयां नहीं हैं। तथापि, कम खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) उर्वरकों के प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाने और उसमें वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(1) सातवीं योजना के दौरान भारत सरकार ने दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया।

(2) दूरस्थ क्षेत्रों के लिए परिवहन में सहायता देने और छोटे कृषकों में उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे थैलों में उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उर्वरकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उर्वरकों की 10 मीटरीटन तक की सीमा विक्रेता पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता में विक्रेताओं को छूट दें।

(4) गहन रूप से कृष्य क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(5) राज्य कृषि विस्तार एजेंसियों द्वारा उर्वरक उपयोग और उर्वरक के संतुलित/कुशल उपयोग के लाभों से संबंधित प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

(6) उर्वरकों के उचित उपयोग के संबंध में उचित सलाह देकर कृषकों को सहायता देने के लिए मृदापरीक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है।

मिट्टी के तेल के कोटों में वृद्धि

[हिन्दी]

4757. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

डा० कृपा सिन्धु भोई :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रति माह मिट्टी के तेल की कुल मांग कितनी है;

(ख) 1991 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितने मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई;

(ग) क्या प्रत्येक माह सप्लाई किए जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा में और इसकी प्रति व्यक्ति मांग में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मिट्टी के तेल हेतु अनुरोध किया है; और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) 18 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन एकरूपता के आधार पर किया जाता है तथा शेष को ब्लाक के आधार पर किया जाता है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध, जैसे ही प्राप्त होते हैं, उन पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

वर्ष 1991 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आवंटन का विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े मी० ट० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 (जन०,-दिस०)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1573169
2.	अरुणाचल प्रदेश	10216
3.	असम	245235
4.	मणिपुर	19910
5.	मिजोरम	5895
6.	बिहार	46[illegible]985
7.	दिल्ली	233881
8.	गोवा	27116
9.	गुजरात	781452
10.	डी० एन० एच/दमन/द्वीप	6256
11.	हरियाणा	150223
12.	पंजाब	319482
13.	हिमाचल प्रदेश	34834
14	चंडीगढ़	19519
15.	जम्मू और कश्मीर	67130
16.	कर्नाटक	436375
17.	केरल	258[illegible]89
18.	मध्य प्रदेश	1375327
19.	मेघालय	15376
20.	महाराष्ट्र	1474894
21.	नागालैण्ड	9860
22.	उड़ीसा	1[illegible]4963

1	2	3
23.	राजस्थान	263477
24.	सिक्किम	7082
25.	तमिलनाडु	643806
26.	पाण्डिचेरी	13803
27.	उत्तर प्रदेश	909067
28.	त्रिपुरा	19942
29.	प० बंगाल	728841
30.	अंडमान	3696
31.	लक्षद्वीप	249
	कुल :	8277995

गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में भूकम्प प्रतिरोधक मकानों का निर्माण

4758. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजवीर सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में उत्तर काशी के निवासियों के लिए भूकम्प प्रतिरोधक मकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) इस प्रकार रखी गई राशि में से उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक कितनी राशि दी गई है; और

(घ) इन मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी के निवासियों के लिए भूकम्प प्रतिरोधी मकानों के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है। अक्तूबर, 1991 में आए भूकम्प के सम्बन्ध में भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में 20,000 मकानों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड/हुडको के माध्यम से 30.00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 14.25 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकार की सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों की प्रगति को नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह मकानों के निर्माण की गति को तेज करे।

भारत और चीन के बीच हॉट लाइन

[अनुवाद]

4759. श्री गुरुदास कामत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में हॉट लाइन लगाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) 20 से 21 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित सीमा संबंधी भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी ग्रुप की चौथी बैठक में भारत और चीन पूर्वी क्षेत्र में बुमला क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में स्पेंगुर गैप क्षेत्र में टेलीफोन संचार सम्पर्क स्थापित करने पर सहमत हुए ताकि दोनों ओर के सीमा कार्मिकों के बीच सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाया जा सके।

पाम आयल की खेती का व्यवसायीकरण

4760. श्री गुरुदास कामत :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाम ऑयल की खेती का व्यवसायीकरण किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिनमें इस खेती का व्यवसायीकरण किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा राज्यों के पास आयल पाम के वाणिज्यिक विकास की क्षमता है।

फसलों के लिए खाद के रूप में मानव मल-मूत्र का उपयोग

4761. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव मल-मूत्र में रासायनिक उर्वरकों की तुलना में नाइट्रोजन का अधिक प्रतिशत होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी देश पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने हेतु मानव मल-मूत्र का उप-योग करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के क्या नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए मानव मल-मूत्र का उपयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चीन जैसे देशों में कृषि उत्पादन में उपयोग के लिए कम्पोस्ट कूड़ा-करकट (भार से 70-80%) और मल (भार से 20-30%) को मिलाकर तैयार किया जाता है।

(ङ) और (च) कम्पोस्ट तैयार करने के लिए मानव मल अलग से एकत्र करने की योजना नहीं है।

राजधानी में यातायात की स्थिति

4762. **श्री मोरेश्वर सावे** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में यातायात की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली मे यातायात की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और योजनाओं में (i) साइकिल चलाने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का विकास करना, (ii) मुख्य तथा उप-मुख्य सड़कों मे सुधार करना, (iii) बस परिवहन योजना में सुधार करना, (iv) अधिक फ्लाई ओवरों/भूमिगत रास्तों का निर्माण करना, (v) भारी वाहनों, मध्यम वर्ग के वाहनों तथा हल्की गति से चलने वाले वाहनों के चलाने पर प्रतिबन्ध लगाना। (vi) सड़कों/गलियों से अतिक्रमण हटाना, (vii) बच्चों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रदान करना, (viii) प्रेस, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागृति अभियानों को चलाना, (ix) जनता, इत्यादि में सड़क सुरक्षा के संबंध में पर्चों इत्यादि का वितरण करना, (x) आधुनिक यातायात तक-नीकों को लागू करना शामिल है।

(ग) प्लान योजना के अधीन दिल्ली यातायात पुलिस को उपलब्ध कराई गई धनराशि निम्न प्रकार से है :-

(i) सड़क सुरक्षा कक्ष तथा आधुनिकीकरण : 50,00,000/-रु०

(ii) ट्रैफिक सिगनल और लिकरों का रख-रखाव : 3,90,00,000/-रु०

(iii) क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली : 19,00,000/-रु०

तटदूर तेल की खोज

[हिन्दी]

4763. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तटदूर तेल की खोज के लिए विकसित की गई तकनीक और उपकरणों का मूल्यांकन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तेल कम्पनियां समूचे विश्व में अपतटीय तेल अन्वेषण के लिए प्रयोग में लाए जा रहे उपकरण तथा प्रौद्योगिकी का निरंतर मूल्यांकन कर रही हैं। एयरबोर्न सर्वेक्षणों तथा सुधरी हुई भूकंपीय मूल्यांकन तकनीकों का मूल्यांकन अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए उनकी उपयोगिता हेतु किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में खिरकिया में तेलशोधक कारखाना

4764. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के खिरकिया में एक तेल शोधक कारखाने का निर्माण आरम्भ करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रिफाइनरी की स्थापना के लिए अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० ने मध्य भारत में 6 मि० मी० टन प्रति वर्ष की एक ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की गई है।

बेलाहांका, बंगलौर में डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

4765. श्री कोडाकनी गोडामा शिवप्पा :

श्री भास्कर फर्नाण्डीज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बेलाहांका बंगलौर में स्थापित किए जाने वाली डीजल जेनरेटिंग विद्युत संयंत्र की पहली इकाई के लिए एल० एस० एच० एस० ईंधन की सप्लाई के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 120 मेगावाट के बेलाहांका डीजल इंजन विद्युत संयंत्र को 135 टी० एम० टी०, एल० एस० एच० एस० की आपूर्ति के लिए सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ था और उत्पाद की उपलब्धता होने पर इसे आपूर्ति करने के लिए निर्णय लिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4766. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक मलेशियाई तेल कम्पनी "पेट्रोनास" के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मलेशिया से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद निलम्बित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) पेट्रोनास के साथ आवधिक करार 0.5 मि० मी० टन कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए है। पेटको के साथ आवधिक करार 1 मि० मी० टन कच्चे तेल और 1.49 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए हैं। इनमें से किसी से भी आपूर्तियां नहीं रुकी हैं।

कपास की खेती की लागत

[हिन्दी]

4767. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार प्रति हेक्टेयर कपास की खेती की लागत

कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कपास का समर्थन मूल्य कितना था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1990-91 तथा 1991-92 के लिए कपास की खेती की लागत उपलब्ध नहीं है। फिर भी, कुछ राज्यों के लिए अन्य नवीनतम वर्षों में यह लागत नीचे दी गई है :—

प्रति हैक्टेयर खेती की लागत		(रुपयों में)

राज्य	1987-88	1988-89
आन्ध्र प्रदेश	4330.40	—
कर्नाटक	4118.37	—
हरियाणा	3994.72	3825.94
पंजाब	6594.17	6514.42

(ख) 1990-91 के दौरान, कपास की एफ-414/एच 777 किस्म के समर्थन मूल्य 620 रु० प्रति क्विंटल तथा एच०-4 किस्म के लिए 750 रुपये प्रति क्विंटल था। 1991-92 में ये मूल्य क्रमशः 695 रुपये तथा 840 रुपये प्रति क्विंटल हो गए।

पशु प्रजनन केन्द्र

4768. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नये पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान केन्द्रों की कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार राज्य में कृषि मंत्रालय का कोई भी पशु प्रजनन केन्द्र नहीं है। तदनुसार प्रश्न नहीं उठता।

मित्र किसान योजना

4769. श्री अनमोल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए "मित्र किसान" की अवधारणा वाली योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना किन-किन राज्यों में लागू की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) सहभागी तथा त्वरित आयोजना तथा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए मित्र किसान की पहचान करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजना का उप-घटक है। होनहार ग्रामीण युवाओं, कार्यरत किसानों आदि को कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के मूल सिद्धान्तों, फसल उत्पादन, पशुधन प्रबंध तथा सामान्य सम्पत्ति संसाधन प्रबंध में प्रशिक्षित किया जाता है।

(ग) वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजना में सभी राज्य भाग ले रहे हैं।

अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का उत्पादन और सप्लाई

4770. श्री जगमीत सिंह बराड़ :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रतिवर्ष अनुमानतः कितना उत्पादन होता है और इनकी कितनी मांग है;

(ख) क्या देश की मांग पूरी करने के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) क्षेत्रीय बीज पुनरीक्षा बैठक में किये गये मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1991-92 के लिए बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता और उपलब्धि क्रमशः 59.85 लाख क्विंटल तथा 57.33 लाख क्विंटल थी, उपलब्धि की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही है; यद्यपि कुछ राज्यों ने कुछ कमी होने की सूचना दी थी जिसकी पूर्ति स्थानीय तौर पर की गई बताई गई थी।

(ग) क्षेत्रीय बीज पुनरीक्षा बैठकों के दौरान यह प्रयास किए गए कि बीज की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम तथा अन्य राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों आदि के माध्यम से व्यवस्था की जाय ताकि कमी का सामना करने वाले राज्यों में बीज की उपलब्धता में होने वाली कमी को पूरा किया जा सके।

जोतादार संघंम

[अनुवाद]

4771. श्री पी० एम० सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्षद्वीप के प्रत्येक द्वीप में और अधिक समुद्रीय मत्स्य-स्थाल शीतागार संयंत्रों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस द्वीप के मछुआरों को और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) इस समय केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) मछुआरों के लाभ के लिए द्वीप समूह के लिए मंजूर किए गए विभिन्न प्रोत्साहन/राजसहायता कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं: —

(1) राजसहायता पर मछुआरों को यांत्रिक नौकाएं जारी करना (इंजन की लागत पर 33⅓ प्रतिशत राजसहायता और नौका के हल की लागत पर 20% साजहायता)।

(2) नौकाओं के पुराने इंजनों को प्रतिस्थापित करने के लिए पूरी लागत पर भाड़ा खरीद पद्धति पर मछुआरों को इंजन जारी करना।

(3) 25% राजसहायता से शार्क मत्स्यन के लिए लॉग-लाइन गियर के निर्माण के लिए मछुआरों को लॉग-लाइन मत्स्यन गियर सामग्री जारी करना।

(4) 20 मी० से कम लम्बी मत्स्यन नौकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एच० एस० डी० आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।

(5) सक्रिय मछुआरों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण योजना जिसमें मृत्यु/अपंगता के मामले में बीमा कवरेज का प्रावधान है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और 20-25% राजसहायता से और 12% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर नौकाओं, जालों आदि जैसे मत्स्यन आदानों की खरीद के लिए मछुआरों की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देता है। तथापि, लक्षद्वीप में मछुआरों की सहकारी संस्थाओं ने अभी तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से किसी सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

विजयवाड़ा में नया पासपोर्ट कार्यालय

4772. प्रो० उमा रेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। उनकी संख्या, स्थान और समय उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों पर निर्भर करेगा।

विपणन विकास निधि की स्थापना

4773. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का संचालन करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विपणन विकास निधि स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

देश में नक्सलवाद

4775. प्रो० राम कापसे :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या गृह मंत्री देश में व्याप्त नक्सलवाद के बारे में 8 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2182 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग 2 (क) और (ख) से संबंधित जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	(क) 1990-91 के दौरान (जुलाई 1991 तक) नक्सलवादियों द्वारा मारे गये/अपहृत व्यक्तियों की संख्या	(ख) इसी अवधि के दौरान मारे गए/गिरफ्तार किये गये नक्सवादियों की संख्या
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	शून्य	1 व्यक्ति मारा गया और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	318 व्यक्ति मारे गये और 272 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।	66 व्यक्ति मारे गये और 9892 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
3.	मध्य प्रदेश	34 व्यक्ति मारे गए और 21 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।	कोई व्यक्ति नहीं मारा गया और 66 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
4.	तमिलनाडु	शून्य	एक व्यक्ति मारा गया और 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
5.	बिहार	224 व्यक्ति मारे गए और 131 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।	131 व्यक्ति मारे गए और 583 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
6.	महाराष्ट्र	26 व्यक्ति मारे गये और 8 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।	6 व्यक्ति मारे गए और 61 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
7.	केरल	शून्य	कोई व्यक्ति नहीं मारा गया और 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
8.	पश्चिम बंगाल	1 व्यक्ति मारा गया और शून्य व्यक्ति का अपहरण किया गया।	11 व्यक्ति मारे गए और 48 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
9.	उड़ीसा	एक मारा गया और शून्य व्यक्ति का अपहरण किया गया।	शून्य

टिप्पणी : 5 शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने शून्य सूचना भेजी है।

कम्बार गैस आधारित विद्युत परियोजना को गैस की सप्लाई

4776. श्री शंकर सिंह वघेला :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री सोमजी भाई डामोर :

श्री हरिन पाठक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धार गैस आधारित विद्युत परियोजना को उनकी आवश्यकता के अनुसार गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार गैस की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गंधार में गैस पर आधारित दो विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रत्येक 1.: एम० एम० एस० सी० एम० डी० का आवंटन किया गया है।

तेल मूल्य समीक्षा समिति

[हिन्दी]

4777 श्री खारे लाल जाटव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्य समीक्षा समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कारंवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1991 में सरकार को प्रस्तुतत कर दी है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

मद्य निषेध और नशाखोरी के निवारण हेतु स्वयंसेवी संगठन

[अनुवाद]

4778. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-9. के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत मद्य निषेध और नशाखोरी के निवारण के लिए राज्यवार दी गई सहायता अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित माध्यम से मानिटर किया जा रहा है :—

(1) स्वयंसेवी संगठनों से निष्पादन रिपोर्टें।

(2) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा संगठनों के क्षेत्र दौरे।

(3) निरीक्षण कराकर राज्य सरकार द्वारा मानिटरिंग।

(4) कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वयंसेवी संगठनों के साथ वार्षिक बैठकें/सम्मेलन।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों को मद्य निषेध और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान 30-1-92 तक राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए सहायता, अनुदान का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,960
2.	आसाम	12,915
3.	बिहार	25,54,500
4.	गोवा	2,66,314
5.	गुजरात	15,92,505
6.	हरियाणा	21,74,234
7.	जम्मू और कश्मीर	5,39,509
8.	कर्नाटक	2,79,720
9.	केरल	13,86,494
10.	मध्य प्रदेश	16,60,288
11.	मध्य प्रदेश	16,55,232
12.	मणिपुर	21,17,596
13.	मेघालय	1,24,550
14.	मिजोरम	8,61,497

1	2	3
15.	नागालैंड	89,100
16.	उड़ीसा	6,01,172
17.	पंजाब	2,29,983
18.	राजस्थान	35,62,423
19.	सिक्किम	15,822
20.	तमिलनाडु	11,24,845
21.	त्रिपुरा	79,937
22.	उत्तर प्रदेश	20,18,252
23.	पश्चिम बंगाल	30,43,685
24.	चंडीगढ़	57,800
25.	दिल्ली	52,93,784
26.	पांडिचेरी	1,10,700

वैध कागजातों के बिना देश में रहने वाले विदेशी

4779. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री नरेश कुमार बालियान :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में वैध कागजातों के बिना रहने वाले/नियत अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों की संख्या का राष्ट्रीयता-वार राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में नियत अवधि से यह अवधि एक वर्ष से कम है और कितने मामलों में एक वर्ष से अधिक है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल के भंडार

4780. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को देश के विभिन्न भागों में तेल के विशाल भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर मिले हैं; और

(ग) इन भंडारों से तेल निकालने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक देश में असंख्य अपतटीय तथा तटवर्ती स्थानों में 3767.83 मि० मी० टन के तेल के भंडारों को स्थापित किया है जिनमें से दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार 1033.10 मि० मी० टन को वसूली योग्य निर्धारित किया गया है।

स्थापित तेल के भंडारों से अन्वेषण की दर में वृद्धि करने के लिए सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के नीलम, मुक्ता तथा पन्ना तेल क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं को और बम्बई हाई क्षेत्र के एल-II तथा एल-III रिज़र्वायर के अतिरिक्त विकास के लिए परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है।

भोपाल में जल संभर विकास केन्द्र

[हिन्दी]

4781. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की सहायता से भोपाल में जल संभर विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के अन्तर्गत कितना क्षेत्र सम्मिलित किये जाने का विचार है; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक कार्य शुरू कर देने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत के वर्षा पोषित क्षेत्र में जल-संभर आधारित स्थायी कृषि प्रणाली का विकास शीर्षक एक जन परियोजना (अम्ब्रेला प्रोजेक्ट), जिसमें प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना का घटक शामिल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए शुरू की गई है।

पुर्तगाल के राष्ट्रपति की यात्रा

[अनुवाद]

4782. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

श्री साईमन मरांडी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के राष्ट्रपति हाल ही में भारत आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों की बीच राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कोई नई पहल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) राष्ट्रपति सोरं की राष्ट्रपति; प्रधान मंत्री और अन्य भारतीय नेताओं के साथ हुई बैठकों में यह सहमति हुई थी कि नियमित रूप से राजनैतिक वार्ता जारी रखी जाए और तीसरे देशों में व्यापार, निवेश और संयुक्त उद्यमों में वृद्धि करते हुए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों में व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाए।

इस यात्रा के दौरान व्यावसायिक मामलों में सहयोग के लिए "फिक्की" और पुर्तगाल के विदेश व्यापार संस्थान के बीच एक करार सम्पन्न हुआ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास

4783, श्री इरा अन्बारासु :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मद्रास में दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री : (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामले

4784. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी महिलाओं को दोषी पाया गया है; और

(घ) उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली में दर्ज हुए मामलों तथा उनकी जांच-पड़ताल के निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सूचित हुए मामले	न्यायालय को भेजे गए मामले	दोष सिद्ध	दोष मुक्त	विचारणाधीन लंबित मामले	जांच पड़ताल हेतु मामले	दोष सिद्ध हुए व्यक्ति
1989	117	117	53	1	63	—	219
1990	192	192	86	3	103	—	214
1991	170	163	32	3	128	7	73
1992 (16-3-92 तक)	41	23	1	—	22	18	2
जोड़ :	520	495	172	7	316	25	508

(ग) न्यायालयों द्वारा जिन 508 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई, उनमें से 494 महिलाएं है।

(घ) उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध हुई महिलाओं सहित बेसहारा महिलाओं की बेहतरी के लिए दिल्ली प्रशासन के पास विभिन्न योजनाएं उपलब्ध हैं।

कश्मीर के संबंध में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन

4785. श्री वी० कृष्णा राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर की सरकार को कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने की प्रक्रिया के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की एक समिति के गठन की कोई मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ऐम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए 31-12-91 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव में जम्मू व कश्मीर की सरकार को कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने की प्रक्रिया के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की एक समिति गठित करने की कोई मांग नहीं की गई। तथापि, हाल ही में जम्मू व कश्मीर में राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है।

कीटनाशकों में मिलावट

4786. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्रीमती रीता वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीटनाशकों में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है;

(ख) 1991 के दौरान ऐसे जिन मामलों का पता लगा है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) विभिन्न राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार कृमिनाशी निरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लगभग 4 प्रतिशत कीटनाशी नमूनों को निकृष्ट वर्ग का पाया गया है।

(ख) विश्लेषित तथा निकृष्ट पाए गए नमूनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) सरकार, किसानों को सुनिश्चित रूप से केवल उत्तम गुणवत्ता वाले कीटनाशी उपलब्ध कराने के लिए पहले ही चिन्तित है। राज्यों ने कीटनाशी अधिनियम 1968 लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अधिसूचित किए है। देश में कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं का जाल-सा बिछा हुआ है, जिसमें राज्यों की 40 ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जिनकी प्रतिवर्ष लगभग 44,800 नमूनों के विश्लेषण की क्षमता है। केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला को सन्दर्भ प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया है।

जो भी ऐसे कीटनाशी, जिसे भ्रामक ब्राण्ड वाली मानी जाए, का आयात करता है, बनाता है,

बेचता है, भण्डारण करता है अथवा बेचने के लिए उसकी प्रदर्शनी लगाता है अथवा वितरण करता है, इस अधिनियम के तहत दण्डनीय है

विवरण

राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कीटनाशियों के नमूनों के विश्लेषण तथा उनके प्रतिपादन के राज्य-वार आंकड़े

1991 (अप्रैल से दिसम्बर)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित नमूने	निकृष्ट पाए गए नमूने (प्रतिशत)
1.	आंध्र प्रदेश	6354	93 (1.5%)
2.	असम	97	1 (1.0%)
3.	बिहार	152	8 (5.3%)
4.	गुजरात	1893	174 (9.2%)
5.	हरियाणा	617	135 (21.9%)
6.	जम्मू व कश्मीर	600	3 (0.5%)
7.	कर्नाटक	1172	72 (6.1%)
8.	केरल	1108	1 (0.1%)
9.	मध्य प्रदेश	553	51 (9.2%)
10.	महाराष्ट्र	1639	140 (8.5%)
11.	मणिपुर	24	शून्य (0.0%)
12.	मिजोरम	प्रयोगशाला कार्य नहीं कर रही है	
13.	उड़ीसा	545	16 (2.9%)
14.	पंजाब	1339	226 (16.9%)
15.	राजस्थान	422	52 (12.3%)
16.	तमिलनाडु	12000	154 (1.3%)
17.	उत्तर प्रदेश	1314	79 (6.0%)
18.	पश्चिम बंगाल	220	3 (1.4%)
19.	पाण्डिचेरी	197	1 (0.5%)
		30286	1209 (4.0%)

टिप्पणी :—जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सारिणी में नहीं हैं, उनमें कोई प्रयोगशाला नहीं है।

गैस के भण्डार

4787. श्री के० वी० तंग्काबालू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान गैस भण्डारों में से कितने प्रतिशत का उपयोग किये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या गैस भण्डारों का उपयोग करने के लिए किसी भारतीय अथवा विदेशी एजेंसियों से भागीदारी करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई संयुक्त क्षेत्र परियोजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1-1-1991 को ज्ञात स्थान भण्डारों का करीब 8%।

(ख) और (ग) तेल एवं गैस के अन्वेषण के लिए बोली के चौथे दौर में भाग लेने के लिए भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है। बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 15-4-1992 है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सियाचिन ग्लेशियर

4789. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में पकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता पुन: आरम्भ करने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) इस्लामाबाद में 30-31 अक्तूबर, 1991 को सम्पन्न भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के पांचवें दौरे में इस बात पर सहमति हुई थी कि सियाचिन के संबंध में बातचीत शीघ्र पुन: शुरू की जानी चाहिए।

(ख) सरकार को आशा है कि इस मसले पर पाकिस्तान के साथ शीघ्र बातचीत होगी।

काजू का उत्पादन और निर्यात

4790. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में काजू का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के काजू का निर्यात किया गया;

(ग) क्या अन्य काजू उत्पादक देशों की तुलना में हमारे देश में काजू के प्रत्येक पेड़ का उत्पादन काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो काजू के प्रत्येक पेड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के राज्यवार काजू उत्पादन का मोटा अनुमान निम्नवत् है :—

	राज्य का नाम	उत्पादन (मी० टन में)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1.	केरल	1,36,900	1,3[illegible],500	1,[illegible]2,[illegible]00
2.	कर्नाटक	2[illegible],680	24,650	25,770
3.	आन्ध्र प्रदेश	34,260	36,580	37,770
4.	उड़ीसा	26,770	28,600	29,100
5.	महाराष्ट्र	24,380	27,130	29,510
6.	गोवा	12,780	13,2[illegible]0	14,100
7.	तमिलनाडु	12,360	12,430	12,470
8.	पश्चिम बंगाल	2,890	3,[illegible]70	3,440
9.	पांडिचेरी	270	270	280
10.	त्रिपुरा*	50	50	50
	अखिल भारत :	2,7[illegible],340	2,85,590	2,[illegible]4,590

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काजू की गिरियों की मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1988-89	33,971	273.68
1989-90 (अनंतिम)	45,807	365.07
1990-91 (अनंतिम)	49,162	441.40

(ग) विभिन्न देशों में काजू की उपज का अनुमान उपलब्ध नहीं है। बहरहाल 1990-91 के दौरान भारत में काजू की उपज 634 कि० ग्रा०/है० है।

(घ) भारत में काजू की उपज बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास दोनों के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काजू की 22 उन्नत किस्में तैयार की हैं तथा काजू के टी० मसकीटो और अन्य कृमियों के लिए प्रभावी नियंत्रण उपाय विकसित किए हैं।

काजू के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के एकीकृत कार्यक्रम के तहत काजू की उपज बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विकासात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्ररोही प्रबंधन द्वारा काजू में सुधार तथा कलमों के उत्पादन के लिए कलम बैंकों की स्थापना करना।

(2) क्लोनल सामग्री से नये क्षेत्र में पौधरोपण।

(3) पादप रक्षण उपायों को अपनाना।

(4) क्लोनल खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन आयोजित करना।

बिहार में जनजातीय उप-योजना

[हिन्दी]

4791. श्री ललित उरांव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनावार कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) क्या बिहार में उक्त योजना से वन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों को भी लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को आवंटित योजनावार राशियाँ निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	योजना का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	लड़कों के लिए होस्टल	—	43.34	—
2.	लड़कियों के लिए होस्टल	—	17.13	68.82
3.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0.53	1.44	9.25

1	2	3	5	6
4.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान	216.67	216.67	215.85
5.	विशेष केन्द्रीय सहायता	2731.50	2931.72	3085.25
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	3550.00	601.00	759.00
7.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	15.55	14.02	19.17

*यह योजना 1989-90 में शुरू की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) लड़कों के लिए होस्टल : सी० एस० एस० के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर 600 सीटों के 12 होस्टलों का निर्माण किया गया है :—

1.	बेरो (रांची)	50 सीटें
2.	खूंटी ,,	,, ,,
3.	बाबी ,,	,, ,,
4.	टोर ,,	,, ,,
5.	अम्का ,,	,, ,,
6.	नामकुम (रांची)	,, ,,
7.	सिसडेगा (गुमला)	,, ,,
8.	सिम्डेगा ,,	,, ,,
9.	केसई ,,	,, ,,
10.	भाण्डू (लोहरदगा)	,, ,,
11.	कुमारडुगी (सिंहभूम)	,, ,,
12.	मंबहोरा ,,	,, ,,

2. लड़कियों के लिए होस्टल : 550 सीटों वाले 9 होस्टल

1.	रातू (रांची)	100 सीटें
2.	बोसनेर ,,	,, ,,
3.	टोटो ,,	50 सीटें

4.	महेशपुर (साहेबगंज)	,,	,,
5.	हेमबेंडा (रांची)	,,	,,
6.	बुंडू ,,	,,	,,
7.	गुमला (गुमला)	,,	,,
8.	चाईबासा (सिंहभूम)	,,	,,
9.	नेतरहाट (पलामू)	,,	,,

3. अनुसंधान और प्रशिक्षण

1989-90 और 1990-91	आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर फेलोशिप देना
1991-92	अनुसंधान कार्य तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

4. विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत बिहार के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

1. फसल पालन
2. भू-संरक्षण
3. लघु सिंचाई
4. मत्स्य पालन
5. पशु पालन
6. दुग्ध विकास
7. सहकारिता
8. ग्रामीण एवं लघु उद्योग
9. शिक्षा
10. परियोजना प्रशासन
11. समाज कल्याण
12. क्रीडा एवं युवा सेवाएं
13. कला एवं संस्कृति

5. बिहार में आदिवासी छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां शामिल किए गए लाभार्थी।

1989-90	3.01 लाख
1990-91	3.25 लाख
1991-92	3.70 लाख

7. स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान

(क) अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद—रातू (बिहार)

(ख) आर०के० मिशन (जमशेदपुर)

(ग) सोसाइटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाईजेशन

(घ) आर० के० मिशन सैनेटोरियम, (रांची)

(ङ) भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर (रांची)।

तमिलनाडु में मद्य निषेध नीति

[अनुवाद]

4792. श्री आर० जीवरत्नम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार को मद्य निषेध लागू करने के कारण राजस्व की हुई हानि को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) उन राज्यों को जो मद्य निषेध लागू करते हैं मुआवजा देने के लिए केन्द्रीय सरकार में कोई योजना नहीं है।

बंगलूर और गुल्बर्गा में डेयरियों का विस्तार

4893. श्री जी० माडेगौडा :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बंगलूर और गुल्बर्गा को दुग्धशालाओं की क्षमता में विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना की लागत क्या है;

(ग) इन डेयरियों की वर्तमान क्षमता और विस्तृत क्षमता क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समस्त विस्तार योजना के लिए धन देना स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इनका विस्तार कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मदर डेरी बंगलौर के लिए 340.42 लाख रुपये, बंगलौर डेरी के लिए 171.50

लाख रुपये तथा गुलबर्गा डेरी विस्तार के लिए 207.56 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

(ग) उपर्युक्त डेयरियों की वर्तमान क्षमता तथा अनुमोदित वर्धित क्षमता निम्नवत है :—

डेरी का नाम	वर्तमान क्षमता	अनुमोदित वर्धित क्षमता
मदर डेरी, बंगलौर	200 हजार लीटर प्रतिदिन	400 हजार लीटर प्रतिदिन
बंगलौर डेरी	150 हजार लीटर प्रतिदिन	350 हजार लीटर प्रतिदिन
गुलबर्गा डेरी	30 हजार लीटर प्रतिदिन	60 हजार लीटर प्रतिदिन

(घ) जी हां।

(ङ) मदर डेरी, बंगलौर, बंगलौर डेरी तथा गुलबर्गा डेरी का विस्तार क्रमश: सितम्बर, 1992, दिसम्बर, 1993 और नवम्बर, 1993 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कनेक्शन

[हिन्दी]

4794. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के कितने कनेक्शन जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : प्राथमिकता के आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शन राज्यवार आधार पर नहीं दिए जाते हैं।

एल० पी० जी० सिलेण्डर

4795. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की मांग को देखते हुए एल० पी० जी० सिलेन्डरों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्थापित सिलिंडर निर्माण क्षमता मांग से अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का उत्पादन

[अनुवाद]

4796. श्री विजय एन० पाटिल :

श्री धर्मभिक्षम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के उत्पादन में हो रही गिरावट को देखते हुए उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। चावल उत्पादन में कमी का कोई रुख नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण करने संबंधी नीति

4777. डा० असीम बाला :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण करने संबंधी नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और उनकी औसत लागत का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आपूर्तियों, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अनेक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) दिनांक 1-4-1988 से 31-3-1991 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान कीमत-नियंत्रण पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण-स्थल की कीमतों की प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम शून्य से लेकर अधिकतम 76.63% तक घटती-बढ़ती रही है।

(घ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 46.425, 49.459 और 49.489 मिलियन टन था। एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख कीमत नियंत्रित पेट्रोलियम मूल उत्पादों की भंडारण-स्थल की कीमतें संलग्न हैं।

विवरण

वर्ष 1990 के बजट से पूर्व और बाद में दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 के बाद और 2ˢ-ˈ-199ˈ से प्रमुख कीमत नियंत्रित पेट्रोलियम सूत्र उत्पादों के भंडारण-स्थल पर कीमत

रु० बिक्री यूनिट

भंडारण-स्थल पर कीमत

उत्पाद	बिक्री यूनिट	दिनांक 20-3-90 से पूर्व	20-3-90 से	15-10-90 से	25-7-91 से पूर्व
1	2	3	4	5	6
एम एस-87	के एल	7594.07	8944.07	11180.09	13416.11
एम एस-93	के एल	7749.48	10944.07	13680.09	16416.11
एच एस डी ओ	के एल	3095.06	3039.06	3798.83	4178.71
एस के ओ (औद्योगिक) प्रयोग	के एल	3039.06	3039.06	3798.83	4178.71
एस के ओ (घरेलू प्रयोग)	के एल	1956.93	1956.93	2446.16	2201.54
एल डी ओ	के एल	3053.97	3053.97	3817.46	4199.21
ए टी एफ (अन्तर्राष्ट्रीय एयरवेजों से इतर)	के एल	5239.85	6560.30	8200.38	9840.46
*नाप्था (उर्वरक प्रयोग)	एम टी	1982.31	1982.31	2477.89	2725.68
*नाप्था (सामान्य प्रयोग)	एम टी	3111.00	3211.00	4013.75	4415.13
*एफ ओ (उर्वरक प्रयोग)	के एल	1320.24	1320.24	1650.30	1815.33
*एफ ओ (सामान्य प्रयोग)	के एल	2903.06	2903.06	3628.83	3991.71
*एल एस एच एस (उर्वरक प्रयोग)	एम टी	1348.70	1348.70	1685.88	1854.47
*एल एस एच एस (सा० प्रयोग)	एम टी	2768.70	2768.70	3460.88	3806.97
एल पी जी (पैक्ट घरेलू)	एम टी	3448.98	3448.98	3448.98	4138.78

1	2	3	4	5	6
एल पी जी (पैक्ट) गैर-घरेलू अनिवार्य एल पी जी (पैक्ड) गैर घरेलू	एम टी	5001.10	5001.10	6251.38	6876.52
गैर-अनिवार्य एलपीजी बल्क	एम टी	6151.39	6151.39	7689.24	8458.16
अनिवार्य एल पी जी बल्क	एम टी	3977.79	3977.79	4972.24	5469.46
गैर-अनिवार्य	एम टी	5127.79	5127.79	6409.74	7050.71
बिटुमिन (बल्क)	एम टी	2574.85	2574.85	3218.56	3540.42
बिटुमिन (पैक्ड)	एम टी	3099.91	3099.91	3874.89	4262.38
मैच वैक्स पैराफिन वैक्स	एम टी	9000.83	9000.83	11251.04	12376.14
1—क्वा.बटी	एम टी	8951.24	11601.24	14501.55	15951.71
पी —1, ग्रेड	एम टी	9050.42	11700.42	14625.53	16088.08
लुब्रीकेंट			तत्कालीन विद्यमान कीमतों पर 25% वृद्धि	तत्कालीन विद्यमान कीमतों पर 25% वृद्धि	दि० 24-7-91 को विद्यमान कीमतों पर 10% वृद्धि

*स्वस पर प्रयोग के अनुसार उत्पाद शुल्क ।

भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्र तथा गैस एजेंसियों का आवंटन

4798. श्री सुधीर सावंत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को राज्यवार, कितनी गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र आवंटित किये गये;

(ग) क्या महिला सहकारी समितियों को भी प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की डीपरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 7½ प्रतिशत रक्षा श्रेणी के लिए आरक्षित है जिसमें भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।

		खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी०
(ख)	1988-89	10	10
	1989-90	15	3
	1990-91	12	3

(ग) और (घ) सरकारी तौर पर गठित चयन एजेंसी के माध्यम से चयनित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए, अन्य बातें समान होने पर, "खुली" श्रेणी में आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों की तुलना में "उपभोक्ता सहकारी समितियों" को प्राथमिकता दी जानी है।

प्राकृतिक तरल गैस का निर्यात

4799. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हजीरा से निकलने वाली प्राकृतिक तरल गैस का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक तरल गैस की बिक्री से कितना राजस्व मिला है और संगत मात्रा में मिट्टी के तेल के आयात पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) इस समझौते का तकनीकी-आर्थिक औचित्य क्या है;

(घ) क्या प्राकृतिक तरल गैस का विभाजन प्रारम्भ करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव सरकार के पास करीब पिछले तीन वर्ष से लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक मंजूरी मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, 222 करोड़ रुपये मूल्य के 0.579 मि० मी० टन एन० जी० एल० का निर्यात किया गया। वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक भारित आयात कीमत के आधार पर, जबकि खर्च 349 करोड़ रुपये हैं जो एस० के० ओ० की उसी मात्रा के आयात पर वहन किया जाएगा।

(ग) से (ङ) पर्याप्त प्रभाजन सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण, एन० जी० एल० निर्यात करना पड़ता है। हजीरा में एन० जी० एल० से मिट्टी के तेल निष्कर्षण के लिए परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एजेंसी विचाराधीन है।

बिक्री विभाग द्वारा ग्राहकों को परेशान किए जाने सम्बन्धी शिकायतें

4800. श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग द्वारा ग्राहकों को परेशान किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री कर के भुगतान को छिपाते पाये गये व्यापारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) बिक्री कर विभाग में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बिक्री कर (दिल्ली प्रशासन) आयुक्त के कार्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहकों को परेशान करने के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या निम्नलिखित बताई है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1988-89	78
1989-90	79
1990-91	50
	207

(ग) शिकायतों पर अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :—

(i)	निलंबित	—	20
(ii)	सतर्कता निदेशालय को भेजे गये मामले	—	32
(iii)	अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति	—	01
(iv)	बर्खास्त	—	06
(v)	अन्य के दंड, जैसे, पद स्तर में कमी करना, विनिन्दित करना तथा वेतन वृद्धि रोकना	—	58
(vi)	मामले जिन पर कार्यवाहियां चल रही हैं	—	91
		कुल—	207

(ख) बिक्री कर का भुगतान छिपाने के 403 मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

1988-89	1989-90	1990-91
129	55	219

ऐसे डीलरों के खिलाफ निम्नलिखित कारंवाई की गई है :—

(i) कर मुक्त खरीदारी करने के लिए संवैधानिक घोषणा के फार्म की सुविधा को बन्द करना।

(ii) पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करना।

(iii) ऐसे दोषी डीलरों के खिलाफ मुकदमे चलाने तथा उनकी जांच-पड़ताल करने के लिए मामलों को पुलिस के हवाले करना।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) डीलरों के शिकायतों का निदान करने के लिए संवैधानिक फार्म जारी करने की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है।

(ii) डीलरों द्वारा बिक्री कर का भुगतान किए गए आंकड़ों का वर्षवार आधार पर संभणकीकरण किया गया है।

(iii) विभाग की एक सतर्कता शाखा के अतिरिक्त, बिक्री कर के आयुक्त जनता की शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं। बिक्री कर के अपर आयुक्त को केन्द्रीय अधिकारी के रूप नामित किया गया है जोकि सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रबोधन कर रहे हैं।

(iv) विभाग की प्रवर्तन शाखा और वसूली शाखा को सुदृढ़ बनाया गया है।

स्वागत कार्यालय

4801. श्री मोहन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में शास्त्री भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन और निर्माण भवन में अलग-अलग कितने विभागों को स्थान दिया गया है;

(ख) इन भवनों में कितने स्वागत कार्यालय हैं और प्रत्येक स्वागत कार्यालय कितने विभागों के लिए हैं;

(ग) क्या सरकार को इन स्वागत कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। और

(घ) यदि हां, तो कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं, जिनकी जांच-पड़ताल की जाती है तथा उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) किए गए उपायों में सामयिक प्रशिक्षण व्यवहार संबंधी तकनीक तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में स्वागत स्टाफ का विशिष्टीकरण तथा सचिवालय सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा जल्दी-जल्दी निरीक्षण और निकट से पर्यवेक्षण करना शामिल है।

विवरण

भवन का नाम	स्वागत कार्यालय का नाम	स्वागत कार्यालयों के ब्यौरे	प्रत्येक स्वागत कार्यालय के अधीन विभागों/कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
शास्त्री भवन	4	(i) गेट नं० 2	7
		(ii) गेट नं० 3	21
		(iii) गेट नं० 4	1
		(iv) गेट नं० 6	3
		जोड़ :	32
उद्योग भवन	4	(i) गेट नं० 2	1
		(ii) गेट नं० 3	3
		(iii) गेट नं० 13	3
		(iv) गेट नं० 13-ए	3
		जोड़ :	10
कृषि भवन	3	(i) गेट नं० 1	3
		(ii) गेट नं० 1-ए	2
		(iii) गेट नं० 6	5
		जोड़ :	10

1	2	3	4
निर्माण भवन	3	(i) गेट नं० 2	4
		(ii) गेट नं० 4	4
		(iii) गेट नं० 5	5
		जोड़ :	13

अर्ध-सैनिक बलों के भर्ती केन्द्र

4802. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अर्ध-सैनिक बलों के बलवार और राज्यवार भर्ती केन्द्र कहां-कहां हैं;

(ख) क्या विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश में एक स्थायी भर्ती केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अर्ध-सैनिक बलों का निर्धारित स्थान पर स्थायी भर्ती केन्द्र नहीं हैं। कांस्टेबलों/राईफलमैनों का पद पर भर्ती, भर्ती करने के प्रयोजन हेतु तैनात विशेष भर्ती दलों द्वारा देश के विभिन्न भागों में की गई भर्ती रैलियों के माध्यम से की जाती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों को प्राकृतिक गैस का आबंटन

4803. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न उद्योगों को आबंटित की गई प्राकृतिक गैस का ब्यौरा क्या है;

(ख) उद्योगों को गैस के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में आठवीं योजना के दौरान और अधिक प्राकृतिक गैस निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी मात्रा में गैस प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कोर क्षेत्र, सर्वोत्तम लाभकारी प्रयोग आदि आवश्यकताओं के आधार पर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और त्रिपुरा में पिछले दो वर्षों में करीब 30 एम० एम० एस० सी० एम० डी० तक आबंटन किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। अद्यतन अनुमानों के अनुसार आठवीं योजना अवधि की समाप्ति तक के० जी० बेसिन में 3.2 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस के उपलब्ध होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय बीज निगम

4804. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीज निगम राज्य बीज निगमों को सहायता देता है; और

(ग) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश बीज निगम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को अपने परिचालन में 898 73 लाख रुपये का घाटा हुआ है। चूंकि 1991-92 के लिए, लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए निगम के लाभ/हानि का लेखा इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। हालांकि, राष्ट्रीय बीज निगम का 10 राज्य बीज निगमों में हिस्सा है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने आंध्र प्रदेश बीज निगम को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

गोवा में अनाज का उत्पादन

4805. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनाज वार गोवा में अनाज का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने क्षेत्र में ये फसलें उगायी गईं;

(ग) क्या प्रति हेक्टेयर उत्पादन औसत राष्ट्रीय उत्पादन के तुल्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) गोवा में पिछले तीन

वर्षों के दौरान हुआ खाद्यान्न उत्पादन, अनाज-वार, इस प्रकार है :—

("000" मीटरी टन में)

फसल	1988-89	1989-90	1990-91
चावल	129.2	138.0	14[illegible].0
रागी	3.3	3.8	3.8
कुल खाद्यान्न	132.5	141.8	148.8

(ख) गोवा में 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान उक्त फसलों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र इस प्रकार था :—

("000" हैक्टेयर में)

फसल	1988-89	1990-90	1990-91
चावल	53.9	53.7	53.5
रागी	3.5	3.6	3.7
खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	57.1	57.3	57.2

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि गोवा में खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है तथापि प्रति हैक्टेयर पैदावार को और अधिक बढ़ाने के लिये गोवा में विभिन्न विकासात्मक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

गोवा में कृषि का विकास

4806. श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गोवा में कृषि के विकास के लिए राज्य में विभिन्न अनुसंधान कार्य किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान गोवा में अनुसंधान संस्थानों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) उन्होंने अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) प्रमुख अनाज की फसलों, बागवानी और बागानी फसलों और पशु धन जिसमें मुर्गी

पालन और मछली पालन भी शामिल है पर किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है। किस्में जैसे अन्नदा चावल, गन्ने की को-7527; लोबिया की सी-152; मूंगफली की जे० एल० 24, काजू; की वेंगुरला 1 और 4; आम की आम्रपाली; पपीते की कुर्ग हनी ड्यू;, भिण्डी की "अर्क अभय",; बैंगन की आई० आई० एच० आर० 21, 12 और एस० एम० 6; टमाटर की एल० ई० 79; मूली की जापानी व्हाइट और अर्क निशान्त; नोल खोल की व्हाइट वियान्ना; काली मिर्च की करीमुण्डा और पन्नियूर 1 और सुपारी की मंगला किस्मों की अधिक पैदावार के लिए सफलतापूर्वक प्रचलित किया गया। सूअर की दो विदेशी नस्लें; खरगोश की सोवियत चिनचिल्ला नस्ल अण्डदायी मुर्गियों की एच० एच० 260 और ब्रायलर (मांसदायी मुर्गियों की) 1 बी० बी० 83 नस्लों और जापानी क्विवल को भी सफलतापूर्वक प्रचलित किया गया। लवण सह्य धान की खेती के लिए प्रौद्योगिकियों, नारियल के तनों से रस निकालने के प्रबन्ध की प्रौद्योगिकियों का भी विकसित किया गया।

(ग) रुपया 67 लाख

(घ) 29-2-92 तक 55 लाख रुपये।

गोवा में दुग्ध उत्पादन

4807. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का विचार गोवा में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गोवा सरकार को सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष और 1992-93 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड गोवा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को वित्तीय सहायता देकर आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत गोवा को पहले से सहायता कर रहा है। आपरेशन फ्लड के अंतर्गत परिकल्पित तकनीकी आदान कार्यक्रम का उद्देश्य गोवा दुग्ध संघ की डेरी सहकारी समितियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है।

(ग) 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने फरवरी, 1992 तक तकनीकी आदान कार्यक्रम के लिए 1.88 लाख रुपये मुहैया किये हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि 1992-93 के दौरान दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित कार्यकलापों के लिए आपरेशन फ्लड के अंतर्गत 24.75 लाख रुपये तथा डेरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत 2.95 लाख रुपये मुहैया किये जाएं।

सुदूर संवेदन तकनीकी द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान

4808. श्री प्रबीन डेका :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग बाढ़ के आसन्न खतरे का पूर्वानुमान लगाने में

व्यापक रूप से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) (क्या) आसन्न प्राकृतिक आपदाओं से जनता को सचेत करने के लिए बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को इन पूर्वानुमानों की सूचनाएं भेजी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो असम में किस प्रशासन तंत्र द्वारा यह कार्य किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) असम में केन्द्रीय जल आयोग के तहत 23 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र का नेटवर्क है।

तेल नीति तैयार करना

4809. श्री के० वी० तंग्काबालू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय अभिज्ञात तेल भंडारों में से केवल चार प्रतिशत का ही विदोहन किया जाता है जब कि अन्य तेल उत्पादक देशों में औसतन 40 प्रतिशत विदोहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या तेल नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं वर्ष। 1990-91 के दौरान, देश में शेष खनन योग्य भंडारों के 4.3% का दोहन किया गया जबकि इसकी तुलना में विश्व का औसत 2.3% है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तकनीकी-आर्थिक परिमापों के आधार पर तेल एवं गैस का उत्पादन इष्टतम स्तर पर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में शिकायतें

[हिन्दी]

4810. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस जारी करने में भेद-भाव करने के

संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को केवल नॉन-प्रोहिबीटेड बोर शस्त्रों के संबंध में शस्त्र-लाइसेंस जारी करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। मौजूदा कानून तथा व्यवस्था की स्थिति और अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाइसेंसों की मंजूरी/नवीनीकरण के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त तैयार करना, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश मे शस्त्रों के लाइसेंस जारी करने के बारे में भेद-भाव करने संबंधी आरोप लगाने के बारे में अभी तक कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नियत धनराशि का उपयोग

[अनुवाद]

4811. श्री रमेश चेन्निथला :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास/कल्याण के लिए प्रत्येक राज्य को योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उनके द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) योजनावार आवंटन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 1991-92 के लिए सूचना संकलित की जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

4812. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के बारे में स्वतंत्रता सेनानियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और;

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए अभी भी लंबित पड़े आवेदनों की श्रेणीवार अर्थात हैदराबाद (निजाम) स्वतंत्रता आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन आदि के अनुसार संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी, हां श्रीमान। सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों से समय-समय पर ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतिम तारीख अर्थात 31.3.82 के बाद प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाए बशर्ते कि उनके साथ सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी प्रमाण संलग्न हों, जिनमें योजना के अनुसार व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम उत्पीड़न सहने तथा देरी के लिए उचित कारण बताए गए हैं।

(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन निर्धारित तारीख अर्थात 31.3.82 तक प्राप्त सभी मामलों पर विचार किया गया और उनका निपटान किया गया। आर्य समाज आंदोलन से संबंधित मामलों के बारे में भी यही स्थिति है। तथापि निर्धारित तिथियों के बाद प्राप्त मामलों और समय-समय पर प्राप्त पुनरिक्षा याचिकाओं पर भी विचार किया जा रहा है; बशर्ते कि वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों, यह एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, हैदराबाद (निजाम) स्वतंत्रता आंदोलनों के संबंध में गैर-सरकारी जांच समिति द्वारा विचार करने के लिए 200 मामले लंबित पड़े हैं, समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसका पुनर्गठन होने के बाद इन आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग चलाने के लिए ऋण देना।

4813. श्री राम विलास पासवान :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिल्ली के पटपड़गंज और नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग चलाने के लिए ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों सहित ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उन अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी है जिन्हें नरेला औद्योगिक परिसर और पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्लाट आवंटित किए गए हैं। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उनकी जांच की जाएगी। ऋण तभी संस्वीकृत किए जाएंगे यदि परियोजनाएं व्यवहार्य हैं तथा निगम की शर्तों को जो कि संलग्न विवरण में दी गई हैं, पूरा करती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग चलाने के लिए ऋण देना

श्री रामविलास पासवान द्वारा 26-3-92 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4813 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निर्धारित शर्तों से संबंधित सूचना

सामान्य शर्तें नीचे दी गई है : 1. गरीबी रेखा स्तर से दुगुना आय वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. आवधिक ऋण : नियत पूंजीगत व्यय के लिए परियोजना लागत के 75% तक माध्यम एजेंसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को 4.5% की दर से प्रति वर्ष ब्याज देता है। इस शर्त के साथ की मूलधन और तत्संबंधी ब्याज का भुगतान समय पर करने के लिए 0.5 प्रतिशत की छूट है तथा अंतत: लाभ ग्राहियों के लिए अधिकतम प्रभार 6.00% प्रतिवर्ष है आवधिक ऋण मोरेटेरियम की अवधि सहित, सामान्यत: अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के भीतर वापस करना होता है।

3. मूल पूंजी : मूल पूंजी समर्थकों के अंशदान में कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है। मूल पूंजी पर 1% प्रति वर्ष सेवा प्रभार लगता है तथा यह 5 वर्ष के भीतर वापस करनी होती है।

3. पुन: वित्त : पुन: वित्त आवधिक ऋण संघटक के 75% तक प्रदान किया जाता है। ब्याज तथा भुगतान की अवधि वही है जो आवधिक ऋण के लिए है।

4. सेतु ऋण : सेतु ऋण आर्थिक सहायता, अनुदान इत्यादि पर संस्वीकृत किया जा सकता है। ब्याज वही है जो आवधिक ऋण के लिए है। अनुदान/आर्थिक सहायता के वितरण के समय पर ही वापिस भुगतान सुनिश्चित करना होता है।

विशिष्ट शर्तों के बारे में प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन के समय निर्णय किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण

4814. श्री रामविलास पासवान :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से सीधे अथवा राजस्थान सरकार और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार के माध्यम से एक लाख रुपए के ऋण मंजूर करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र पृथक-पृथक रूप से मंजूर किए गए। लम्बित पड़े हैं/निरस्त किए गए; और

(घ) लम्बित पड़े आवेदन पत्रों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

1989-90	शून्य
1990-91	राजस्थान-9
	दिल्ली-14
1991-92	राजस्थान-84
	दिल्ली-20

(ग) स्वीकृत लम्बित अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :-

स्वकृति	राजस्थान- 7
	दिल्ली- 13
लम्बित	राजस्थान- 86 (एक सूचना के अभाव में तथा 85 राज्य स्तरीय निगम के माध्यम से प्राप्त न होने के कारण)
	दिल्ली- 21 (राज्य स्तरीय निगम के माध्यम से प्राप्त न होने के कारण)
अस्वीकृत	शून्य

(घ) राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से मिलने तथा अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने के शीघ्र बाद लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।

नक्सलवाद से निपटने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना

4815. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा में नक्सलियों की समस्या से निपटने के लिए किसी नोडल एजेंसी की स्थापना का विचार है जिसका मुख्यालय हैदराबाद होगा;

(ख) यदि हां, तो इनके गठन और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) तारीख 3 अगस्त, 1991 को गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया । इसमें हुए

विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजनाएं तैयार करेंगी, जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाये रखने और विकासात्मक उपाय शामिल होंगे जो इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है। चूंकि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र एक-दूसरे से सटे हुए हैं, अत: यह महसूस किया गया है कि इन चार राज्यों को नक्सलवादी विरोधी उपायों का समन्वयन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस दिशा में चार राज्यों की सरकारी स्तर पर अनुवर्ती बैठकें हुई और उनमें पुलिस कार्रवाई तथा विकासात्मक और प्रशासनिक उपायों के समन्वय के बारे में निर्णय लिए गए।

दिल्ली में दोहरी हत्याएं

4816. श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीने के दौरान महीना-वार दिल्ली में कितनी दोहरी हत्याएं हुई;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली में हुई दोहरी हत्याओं की माहवार, संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	माह	सूचित हुए मामले
1991	सितम्बर	1
1991	अक्तूबर	3
1991	नवम्बर	3
1991	दिसम्बर	1
1992	जनवरी	2
1992	फरवरी	2

(ख) 23

(ग) किये गये उपायों में डिवीजन अधिकारियों और बस्ती कान्स्टेबलों द्वारा वृद्ध दम्पतियों के घरों का नियमित रूप से दौरा लगाना, उनके घरों में डोर चेन/मैजिक आई लगाना, अहम बत्ती लगाना तथा अपने घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा करवाना, इत्यादि, शामिल हैं।

मास्को स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय कर्मचारी

4817. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

डा० लाल बहादुर रावल :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

डा० सुधीर राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात भारतीय कर्मचारी उस देश में हुई हाल की घटनाओं के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उन्हें मिलने वाले विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क), (ख), (ग) और (घ) उस देश में हाल ही की घटनाओं के कारण स्थानीय बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी की वजह से मास्को में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।

चूंकि कई आवश्यक वस्तुएं आयात की जानी होती हैं अथवा उन्हें दुर्लभ मुद्रा दुकानों में खरीदा जाना होता है अत: सभी परिलब्धियां दुर्लभ मुद्रा में देने के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

खाद्यान्न उत्पादन

4818. श्री एच० डी० देवगौड़ा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, रागी, अनाज, कपास तथा तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में इन फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार और उत्पादकता दर कितनी है; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में इन फसलों की कुल कितने क्षेत्र में खेती की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल, रागी, अनाज, कपास तथा कुल तिलहनों के राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन तथा प्रति हैक्टेयर उपज को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं।

विवरण-I

गेहूं के क्षेत्र और उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (कि० ग्रा०/हैक्टेयर)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	11.9	10.8	12.3	9.5	8.5	10.0			
अरुणाचल प्रदेश	3.7	3.4	3.5	4.5	6.4	6.7			
असम	106.3	93.1	84.0	122.3	87.5	104.8	1151	940	1248
बिहार	2112.0	1988.1	1965.0	3557.0	3270.2	3539.8	1684	1645	1801
गुजरात	648.8	619.1	717.0	1512.5	1101.7	1443.7	2331	1780	2014
हरियाणा	1827.0	1859.0	1851.0	6225.0	5913.0	6440.0	3407	3181	3478
हिमाचल प्रदेश	373.0	370.7	376.3	512.5	548.7	601.7	1374	1467	1599
जम्मू और कश्मीर	242.7	226.2	226.2	245.6	262.2	262.2	1012	1159	1159
कर्नाटक	237.5	247.9	198.1	166.3	89.3	90.3	700	360	456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	3666.9	3283.9	3738.8	4797.4	4119.7	5550.3	1308	1255	1485
महाराष्ट्र	879.0	841.9	873.4	1043.2	907.1	918.7	1187	1877	1052
मेघालय	4.6	4.6	4.6	6.7	5.9	5.9			
उड़ीसा	39.6	37.7	34.3	69.3	64.9	59.0	1750	1721	1720
पंजाब	3158.0	[illegible]	3272.0	11580.0	11081.0	12156.0	3667	3593	3715
राजस्थान	1760.8	1650.4	1814.1	3964.1	3400.1	4388.5	2240	2060	2375
सिक्किम	11.5	12.1	13.0	17.0	20.3	21.6	1534	1678	1662
तमिलनाडु	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
त्रिपुरा	3.4	3.6	3.7	6.1	6.6	6.9			
उत्तर प्रदेश	8702.3	8637.5	8489.6	19611.3	17684.1	18355.5	2254	2047	2162
पश्चिम बंगाल	300.1	326.7	269.1	625.0	569.0	530.2	2083	1742	1978
दादर एवं नागर हवेली	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.3			
दिल्ली	10.8	38.9	31.0	33.6	107.8	110.9	3111	3180	3577
अखिल भारत :	24109.1	32601.9	32977.2	64110.2	49849.5	54522.1	2244	2121	2274

विवरण-II

बाजरा के क्षेत्र और उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (कि० ग्रा०/हैक्टेयर)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	281.9	258.8	234.6	196.5	181.6	170.1	697	703	725
बिहार	9.7	9.6	9.5	6.5	4.7	4.8	670	490	505
गुजरात	1489.1	1331.6	1152.3	1487.5	1325.3	1024.6	999	995	889
हरियाणा	786.0	621.0	608.0	958.0	432.0	525.0	1219	696	863
जम्मू और कश्मीर	14.5	16.9	16.9	5.4	7.9	7.9	372	467	467
कर्नाटक	461.8	514.2	424.5	202.7	281.2	204.6	437	547	482
मध्य प्रदेश	174.7	169.9	173.8	157.5	134.1	153.1	902	789	881
महाराष्ट्र	1963.7	1912.7	1927.0	900.5	1204.5	1114.8	459	630	578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	7.5	7.2	6.8	6.2	6.0	5.6	927	833	824
पंजाब	16.0	11.0	11.0	13.0	10.0	12.0	813	909	1091
राजस्थान	5707.9	4927.8	4845.6	2694.2	1829.8	2516.4	472	371	519
तमिलनाडु	289.0	272.0	264.5	303.1	324.2	313.1	1049	1192	1184
उत्तर प्रदेश	835.1	843.4	766.5	839.8	903.1	850.9	1006	1071	1110
पश्चिम बंगाल	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	500	667	750
दिल्ली	5.4	2.7	4.8	3.1	2.9	2.7	574	1074	568
दमन एवं दीव	0.3	—	0.3	4.5	0.1	0.4	15000	—	1333
पांडिचेरी	0.4	0.9	0.7	1.1	1.5	1.2	2750	1667	1714
अखिल भारत :	12045.7	10899.6	10447.2	7779.7	6649.1	6907.0	646	610	661

विवरण-III

ज्वार (कुल) के क्षेत्र और उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मी० टन)			उपज (कि० ग्रा०/हैक्टेयर)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	1313.5	1310.7	1245.2	612.8	902.4	904.4	467	688	726
बिहार	4.7	5.7	4.4	2.6	2.6	2.2			
गुजरात	780.8	872.7	852.7	425.1	433.3	379.0	544	497	444
हरियाणा	154.0	109.0	129.0	39.0	27.0	64.0	253	248	496
कर्नाटक	2105.8	2838.9	2155.8	1537.6	1627.8	1335.8	730	696	620
केरल	2.6	4.1	4.2	1.3	2.1	2.1	520	512	500
मध्य प्रदेश	1810.5	1748.0	1731.6	1635.3	1737.0	1555.3	903	994	898
महाराष्ट्र	8185.1	6427.8	6331.1	4[illegible]77.9	6635.1	5948.0	692	1032	939
उड़ीसा	30.0	28.2	26.6	23.9	20.3	20.8	797	720	782
पंजाब	3.1	0.5	0.3	3.1	0.5	0.3	1000	1000	1000
राजस्थान	1042.8	826.9	928.9	539.4	327.6	515.1	517	396	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	592.7	583.7	544.9	561.0	562.9	650.0	947	964	1193
उत्तर प्रदेश	555.3	571.0	526.5	503.0	615.0	493.0	906	1077	936
पश्चिम बंगाल	0.6	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	500	500	571
दादर एवं नागर हवेली	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.6	833	800	750
दिल्ली	17.3	9.6	14.9	7.6	4.6	6.7	439	479	450
अखिल भारत :	14599.3	14837.9	14497.6	10 .70.4	12898.4	11877.7	697	869	819

विवरण-IV

चावल (कुल) के क्षेत्र तथा उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	4217.7	4206.6	4005.9	10621.1	9959.1	9808.3	2516	2367	2448
अरुणाचल प्रदेश	120.6	121.3	121.8	135.8	138.8	142.5	1126	1144	1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	2301.3	2435.1	2490.0	2439.3	2794.8	3270.2	1060	1148	1313
बिहार	5308.6	5285.6	5393.3	6351.0	6348.9	6553.0	1196	1201	1215
गोवा	53.6	58.7	52.5	129.2	138.0	145.0	2410	2570	2710
गुजरात	535.6	601.0	530.7	866.0	817.3	791.1	1617	1360	1491
हरियाणा	599.0	621.0	657.0	1437.0	1698.0	1853.0	2399	2734	2778
हिमाचल प्रदेश	84.9	88.7	84.9	87.9	94.5	106.5	1035	1065	1254
जम्मू व काश्मीर	264.0	273.5	273.5	279.6	549.2	549.2	2195	2008	2008
कर्नाटक	1237.7	1183.4	1166.2	2509.6	2376.9	2417.5	2028	2009	2073
केरल	577.5	578.2	559.4	1006.5	1073.6	1086.6	1743	1857	1942
मध्य प्रदेश	5009.3	5005.4	5061.9	4666.8	4492.6	5984.1	932	898	1176
महाराष्ट्र	1545.1	1519.3	1581.9	2062.1	2318.8	2313.7	1716	1526	1463
मणिपुर	1167.1	162.4	157.4	275.6	245.1	274.2	1649	1509	1742
मेघालय	109.7	104.4	103.7	105.6	116.7	119.8	963	1118	1155
मिजोरम	50.6	53.0	51.3	54.7	59.2	63.8	1081	1117	1244
नागालैंड	124.0	127.4	127.4	130.0	150.0	166.3	1048	1177	1227
उड़ीसा	4282.0	4891.5	4403.7	5296.5	6284.3	6275.0	1237	1431	1198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	1778.0	1908.0	2024.0	4945.0	6697.0	6535.0	2770	3510	3229
राजस्थान	130.7	119.0	120.1	185.8	151.1	141.5	1422	1270	1178
सिक्किम	18.0	19.1	19.3	18.6	23.0	23.5	1033	1204	1218
तमिलनाडु	1887.4	1963.2	1872.9	5590.0	6063.4	5761.7	2962	3089	3076
त्रिपुरा	278.4	250.2	274.0	457.5	459.1	501.3	1643	1835	1830
उत्तर प्रदेश	5377.9	5425.9	5584.6	9287.5	9476.9	10195.0	1727	1747	1826
पश्चिम बंगाल	5622.0	5614.3	5812.9	10559.8	10923.6	10436.4	1878	1946	1795
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12.8	12.6	12.2	23.6	30.7	30.6	1844	2602	2508
दादरा और नागर हवेली	11.9	11.8	12.5	22.8	21.9	18.4	1916	873	1472
पांडिचेरी	25.6	25.1	24.8	62.9	57.7	57.3	2457	2299	2310
दमन और दीव	1.3	2.7	2.7	1.6	4.4	6.2			
दिल्ली	3.5	3.3	3.3	9.3	8.4	1.8			
अखिल भारत :	41735.8	42166.9	42596.3	70488.7	73572.6	74588.8	1689	1745	1751

विवरण-V

रागी के क्षेत्र तथा उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	1888 89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	168.1	171.0	168.3	171.0	207.8	194.5	1017	1215	1171
बिहार	106.7	104.3	97.6	67.1	80.2	88.2	629	769	904
गोवा	3.5	3.6	3.7	3.3	3.8	3.8			
गुजरात	33.2	33.0	29.9	29.8	26.9	25.4	868	815	849
हिमाचल प्रदेश	5.9	6.4	6.0	2.3	4.4	4.1			
कर्नाटक	1150.4	1167 3	1052.1	1176.0	1399 4	1039.9	1024	1199	988
केरल	1.5	1.8	1.8	1.2	1.5	1.5			
मध्य प्रदेश	16.3	16.4	16.3	4.4	4.6	4.7			
महाराष्ट्र	205 0	206.6	207.5	227.3	217.0	213.8	1109	1050	1030
उड़ीसा	260.6	245.5	242.8	253.2	241.2	216.5	972	982	892

1	2	3		5	6	7	8	9	10
सिक्किम	5.7	6.5	7.0	5.4	6.7	6.4			
तमिलनाडु	193.0	201.5	171.9	273.4	356.0	321.3	1417	1767	1869
उत्तर प्रदेश	149.2	162.3	159.2	174.5	200.1	194.2	1170	1233	1220
प० बंगाल	14.9	13.6	13.1	12.9	12.1	10.9	866	890	832
दादरा और नागर हवेली	2.8	2.7	2.8	2.9	3.5	3.6			
पांडिचेरी	0.5	0.5	0.4	2.0	1.3	1.2			
अखिल भारत	2317.3	2343.0	2177.4	2409.7	2766.5	2330.0	1040	1181	1070

विवरण-VI

कुल केलों के क्षेत्र तथा उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	6535.9	6476.1	6174.5	1220.7	12089.8	11917.7	1868	1867	1930
अरुणाचल प्रदेश	176.4	181.8	182.7	197.4	209.4	214.3	1119	1152	1173
असम	2435.0	255[illegible]	2605.1	2577.3	2900.1	3393.3	1058	1134	1303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	8368.8	8220.7	8253.3	11160.5	10998.4	11334.1	1334	1338	1373
गोवा	57.1	57.3	57.2	132.5	141.8	148.8	2320	2475	2601
गुजरात	3932.1	3842.2	3691.2	4834.3	4270.4	4217.0	1229	1098	1143
हरियाणा	3474.0	3299.0	3341.0	8830.0	8223.0	9038.0	2542	2493	2705
हिमाचल प्रदेश	825.1	824.9	831.6	1126.1	1358.1	1420.7	1365	1646	1708
जम्मू व कश्मीर	839.3	838.9	888.9	1286.4	1281.4	1281.4	1532	1527	1527
कर्नाटक	5667.6	5909.7	5400.2	6364.8	6562.1	5769.9	1123	1110	1068
केरल	684.1	687.1	668.4	1011.3	1079.6	1092.6	1730	1839	1922
मध्य प्रदेश	12911.6	12438.7	12960.6	12841.2	12341.2	14927.7	995	992	1153
महाराष्ट्र	11091.9	11145.5	11442.2	9248.1	11607.3	10740.3	843	1032	964
मणिपुर	173.1	167.2	162.0	287.8	260.0	285.6	1668	1555	1763
मेघालय	135.3	130.6	129.8	136.0	148.6	150.2	1005	1138	1157
मिज़ोरम	56.5	59.9	67.9	64.2	68.3	74.9	1136	1140	1294
नागालैंड	146.7	160.3	160.6	149.3	170.0	186.5	1018	1131	1161
उड़ीसा	4876.9	4958.2	4945.1	5893.1	6856.8	5786.9	1208	1383	1170
पंजाब	8250.1	5419.5	6682.3	16987.1	18886.5	19140.3	3226	3485	3460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	9829.4	8717.2	8958.7	9034.3	7377.3	9231.6	919	846	1030
सिक्किम	76.7	78.8	81.2	100.0	109.0	114.4	1304	1383	1409
तमिलनाडु	3210.3	3271.3	3 48.2	6965.8	7479.1	7185.8	2170	2286	2357
त्रिपुरा	281.8	263.8	277.7	463.6	465.7	508.2	1645	1835	1830
उत्तर प्रदेश	17483.0	17628.6	17437.6	32640.3	31553.1	32684.7	1867	1790	1874
पश्चिम बंगाल	6018.6	6034.9	6181.7	11306.6	11644.0	11076.7	1880	1929	1792
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12.8	12.6	12.2	23.6	30.7	306	1844	2437	2508
दादर और नागर हवेली	16.2	15.8	16.7	28.3	26.8	23.3	1747	1696	1395
दिल्ली	37.8	50.2	54.6	53.9	125.1	123.5	1426	2492	2262
दमन और दीव	1.6	2.7	8.0	6.1	4.5	6.6			
पांडिचेरी	26.6	26.5	25.9	66.0	60.5	59.7	2491	2283	2305
अखिल भारत :	104527.5	103358.0	103121.1	156072.5	158178.6	162165.3	1493	1530	1673

विवरण-VII

कपास के क्षेत्र तथा उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)			उत्पादन (प्रत्येक 170 कि॰ ग्रा॰ की हजार गांठें)			उपज (कि॰ ग्रा॰/हेक्टेयर)		
	1988-89	1889-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	628.2	649.1	657.0	665.6	931.3	1101.6	153	244	285
असम	2.5	2.3	2.2	1.1	1.1	1.0			
बिहार	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3			
गुजरात	11090.9	11877.2	921.0	1469.9	1755.5	11322.9	229	251	244
हरियाणा	433.0	468.0	489.0	845.0	1183.0	1150.0	332	430	400
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2			
जम्मू व कश्मीर	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5			
कर्नाटक	654.4	697.3	595.9	895.8	923.1	654.1	233	225	187
केरल	5.0	6.3	6.6	8.3	10.4	10.7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	561.9	576.8	587.1	354.1	411.8	380.6	107	121	110
महाराष्ट्र	2627.7	2635.5	2730.2	1373.3	2211.4	1880.3	89	143	117
मणिपुर	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3			
मेघालय	6.9	7.3	7.4	4.2	5.3	5.4			
मिजोरम	0.4	0.4	0.9	1.2	2.0	2.4			
नागालैंड			0.1			0.1			
उड़ीसा	6.6	7.8	6.5	8.6	10.9	8.2			
पंजाब	758.0	732.0	701.0	2118.0	2454.0	1909.0	475	570	463
राजस्थान	299.4	434.2	454.6	600.8	986.4	918.3	341	386	343
तमिलनाडु	243.7	267.5	217.2	476.2	511.7	392.7	332	325	307
त्रिपुरा	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0			
उत्तर प्रदेश	20.9	19.2	15.7	16.7	18.4	17.3	136	163	187
पश्चिम बंगाल		0.2	0.2		0.1	0.1			
पांडिचेरी	1.0	1.3	1.0	3.0	3.2	2.4			
अखिल भारत :	7342.6	7694.8	7395.5	8743.7	11421.8	9759.3	202	252	224

विवरण-VIII

1990-91 में कुल तिलहनों के क्षेत्र तथा उत्पादन का प्राक्कलन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (हजार मीटरी टन)			उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	1989-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2966.2	2912.8	3103.9	2310.4	2266.0	2683.5	779	778	865
अरुणाचल प्रदेश	19.5	20.6	21.2	15.4	17.8	19.8			
असम	347.7	327.5	319.7	166.5	146.2	169.3	479	446	530
बिहार	211.2	235.8	241.4	119.4	140.1	149.4	565	594	619
गोवा	0.9	1.0	0.7	1.4	1.5	1.0		1500	1429
गुजरात	2427.3	2817.4	2714.8	3594.3	2486.9	2106.2	1481	883	776
हरियाणा	391.0	445.7	497.0	483.0	435.8	659.6	1239	978	1327
हिमाचल प्रदेश	21.2	20.3	18.1	4.9	4.9	5.0			
जम्मू व कश्मीर	64.4	69.3	69.3	28.5	43.4	43.4	443	626	626
कर्नाटक	2304.5	2260.4	2495.8	1391.4	1404.8	1323.8	604	621	530
केरल	26.5	24.1	25.0	18.6	11.6	12.5	702	481	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	3218.0	8617.9	3770.8	2347.7	2364.4	2984.5	730	654	791
महाराष्ट्र	2737.9	2664.7	2845.6	1702 3	1835 2	1892.7	622	689	666
मणिपुर	3.[illegible]	2.4	2.6	1.8	1.2	[illegible].3			
मेघालय	8.8	8·7	8.9	4 9	5.4	5.4			
मिज़ोरम	2.8	2.8	5.5	2.0	2.7	6.5			
नागालैंड	11.5	13.3	16 5	6.6	10.9	14.7			
उड़ीसा	1097.1	1127.0	1151.2	860.5	86.65	900.4	784	769	782
पंजाब	155.2	142.2	115.7	144.4	132.2	110.8	930	930	958
राजस्थान	2270.2	2526.1	3079.1	1917.2	1845.6	2354.7	815	731	765
सिक्किम	12.4	14.7	13.5	12.8	15.1	14.4			
तमिलनाडु	1253.4	1269.7	1126.1	1321.2	1304.4	1206.1	1054	1027	1071
त्रिपुरा	10.3	14.4	14.0	6.8	10.2	10.3			
उत्तर प्रदेश	1833.8	1764.0	1832.9	1160.9	1146.9	1329.8	533	650	726
पश्चिम बंगाल	492.9	488.9	513.7	403.8	418.0	453.8	819	856	883
दादर और नागर हवेली	0.5	0.4	0.3	0.2	0 2	0.1			
दिल्ली	4.4	4.5	7.2	0.7	0.8	1.1			
पाण्डिचेरी	4.3	3.0	2.5	4.9	4.7	3.9			
अखिल भारत।	21896.6	22799.5	24013.7	18033.2	16923.7	18464.0	824	742	769

तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

4819. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों में आत्मनिर्भरता और विश्व तिलहन व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े औद्योगिक, गृह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रमुख तिलहनों के प्रसंस्करण कार्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका लघु उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या तिलहनों की पिराई के लिए कोई उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) (क) जी हां।

(ख) तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन ने तिलहन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और इस क्रम से निर्यात में वृद्धि करने के लिए चतुर्दिक रणनीति, जिसमें फसल उत्पादन, कटाई-पश्चात की प्रौद्योगिकी, कृषक सेवा/निवेश और मण्डी हस्तक्षेप/मूल्य समर्थन शामिल है, के साथ एक समग्र नीति विकसित की है।

(ग) जी हां।

(घ) औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख तिलहनों, अर्थात् सरसों/तारामीरा, मूंगफली और तिल, का परिसंस्करण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

(ङ) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तेल और खली की वसूली और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक उन्नत तेल निष्कर्षक विकसित किया है।

कृषि वृद्धि दर

4820. श्री पी० सी० नारायणन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है;

(ग) सन् 2000 तक खाद्यान्नों की आवश्यकता की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की संयुक्त वृद्धि दर

3.5% प्रतिवर्ष आंकी गई थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 3% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होने की आशा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के निरुपण के समय की गई गणना के आधार पर सन् 2000 ई० के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता अनुमानत: लगभग 240 मिलियन टन होगी।

(घ) खाद्यान्न में तथा समग्ररूप से कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम,-गेहूं, दलहन तथा मक्का और कदन्न, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तेलहन विकास कार्यक्रम, समन्वित कपास विकास कार्यक्रम, समन्वित चावल विकास कार्यक्रम, समन्वित पटसन विकास कार्यक्रम और उथले नलकूप/खुदे कुओं के निर्माण के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों को सहायता आदि शामिल है।

बारानी खेती तथा मृदा संरक्षण कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जायेगा जिसमें विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में भू-जल का उपयोग भी सम्मिलित है। कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण तथा कृषि निवेश आपूर्ति प्रणाली में सुधार करना प्रस्तावित है।

नई राष्ट्रीय बीज नीति

4821. श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बीज नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तिलहनों के अधिक पैदावार देने वाले बीजों का विकास

4822. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने वनस्पति तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन बीजों का कृषि कार्यों में उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी प्रति हेक्टेयर उपज क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) (क) जी हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान नौ वार्षिक तिलहनों की जैव तथा/अथवा अजैव दबावों के लिए प्रतिरोधी/सहिष्णु 88 सुधरी किस्में विकसित की गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अग्र पंक्ति प्रदर्शनों के तहत सिफारिश की गई किस्मों की प्रति हेक्टेयर पैदावार निम्नलिखित है :

फसल	कि० ग्रा०/हेक्टेयर में पैदावार
मूंगफली	
खरीफ	825-1500
रबी/गर्मी	1900-3700
तोरिया/सरसों	1645-3500
सूरजमुखी	1000-1500
सोयाबीन	2000-2500
कुसुम	1100-1840
अलसी	563-1420
तिल	430-800
अण्डी (संकर)	2000-2888

गैर-पारम्परिक तिलहनों की खेती

4823. श्री आर्च कर्णान्डीज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-पारम्परिक तिलहनों की खेती को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-पारम्परिक तिलहनों की खेती से विदेशी मुद्रा में बचत होने की सम्भावना है तथा इससे खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी लाने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) से (घ) कल्याण मन्त्रालय वृक्ष और वन मूल के तिलहनों के संचयन, परिसंस्करण, भण्डारण, विकास और विपणन में वृद्धि करने के लिए एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस समय योजना में गैर-परम्परागत तिलहनों की खेती के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय गैर-परम्परागत तिलहन देशी खाद्य तेल के मुख्य स्रोत नहीं हैं। तथापि, यदि भविष्य में गैर-परम्परागत तिलहनों से खाद्य तेल की देशी उपलब्धता में

काफी वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि से विदेशी मुद्रा को बचाने में सहायता मिलेगी और खाद्य तेल के मूल्यों में भी कमी होगी।

तिलहन का उत्पादन

4824. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन के उत्पादन के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना प्राप्त किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में तिलहन के उत्पादन के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तिलहनों का उत्पादन किन-किन राज्यों में बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1991-92 के लिए 185 लाख मीटरी टन का लक्ष्य है। 1992-93 के लिए योजना आयोग ने अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित करके तिलहन उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

1988-89 से 1991-92 तक तिलहन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के लक्ष्य और उपलब्धि

(लाख मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.9	23.10	22.0	22.66	24.00	26.83
2.	असम	1.8	1.67	2.0	1.46	2.00	1.69
3.	बिहार	2.2	1.19	2.5	1.40	2.00	1.50
4.	गुजरात	23.7	35.94	24.0	28.87	30.00	21.06
5.	हरियाणा	3.2	4.84	3.8	4.36	5.00	6.50
6.	कर्नाटक	16.0	13.91	16.5	14.05	15.00	13.24
7.	मध्य प्रदेश	17.2	28.48	17.5	23.64	25.00	29.84

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	महाराष्ट्र	15.4	17.02	15.5	18.35	18.00	18.93
9.	उड़ीसा	9.2	8.61	9.6	8.67	8.50	9.00
10.	पंजाब	3.2	1.44	3.3	1.32	2.00	1.11
11.	राजस्थान	12.8	19.17	13.3	18.46	18.00	23.56
12.	तमिलनाडु	14.00	13.21	15.0	13.05	12.00	12.06
13.	उत्तर प्रदेश	13.5	11.61	14.00	11.47	13.00	13.30
14.	पश्चिम बंगाल	3.00	4.04	5.0	4.18	4.00	4.54
15.	अखिल भारत	156.5	180.33	165.0	169.24	180.00	184.64

गेहूं और गन्ने का उत्पादन लागत

4825. श्री चावं फर्नान्डीज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गेहूं और गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादन लागत कितनी थी; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन फसलों का कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में गेहूं और गन्ने की खेती की प्रति हैक्टेयर लागत उपलब्ध वर्षों के लिए नीचे दी गई है :—

खेती की लागत (रुपये में)

राज्य	वर्ष	
	1988-89	1989-90
गेहूं		
हरियाणा	4967.86	—
पंजाब	6686.22	6991.52
गन्ना		
महाराष्ट्र	16067.69	18612.90

(ख) गन्ने और गेहूं का उत्पादन

(उत्पादन हजार मी० टन में)

वर्ष	गेहूं	गन्ना
1988-89	54110.2	203036.8
1989-90	49849.6	225569.2
1990-91	54522.1	240287.1

डीजल पर उत्पाद शुल्क

4826. श्री अन्ना जोशी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से गरीबी गहरी मछली पकड़ने की नौकाओं में उपयोग किये जाने वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट दी थी;

(ख) क्या इस समय यह छूट नहीं दी जा रही; है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, 20 मीटर से कम की लम्बाई वाली मत्स्यन नौकाओं के लिये सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के डीजल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले और उक्त नौकाओं के लये प्रयुक्त होने वाले डीजल आयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति दी जाती है। इसकी लागत का वहन केन्द्र और राज्य द्वारा 80:20 के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान यह रियायत दी जा रही है।

पाकिस्तान को परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई

4827. श्री प्रवल कुमार पटेल :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तजाकिस्तान तथा स्वतंत्र गणराज्यों के राष्ट्रकुल द्वारा पाकिस्तान को परिष्कृत यूरेनियम तथा आधुनिक सैन्य सामान की सप्लाई के बारे में हाल में प्रकाशित रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश (मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) हालांकि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के गणराज्यों से नाभिकीय हथियारों के ग्रेड की सामग्री की अनधिकृत बिक्री होने की रिपोर्टों का संबंधित प्राधिकारियों ने खण्डन किया है, फिर भी जहां तक पारम्परिक हथियारों का संबंध है कुछ गणराज्यों ने ऐसा संकेत दिया है कि वे वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुरूप निर्यात करते रहेंगे। तथापि, पाकिस्तान को की गई ऐसी बिक्री की कोई जानकारी नहीं है।

सरकार ऐसी सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखे हुए हैं जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

विदेशी नागरिकों को वीसा जारी करना

4828. सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान देश में प्रवेश करने हेतु कितने विदेशी नागरिकों को वीसा जारी किया गया था;

(ख) विदेशी नागरिकों का राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान काली सूची में दर्ज किसी व्यक्ति द्वारा वीसा प्राप्त करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब) : (क) विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों और पोस्टों से प्राप्त विवरणियों के अनुसार 1989 और 1990 में क्रमश: 840529 और 803341 विदेशियों को वीजा दिया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) विदेशों में भारतीय मिशनों को पहले ही इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध और अवांछनीय व्यक्तियों को भारत आने का वीजा न दिया जाय। हवाई अड्डों, जांच चौकियों और बन्दरगाह पर अप्रवासी प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियों को भारत में न आने द। तथापि जिन मामलों में भारतीय मिशनों द्वारा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में इस प्रकार के व्यक्तियों को गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके वीजा दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि भारत में उनके प्रवास के दौरान उन पर उपयुक्त निगरानी रखी जाए।

जारी किए गए वीजाओं की राष्ट्रीयतावार स्थिति

देश	1989	1990
1	2	6
अफगानिस्तान	15381	21289
अलबानिया	2	0
अल्जीरिया	355	352
अंगोला	0	2
एंटिगुआ	7	11
एंटिलीज	0	0
अर्जेन्टीना	697	978
आस्ट्रेलिया	28290	23971
आस्ट्रिया	8942	4896
बहामास	1	6
बहरीन	6930	5747
बंगलादेश	3[illegible]000	31829
बारबडोस	148	169
बेल्जियम	3656	5134
बेलीज	9	35

1	2	3
भूटाना	1	1
बोलीवीया	22	84
बोत्सवाना	123	53
ब्रा० सोलोमन द्वीप	12	10
ब्राजील	1529	2191
ब्रिटिश ओवरसिज सिट	0	0
ब्रिटिश प्रोटेक्ट	149513	158551
ब्रिटिश सोलोमन और कोलो	0	397
ब्रूनी	63	79
बलगेरिया	406	196
बुरकीनो द्वीप	6	5
बर्मा	475	651
बुरून्डी	1	4
दाईलोरिया (बेनिन)	12	20
कम्बोडिया	23	2
कनाडा	292296	33633
केप वेर्दे	0	1
सेन्ट्रल अफ्रीकन रिप०	3	0
चाड	2	20
चिलि	345	283
चीन	1112	1492
चीन (ताईवान)	76	1051
चीन राज्यहीन	0	0
चीन तुर्क	0	0
कोलम्बिया	173	333
कोमारोस	0	10
कांगो	3	3

1	2	3
कोस्टारिका	42	27
क्यूबा	117	132
साइप्रस	238	28
चैकोस्लोवाकिया	566	1282
दहोमी	0	0
डेमोक्रेटिक यमन	0	0
डेनमार्क	5743	5018
जिबूती	20	2
डोमिनिकन रिप०	11	13
इक्वाडोर	39	49
इजिप्ट	1822	1721
एल० सेल्वाडोर	18	38
इक्वाटोरियल	1	0
इथियोपिया	940	1210
फिजी	1462	1470
फिनलैण्ड	2969	2915
फ्रांस	58728	58322
गबन	0	1
गाम्बिया	43	47
जर्मन (पूर्वी)	1028	1625
जर्मन (प०)	64596	62555
घाना	211	121
ग्रीस	2391	2431
ग्रेनाडा	15	24
ग्वाडलाप	0	0
ग्वाटेमाला	51	68
गिनिया	16	36
गिनिया बिसाउ	10	10

1	2	3
गुआना	191	125
हैती (डी डब्ल्यू)	2	6
होन्डुरस	5	21
हांगकांग	22	1040
हंगरी	1183	1343
आइसलैंड	104	119
भारत	0	0
इन्डोनेशिया	1580	484
ईरान	1319	2285
इराक	10019	112812
आयरलैंड	2697	2870
इजरायल	2975	2964
इटली	1705	1649
आईवोरी कोस्ट	45	128
जमाइका	161	160
जापान	33991	28830
जार्डन	3227	2079
के० एस० ए०	0	0
केन्या	7310	9762
टोंगा का राज्य	0	0
कीरीबती	15	8
कोरिया (उत्तरी)	3	129
कोरिया (दक्षिणी)	4404	4903
कुवैत	4046	1219
लाओस (एल० ए० ओ० एस०)	108	68
लावेर-मासेर	3	0
लेबनान	1191	1847

1	2	3
लैसोथो	46	104
लिबेरिया	1	12
लीबिया	179	282
लिक्टेंस्टीन	46	27
लक्जम बर्ग	140	204
मकाउ	0	0
मडगास्कर (मालागासी)	78	146
मलावी	144	35[illegible]
मलेशिया	28207	29015
मालदीव	1721	129
माली	251	70
माल्टा	16	135
मारटिनीक्यू	0	0
मौरीटानिया	0	0
मौरीशस	4106	[illegible]
मैक्सिको	1672	[illegible]
मंगोलिया	166	[illegible]
मोरोक्को	36[illegible]	[illegible]
मोजांबिक	308	[illegible]
नामीबिया	8	[illegible]
नारू	3	5
नेपाल	5	[illegible]
नीदरलैंड्स (डच)	9899	1463
न्यू हेबरीडेज	0	0
न्यूजीलैंड	5405	5961
निकारगुआ	9	12
नाइजर	4	17

1	2	3
नाइजीरिया	4584	2071
न्यू आईसलैंड	0	0
नार्वे	3926	2939
ओमान	11354	10891
ओस्टरिच	50	18
ओवर्स	3234	1406
पाकिस्तान	8405	2688
पैलेस्टिनियन	302	286
पनामा	152	233
पपुआ न्यू गुयाना	34	43
पैरागुआ	41	10
पी० डी० आर० वाई	1494	1399
पेरू	161	148
फिलीपाइन्स	3731	3153
पोलैण्ड	10283	5734
पुर्तगाल	2874	3882
कतार	4323	2933
रेउनान	0	0
रूडेशिया (जिंबावे)	757	768
रोमानिया	159	49
रवाण्डा	13	11
साउटीम एण्ड प्रिंसिफ	0	0
सऊदी अरबिया	19200	15904
स्नेगल	120	110
सेचेलैस	218	209
साइरा लियोन	12	40
सिंगापुर	12165	23415

1	2	3
सोमालिया	1042	722
साउथ अफ्रीका	388	76
स्पेन	507	640
श्रीलंका (सिलोन)	76700	64305
सेंट लूसिया	6	27
सेंट मारीटाइना	0	0
स्टेटलैस	1838	1635
सुडान	960	6126
सूरीनाम	127	133
स्वाजी लैण्ड	10	24
स्वीडन	10627	10056
स्विटजरलैंड	17041	16410
सीरिया	2501	2473
तंजानिया	2820	1097
थाईलैंड	16519	3539
तिब्बत	52	108
टोगो (टोंगा)	70	26
ट्रिनीडाड एण्ड टोबाको	497	585
टुनिशिया	216	332
टर्की	868	859
टुवालू	10	2
यू० ए० आर०	0	0
यू० एस० ए०	44630	20578
यू० एस० एस० आर०	10538	18611
युगांडा	419	474
यूक्राइन	1	0

1	2	3
यू० रिप० आफ कामरून	26	56
यू० एस० एस०/डी० पी०	348	328
यूनाइटेड अरब अमीरात	22600	14044
अपर वोल्टा	0	0
उरगुवे	114	112
वनातू	12	7
वटीकन	3	0
वेनीजुएला	138	41
वियतनाम	376	439
प० सामदा	14	27
यमन	3747	2934
युगोस्लाविया	1840	1739
जायरे	12	48
जाम्बिया	1552	1652
कुल :	840529	803349

रासायनिक हथियारों पर भारत-पाक समझौता

4829. **श्री नवल कुमार पटेल :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन विस्तार तथा उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या परमाणु हथियारों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही द्विपक्षीय समझौता करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के पांचवें दौर में, जो 30, 31 अक्तूबर, 1991 को इस्लामाबाद में हुआ था, दोनों

पक्ष इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हुए कि रासायनिक हथियारों के सम्बन्ध में एक संयुक्त घोषणा जारी की जाए और रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, प्रतिस्थापन और उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक द्विपक्षीय करार करने के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए परस्पर सुविधाजनक तारीखों को दोनों पक्षों के विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाए।

(ख) इस मामले में और आदान-प्रदान पाकिस्तान से प्रस्तावित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के प्रधानमन्त्री की तिब्बत के बारे में टिप्पणी

4830. श्री चित्त बसु :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चीन के प्रधानमंत्री द्वारा की गई उस टिप्पणी पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि तिब्बत की स्वतंत्रता के अलावा अन्य सभी विषयों पर बात की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इस बारे में अपने दृष्टिकोण के बारे में दलाई लामा को अवगत करा दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र मानती है। तिब्बत से संबंधित मसलों को एक ओर तो चीन के प्राधिकारी और दूसरी ओर परम-पावन दलाई लामा तथा तिब्बती समुदाय ही शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सर्वोत्तम ढंग से सुलझा सकते हैं।

(ग) और (घ) परमपावन दलाई लामा को चीन सरकार की स्थिति की जानकारी है। उन्हें तिब्बत के बारे में भारत सरकार की स्थिर स्थिति की भी जानकारी है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की भावी भूमिका के बारे में ब्रिटेन का प्रस्ताव

[हिन्दी]

4831. श्री मदनलाल खुराना :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की भावी भूमिका के बारे में कोई प्रारूप प्रस्ताव तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन प्रस्तावों पर भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से यू० के० ने 31 जनवरी, 1992 को सम्पन्न सुरक्षा परिषद शिखर बैठक के लिए अध्यक्षीय वक्तव्य का प्रारूप तैयार किया था। इस प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया था और इसमें भारत के कुछ प्रस्ताव और संशोधन शामिल किए गए थे। तथापि, अन्तिम वक्तव्य भारत की एक-दो चिंताओं को पूरी तरह परिलक्षित नहीं करता।

प्याज का निर्यात

[अनुवाद]

4832. श्री० श्री० भाड़े गौड़ा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा प्याज के निर्यात के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य में 1991-92 के दौरान गिरावट आई है और इस कारण विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को और अधिक निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) और (ख) 1991-92 अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक) के दौरान प्याज का औसत न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति मीटरी टन 4?2 रुपये एफ० ओ० बी० था जबकि 1990-91 को उसी अवधि के दौरान औसतमूल्य प्रति टन 3923 रुपये एफ०ओ०बी०था। चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 1992 के अन्त तक 157 10 करोड़ रुपये के मूल्य के 3.63 लाख मीटरी टन प्याज का निर्यात किया गया था जबकि 1990-91 को उसी अवधि के दौरान 96·91 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.47 लाख मीटरी टन प्याज का निर्यात किया गया था। नाफेड मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति की सिफारिशों, आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मूल्यों, फसल पूर्वानुमान तथा देश के अन्दर विपणन प्रवृति एवं अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रख कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना

[हिन्दी]

4833. स्वामी श्री सुरेशानन्द :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) बंजर भूमि में खुली अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी ढलानें, बर्फ से ढकी और बहुत अधिक खराब शुष्क क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें किफायती लागत पर कृषि के अधीन नहीं लाया जा सकता। अत: बंजर भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को केन्द्रीय प्रायोजित योजना और बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में चयनित पनधाराओं में बंजर भूमि के उपचार का प्रावधान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य उत्पादन

4833. श्री जगमीत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मछली उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

क्षेत्र	लक्ष्य (लाख मीटरी टन में)
समुद्री	28.60
अन्तर्देशीय	22.80
कुल मछली उत्पादन	51.40

(ग) विकासात्मक प्रयासों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों के प्रयासों की सम्पूर्ति करते हुए तथा समर्थन देते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को वर्धित उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सहायता करने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—ताजा जल और खारा जल के जल कृषि के तहत आने वाले क्षेत्र में विस्तार करना, प्रौद्योगिकियों के उन्नयन तथा उन्नत आदानों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि करना, कार्य से भिन्न प्रजातियों को मछलियों के पालन पर ध्यान केन्द्रित करना, मूल आदानों के उत्पादन के लिए सुविधाएं सृजित करना, जल कृषि के लिए निर्धा क्षेत्रों को वृद्धित भागीदारीत या उन्हें बढ़ावा देना, मोटरीकरण को बढ़ावा देकर तथा अपतटीय पेलैजिक नौकाओं को चालू करके समुद्री क्षेत्र में परंपरागत तथा मशीनीकृत मत्स्यन नौकाओं के प्रचालन क्षेत्रों में विस्तार करना, एच० एस० डी० तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर राज सहायता देकर लघु मशीनीकृत क्षेत्रों को राहत देना, कल्याणोन्मुख कार्य-क्रम को प्राथमिकता देना तथा मछलियों का पकड़ने के बाद होने वाली हानियों में कमी करने के लिए कल्याण

उन्मुख कार्य-क्रम तथा अवतरण और ठहराने, प्रशीतन भंडारण एवं बर्फ संयंत्र आदि को प्राथमिकता देना।

इस्लामी देशों के संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

4835. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस संकल्प की जानकारी है जो इस्लामी देशों के संगठन ने अपने छठे सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प का सार क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मुद्दे को विदेश मंत्रियों के 21वें इस्लामी सम्मेलन ने उठाया था और इस पर इस्लामी देशों के 7वें सम्मेलन में भी विचार किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस्लामी देशों के संगठन के सदस्यों को यह आग्रह करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है कि कश्मीर मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण न किया जाए ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी, हां। 9 से 12 दिसम्बर, 1991 तक डकार में आयोजित इस्लामिक देशों के संगठन के छठे शिखर-सम्मेलन ने जम्मू और कश्मीर पर एक संकल्प पारित किया जो भारत को स्वीकार्य नहीं है।

(ग) और (घ) इस्लामिक देशों के संगठन के छठे शिखर-सम्मेलन ने यह निर्णय लिया था कि इस मामले को विदेश मंत्रियों के 21वें इस्लामिक सम्मेलन और इस्लामिक देशों के संगठन के सातवें शिखर-सम्मेलन में उठाया जाए : ये दोनों ही अभी आयोजित किए जाने हैं।

(ङ) सरकार ने आधिकारिक तौर पर कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के पाकिस्तानी प्रयासों से सम्बद्ध मामले को इस्लामी देशों के संगठन के सभी सदस्य राज्यों के साथ उठाया है।

परमाणु अप्रसार संधि पर ब्रिटेन का नया घोषणापत्र

4836. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परमाणु अप्रसार संधि पर ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित नये घोषणापत्र की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त घोषणापत्र के प्रति भारत का क्या रवैया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार के पास ऐसे घोषणापत्र की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाहर से सहायता प्राप्त आतंकवाद

[हिन्दी]

4837. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाहर से सहायता प्राप्त आतंकवाद पर के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) बाहर से सहायता प्राप्त आतंकवाद का सामना करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तथ्य को निरन्तर उजागर किया है कि आतंकवाद मानवाधिकारों के उल्लंघन का अत्यन्त घिनौना रूप है। सरकार अन्य सरकारों के साथ मिलकर बातचीत के माध्यम से और अन्तर्राष्ट्रीय करार और अभिसमय सम्पन्न करके आतंकवाद विशेषकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद की निन्दा, दमन और संघर्ष के लिए कार्य कर रही है।

दिल्ली में होटलों व रेस्तराओं द्वारा आयोजित मंच मनोरंजन कार्यक्रमों से अर्जित राजस्व

4838. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में स्थित ऐसे होटलों तथा रेस्तराओं से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना राजस्व अर्जित किया गया जिन्हें न्यायालयों ने मंच मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थगन आदेश अथवा अनुज्ञापन जारी किए हैं;

(ख) ऐसे होटलों व भोजनालयों की संख्या क्या है जिन पर बकाया राशि देय है; और

(ग) देय राशि की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सरकार ने चालू वर्ष के दौरान लाइसेंस प्राप्त

या न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होटलों तथा रेस्टोरेन्ट द्वारा आयोजित किए जा रहे फ्लोर-शो कार्यक्रमों से 14,28,300 रु० का राजस्व मनोरंजन कर अर्जित किया गया है।

(ख) और (ग) एक रेस्टोरेन्ट ने मंच मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 6 दिन का मनोरंजन कर नहीं दिया है। उक्त रेस्टोरेन्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कश्मीर घाटी से पलायन

[अनुवाद]

4839. श्री महेश कनोडिया :

श्री हरिन पाठक :

श्री मोरेश्वर सावे :

श्री रमन्ना राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यक समुदायों के लोग कब से पलायन कर रहे हैं;

(ख) इस समय कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम शरणार्थियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) गत छ: माह के दौरान कितने कश्मीरी शरणार्थी अपनी इच्छानुसार वापस कश्मीर चले गए हैं;

(घ) क्या शरणार्थियों को वापस कश्मीर भेजने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भारी संख्या से प्रवसन वर्ष, 1990 के शुरू में प्रारम्भ हुआ। जनवरी, 1992 तक जम्मू में प्रवासियों के रूप में 40,000 परिवार दर्ज थे जबकि दिल्ली में 18,000 परिवार दर्ज हुए थे। इनमें से जम्मू और दिल्ली में दर्ज मुस्लिम परिवारों की संख्या क्रमश: 332 और 62 थी।

कश्मीरी प्रवासियों द्वारा भारी संख्या घाटी में स्थायी रूप से बसने के लिए जाने की कोई महत्वपूर्ण बात ध्यान में नहीं आई है।

सरकार ने आतंकवाद को रोकने और सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं। उम्मीद है कि प्रवासी, घाटी में स्थिति में सुधार आने पर, वहां अपने घरों में लौट जाएंगे।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेल एवं गैस के भण्डार

[हिन्दी]

4840. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारतीय तेल निगम द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) अब तक तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तेल और गैस के अन्वेषण का कार्य नहीं करता है ।

हिन्द महासागर में तटीय देशों के साथ समुद्री नीति

[अनुवाद]

4841. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दमहासागर में महाशक्तियों की उपस्थिति के संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण है;

(ख) क्या भारत ने हिन्द महासागर के तटीय देशों के साथ सहयोग करने के लिए कोई समुद्री नीति तैयार की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के संबंध में 1971 में पारित संयुक्त राष्ट्र घोषणा के उद्देश्यों के प्रति भारत प्रतिबद्ध है।

(ख), (ग) और (घ) समुद्र तटवर्ती राज्यों के दृष्टिकोण और हित परस्पर भिन्न हैं इसलिए इस समय उनके बीच एक समान समुद्री नीति अथवा योजना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, सरकार उन घटनाओं के प्रति सजग है जो हमारे सामूहिक और अन्य हितों पर प्रभाव डाल सकती हैं और इस उद्देश्य से सरकार इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले देशों के साथ सहयोगी प्रयासों का समर्थन करती है।

भारत-पाक और भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाना

[हिन्दी]

4842. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री के० बी० तंगकाबालु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर कब से कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम चल रहा है;

(ख) काम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगलादेश दोनों सीमाओं पर चुनिन्दा क्षेत्रों में कांटेदार बाड़ लगाने का कार्य पहली बार 1988-89 के दौरान किया गया।

(ख) और (ग) पश्चिमी सीमाओं पर 527 कि० मी० क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया गया है, 83 कि० मी० क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य मई, 1992 तक पूरा किया जाएगा तथा 166 कि० मी० में बाड़ लगाने का कार्य 1993-94 तक पूरा किया जाएगा। भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य 1994-95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में कोई बाधा महसूस नहीं की गई है। भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने में कुछ विलम्ब के कारण भूमि अधिग्रहण करने, कच्चे माल की उपलब्धता में समय लगना और जलवायु संबंधी पहलू आदि हैं।

राजस्थान में दालों और मसालों का उत्पादन

4843. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान दालों और मसालों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन फसलों के कुल उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाद दालों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मसालों के संबंध में यह धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लहसुन के उत्पादन में इसका स्थान छठा है तथा लाल मिर्च के उत्पादन में इसका स्थान चौथा है।

(ख) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राजस्थान में उपर्युक्त फसलों का कुल उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

फसल	1988-89	1989-90	1990-91
दालें (लाख मीटरी टन)	16.2	11.6	17.2
धनिया ("000 मीटरी टन)	101.8	72.8	140.3
लहसुन ("000 मीटरी टन)	8.9	18.4	22.2
लाल मिर्च ("000 मीटरी टन)	38.2	65.7	45.7

(ग) जी, नहीं। 1990-91 के दौरान दालों तथा लाल मिर्च को छोड़कर अन्य मसालों का उत्पादन 1989-90 की तुलना में अधिक हुआ।

(घ) दालों तथा मसालों सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राजस्थान राज्य में पहले से ही विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

आतंकवाद को रोकने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक

[अनुवाद]

4844. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद की समस्या पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और दिल्ली के उप-राज्यपाल की बैठक 29, फरवरी, 1992 को आयोजित की गई थी;

(ख) इसमें किन-किन मुख्य बातों का विचार किया गया;

(ग) इस बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) कुछ मुख्य मंत्रियों और दिल्ली के उप-राज्यपाल की एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग) पंजाब के बाहर के राज्यों में सिख आतंकवाद के फैलने के बारे में चर्चा की गई थी। आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित उपाय करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों को सुदृढ़ बनाने और प्रभावित राज्यों के बीच सूचना का जल्दी-जल्दी आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के और अधिक शस्त्र व अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाने संबंधी विचारों को विधिवत नोट कर लिया गया।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध आसूचना दी जा रही है। जो भी और अधिक सहायता सम्भव हो सकेगी, राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

आयल पाम की खेती

4845. श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयल पाम की खेती की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कृषि और सयहोग विभाग द्वारा, गठित दल ने सिफारिश की थी कि केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पलोडों में स्थित अनुसंधान केन्द्र को आयल पाम के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के स्तर तक उठाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा गठित दल ने अपनी रिपोट में उल्लेख किया है कि "पलोड स्थित केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे एक राष्ट्रीय तेल ताड़ (आयल पाम) अनुसंधान केन्द्र बनाया जा सकता है।"

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसी भी राज्य में जहां तेल ताड़ (आयल पाम) उगाने की अधिकतम क्षमता हो, राष्ट्रीय तेल ताड़ (आयल पाम) अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

अनिवासी भारतीयों के पासपोर्ट का नवीकरण

484[illegible]. श्री ओ० माडे गौडा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के पासपोर्टों के नवीकरण को उनकी वार्षिक आय की कतिपय प्रतिशतता का भारत में उनके पूंजी निवेश से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में मारे गए सुरक्षा कार्मिक

[हिन्दी]

4847. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990, 1991 के दौरान और 1992 में अब तक पंजाब तथा जम्मू और

कश्मीर में भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के मारे गए सुरक्षा कार्मिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिवार के कितने सदस्यों को सरकारी सेवा में लिया गया है;

(ग) इन कार्मिकों के आश्रितों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में तैनात सुरक्षा कार्मिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क), (ख), (ग), (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एशिया वाच दल का दौरा

[अनुवाद]

4848. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया वाच नामक एक विदेशी निकाय ने विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय अथवा जम्मू कश्मीर की सरकार को सूचित किए बिना ही जम्मू कश्मीर में अपना दल भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है जिनके अन्तर्गत यह दल जम्मू कश्मीर का दौरा कर सका और देश के विरुद्ध लोगों के बयानों को रिकार्ड कर सका;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) यह बताया गया कि दो व्यक्तियों ने, जिन्होंने मई, 1991 में रिलीज हुई एशिया वाच रिपोर्ट तैयार की थी, व्यक्तिगत रूप से कश्मीर घाटी का दौरा किया था, जिसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

विश्व उर्दू सम्मेलन में प्रतिनिधित्व

4849. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दिसम्बर, 1991 में मारीशस में हुए विश्व उर्दू सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से आमन्त्रित किया गया था, या सरकार या अन्य किसी भारतीय संस्था को प्रतिनिधि चुनने हेतु आमन्त्रित किया गया था;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यय किया था;

(ङ) यदि हां, तो कितना; और

(च) सम्मेलन के अधिकारिक बयान घोषणा या प्रस्ताव का मूल पाठ क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । हालांकि इसमें भाग लेने वालों को आयोजकों ने सीधे ही आमन्त्रित किया था फिर भी भारतीय सांस्कृतिक संबंधपरिषद ने कुछ सहायता प्रदान की है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई किराया भाड़ा तथा मानदेय शामिल है ।

(घ) और (ङ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस प्रयोजन के लिए 4,22,051.00 रु० का खर्च किया था ।

(च) सम्मेलन ने केवल संकल्प पारित किया था जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया था। यह संकल्प सम्मेलन आयोजित करने और सभी प्रतिनिधियों को सुन्दर आतिथ्य देने के लिए मारिशस सरकार का धन्यवाद करने के लिए था ।

विवरण

1. श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, बिहार के राज्यपाल और प्रतिनिधि मंडल के नेता ।

2. श्रीमती गिरिजा व्यास, सूचना और प्रसारण उप मंत्री, भारत सरकार ।

3. प्रो० जावेद खान, आवास मन्त्री, महाराष्ट्र सरकार ।

4. श्री बेकल उत्साही, संसद सदस्य ।

5. श्री सईद हमीद, भूतपूर्व उप कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ।

6. प्रो० गोपी चन्द नारंग, उर्दू के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

7. प्रो० इश्तियाक आबिद, सचिव, उर्दू अकादमी, दिल्ली ।

8. डा० अख्लाक असर, रीडर, उर्दू विभाग, रिजनल कालेज आफ एजूकेशन, भोपाल ।

9. बेगम हब्बीबुला, सचिव, भारतीय बाल कल्याण परिषद ।

10. डा० खालिक अंजुम, सचिव, अंजुम तारिकी, उर्दू हिन्द, दिल्ली ।

11. डा० आबिद रजा बेदार, निदेशक, खुदा बक्श लाइब्रेरी, पटना ।

12. सुश्री फहमिदा बेगम, निदेशक, उर्दू संवर्धन ब्यूरो ।

13. प्रो० (सुश्री) साधरा मेहदी, उर्दू विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

14. प्रो० वहाब अशरफी, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, रांची विश्वविद्यालय।

अनाज, दाल और खाद्य तेल की खपत

[हिन्दी]

4850. श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनाज, दाल और खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ख) उपरोक्त वस्तुओं का उत्पादन और उनकी उपलब्धता बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) अनाजों, दालों और खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता इस प्रकार है :—

मद	वर्ष	कि० ग्रा०/ वर्ष मात्रा
1. अनाज	1990	157.9
	1991	171.5
2. दालें	1990	15.1
	1991	14.5
3. खाद्य तेल ×	1989-90	5.8
	1990-91	5.4

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं। X. वित्तीय वर्ष के लिए हैं।

(ख) अनाजों, दालों और खाद्य तेलों का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं :— समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम— मक्का और कदन्न, चावल, गेहूं मक्का और कदन्नों का मिनिकिट कार्यक्रम, जिसमें नई प्रौद्योगिकी का प्रचार शामिल है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और दालों के लिये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम। तिलहनों और दालों को तिलहन व दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मिशन विधि नीति के अंतर्गत लाया गया है।

दिल्ली में आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना

[अनुवाद]

4851. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एक आधुनिक बूचड़खाने की स्थापना के लिए कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) क्या पुरानी दिल्ली में स्थित बूचड़खानों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस व्यापार में लगे लोगों के वास्तविक और वाणिज्यिक पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो नये बूचड़खाने के कब तक बन जाने की संभावना है और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तक : मामले पर मुकदमा चल रहा है तथा यह अंतिम निर्णय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास लम्बित है।

आंध्र प्रदेश का सुदूर क्षेत्रों का विकास

4852. श्री जे० चोक्का राव :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार आदिवासियों के लाभ के लिए सुदूर क्षेत्रों की विकास योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अब तक उक्त योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण धन-राशि का इस बीच उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) (1) "दूरस्थ और भीतरी इलाका विकास कारंवाई योजना" का उद्देश्य स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

— दृष्टिकोण यह है कि :

(क) अलगाव समाप्त करने के लिए क्षेत्रों को भीतरी सड़कों के निर्माण द्वारा खोलना।

(ख) परिसम्पत्तियां सृजित करके, विशेषकर लघु सिंचाई तथा आदिवासियों को तुरन्त लाभ देने वाले अन्य चयनित क्षेत्रों द्वारा आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाना।

(ग) लाभकारी रोजगार के लिए युवाओं को आवश्यक कौशलों से सज्जित करने के लिए आदिवासियों को नेतृत्व में प्रशिक्षित करना।

(घ) प्रशासनिक उपायों द्वारा रुकावटों को हटाना और कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करना।

(2) राज्य के भीतरी तथा वन क्षेत्रों अर्थात सात जिलों नामत: विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, आदिलाबाद, खम्माम, वारंगल और महबूबनगर में रहने वाले आदिवासियों के सम्पूर्ण विकास को तेज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की एक योजना तैयार की गई थी। योजना आयोग ने भी उक्त कार्य योजना के लिए सहमति दे दी थी। राज्य सरकार द्वारा इसे "दूरस्थ और भीतरी इलाका विकास कार्य योजना" के रूप में अपनाया गया है।

(3) 1990-91 के दौरान विशिष्ट आदिवासी क्षेत्रों में त्वरित विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 2300.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। 1991-92 के दौरान 1173.290 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 1991 तक किया गया व्यय 2278.154 लाख रुपये है।

(4) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि
1990-91	1345.09 लाख
1991-92	1360.94 (20-3-1992 तक)

तथापि, उपरोक्त विशेष केन्द्रीय सहायता अनन्य रूप से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिए नहीं थी।

(ग) और (घ) उपरोक्त प्रदान की गई विशेष केन्द्रीय सहायता में से राज्य सरकार द्वारा सूचित उपयोग निम्नानुसार है :

वर्ष	उपयोग (लाख रु० में)
1990-91	1303.86
1991-92	242.59 (सितम्बर, 91 तक)

सम्पूर्ण राशि का उपयोग किए जाने की आशा है।

आरक्षण नीति के लिए विधेयक

[हिन्दी]

4853. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री राम विलास पासवान :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कानून बनाने का विचार है जो आरक्षण नीति का कार्यान्वयन न करने के दोषी पाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक के संसद के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

दिल्ली में बूचड़खाने

4854. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री अरविंद नेताम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में, विशेषकर पूर्वी दिल्ली में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बूचड़खानों को हटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) इस प्रकार के कोई भी अप्राधिकृत बूचड़खाने नहीं हैं। बहरहाल, कुछ स्थानों पर कभी-कभी अवैध वध किए जाते है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्राधिकृत वध को रोकने के लिए नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं।

रांची स्थित लाख अनुसंधान संस्थान का विस्तार

[अनुवाद]

4855. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रांची स्थित लाख अनुसंधान संस्थान के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रस्ताव था कि समग्र जनजाति समस्याओं के विश्लेषण और उचित समाधान खोज

निकालने के लिए संस्थान को एक अनुसंधान परिसर (कम्पलैक्स) में परिवर्तित कर दिया जाए। यह भी सुझाव था कि अनुसंधान को आदिवासी किसानों के पूरक आय के साधन के रूप में समस्त फार्मिंग प्रणालियों के अनुसंधान के साथ समन्वित कर दिया जाए।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची (भा० ला० अनु० सं०) की उपलब्धियां।

(क) गत तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान, भा० ला० अनु० संस्थान की प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां निम्न प्रकार है :

(1) अकोसिया ओरीक्युसिफार्मिस (आकाशमणि), लाख के कीड़ों दोनों "कुसुमी" और "रंगीनी" की प्रजातियों के लिए आशाजनक लाख पोषद पाया गया।

(ii) एक प्रमुख लाख पोषद ब्यूटिआ मोनोस्पर्मा (पालास) के शीघ्र रोपण के लिए वायु परत बढ़ाने की तकनीक अत्यधिक सफल पायी गई।

(iii) कृषि यान्त्रिक और रासायनिक तकनीकों की समन्वित अनुसूची का कार्यान्वयन, जिसके परिणामस्वरूप लाख परभक्षियों का का अभूतपूर्व उन्मूलन होता है, ताकि लाख उत्पादन में वृद्धि हो सके।

(iv) लाख का एक टन कीचड़ चावल के लिए कार्बनिक खाद के रूप में एक टन कच्ची खाद के बराबर पाया गया।

(v) एपाक्सी राल और शेलाख के आधार पर एक चिपकाने वाला पदार्थ तैयार किया गया है जिससे स्टील से स्टील, लकड़ी से लकड़ी और मिहड स्टील से लकड़ी को चिपकाया जा सकता है।

(vi) लाख एपाक्सी लार पर आधारित एक वार्निश समिश्रण जो गुण में बेहतर एण्टी ट्रैकिंग और उच्च थर्मल प्रतिरोधी है, इसके साथ-साथ एक इन्स्युलेटिंग वार्निश के अधिकांश वांछित गुणों को तैयार किया गया है।

(vii) लाख पर आधारित एक एण्टी-कोरोसिव प्रीमियर समिश्रण तैयार किया गया है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान भा० ला० अनु० सं० की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

(i) लाख फैक्ट्री की निस्सारी से लाख डाई की प्राप्ति के लिए एक सरल विधि विकसित की की गई है।

(ii) पालीविनायल एसीटेट वार्निश में चपड़ा (शेलॉक) की वृद्धि करके, वार्निश की ट्रैकिंग इण्डेक्स में 174 वोल्ट से 240 वोल्ट तक का सुधार किया गया है।

दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता

4856. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम को साधन अग्रिम के रूप में 50.50 करोड़ रु० स्वीकृत करने के लिए निगम के अनुरोध को अग्रेषित किया है। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश के बिजली संयंत्र को गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

4857. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी मध्य प्रदेश में बिजली संयंत्रों को गैस की सप्लाई कब तक स्वीकार की जायेगी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने हजीरा-जगदीशपुर पाइपलाइन से किन-किन बिजली केन्द्रों को गैस की सप्लाई मंजूर की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गैस की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में कोई आबंटन किए जाने की संभावना नहीं है।

(ख) एन० टी० पी० सी० अन्टा, एन० टी० पी० सी० औरैया, डेसू दिल्ली, एन० टी० पी० सी० दादरी, डेसू, बवाना, एन० टी पी० सी० फरीदाबाद और एन० टी पी० सी० कवास।

पोरबन्दर विद्युत संयंत्र

4858. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री काशी राम राणा :

डा० अमृत लाल कालिदास पटेल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री हरिन पाठक :

श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस पर आधारित पीपावाव विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ताप्ती क्षेत्र की गैस का प्रयोग विद्युत संयंत्र के लिए किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो पीपावाव के लिए पाइप लाइन द्वारा गैस कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : प्रस्तावित पीपावाव विद्युत संयंत्र के लिए गैस का आबंटन करने हेतु सैद्धांतिक रूप में एक निर्णय लिया गया था लेकिन यह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ताप्ती अपतटीय क्षेत्रों के विकास की तकनीकी-आर्थिक साध्यता पर आधारित था।

महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत संगठन

[अनुवाद]

4859. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ संगठन अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों को पिछले दो वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गये हैं,

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	योजना का नाम	सहायता का अनुदान 1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल	कटिंग तथा सिलाई	22,860	23,760
2.	ईश्वरसरन आश्रम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस संस्थान	93,780	93,780
3.	श्री विनायक शिक्षा सोसायटी, मंगोलपुरी, दिल्ली	सिलाई तथा कशीदाकारी	10,525	46,980

1	2	3	4	5
4.	खेतरी विकास समिति, झुंझनू, राजस्थान	सिलाई, कशीदाकारी टाई और डाई	41'580	31,800
5.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ सुलतानपुरी, दिल्ली	कटिंग तथा सिलाई	—	56,160
6.	शोषण उन्मूलन परिषद, दिल्ली	कटिंग, सिलाई तथा कशीदाकारी	3,57,834	9,66,698
7.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे, दिल्ली	टंकण तथा आशुलिपि	—	1,10,070
8.	डा० बी० आर० अम्बेडकर रिसर्च संस्थान, आर० के० पुरम, नई दिल्ली	टंकण तथा आशुलिपि	—	1,74,090
9.	अवलम्बन, अगरतल्ला त्रिपुरा	कटिंग, सिलाई तथा कशीदाकारी	—	95,661
10.	नारी उत्थान शिक्षा समिति, दिल्ली	कटिंग तथा सिलाई	—	49,320
11.	सुषमा शिक्षा समिति, दिल्ली	कटिंग तथा सिलाई	—	26,865
12.	सर्वेंटस आफ इंडिया सोसायटी, पूना, महाराष्ट्र	कटिंग तथा सिलाई	3,816	4,178

भारत में सऊदी अरब द्वारा पूंजी निवेश

[हिन्दी]

4860. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूंजी निवेश की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में सऊदी अरब का कोई शिष्टमंडल भारत के दौरे पर आया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सऊदी अरब राज्य से एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल ने भारत-सऊदी संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए नवम्बर,

1991 में भारत की यात्रा की थी। इस सत्र में अनेक मसलों पर चर्चा हुई थी जिसमें भारत में सऊदी निवेश की सम्भावनाएं शामिल हैं।

राजस्थान को एसोसिएटेड गैस की सप्लाई

4861. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि राजस्थान को गुजरात के प्रस्तावित गैस ग्रिड से एसोसिएटेड गैस की कुछ मात्रा आवंटित की जाए;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को गैस की कितनी मात्रा आवंटित किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल एक एग्रीमेंट किया था कि जो कल नहीं बोले, आज उनको चांस देंगे। तो मैं आज थोड़ा सा पीछे जो बेंचेज पर बैठे हुए हैं, उनको चांस देने को सोच रहा हूं।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स······

कर्नाटक में नागरहोल आरक्षित वन और अभयारण्य में आग लगने के बारे में

[अनुवाद]

*श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : हाल ही में नागरहोले वन क्षेत्र को जान-बूझकर जलाना मानव द्वारा प्रकृति के विरुद्ध किया गया सर्वाधिक अमानवीय, विकृत और अत्याचारपूर्ण कार्य है। इस मामले को न तो केन्द्र ने और न ही राज्य सरकार ने ठीक ढंग से निपटाया है।

महोदय, हुन्सुर तालुक में नागरहोले सुन्दर पशु-पक्षियों और वनस्पति वाला एक शांत स्थान है। समाज विरोधी तत्वों और चोरों के निष्ठुर कार्यों के कारण वन क्षेत्र अब कब्रिस्तान की तरह लगता है। मैं यहां यह बात बहुत क्षोभ और दुःख के साथ कह रही हूं।

हुन्सुर मेरा तालुक है और मैसूर जिले में नागरहोले हुन्सुर से केवल 30 कि० मी० दूर है।

---

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स]

मुझे नागरहोले के शांत सौन्दर्य को देखने का अवसर मिला है।

किन्हीं श्री उल्लास कारंथ ने गत कुछ वर्षों के दौरान शोध के नाम पर अनेक बाघ और तेंदुए मार डाले हैं। गिरिजनों, आदिवासियों और वन अधिकारियों के बीच दिन-प्रतिदिन शत्रुता बढ़ती जा रही है। मैंने इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को प्रायः लिखा है। मैंने माननीय मन्त्री और सम्बन्धित अधिकारियों से सुश्री उल्लास के तथाकथित शोध कार्यों को रोकने के लिए अनुरोध किया है। परन्तु मेरा अनुरोध नक्कारखाने में तूती की आवाज सिद्ध हुआ हैं।

यह विडम्बना है कि जिन्हें वनों की रक्षा करनी है वह अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। 13 और 14 मार्च को हुई गोलीबारी की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस घटना के बाद समाज विरोधी तत्वों ने काफी बड़े वन क्षेत्र पर तेल छिड़का और उसमें आग लगा दी। पर्यटकों के बंगले और 640 वर्ग कि० मी० वन क्षेत्र को पूरी तरह भस्म कर दिया गया। टीगा, होन्नी, चन्दन और अन्य मूल्यवान वृक्ष तथा बहुमूल्य वन्य जीव-जन्तु जला दिए गये। कुल हानि कई करोड़ रुपये से भी अधिक है और वास्तव में प्रकृति का नुकसान तो बता पाना ही संभव नहीं है। वन को अपनी मूल अवस्था में आने में 50-60 वर्ष लग सकते हैं। इस क्षेत्र में अग्नि शमन बल भी पर्याप्त नहीं है। समाज विरोधी तत्व इन लोगों को वन क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करने देते हैं। आग ब्रह्मगिरि तक पहुंच गई और वह अभी भी जल रहा है। महोदय, मेरे विचार से मनुष्य सर्वाधिक स्वार्थी और निष्ठुर पशु है। कोई बाघ अपने शिकार को मार सकता है। कोई हाथी अपना जीवन बचाने के लिए किसी व्यक्ति को मार सकता है। परन्तु मनुष्य अपने असीम स्वार्थ और लालच के कारण समूचे वन और वन सम्पदा को नष्ट कर सकता है।

मैंने माननीय गृह मन्त्री से तत्काल संदेश भेजने और पर्याप्त आरक्षी पुलिस बल भेजने का अनुरोध किया था। अब मैं माननीय पर्यावरण और वन मन्त्री से आग्रह करती हूं कि वह राष्ट्रीय संपदा को हुई क्षति का पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए तत्काल घटना स्थल पर जाएं और न्यायिक जांच बैठाएं। दोषी व्यक्तियों को कड़ा दंड देना चाहिए। उस क्षेत्र में अधिक संख्या में वन अधिकारी तैनात किए जाएं। मैं अपने माध्यम से केन्द्र से आग्रह करती हूं कि वह तत्काल अधिक वित्तीय तथा सभी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करे ताकि नागरहोले का प्राकृतिक सौन्दर्य और प्राकृतिक गरिमा बहाल की जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है···

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक को बुला रहा हूं। आप बैठ जायें। मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको बाद में बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, कर्नाटक राज्य के कुर्ग और मैसूर जिले के कुछ भू-भाग में स्थित नागर होले आरक्षित वन और अभ्यारण्य में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। कुछ शरारती तत्वों ने आरक्षित वन में आग लगा दी और 5,000 हेक्टेयर से भी अधिक वन पहले ही

जल चुका है। आग बुझी नहीं है और गत एक सप्ताह से भी अधिक समय से यह अभी भी प्रचंड हो रही है। स्थिति चिंताजनक है। काफी अधिक वन पहले ही नष्ट हो चुका है और हजारों पशु मर गए हैं। कहा जाता है कि उस क्षेत्र के लोग अग्नि शमन सेवा के कर्मियों को भी आग बुझाने के लिए उस स्थान में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि यह सब कुछ एक वन अधिकारी द्वारा चलाई गई गोली के कारण हुआ है। ऐसा लगता है कि एक लड़के ने अपनी जान गंवा दी है। उस क्षेत्र में लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और गत आठ दिनों से वन में आग लगी हुई है।

यह कहा जाता है कि कर्नाटक सरकार ने सी० ओ० डी० जांच के आदेश दिए हैं। परन्तु पहला काम आग बुझाना है। इसके लिए पहले अग्नि शमन कर्मियों को वहां पहुंचना चाहिए था। मेरा अनुरोध है कि वहां केन्द्रीय आरक्षी बल भेजा जाए और अग्नि शमन कर्मियों को वहां जाने दिया जाए और आग बुझाई जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि न्यायिक जांच बैठानी होगी क्योंकि सी० ओ० डी० निष्पक्ष जांच करने की स्थिति में नहीं है। आग बुझाने और न्यायिक जांच बैठाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। (व्यवधान)

———

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव (आरा) : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रिविलेज का मोशन है। क्वश्चन अवर के बाद उसे ही लेना चाहिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ काम कर रहे हैं आप चुप बैठ जाइए। इससे उनकी मदद नहीं होती है।

...(व्यवधान)...

श्री रामशरण यादव (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार हनन का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आचार संहिता के नियम 222 के अनुसार मैं बिहार के स्वास्थ्य आयुक्त डॉ० रामानुजम के विरुद्ध सदन के माध्यम से यह प्रश्न उठाना चाहता हूं। मामले से संबद्ध तथ्य निम्नवत् हैं—

दिनांक 27.2.92 को सायंकाल 5 बजे मैं श्री प्रद्युम्न कुमार, श्री अजय कुमार और श्री रामस्वरूप यादव के साथ एक आवश्यक लंबित मामले के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त बिहार के कार्यालय में गया। जब मैंने उनसे आराम से मामले के बारे में पूछा तो वे बहुत ही अभद्र और उपेक्षित रूप से बोले कि एम० पी; एम० एल० ए० कभी भी कार्यालय में ऐसे चले आते हैं जैसे यह उनके बाप की जमींदारी है और तत्काल उन्होंने अपने कक्ष से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उनके इस प्रकार के कार्य-व्यवहार से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे शराब पिए हुए हैं। जब मैं उनके कक्ष से बाहर आया तो कतिपय कर्मचारियों ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया कि वे डॉ० रामानुजम कार्यालय में प्रायः शराब के नशे में आते हैं। उसी दिन मैंने इस घटना की सूचना आपको तार के माध्यम से प्रेषित कर दी थी। डॉ० रामानुजम का चरित्र एवं अपमानजनक

[श्री रामशरण यादव]

व्यवहार मुझे प्रिविलेज में प्रेषित करने को बाध्य कर रहा है।

अफसर आज हम लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। अफसर समझते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं। एक अफसर के नौकरी ज्वाइन करने से अंत तक 25-30 लाख रुपया उनको मिलता है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों के कुत्ते दूध और बिस्कुट खाते हैं और मखमल के गद्दों पर सोते हैं जबकि हमारे यहां बिहार में मनुष्य को भरपेट भोजन या खाना भी नहीं मिलता है। उनके कुत्ते कार में सैर करते हैं और उनके बच्चे या लड़के कहां पढ़ते लिखते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, मैं कहना नहीं चाहता।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से ये अफसर अपनी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपये का मकान बना लेते हैं, उसकी पूरी जांच करायी जाये कि इतना पैसा उनके पास कहां से आया। उन्हें यदि आवश्यक हो तो सदन के सामने बुलाया जाये, और उन पर चार्ज लगाया जाये। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच के लिए और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि मेम्बर की मर्यादा का सवाल है। मेम्बर स्वयं कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरह का बदसलूक हुआ है, जिस आफिसर ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, । उन्होंने कहा है, सदन की हमेशा से यह परिपाटी रही है कि या तो आप स्वयं इस मामले पर विचार कीजिए अथवा सीधे प्रिविलेज कमेटी को भिजवा दीजिये। माननीय सदस्य ने जिस तरह के तथ्य सदन के सामने रखे हैं, उसके आधार पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लीजिये, तथ्यों को अपने पास मंगवाईये और इसे अपने कन्सीडरेशन में रखिये, यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : इसके मैंने तथ्य मंगवाये हैं। इस प्रकार की बहुत सी एप्लीकेशन्स मेरे पास आ रही हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप भी थोड़ा सा पढ़कर मुझे एक्सप्लेन कीजिये कि क्या इसमें प्रिविलेज बनता है या नहीं बनता है।

[अनुवाद]

श्री सुनीलदत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, तत्कालीन सोवियत रूस के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्र जिन परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन्हें मैं इस सम्मानीय सभा और अपनी सरकार के ध्यान मे लाना चाहता हूं। वे अधिकांशत: चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। सोवियत संघ का विघटन होने के कारण अब वे छात्र विभिन्न गणराज्यों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। उनके माता-पिता चिन्तित हैं, क्योंकि उनसे सम्पर्क करने का कोई तरीका नहीं है। उनके माता-पिता अनुभव करते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यहां अकेले जम्मू एवं कश्मीर राज्य से ही सोवियत गणराज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 250 से 300 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

रूबल के अवमूल्यन के कारण ये छात्र कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मास्को से दिल्ली

तक विमान यात्रा का किराया जो 600 रूबल हुआ करता था अब वह बढ़कर 1,04,000 रूबल हो गया है। छात्रों के लिए भारत आना और अध्ययन के लिए वापस जाना अत्यन्त कठिन हो गया है। कुछ गणराज्यों में उनसे अध्ययन शुल्क के रूप में प्रति मास 300 डालर अदा करने के लिए कहा जा रहा है। मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने इन छात्रों को 1:0 डालर का वार्षिक शिक्षा भत्ता देना बन्द कर दिया है जो प्रत्येक छात्र को पहले मिला करते थे। माता-पिता के लिए अपने बच्चों की मदद करना अत्यन्त कठिन है।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि सरकार को इन छात्रों का बचाव करना चाहिए। नागर विमानन मंत्री को इन छात्रों को रियायती टिकट देने चाहिए ताकि वे छात्र कम से कम निर्बाध रूप से यात्रा कर सकें। दूसरे, विदेश में हमारे भारतीय दूतावास को उन्हें जिस सहायता की आवश्यकता हो देनी चाहिए। दूतावास की डाक के माध्यम से उन्हें अपने माता-पिता के पास पत्र भिजवाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

महोदय, अन्त में इस सम्माननीय सभा से मेरा अनुरोध है कि वह सोवियत रूस में भारतीय छात्रों की दुर्दशा की ओर ध्यान दे और सरकार को उन्हें वह सब सहायता देनी चाहिए जिससे इस समय वे वंचित हो गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैंने भी इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है क्योंकि वहां अनेक छात्राएं भी हैं जिन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें उनसे अभ्यावेदन मिल रहे हैं। उन्होंने हमें सूचित किया है कि उनके मां-बाप अत्यंत परेशान हैं। कोई भी इस बात को समझ सकता है कि क्योंकि उनकी लड़कियां ऐसी समस्याओं का सामना कर रही है। कम से कम कुछ कदम उठाया जाना चाहिए और इस बारे में उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि उन्हें यह भी नहीं बताया गया है कि इस मामले में सरकार क्या सोच रही है। विदेश मंत्री यहां बैठे हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए। इसमें छात्रों का कतई दोष नहीं है। न इसमें उनके माता-पिता की कोई गलती है। इसलिए, इस मामले में सरकार को अनुकूल रुख अपनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इस बारे में आपको लिखकर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सौभाग्यवश, आज विदेश मंत्री सभा में उपस्थित हैं तथा वह इसको ध्यान में रख रहे होंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : वह एक भारतीय मंत्री हैं न कि विदेश मंत्री। वह हमारे विदेश मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : आपकी अनुमति से मैं अपने क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

मामला उठाना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में एक महीने से पेट्रोल का बड़ा भारी संकट चल रहा है। पिछले महीने इंदौर शहर को 15 रैक्स मिलने वाले थे, लेकिन 7 रैक्स ही मिले है। इस महीने में केवल 3 मिले हैं। आने वाले दिनों में वहां इन्दौर के निकट उज्जैन में सिंहस्थ, कुम्भ स्नान है और उसमें भाग लेने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। यदि इसी प्रकार का संकट वहां चलता रहेगा, तो वहां कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए आज मेरा यहां पर निवेदन है कि इस पेट्रोल के संकट पर यहां से ध्यान दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: हमारे रेल विभाग द्वारा यात्रियों को यह सुविधा दी है कि वे यदि चाहे तो, साठ दिन से भी पूर्व अपनी टिकट अग्रिम में आरक्षित करा सकते हैं। विद्यमान नियम के अधीन इस समय सीमा से बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा सीटों का आरक्षण कराना असम्भव है।

लेकिन महोदय, मुझे अनेक मलयालियों द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई है कि निर्धारित अवधि के लिए सीटों के लिए आरक्षण की लाइन में पहले दिन और पहला स्थान होने के बावजूद भी उन्हें सीटें नहीं मिल पातीं। दिल्ली के पांचों कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र सुबह 7.45 बजे शुरू हो जाता है। अन्य कोटों के अतिरिक्त प्रतिदिन केरल एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे में आरक्षण की संख्या करीब चार सौ है। लेकिन महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस चमत्कार से, सभी केन्द्रों में, पंक्ति में लगे पहले व्यक्ति को भी आर० ए० सी० या प्रतीक्षा सूची में टिकट मिलता है। सामान्यत: एक टिकिट को बनाने में दो मिनट का समय लगता है तो महोदय, कुछ ही मिनटों में करीब पांच सौ टिकिट बेचना कैसे सम्भव है। सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की पंक्तियों में यदि सभी टिकिट लेने वाले व्यक्ति मलयाली भी हों, तो भी यह अविश्वसनीय है कि सभी टिकिट कुछ ही मिनटों में बेच दिये जायें। दूर-दूर से लोग प्रात: साढ़े पांच बजे अपनी सीटें आरक्षित कराने आते हैं और वे निराश होकर लौटते हैं क्योंकि इकसठवें दिन भी वे आरक्षण नहीं करा सकते।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस कदाचार के पीछे सक्रिय लोगों का पता लगाएं—जिसका अन्देशा मुझे है—तथा केरल के इन आम लोगों को बचाने हेतु दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए क्योंकि उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए केरल एक्सप्रेस ही एक मात्र रेलगाड़ी है।

धन्यवाद।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। दिल्ली में, पांच कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र है। हमने यह मामला रेल मंत्री के ध्यान में लाया है।

महोदय, आप सरकार को इस संबंध में कार्य करने का निर्देश दें। गर्मी की छुट्टी शुरू है। ...(व्यवधान)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी स्वीकृति इसलिए दी थी क्योंकि महिला सदस्य बोलना चाहती थीं। आप आरक्षण से सम्बन्धित मामले पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सही नहीं है। आप मंत्री महोदय से मिलें ? कृपया एक सीमा से बाहर न जाएं। आप जाकर रेल मंत्री से मिलें।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बिहार के कई जिलों में आन्दोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के असर के कारण बिहार में अस्तव्यस्तता आ गई है और 12 मार्च से आर्थिक नाकेबन्दी की गई है जिसके चलते कोयला सहित तमाम खनिज पदार्थों का आवागमन बन्द कर दिया गया है। हमने सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1992 को इस ओर आकर्षित किया था कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं प्रत्येक दल के नेता लोगों को बुलाकर अलग झारखण्ड राज्य की मांग के ऊपर विचार करें क्योंकि जो भी पार्टियां हैं वे सभी पार्टियां किसी न किसी रूप में झारखण्ड राज्य का समर्थन करती हैं।

मोर्चा के द्वारा नाकेबन्दी के कारण आज जो हालत है उसमें जन-जीवन अस्तव्यस्त होता जा रहा है और समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता श्री सूरज मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और झारखण्ड राज्य अलग नहीं करती है तो वहां भी पंजाब और कश्मीर जैसी हालत हो जाएगी। इसलिए हम केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर अलग राज्य बनाएं। यह उनके अधिकार का सवाल है। हम मांग करते हैं कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता और दूसरे तमाम दलों के नेताओं को बुलाकर केन्द्र सरकार से बातचीत करके समाधान करे और छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर अलग झारखण्ड की घोषणा करे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी जो झारखण्ड का प्रश्न उठाया गया है इस पर हम एक बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्वेश्चन भी पूछेंगे, 377 भी देंगे। आप किसी दूसरे मेम्बर को बोलने दीजिए। वे मेरे पास चैम्बर में आकर कम्प्लेन करते हैं।

श्री नीतीश कुमार : बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने के नाम पर जो आन्दोलन चल रहा है और उनका इस सिलसिले में जो इकोनोमिक ब्लोकेड का तेरह दिन का कार्यक्रम आन्दोलन चल रहा है उसके चलते कोयले के उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। वहां हिंसा हो रही है और कई प्रकार की वारदातें भी हो रही हैं। प्रतिदिन बिहार सरकार को डेढ़ करोड़ रु० से ज्यादा रायल्टी का नुकसान हो रहा है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी खराब होती जा रही है। यह स्थिति बरकरार रही तो झारखंड का इलाका एक नया पंजाब और कश्मीर का रूप धारण कर सकता है। केन्द्र सरकार ने पहले कमेटी बहाल की थी, झारखंड मैटर्स पर और उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ, उस पर आगे बातचीत नहीं हुई।

कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और वो

[श्री नीतीश कुमार]

मुख्य मंत्री आए, दो मुख्य मंत्री नहीं आए। उस समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने यह तरीका अख्तियार किया है जो बहुत ही उग्र रूप धारण करता जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में यह हो रहा है और बिहार सरकार ने झारखंड काउंसिल बनाने का ऐलान भी किया है लेकिन इसके बावजूद यह चल रहा है।

चूंकि केन्द्र से संबंधित मामला है नये राज्य के गठन का, इस सवाल पर जल्दी से जल्दी बातचीत करें। आपको स्मरण होगा यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ए० के० 47 तक उठाने की धमकी दी है। इसको हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। उसका रूप वहां आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव के जरिए राजनीति में हैं लेकिन वहां दूसरा ग्रुप भी पैदा हो गया है जो बिल्कुल हिंसा में विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वातावरण को ठीक करने के लिए हम मांग करेंगे कि इस सवाल को गम्भीरता से लें और तत्काल सभी राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाएं, आन्दोलनकारी लोगों की बैठक बुलाएं ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : 23 मार्च के नवभारत टाइम्स में निकला है। वहां के हरिजन, पासी और चमारों पर सवर्ण बिरादरी के लोगों ने गोली चलाई है जिसमें बहुत लोगों को छर्रा लगा है। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के थाना मिल एरिया के अन्तर्गत लहुरिया ग्राम के सवर्णों द्वारा सताए जा रहे लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं। 20 दिसम्बर को यह घटना घटी थी। उसके बाद 6 मार्च को गांव में बेगारी करने से इंकार करने वाले सर्वश्री छोटे पासी, बाबू पासी, शीतला चमार, प्रेम लाल चमार एवं उनके परिवार के राजकुमार, मनीलाल को सवर्णों ने लाठियों से पीटा। पासी और चमारों को जो सरकारी पट्टे की जमीन दी गई है उनमें सवर्ण लोग अपना पम्पिंग सेट लगाकर उनसे बेगारी करवाते हैं। जो एफ० आई० आर० लिखी गई है वह भी गलत लिखी गई है। उन पर गोली चलाई गई और इससे लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, वह इस प्रकार से हरिजनों के साथ अत्याचार करेगी तो वह बहुत घातक होगा। जैसे अभी बिहार में बारा में हुआ है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हो सकता है··· (व्यवधान)··· अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार भूखों मर रहे हैं और उनके बच्चे दाने-दाने को मोहताज हैं। उन पासियों और चमारों के साथ अत्याचार न हो इसका आप आगे के लिए ध्यान रखें। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाये जो लोग इस घटना के दोषी हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें, एक साथ नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कार्तिकेश्वर जी, आपका हाथ रोजाना खड़ा रहता है, मैं आज आपको एलाऊ करूंगा।

[अनुवाद]

श्री सिंह देव जी, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बजट को पारित नहीं करना चाहते तो मैं सभी व्यक्तियों को बोलने की स्वीकृति दूंगा। यही आप लोगों का दृष्टिकोण है।

बोफोर्स घोटाले के बारे में

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: उस घोटाले का उल्लेख कर रहा हूं जो मेरे विचार में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होने वाला इस देश का शायद सबसे बड़ा, अत्यधिक महत्वपूर्ण और निश्चितरूप से अत्यधिक पारिणामिक शस्त्र घोटाला है।

मुझे आशा है कि इस घोटाले के पारिणामिक कारण हैं और इस संबंध में पहले भी मैंने कहा है तथा जो लोग इस बारे में मुझसे सहमत नहीं हैं, उनके संबंध में मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि जब तक बोफोर्स मामले का समाधान नहीं हो जाता है, हल नहीं निकल आता है, तब तक यह मामला जीवित रहेगा तथा चलता रहेगा और जब तक हमें बोफोर्स घोटाले से उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक यह प्रश्न हमें तथा भारतीय राज्यतंत्र को सालता रहेगा।

हमने इस संसद में और पूर्ववर्ती संसदों में इस बोफोर्स घोटाले के उत्तरोत्तर चरणों को देखा है। सत्ताारूढ़ पक्ष ने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। यह कल्पना मात्र है और हमने, विरोधी पक्ष ने सत्तारूढ़ पक्ष को डराने के लिए इसका इस्तेमाल किया है।

जब यह चरण समाप्त हुआ तो हमें संयुक्त संसदीय समिति के हौवे का भी सामना करना पड़ा जो जांच में बाधा उत्पन्न करने तथा जांच को धूमिल करने से संबंधित चरण था इसके पश्चात किसी न किसी प्रकार जांच को धूमिल किया गया।

हम इस समय बोफोर्स के चौथे चरण में हैं जिसमें देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विधिक कार्यवाही में सुविचारित, संस्थागत तथा शासकीय स्तर पर हेरफेर किया जा रहा है। यह अन्तिम चरण, जिसमें सरकार का हाथ है, एक सुविचारित चरण है और इसके अत्यन्त गम्भीर परिणाम होंगे। आप इस घोटाले में सम्मिलित धनराशि अथवा वह परिणामी है या नहीं, इस बात से मुझसे भिन्न हो सकते हैं। लेकिन इसमें उत्तरदायित्वता का मुद्दा शामिल है। मैंने यह बात यहां कई बार कही है।

अन्य दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शस्त्र घोटाला केवल भारत में ही हुआ है दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम में भी ऐसा लगातार हो रहा है। प्रत्येक देश में, जहां इस प्रकार के घोटाले हुए हैं, जब कभी भ्रष्टचार, दुष्कर्म की कोई शिकायत मिली है तो वहां उसकी उचित जांच हुई है और उसके लिए जवाबदेही निर्धारित की गई है तथा और घोटाले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितने ही उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। केवल भारत में ही ऐसा है, चाहे वह व्यवसायी हो अथवा राजनीतिज्ञ

[श्री जसवन्त सिंह]

अथवा कोई मंत्री, वे हर प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं और किसी के प्रति, संसद के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और हम ऐसे मामलों को यूं ही खत्म कर देते हैं।

हाल में यह रहस्योद्‌घाटन इस वर्ष फरवरी में हुआ था जब "दजेंस नाहेटर" ने लोगों के नाम समाचार पत्र में छापे थे और उन्होंने जांच के बारे में बताया और मैंने पहले भी कई अवसरों पर यह कहा है कि सत्तारूढ़ दल का पदधारी व्यक्ति ही है जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री का नाम लेते नहीं थकता है और जो कहता है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के नाम को कलंकित किया जा रहा है। जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री का नाम कलंकित किया जा रहा है तो यह आपका ही उत्तरदायित्व है कि आप यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम हमेशा के लिए तथा अन्तिम रूप से निकाल दिया जाए।

हमने वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कार्यवाही करने को कहा जो व्यर्थ सिद्ध हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था के पश्चात, कि श्री विन चड्ढा के संबंध मे पहले दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एक वैध दस्तावेज है और इसे स्विस न्यायालय को सौंपा जा सकता है, यहां उच्च न्यायालय में दर्ज एक मामले की प्रति को स्वीटजरलैंड भेज दिय। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए मामले का सार गोपनीय रूप से चुपचाप उन्हें दे दिया।

तीसरे, हाल में श्री मार्टिन आर्डबो, जो भारत में जब यह अनुबंध हुआ था तब प्रबंध निदेशक थे, ने यह आरोप लगाया है कि—मैं केवल उन्हीं समाचारों पर विश्वास करता हूं जो मैंने सुने हैं—जो भुगतान किए गए हैं उनमें कांग्रेस दल को आज की विदेशी मुद्रा की दर पर लगभग 50 करोड़ रुपये मिले हैं। यह सम्भव है कि कांग्रेस दल को यह राशि न मिली हो। यह भी सम्भव है कि कांग्रेस की ओर से किसी ने यह राशि ली हो। लेकिन जो भी हो कांग्रेस दल को अपने लिए एक जांच करवानी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि "नहीं हमने यह राशि नहीं ली है और हम जांच करवाने को तैयार हैं।" अतः जवाबदेही के इस पहलू के कारण इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि स्वर्गीय ओलोफ पाल्मे की हत्या बोफोर्स घोटाले से संबंधित है।

[अनुवाद]

मैं सरकार से तीन-चार बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रथमतः सरकार को फरवरी में हुए रहस्योद्घाटन पर एक वक्तव्य देना चाहिए। उनके लिए केवल इतना कहना काफी नहीं समझा जा सकता कि सी० बी० आई० जांच करेगी। हम जानते हैं सी० बी० आई० बोफोर्स के मामले में क्या कर रहा है। दूसरे, सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। सी० बी० आई० के संबंध मे पहले भी हमने ऐसे कहा था। यदि ऐसी रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स से 50 करोड़ रुपये मिले हैं तो सरकार को निश्चित रूप से यह करना चाहिए कि "नहीं, हमें धन नहीं मिला है।" या "हां, हमें धन मिला है।" या "नहीं किसी और ने हमारी एवज में धन लिया है।" और जब तक आप वास्तव में जांच नहीं करेंगे तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते। तीसरे··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : आपके पास यह लैटर आया है कि 50 करोड़ रुपया दिया गया है ?··· (व्यवधान)···यह जो इल्जाम लगा रहे हैं, यह बिल्कुल असत्य है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह : श्रीमान, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं जनता हूं कि जहां तक स्वीडन का सम्बन्ध है स्वीडन में 5 वर्ष से चल रही विबन्धन तीन या चार दिन में समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही यह समाप्त होगा स्वीडन के लोग बोलना शुरू कर देंगे। अत: सरकार के लिए यही बेहतर होगा कि वह स्वीडन के लोगों के बोलने से पहले खुद ही गम्भीरता से जांच शुरू कर दें। सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड के न्यायालयों के बारे में वह क्या कर रही है। वहां के न्यायालयों में ऐसा सुना जा रहा है कि सरकार स्विस मामले को व्ययगत हो जाने देना चाहती है। अत: सरकार से स्पष्टीकरण वांछनीय है। मैंने बार-बार कहा है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और आप जितना इसे दबाने का प्रयत्न करेंगे यह उतनी ही उभरेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्रीमान, मैं खुश हूं कि श्री जसवंत सिंह ने यह मामला उठाया है। श्री आडवाणी के भाषण से ऐसा लग रहा था कि उनके अनुसार बोफोर्स का महत्व समाप्त हो गया है क्योंकि उन्होंने कहा था—"सी० पी० आई० द्वारा धन की कथित प्राप्ति बोफोर्स से भी अधिक महत्वपूर्ण है।" मुझे खुशी है कि बोफोर्स को अब सही नजरिये से देखा जा रहा है।

महोदय, हम यह भी चाहते हैं कि इस मामले की उपयुक्त जांच की जाए। सी० बी० आई० का अधिकारी बदल दिया गया है। जांच अधिकारी बदला गया है। विदेशों में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। हमारे देश को तो विश्वास में लिया ही नहीं जाता। संसद को भी विश्वास में नहीं लिया जाता। महोदय, कई बातें न पता चल रही हैं और नई रिपोर्टें आ रही हैं। आज के अखबार में भी बहुत कुछ कहा गया है। जहां तक हथियारों की खरीद का मामला है देश की विश्वसनीयता बनाए रखनी है। इसलिए इसे यूं ही नहीं दबाया जा सकता और इसे केवल राजनीतिक मुद्दा समझकर नहीं छोड़ा जा सकता। इस प्रश्न पर देश की इज्जत टिकी हुई है; क्या हथियारों की खरीद के सम्बन्ध में धन दिया गया है और क्या वास्तव में ऐसे धन का भुगतान हुआ है। भुगतान तो स्वीकार किया जाता है। प्रश्न केवल यह है कि किसको और कितना धन दिया गया है। अत: ये तथ्य अन्तत: प्रकट होने चाहिए। हम चाहते हैं कि उचित जांच हो और सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त एक पूर्ण बयान देना चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान···(व्यवधान)।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमान उससे पूर्व, चर्चा होनी चाहिए जैसा कि पहले वायदा किया गया था।···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि बीच-बीच में इस प्रकार की छोटी-छोटी चर्चाएं हों। हरेक कुछ-न-कुछ कहना चाहता है। मैं बोफोर्स के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस समय आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप बजट के बारे में चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी। सरकार ने पहले ही कहा था कि वे इस प्रश्न पर चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। जसवंत सिंह जी ने इस पर जोर दिया कि वे इसे उठाना चाहेंगे। इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसकी तारीख अभी यहां पर निर्धारित की जाए… (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्वीकार किया है कि हम बहस करने को तैयार हैं। उसके बाद अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में न भी उठा हो, मैं समझता हूं कि पिछले आठ-दस दिनों में अखबारों में जितनी खबरें छपी हैं, उसके कारण सरकार का ही स्वार्थ होना चाहिए कि इस मामले में पूरे तथ्य सामने लाए। या तो सरकार इस बारे में अपराधी है, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इन्वेस्टीगेशन को स्कटल करने की कोशिश की है। सी बी आई के जो आफिसर्स वहां पर गए हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है। तथ्य क्या है, जब तक बताते नहीं हैं, तब तक कोरी चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। हमारे जसवंत सिंह जी ने आज यह मामला उठाया, हम अपेक्षा करते थे कि सरकार का कोई प्रमुख मंत्री खड़े होकर कम से कम यह आश्वासन देगा कि कल आकर हम इसके बारे में बयान देंगे। उसके बाद बहस हो सकती है, लेकिन सरकार का बयान होना जरूरी है। यह बहुत गम्भीर और एक स से बड़ा स्कैंडल है। उस स्कैंडल के बारे में अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो उसके परिणाम किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे… (व्यवधान)…

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : चर्चा कई बार हो चुकी है, कहा छिपा रहे है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : चर्चा की बात नहीं है।… (व्यवधान)…

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, · (व्यवधान)…

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पहले हम बोल लें, फिर आप बोलें।

श्री गुलाम नबी आजाद : फिर बोलने का क्या फायदा। भाषण देने के बाद, वक्त बर्बाद करने के बाद कोई फायदा ही नहीं। हम बहस करने के लिए पहले ही तैयार है।… (व्यवधान)…

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, आज श्री जसवंत सिंह ने मामला उठाया है, मैं उसकी ताईद करता हूं। अध्यक्ष जी, आप अभी बोले हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हुई थी। मैं आपके समक्ष इस बात को लाना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता दो दिन से कह रहे है कि यह मामला खत्म है। जब बाहर से इस तरह से कहा जा रहा है और हर दिन अखबारों में भी नए-नए तथ्य इस बारे में निकलते है। तो फिर लोगों के मन में यह भरोसा नहीं रहा है कि संसद इस बारे में बात करेगी और सरकार इसका कोई खुलासा करेगी। मेरा यह कहना है कि इस मामले में नया रिवलेशन हुआ है और इस नए रिवलेशन के बारे में हम संसद के सामने बोल रहे हैं। हम लोग नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के हित में भी है, जब विदेशी अखबारों मे फार्मर प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया गया है, तो सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह इस बारे में खुलासा करे। सरकार ने जान बूझ कर चुप्पी साध ली है, क्योंकि बाहर कहा जाता है कि हम लोग नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाहर बाकायदा कहा जाता है कि इस बारे में मामला खत्म हो गया है, बहस होने वाली नहीं है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कह चुका है कि यह मामला खत्म है। इस बारे में मेरा कहना है, अगर यह सही बात है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पारित हुआ है, तो जल्दी से जल्दी बजट पर बहस खत्म होने के बाद हाउस तुरन्त इस पर बहस करे।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष जी, यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी जब यह चर्चा हुई थी, तो उस वक्त भी

तुरन्त कहा गया था कि सरकार जब भी संभव हो और आप चाहें, सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। आज भी मैं वही बात दोहराता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, इस समय चर्चा हो या नहीं, यह विवाद का विषय नहीं है। चर्चा हो, इस पर सरकार तैयार है और हम भी तैयार हैं। विवाद का विषय है — क्या यह सही है, जो जांच चल रही थी, उस जांच को रोकने का सरकार ने प्रयत्न किया है ? उसके बारे में जो आरोप लगाए हैं उसका सरकार खुलासा करे, बयान दे। उसके बाद फिर चर्चा करनी है या नहीं करनी है उसको संसद तय कर लेगी।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, हमें बोफोर्स के विषय पर सरकार की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है, स्पीकर साहब जब भी चाहें, चर्चा कर लें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं (व्यवधान) इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाएं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी में फैसला हुआ था और आपने और मंत्री जी ने कहा था···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाएगा तो हो सकता है कि चर्चा की आवश्यकता न पड़े पर यह बात सही है कि बिजनेस एडवायजरी कमेटी में पहले भी मामला उठा था और मंत्री जी ने कहा था कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहते है कि अब मंत्री जी की तरफ से बयान आ जाए कि उसमें इनवेस्टीगेशन को नहीं रोका गया है, अफसरों को ट्रांसफर नहीं किया गया है और जो एलीगेशन लगाए जा रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं वह तथ्यहीन हैं, तब हो सकता है कि चर्चा की आवश्यकता न पड़े और सदन का समय भी बच जाए।

इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते है कि पहले स्टेटमेंट दिलवाइए और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो फिर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, देखिए आपने कहा कि इस प्रकार से आप इसको चर्चा के लिए रोकिए नहीं, तो इसलिए मैंने आपको खुलासा किया और अगर आप ऐसा नहीं बोलते तो हम खुलासा भी नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में समाचार पत्रों में अनेक लेख अपमानजनक ढंग से प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं क्योंकि लीडर आफ दी अपोजिशन बोलना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय में भी निवेदन

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथी ने अभी यह जो सवाल उठाया है, उसका भ्रष्टाचार से संबंध है, व्यापक रुप से भी और भ्रष्टाचार को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के लिए जो भी दोषी हों, उनको एकाउंटेबल किए बिना हम नहीं रोक सकते। आज अगर देश में आम आदमी से पूछे कि तुम को किस बात की तकलीफ है तो वह कहेगा कि हमको तकलीफ है मंहगाई की बेरोजगारी की मैं यह मानता हूं कि यह जो दो समस्याएं हैं आम आदमी की, ये गलत आर्थिक नीतियों से उत्पन्न होती है और ज्यादा गलत इकोनोमिक मिस मैनेजमेंट से उत्पन्न होती हैं और उस मिस-मैनेजमेंट में यह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मिस मैनेजमेंट में कालेधन की उत्पत्ति बहुत बड़ा मुद्दा है।

अध्यक्ष जी, आज देश भर में मेरी पार्टी की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उन प्रदर्शनों में मैं भी शामिल होना चाहता हूं और बोफोर्स का मामला इसमें उठाया गया है और इस बोफोर्स के मामले में तो उल्टा एक प्रकार से सरकार के इकोनोमिक मिस-मैनेजमेंट को हाईलाईट से किया है कि किस प्रकार से इतने उच्चस्तरों पर भी भ्रष्टाचार होने पर, उसको रोकने की कोशिश होती है।

मैं अपने साथियों के सहयोग में इस सरकार की गलत नीतियों के और गलत मैनेजमेंट के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में अपने साथियों के साथ इस सदन का त्याग करता हूं।

[अनुवाद]

12.44 म० प०

तत्पश्चात श्री आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

— —— ——

श्री के० पी० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में अपमानजनक ढंग से अनेक लेख प्रकाशित हो रहे है जिनमें कालाहांडी तथा कोरापुट जनजातिय जिलों की अपर इंदिरावती बहुउद्देशीय परियोजना का उल्लेख है। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस संबंध म आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में भुबनेश्वर के श्री श्रीमय कार का लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख, जिसे "वर्ल्ड बैंक पुट्स उड़ीसा गवर्नमेंट इन ए फिक्स" विश्व बैंक के प्रस्ताव के कारण उड़ीसा सरकार असमंजस में शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है, यह कहा गया है जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं।

> "विश्व बैंक द्वारा कोरापुट और कालाहांडी के पिछड़े जिलों में निर्माणाधीन अपर इंदिरावती बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य तथा पूर्ण प्रशासन को जिसके लिए वित्तीय सहायता विश्व बक द्वारा प्रदाम की जा रही है। अपने अधीन लेने के प्रयत्न के फलस्वरूप उड़ीसा सरकार असमंजस मे पड़ गई है।"

> "विश्व बैंक ने इस परियोजना की देख-रेख तथा प्रशासन के लिए निर्माण कार्य प्रबंध मंडल की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। इसके लिए उसने पांच विदेशी कम्पनियों का चयन किया है तथा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इनमें से किसी एक का चयन करे जिसका परामर्श शुल्क 30 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच होगा।"

अब इससे भी असहनीय बात विश्व बैंक ने यह कही है :—

"यह प्रस्ताव किया गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण, परिचालन रख रखाव, जल विज्ञान संबंधी अध्ययन तथा प्रशासन का कार्य भार प्रबंधमंडल के पास होगा। राज्य-सरकार द्वारा नियुक्त परियोजना का महा-प्रबंधक प्रबंध मंडल द्वारा नियुक्त निदेशक के अधीन कार्य करेगा। प्रबंध मंडल की पूर्व स्वीकृति बिना राज्य सरकार के अधिकारियों तथा इंजिनीयरों को तैनात नहीं किया जा सकता वे माप कार्य नहीं कर सकते तथा किसी तरह का व्यय नहीं कर सकते।"

चूंकि वित्त मंत्री आज बजट का उत्तर देंगे और भारत के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में विश्व बैंक की भूमिका के संबंध में अनेक विवाद पैदा हो गये हैं, इसलिए हम यह जानना चाहेंगे कि यदि हम लेख लिखित बात को मानें तो यह हमारे राष्ट्रीय गौरव, प्रतिष्ठा और प्रभुसत्ता का अपमान है। इसलिए मैं महोदय आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि सभा में वह सम्पूर्ण अपमानजनक घटना को सभा के समक्ष स्पष्ट करें और उसे विश्वास में ले क्योंकि इस परियोजना में तीन बार विलम्ब हुआ है। जिसके फलस्वरूप इसकी लागत में तथा इसके पूरा होने के समय में काफी वृद्धि हो गई है और अब इसकी लागत 900 करोड़ रुपये होगी। यदि ऐसा ही हस्तक्षेप जारी रहा तो महोदय, हमें विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता राशि के परिणामों के बारे में सोचना होगा (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राम चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, यह मुद्दा न केवल राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लघंन करता है। अपितु यह हमारे समस्त देश की आर्थिक और राजनैतिक प्रभुसता पर भी प्रयत्क्ष प्रहार करता है। विश्व बैंक की नौ सौ करोड़ रुपये की बहुउद्देशीय परियोजना को अपने कब्जे मे लेने की योजना है। विश्व बैंक की यह योजना हमारे देश की राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभुसत्ता के विरुद्ध है। (व्यवधान) महोदय यह बताया गया है कि विश्व बैंक, इस परियोजना के ऊपर एक निर्माण कार्य संबंधी प्रबन्ध मण्डल थोपने जा रहा है। यद्यपि राज्य सरकार को एक महा प्रबंधक की नियुक्ति करने का अधिकार होगा लेकिन वह निर्माण कार्य संबंधी प्रबन्ध मण्डल के निदेशक के संरक्षण में कार्य करेगा। विश्व बैंक ने पांच विदेशी कम्पनियों के नाम बताये हैं और केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह इन विदेशी कम्पनियों में से किसी एक का चयन करे और उसे करीब 30 से 50 करोड़ रुपये की परामर्श शुल्क दे। यह क्या है। यह पूर्ण परियोजना विश्व बैंक की जागीर बन जायेगी। महोदय, वित्त मंत्री को चाहिए कि वह इस संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य दें और यह बतायें कि क्या विश्व बैंक के अधिकारियों को हमारी राजनैतिक और आर्थिक प्रभुसत्ता का इस तरीके से विनाश करने की अनुमति दी जाएगी (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : इस विषय पर हम श्री जार्ज फर्नान्डीज के विचार सुनना चाहेंगे। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर किसी अन्य सदस्य के बोलने के पहले। श्री जार्ज फर्नान्डीज को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए क्योंकि यह उनकी सरकार ने किया है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था। यह अच्छा हुआ कि आज के० पी० सिंह देव जी ने इस विषय को उठाया, लेकिन मैं के० पी० सिंह देव जी से कहना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के पास पेंडिंग है और यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका पर्दाफाश करने के लिए जो कल बजट पर चर्चा करते हुए श्री जार्ज फर्नांडीज ने और श्री चन्द्र शेखर जी ने इलजाम लगाए थे, अध्यक्ष महोदय, यह अब सिर्फ थ्यूरी में ही नहीं

[श्री रवि राय]

है। वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा के पिछड़े जिलों कालाहांडी और कोल्हापुर में सिंचाई के लिए इंदिरावती मल्टी परपज प्रोजेक्ट लिया था। जिस तरीके से भारत सरकार का विश्व बैंक से करार होता है, विश्व बैंक आर्थिक सहायता देता है, उड़ीसा सरकार ने उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का जिम्मा लिया है, 85 से यह चल रहा है, आज यह चीज हो गई है कि वर्ल्ड बैंक भारत सरकार से कहता है कि हम लोग इसके मालिक बनेंगे। सवाल मालिक बनने का है। वे कहते हैं चार-पांच विदेशी कम्पनियों को मुकर्रर करेंगे, पांच विदेशी बैंकों में से एक उसको आईडेंटीफाई करनी होगी, वह आईडेंटीफाई कर के उसके सर्विसिंग चार्जिज 30 से 50 करोड़ देने होंगे।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंहदेव : महोदय, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं। यह परियोजना सन् 1978 में आरम्भ की गई थी न कि सन् 1985 में। श्री मोरार जी देसाई ने इसकी आधारशिला रखी थी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा सरकार इसको कर रही थी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उड़ीसा सरकार से जो अफसर हैं वे पूरे तरीके से डायरेक्शन्ज लेंगे विदेशी कम्पनी से, जिसका जिक्र किया गया है। विश्व बैंक 30 करोड़ से 50 करोड़ देने के लिए कह रहा है। सवाल यह है कि भारत सरकार के पास सारे कागजात हैं। हमको यह लगता है भारत सरकार ने जिस तरीके से विश्व बैंक को हिन्दुस्तान की सोवरनिटी सौंप दी है, हमें डर है भारत सरकार पर विश्व बैंक जिस तरीके से शर्तें लगा रहा है वह मालिक बनेगा, हमें सन्देह है भारत सरकार वर्ल्ड बैंक को यह सहमति प्रदान कर देगी। मेरी भविष्यवाणी गलत हो तो मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सरकार ने हमारी प्रभुसत्ता को तिलांजलि दे दी है और आई० एम० एफ० मालिक बन गया है। मैं सबूत दे रहा हूं, भारत सरकार के खिलाफ हमारा चार्ज है, जब तक हम लोग इसको नहीं उठाते, दुनिया को यह मालूम नहीं होता कि वर्ल्ड बैंक मालिक बनना चाहता है। मैं कह रहा हूं जब आज वित्त मन्त्री इस बारे में जवाब देंगे, मैं मनमोहन सिंह जी से कहूंगा, मैं चन्द्रशेखर जी से भी कहूंगा कि वे यह मांग करें। आज भारत सरकार को यह कहना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, आप भी भारत सरकार को कहिए कि इस तरह से वे कैसे मालिक बनना चाहते हैं, क्या हम लोग मालिक बनने के लिए वर्ल्ड बैंक को लायेंगे ? इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, हम इस संबंध में चिन्तित हैं। इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? ऐसा कहा गया है कि विश्व बैंक के अधिकारियों का एक दल इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से मिला था। तथापि, हम किसी परियोजना के स्वामित्व को किसी और को सौंपने का विरोध करते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई अकेला मामला नहीं है। विश्व बैंक विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसा समझौता कर रहा है तथा वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ऐसा ही समझौता तमिलनाडु सरकार से नहीं किया गया है ? मैं नहीं जानता कि ऐसा सम°

छीता और कितने राज्यों ने किया है। कल जब मैंने बजट पर चर्चा के पूर्व यह प्रश्न उठाया तो हमारे कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने इसका विरोध किया। अब, मुझे इस बात की खुशी है कि श्री के० पी० सिंहदेव जी ने यह मामला उठाया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस बारे में गम्भीर हूं। यह किसी दल का प्रश्न नहीं है। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न किया था और इस देश के समक्ष एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा उठाई थी कि यदि श्री मनमोहन सिंह और श्री नरसिंह राव को दोष दिया जाता है तो उसी प्रकार श्री बीजू पटनायक को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। हम पक्षपात करके इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना की विश्व बैंक द्वारा सहायता की जा रही है। श्री चन्द्रशेखर जी उड़ीसा सरकार के कार्यकरण के बारे में जानते हैं और मैं इस बारे में किसी बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। विश्व बैंक के किसी भी ऋण के लिए न भारत सरकार के दिशा निर्देशों का न केवल उड़ीसा सरकार को अथवा तमिलनाडु सरकार को ही बल्कि सभी सरकारों को पालन करना होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनेक अन्य सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, विश्व बैंक इस इन्द्रावती परियोजना का अधिग्रहण करने के लिए जोर दे रहा है और मैं समझता हूं कि उड़ीसा सरकार इसका विरोध कर रही है। वित्त मन्त्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विश्व बैंक इस परियोजना को अपने हाथ में ले ले और वित्त मन्त्री द्वारा उड़ीसा सरकार पर प्रभाव डाला जा रहा है कि वह इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दें।

वित्त मन्त्री के विरुद्ध यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशन गंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या में व्याप्त स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस पर कल सभा में चर्चा हुई थी। लेकिन समाचार-पत्रों में छपी खबरों से पता चलता है कि अयोध्या में खुदाई करने गिराने एवम् निर्माण की विधिविरुद्ध गतिविधियां जोरों पर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति के विरुद्ध सम्पूर्ण देश में जो कुछ घटित हो रहा है सम्बन्धित अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अब माननीय गृह मंत्री जी और सरकार यह कह रहे हैं कि वे अयोध्या में एक शिष्ट मंडल भेजने को तैयार हैं।

फारसी में एक कहावत है :

"ता तिर्याक आबुरदह, शबद,
मार गजीदह मुरदह शवद"

जब तक आप सर्प रोगहर औषधि का इस्तेमाल करेंगे तब तक सांप का काटा व्यक्ति चल बसेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या में अधिकारियों की कार्य-प्रणाली से जो नई वास्तविक स्थिति उत्पन्न हुई है उससे देश के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस विषय पर रोजाना चर्चा करें ? यह अत्यन्त अनुचित है। केवल

इसलिए कि वे आज यहां नहीं है···(व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अतः कुछ न कुछ शीघ्र अवश्य किया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति उपचारात्मक उपाय करने से पहले बदतर हो जाएगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह प्रस्तावित शिष्ट मंडल को भेजने में एक दिन की भी देरी न करे। (व्यवधान) यदि इसे आज नहीं भेजा जा सकता है तो इसे कल अवश्य भेजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। आपको उत्तर नहीं देना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम श्री बी० एस० राव के पश्चात बोलने के लिए पुकारूंगा। आपका हाथ सर्वथ उठा रहता है। मैं नहीं जानता कि आप कब बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। विद्युत इंजनों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये का ठेका प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को वित्त मन्त्रालय ने अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान मामले में······

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मंत्री महोदय को सूचित कर दिया है ? नहीं, नहीं। सभा में कतिपय प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। क्या आपने मंत्री महोदय को सूचित किया है कि आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझे इस विषय में बताइये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : विद्युत इंजनों के सौदे में 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपये दिये गए हैं। यह एक भ्रष्ट सरकार है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स······

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मंत्री महोदय को सूचित करें तत्पश्चात आप इस पर चर्चा करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको मंत्री जी को सूचित करना चाहिए। आप इन बातों को अचानक नहीं उठा सकते। यह कोई मंच नहीं है जिसे ऐसी बातों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बस करिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। आप इस बारे में मंत्री जी से चर्चा करें। आप उन्हें सूचित करें और बाद में यहां चर्चा करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आपके विरुद्ध भी कुछ आरोप लगाये जा सकते हैं। किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जा सकता है। आपको इसे मन्त्री जी को भी देना होगा। नियमानुसार आपको मन्त्री जी को भी सूचित करना होगा।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री को इस बारे में उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। राव जी, आपके विरुद्ध भी आरोप लग सकता है। यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : वित्त मंत्री जी को स्पष्ट करने दीजिए। इस सौदे में 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपये दिए गये हैं। (व्यवधान) वे कुछ ही महीनों में अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं?

1.00 म० प०

माननीय मन्त्री महोदय को कहने दीजिए। (व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्ष पश्चात भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो खंड ऐसे हैं जहां कोई अग्नि शमन केन्द्र नहीं है। 100 किलो मीटर की परिधि में कोई भी अग्नि शमन केन्द्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अग्नि शमन केन्द्र राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह क्या प्रश्न है?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। आप बहुत जोर दे रहे थे लेकिन आपने जो मामला उठाया है उस पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। आप कृपया बैठ जाइये।

1.02 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : महोदय, इडुक्की जिला भारी सूखे की चपेट में है और यह सूखा बार-बार प्रत्येक वर्ष और अधिक तीव्रता से पड़ता है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विश्व बैंक तथा अनेक राष्ट्रीय जल संसाधन अभिकरणों से इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है परन्तु अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। लोगों को इस चट्टानी जिले में 10 से 15 कि० मी० दुर्गम रास्ते पर चलना होता है और उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इस जिले में पानी का अभाव है।

मेरा आग्रह है कि युद्ध स्तर पर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

राज्य सरकार को भी तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जाना चाहिए तथा केन्द्र को विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य जल पूर्ति अभिकरणों की सहायता के साथ आगे आना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, गाजीपुर के सांसद 25-3-1992 से भूख हड़ताल पर हैं। उसका कारण यह है कि वहां के सुखपुरा गांव में 42 एकड़ बंजर भूमि का खेतिहर मजदूरों को पर्चा दिया गया है लेकिन जब वे उस पर कब्जे के लिए गए तो उनके घरों को उजाड़ दिया गया। वहां की भा० ज० पा० सरकार और प्रशासन मिलकर वहां के खेतिहर मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको उजाड़ रहे हैं। वहां पर भूमि सुधार कानूनों को भी सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करे और उनको कब्जा दिलाए।

———

1.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : श्री बी० शंकरानन्द की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1605/92]

(2) भारतीय तेल निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1606/92]

(3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-992 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1607/92]

(4) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1608/92]

(5) आयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1609/92]

(6) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1610/92]

वर्ष 1992-93 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से मैं वर्ष 1992-93 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1611/92]

रिहैबलीटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : श्री एम० एम० जैकब की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रिहैबलीटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबलीटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1612/92]

मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[श्री कि० सा० सैना]

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1613/92]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1614/92]

(ग) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1985- 6 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1615/92]

(घ) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष '986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेय.ी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1986-8' का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1616/92]

(ङ) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1617/92]

(च) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰—1618/92]

(छ) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰—1613 –1619/92]

पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब वाणिज्यिक फसल उपकर (संशोधन और विधि॰ मान्यकरण) अधिनियम, 1992 (1992 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) जो 24 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰—1620/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्य॰ करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1621/92]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1622/92]

(6) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1989 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1623/92]

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1991 का प्रतिवेदन (1991 का संख्या 9)—संघ सरकार (वाणिज्य)—नागालैंड लुगदी तथा पेपर कम्पनी लिमिटेड

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1991 के प्रतिवेदन (1991 का संख्या 9)—संघ सरकार (वाणिज्य)—नागालैंड लुगदी तथा पेपर कम्पनी लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1624/92]

1.07 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

13वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 25 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 25 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

1.08 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) उड़ीसा में झारसुगुडा होते हुए भुवनेश्वर को रायपुर से विमान सेवा द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, उड़ीसा के झारसुगुडा में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया हवाई अड्डा रख-रखाव के अभाव में खराब हालत में है। उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र का एकमात्र हवाई अड्डा होने के नाते इसके उचित रख-रखाव की आवश्यकता है तथा इसका और विकास करके इसे एक आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए।

दूसरे, भुवनेश्वर को झारसुगुडा होते हुए रायपुर के साथ विमान सेवा द्वारा जोड़ने से पहले के प्रस्ताव को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। मेरा नागर विमानन मंत्री से भी अनुरोध है कि इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली-भुवनेश्वर विमान सेवा में परिवर्तन करके फिलहाल उसे सप्ताह में कम से कम दो बार झारसुगुडा होते हुए चलाएं।

[हिन्दी]

(दो) दक्षिण-पूर्व रेलवे के नैनपुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता।

श्री मोहन लाल झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण-पूर्व छोटी रेलवे लाइन का प्रमुख स्टेशन नैनपुर से रेलवे मंडल कार्यालय हटाने के फलस्वरूप इस रेलवे लाइन का रख-रखाव एवं निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से न होने के कारण चरेगांव की भयंकर रेलवे दुर्घटना हुई थी। लोगों ने आंदोलन किया तब तत्कालीन रेलवे मंत्री महोदय ने नैनपुर में पुन: रेलवे मंडल कार्यालय का आश्वासन दिया था किन्तु वह पूर्ण नहीं किया गया और कुछ वर्षों के भीतर ही दूसरी रेलवे दुर्घटना शिकारा के नजदीक हुई। अब वहां पर नाममात्र के लिए रेलवे अपर मंडल कार्यालय तो खोल दिया गया किन्तु वहां न तो पूरा स्टाफ दिया गया है और न ही कोई अधिकार ए०डी०आर०एम० को दिए गए हैं। अधिकारी ए०डी०आर०एम० सप्ताह में एक दो दिन के लिए यहां आते हैं और अपना कार्यालय अधिकतर नागपुर में ही रखते हैं। कृपया इस ओर तत्काल ध्यान देकर आफिस को पूरा स्टाफ और अधिकार दिये जायें। साथ ही विगत माह यह आदेश रेलवे विभाग द्वारा दिया गया है जिससे नैनपुर में मंडला रेलवे लाइन के स्टेशनों में अब माल-ढुलाई बंद कर दिया है। माल डिब्बे बेकार पड़े हुए हैं। अत: इस आदेश को निरस्त कर पुन: वैगनों से सामान ढोने के आदेश नये सिरे से दिये जावें।

[अनुवाद]

(तीन) असम की बारक घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : महोदय, जुलाई, 1979 में असम के बारक घाटी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई कार्य आरम्भ किया गया था और तब से घतिया, कंचनपुर, बदरपुर, मसिमपुर तथा पंचग्राम सहित छ: जगहों पर उच्च ग्रेड का कच्चा तेल पाया गया है तथा अदमितला और बशकन्डी में प्राकृतिक गैस का पता चला है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह अनुमान लगाया गया है कि घाटी में 450 मिलियन टन कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस का भंडार है। अदम-तिला में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू कनेक्शनों, गैस ताप परियोजना के निर्माण तथा उर्वरक तैयार करने के लिए न करके उसे जलाया जा रहा है।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग घाटी में कच्चे तेल की अनुपलब्धता का आधार बनाकर अपना खुदाई कार्य बन्द करने जा रहा है। पहले ही एक रिग को हटाया जा चुका है तथा दूसरे रिग को हटाने का आदेश दिया जा रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बारक घाटी में तत्काल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार का अन्वेषण करे तथा घाटी में तेल शोधक कारखाना, गैस टरबाईन तथा उर्वरक कारखाना लगाये।

[हिन्दी]

(चार) कानपुर की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए कानपुर में गंगा नदी पर बराज का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की अधिकतम जनसंख्या वाले

प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कानपुर आज पेयजल के लिए तरस रहा है। इस औद्योगिक नगर में वैसे तो समस्त नागरिक सुविधाओं का अभाव है परन्तु सबसे भीषण समस्या पेयजल की है। पीने के पानी के लिए कानपुर नगर सदैव से एकमात्र स्रोत गंगा नदी पर आश्रित रहा है परन्तु आज गंगा नदी की धारा बदल जाने से यह नगर से सात-आठ किलोमीटर दूर हट चुकी है। श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोग घंटों कतार में खड़े रहकर निराश लौट जाते हैं क्योंकि नल में पानी आता ही नहीं है। इस समस्या को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया गया है जिसके कारण स्थिति शोचनीय, गंभीर एवं चिन्ताजनक हो गई है। इस समस्या का एकमात्र निदान गंगा नदी पर बांध बनाकर उसे नगर के निकट लाना ही है जिससे पेयजल उपलब्ध हो सके। यह एक अत्यन्त संवेदनशील मामला है एवं कोरे आश्वासन देने से काम चलने वाला नहीं है। धनाभाव के कारण वर्तमान प्रान्तीय सरकार कुछ कर सकने में असमर्थ है। परन्तु केन्द्र की योजना में पूर्ण रूप से अपना दायित्व निर्वाह करने को तत्पर है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि कानपुर वासियों के इस जीवनमरण के प्रश्न पर अविलम्ब चिंतन करे एवं गंगा नदी पर बांध बनाने की योजना तैयार कर इसे कार्यरूप में परिणत करे जिससे प्राणीमात्र को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। गंगा नदी पर बांध निर्माण ही इस महानगर की दिन प्रतिदिन बढ़ रही आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने का एकमात्र स्थायी हल है। अत: सरकार इस बहुप्रतीक्षित योजना को वरीयता के आधार पर क्रियान्वित करे एवं इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करे।

(पांच) पूरे देश में गन्ने का एक समान मूल्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रदेशों में गन्ने की कीमत अलग-अलग तय किए जाने के कारण किसानों में काफी असंतोष है। अधिकांश चीनी मिलें पुरानी और जर्जर हालत में हैं जिससे उनकी पेराई क्षमता अत्यन्त कम हो गई है। ऐसी स्थिति में लाखों क्विंटल गन्ने के खेतों में ही सूख जाने की आशंका है। उत्तर प्रदेश की स्थिति और भी जर्जर और गंभीर है। क्रय केन्द्रों पर गत वर्ष के दो रुपये के मुकाबले तीन रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है जिससे लाखों किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। गन्ना समितियों के कमीशन में पांच प्रतिशत की कटौती किए जाने के कारण पहले से ही घाटे में चल रही समितियों और उनके कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश के अधिकांश राज्यों में गन्ना मूल्य का भुगतान न होने के कारण किसानों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है और अधिकांश किसान गन्ने की पर्चियां बंधक रखने को बाध्य हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में गन्ने का समान मूल्य घोषित किया जाए, गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराया जाए तथा अनावश्यक कटौती समाप्त की जाए। साथ ही गन्ना पर्चियों की चोर बाजारी पर रोक लगाकर गन्ने का पुन: सर्वे कराया जाए और राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए कि जब तक सम्पूर्ण गन्ने की पेराई नहीं हो जाती तब तक चीनी मिलें बंद न की जाएं।

[अनुवाद]

(छह) देश के मुख्य सोसा उद्योग में कार्यरत कर्मचारों की कार्यस्थिति का अध्ययन किये जाने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

के अधीन निम्नलिखित मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सीसा विषाक्तता एक बहुत ही गम्भीर बिमारी है जो सीसा उद्योग में कार्यरत मजदूरों को कलाइयों या पावों के लकवे से पीड़ित करने या दिमागी क्षति तक भी पहुंचाने सहित उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के एक विशेषज्ञ दल ने अध्ययन किया जो सीसे के टी०एल० की तुलना में व्यवसायजनित स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में किया गया अपने प्रकार का पहला अध्ययन है। यह अध्ययन पश्चिम बंगाल के छः बड़े सीसा उद्योगों मे कार्यरत 983 पुरुषों तथा महिलाओं पर किया गया है। इस अध्ययन से सम्बन्धित निबन्ध जनवरी, 1991 में, मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया और इसे भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा काफी सराहा गया।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश के प्रमुख सीसा उद्योगों में कार्यरत सीसा मजदूरों के व्यवसाय, इन उद्योगों द्वारा उठाये गये स्वास्थ्य तथा प्रदूषण निवारण उपायों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करें।

(सात) तमिलनाडु सरकार को मद्य-निषेध नीति का पालन करने के कारण हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दिये जाने की आवश्यकता।

श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार (चिंगलपट्टू) : महोदय, 1,000 करोड़ रुपये के बजट घाटे के साथ वर्तमान तमिलनाडु सरकार ने सत्ता संभाली थी।

गांधीजी के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी पहली कार्यवाही के रूप में मद्य-निषेध लागू किया और सस्ती शराब के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगा दी। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को एक वर्ष के दौरान 340 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा उठाना पड़ा। तथापि, इस आंशिक मद्य-निषेध से, तमिलनाडु के परिवारों, विशेषरूप से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है।

परन्तु इस घाटे के फलस्वरूप तमिलनाडु के अन्य विकास कार्यों पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मद्य-निषेध नीति के कारण तमिलनाडु के कल्याणकारी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

समाज तथा दलितों के विभिन्न कल्याणकारी उपायों के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए, यह महसूस किया गया है कि भारत सरकार तमिलनाडु में आंशिक रूप से मद्य-निषेध लागू करने के कारण हुए घाटे की क्षतिपूर्ति करे।

अतः, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मद्य-निषेध नीति लागू करने से हुए समस्त घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(आठ) सूखाग्रस्त स्थिति से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त सहायता दिये जाने की आवश्यकता।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न-

निश्चित मामला उठाना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश को सूखे की भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सरगुजा के जनजातीय, क्षेत्रों में भुखमरी के कारण कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि इन क्षेत्रों का हाल ही में दौरा करने वाले नेताओं के एक दल ने बताया कि बहुत से और लोग भुखमरी के कगार पर हैं।

जबलपुर जिले, विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे की स्थिति अत्यन्त भयानक है और लोग रोटी और रोजगार की तलाश में अपने घर-बार छोड़ कर जाने लगे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भोजन, दवाओं और अन्य सहायता की तुरन्त व्यवस्था करें। एक केन्द्रीय दल को भी मौके पर जाकर स्थिति का सर्वेक्षण करना चाहिए।

———

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है। यह 2.20 म०प० पर पुन: समवेत होगी।

1.19 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर
बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.23 म०प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन अवकाश के पश्चात दो बजकर तेईस मिनट
पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब विदेश मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

2.24 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

तीन बीघा

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : आज 26 मार्च, 1992 को पत्रों के आदान-प्रदान के द्वारा भारत की सरकार तथा बंगलादेश की सरकार के बीच तीन बीघा क्षेत्र से गुजरने का अधिकार बंगलादेश को देने के लिए पट्टे की शर्तों पर अमल करने के तौर-तरीकों के बारे में एक सहमति हो गई है। ये प्रबन्ध 26 जून, 1992से अमल में आने लगेंगे। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि ये शर्तें 7 अक्तूबर, 1982 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से तय हुई थीं।

[श्री माधव सिंह सोलंकी]

2. 1974 में भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमा के संबंध में जो समझौता हुआ था उसमें यह व्यवस्था है कि भारत "तीन बीघा" के नजदीक 178×85 मीटर का क्षेत्र बंगलादेश को पट्टे पर देगा ताकि बंगलादेश को दाहग्राम और अंगरपोट तक आने-जाने का रास्ता मिल जाए। यह एक समग्र समझौते का अंग था जिसमें भारत को दक्षिण बेरूबाड़ी संघ संख्या 12 का दक्षिणी अर्धभाग और आस-पास की बस्तियां अपने पास रखे रहने की अनुमति दी गई थी तथा जिसमें बगलादेश को दाहग्राम और अंगरपोट बस्तियां अपने पास रखने की इजाजत दी गई थी। 1982 के उपर्युक्त समझौते में इस बात की स्पष्ट परिकल्पना थी कि पट्टे के क्षेत्र पर सम्प्रभुता भारत की ही बनी रहेगी। दोनों सरकारों के बीच हाल ही में जो सहमति हुई है वह 1982 के समझौते के इसी और अन्य प्रावधानों पर आधारित की गई है।

3. तीन बीघा क्षेत्र के बारे में तौर-तरीकों को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार ने कई अवसरों पर पश्चिम बंगाल की सरकार से सलाह-मशविरा किया था तथा उनके साथ बराबर सम्पर्क बनाए रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं से भी सलाह-मशविरा किया गया। 1982 के समझौते के कार्यान्वियन को लेकर कुछ लोगों ने जो चिन्ता और आशंकाएं व्यक्त की थीं उनका भी हमने ख्याल रखा है। हमने जिन पत्रों का आदान-प्रदानकिया है (जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं) उनके पाठ से माननीय सदस्य देख सकेंगे कि अपने हितों की रक्षा के प्रश्न पर पूरी सावधानी बरती गई है।

4. मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम 1974 के समझौते के पूर्ण कार्यान्वियन के लिए बराबर वचनबद्ध हैं। इस सिलसिले में तेजी से प्रगति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

5. तीन बीघा पट्टे पर अमल करके भारत एक अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा कर रहा है। भारत में कानून से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही इस पट्टे पर अमल किया जा रहा है। सरकार को विश्वास है कि इस पट्टे के क्रियान्वयन के लिए जो कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा के जो उपाय किए गए है उनसे सभी शकाएं और भ्रान्तियां दूर हो जाएंगी तथा इसे सभी का पूर्ण और प्रचुर सहयोग प्राप्त होगा।

6. तीन बीघा के मसले का समाधान सबसे बढ़कर तो भारत के लोगों की इस इच्छा का प्रतीक है कि वे बंगलादेश के साथ भाईचारे की भावना के साथ और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं। समय और सद्‌भावना के चलते तीन बीघा पट्टी का विषय, जिसके कारण दुर्भाग्य से अतीत में काफी विवाद और तनाव रह चुका है, अब भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री और मेल-मिलाप की राह पर चलने लगेगा।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कृपया सदन में यह पूर्व दृष्टांत स्थापित न करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : कल अयोध्या मसले पर एक वक्तव्य दिया गया था और माननीय पीठासीन अधिकारी ने स्पष्टीकरण की अनुमति दी थी। सवाल यह है कि यह एक अत्यन्त नाजुक

मामला है। बंगलादेश में सीमा पर खून-खराबा होगा। हमारे लोग अलग-थलग हैं। सरकार ने इन लोगों की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि जब कभी अपने आप कोई वक्तव्य दिया जाता है, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। इस बारे में नियम अत्यन्त स्पष्ट हैं। इसीलिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। इसलिए हम अगला मामला लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब सामान्य बजट पर आगे विचार करेगी। श्री सुख राम

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायाधीश महोदय, आप नियमों से भली भांति परिचित हैं। जब कभी स्वतः वक्तव्य दिया जाता है, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी स्वतः वक्तव्य दिया जाता है उस पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा जी, आप नियमों से भली भांति परिचित हैं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, जान-बूझकर वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सुखराम से अनुरोध करता हूं कि वह अपना बजट भाषण आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री सुखराम (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, आप कृपया मेरी बात सुनें। मान लो आप इस बात से उत्तेजित हैं कि सभा के समक्ष सत्य नहीं रखा गया, तो प्रक्रिया संबंधी नियमों के अतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस मामले पर इस सदन में चर्चा की जा सके। क्या आप समझते हैं कि कार्यवाही का केवल यही मार्ग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप समझते हैं कि आपको कोई शिकायत है,

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो इस मामले को उठाने के लिए कुछ समय निर्धारित हैं। सभा काफी समय के लिए बैठी है, आप कोई भी मामला उचित समय पर उठा सकते हैं। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनें। ये नियम किसने बनाए हैं? ये नियम कोई आसमान में बनाकर इस जमीन पर नहीं भेजे गए हैं। ये नियम आप लोगों ने ही बनाए हैं, आप ही इसके निर्माता है। जब आपने ये नियम बनाए हैं, तो आपको इनका सम्मान भी करना चाहिए। अब मैं श्री सुखराम से अनुरोध करता हूं कि वह बोलें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और वहां के लोग इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारार्थ कुछ जानकारी देना चाहता हूं। कुल आबंटित समय 12 घंटे था। अब कांग्रेस का 2 घंटे 5 मिनट का समय बचा है; भाजपा का 17 मिनट; जनता दल का 53 मिनट; सी० पी० एम० का 16 मिनट; सी० पी० आई का 22 मिनट; टी० डी० पी० का 27 मिनट; ए० आई० ए० डी० एम० का 10 मिनट; जनता पार्टी (जो) का 31 मिनट और जे० एम० एम० का 6 मिनट का समय बचा है। (व्यवधान) हमें समय के अनुसार चलना है। जिन्हें पहले बोलने का समय मिल जाता है वे सारा समय ले लेते हैं और बाद में बोलने वालों के लिए समय कम बचता है। इसीलिए प्रत्येक को 10 मिनट बोलने का समय मिलेगा और 10 मिनट का समय समाप्त होने से तीन मिनट पहले एक घंटी बजेगी। और 10 मिनट पूरे होने पर जब घंटी बजेगी तो माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर देंगे। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इसका पालन करें।

(व्यवधान)

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलोर) : कल हमने अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग किया और हम रात को 11.30 बजे तक रुके रहे लेकिन हमें बोलने का अवसर नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय विदेश मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मैं एक अलग किन्तु महत्वपूर्ण मामला उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। यह शून्य काल नहीं है। हम नियम से हटना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, यह तीन बीघा पर नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : फिर, सरकार को यह वचन देना चाहिए कि इसके बारे में आज कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री माधव सिंह सोलंकी : हम ऐसा वचन नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमान, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक आज होगी। (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री सुखराम चर्चा शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल नहीं है। इसके लिए कोई नियम होना चाहिए। कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

———

[अनुवाद]

2.37 म०प०

सामान्य बजट—1992-93 सामान्य, चर्चा—जारी

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93 —जारी

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1991-92 —जारी

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मंडी) : उपाध्यक्ष जी, यह जो ऐतिहासिक बजट इस माननीय सदन में वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी···

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। कल इस हाउस में माननीय सदन ने यह फैसला किया था कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, उनको आज प्राथमिकता के आधार पर मौका दिया जायेगा लेकिन आज वह फैसला खारिज हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सुख राम : इस बजट की प्रतिक्रिया जन साधारण में बहुत अच्छी है, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हो, चाहे वह मिडिल क्लास के लोग हों, छोटे या बड़े उद्योग-पति हों, सभी ने इस बजट की सराहना की है। कुछ नाराजगी अगर है तो यहां कुछ दोस्तों को नाराजगी है और वह नाराजगी इस वास्ते है कि बजट की आज सराहना और प्रशंसा क्यों हो रही है। मैं इस वास्ते यह कहता हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : श्री गुलाम नबी आज़ाद मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि कल सभा में इसका निर्णय हो चुका है।

[श्री अन्ना जोशी]

[हिन्दी]

जिनके नाम थे और जिनका टाइम बचता है, जिनको आपने मौका नहीं दिया है, उनको आज आप देने वाले हैं, बोलने के लिए। हमारे नाम भी लिस्ट में हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अगर टाइम आपका बचता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : उसके लिए हम कल रात भर बैठे रहे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्री सुख राम आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो नीतियों में परिवर्तन किया गया है और खास तौर पर जो यहां पर मैंने बड़े-बड़े नेताओं के विचार भी सुने। उनका खास तौर पर एक लांछन था, इस सरकार के ऊपर, कि इन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को छोड़ दिया और इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा रास्ता वही है, जो कि आजादी के बाद हमने अख्तियार किया था, मगर फर्क इतना है कि जो इम्पेडीमेंट्स थे, जो रुकावटें यहां के औद्योगीकरण के लिए, यहां की तरक्की के लिए थीं, उन रुकावटों को दूर करने का यहां पर एक पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया है और यहां पर आज तक जो इनवर्ड लुकिंग इकोनामी रही है, अन्तर्मुखी रहा है, जो कि जरूरी था। आज उसको आउटवर्ड लुकिंग इकोनामी बनाने के लिए, वर्ल्ड इकोनामी का हिस्सा बनाने के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह वही अर्थ व्यवस्था है, 45-46 वर्षों के बाद हमारा औद्योगीकरण के क्षेत्र में और हमारे कृषि में आत्म निर्भर होने और बहुत सी चीजों में हमने सफलताएं हासिल की हैं। मगर आज यह कहें कि जब तक हम सभी चीजों में आत्म निर्भर नहीं होते, तब तक बाहर की जो वर्ल्ड इकोनामी है, उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आज के विज्ञान की वजह से संसार में आज दूरियां नहीं रही हैं और आज यह जरूरी नहीं है कि हम हर क्षेत्र में आत्म-निर्भर हों। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। हालैंड एक छोटा सा देश है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जितना वहां टोमैटो पैदा होता है, सीटरस फूड का प्रोसेसिंग होता है, उसका एक परसेंट महज ही डोमैस्टिक रा-मैटीरियल है। लेकिन आज वह देश कृषि बेस इन्डस्ट्री में काफी आगे बढ़ा हुआ है। आज हम लोगों पर यह इल्जाम लगाया है कि बाहर के जो लोग हैं, वे यहां पर आकर कब्जा कर लेंगे और मल्टीनेशनल्स को यहां इजाजत दी गई है। आज इस बात को हमको समझना है, यहां पर जितना धन खर्च होना है, इन्डस्ट्रियलाइजेशन होना है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हमको तब्दील करना है, ताकि तेजी से बढ़ते हुए इस संसार में हम उसके साथ चल सकें। इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने और इस सरकार ने बजट में बहुत ही मुनासिब कदम उठाये हैं। यह ठीक है कि परिवर्तन के विरोध में समाज के कुछ-न-कुछ लोग होते हैं, तो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मगर अबकी बार ऐसा परिवर्तन किया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे और हम कर्जे में फंसे हैं, 32-34 हजार करोड़ रुपया ही सिर्फ इन्टरैस्ट का हमको हर साल देना पड़ता है। इससे हमारा छुटकारा कैसे हो, आज यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आज हमारे सामने आर्थिक संकट है। इस संकट से

हम बाहर कैसे निकल सकें, इस पर विचार करना चाहिये। प्रधान मंत्री जी ने हमेशा एक बात कही है, हमारी नीतियां गलत हैं, तो हमें बताइए। जैसे पब्लिक सैक्टर को बात है, पब्लिक सैक्टर के हम विरोधी नहीं हैं। मैं तो इसका सबसे बड़ा समर्थक रहा हूं। आज स्थिति यह है कि पब्लिक सैक्टर में हमारा एक लाख हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट है। यदि बारह परसेंट के हिसाब से डिविडेंट मानें, तो हमारे पास बारह हजार करोड़ रुपया आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सिर्फ तीन-साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया। सातवीं पंच वर्षीय योजना में, जब योजनायें बनाई गई थीं, तो उसमें एक-तिहाई कन्ट्रीब्यूशन पब्लिक सैक्टर का था, जो आज छठा हिस्सा भी नहीं है। आज जो केन्द्र का बजट है, उसमें 29 हजार करोड़ रुपये की पब्लिक सैक्टर से योगदान की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह पब्लिक सैक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हम किसी भी लेबर को रिट्रैंच नहीं करना चाहते हैं। बावजूद इस बात के लेबर को भड़काया जाता है। वास्तविकता यह है कि 22 करोड़ रुपया इस वास्ते रखा गया है कि हम उनको ट्रेनिंग दें। रिडेपलायमेंट करें, कोई कहीं किसी प्रकार की छंटनी नहीं होती है ताकि आज के इस आधुनिक युग में उसको हम उत्तम बना सकें और जो मल्टीनेशनल्स की बात कहते हैं मैं उनसे एक बात कहता हूं, वित्त मंत्री से भी एक दरख्वास्त करता हूं, आज यह प्रश्न नहीं है कि कौन देश कहां अपनी मार्केट में कब्जा करता है, आज वह देश मार्केट में, सारे संसार में कब्जा करेगा जिसके पास आधुनिक टेक्नोलोजी होगी और जब आप मल्टीनेशनल्स या दूसरे देशों को यहां पर आने के लिए दावत देते हैं तो वे जो आधुनिक टेक्नोलोजी है उसको ये लाएंगे और इस बात का आप यकीन कर लीजिये कि जब आप दूसरे देशों से टेक्नोलोजी खरीदते हैं तो वह आपको नई टेक्नोलोजी नहीं देते वह सात आठ साल पुरानी टेक्नोलोजी देते हैं जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। इस वास्ते मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज भी चाहे जापान, अमरीका और चाहे यूरोप के देश हैं, वे आज रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए तीन व पांच प्रतिशत जी० डी० पी० का हिस्सा रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, मगर हमारा कितना है, हमारा तो एक प्रतिशत भी नहीं है, जी०डी०पी० का और एक प्रतिशत में भी 90 फीसदी सरकार का योगदान है, बाकी इंडस्ट्रियों का बहुत कम है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि रिसर्च और डेवेलपमेंट जब हमारा तेजी से होगा तब हमारा वातावरण ठीक बनेगा।

यहां पर बहुत अच्छे दिमाग हैं और इस वास्ते यहां पर हरेक इण्डस्ट्री से, बड़े-बड़े उद्योगपति से 4-5 प्रतिशत रिसर्च और डेवेलपमेंट के लिए, भले ही आप मैनेजमेंट में उनका हिस्सा दे दीजिए मगर रिसर्च और डेवेलपमेंट में इसको आगे लाना है।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया है और यहां पहली बार यह डिसिपलिन लाए हैं, पहली दफा इस संसद के इतिहास में वित्त मंत्री यह डिसिपलिन लाए हैं। जो बजट में हमारे बजट का घाटा 7700 करोड़ था, उसको 7300 करोड़ और आगे आने वाले इस बजट में 5380 करोड़ रु० है जो कभी पीछे नहीं हुआ। गैर योजना खर्च में हमेशा 5-6 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा रहा और रेवेन्यू डेफिसिट में 13,882 करोड़ से 17,087 करोड़ था, उसमें 13,082 करोड़ रु० दिया है। यह पहले कभी नहीं हुआ और उसी तरह से कल अभी जार्ज फर्नान्डीज कह रहे थे कि स्टेटों को तो कम पैसा दिया जाता है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो सभी स्टेटों से आए हुए हैं हमको तो खुशी होती है जब हमारी स्टेटों को यहां से रुपया जाता है। इसके साथ-साथ एक बात और देखनी है कि जहां तक गैर योजना का हमारा जो रेवेन्यू रसीट्स है, उसके लिए आपका फाइनेंस कमीशन है और केन्द्र सरकार ने हमेशा उसको एवार्ड की शक्ल देकर स्वीकार किया है।

[श्री सुख राम]

9 फाइनेंस कमीशन ने 85 प्रतिशत इनकम टैक्स और 45 प्रतिशत एक्साइज टैक्स स्टेटों को दिलाया है और 85 : 15 जो केन्द्र सरकार के पास रहता है उसमें भी 3-4 प्रतिशत वह है जो उसके कलेक्शन चार्जेज होते हैं। उसके बावजूद भी अगर यह कहें कि जल्दी में अगला फाइनेंस कमीशन आने वाला है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म कीजिए।

श्री सुख राम : बस मैं दो मिनट में खत्म करने वाला हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कई वक्ताओं ने वाद-विवाद में भाग लेना है। उन्हें बोलने के अवसर से वंचित रहना पड़ेगा। यदि हम 7 बजे के बाद बैठते हैं तो लोगों का धैर्य जवाब देने लगता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुख राम : सेन्ट्रल प्लान में जो आज 20 प्रतिशत इनक्रीस हुआ है, मैं आखिर में मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पावर सैक्टर में इस समय बहुत सा रुपया लगाने की जरूरत है और उसमें जहां 1950 में 1750 मेगावाट था, आज वहां 66067 मेगावाट हो गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 36,000 मेगावाट का आपने लक्ष्य रखा है उसमें आपके पास तकरीबन 21,000 मेगावाट के लिए है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुख राम : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अपनी कठिनाई बता दी है।

श्री सुख राम : कृपया मुझे दो मिनट का समय और दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुश्किल यह है कि यदि आपको 15 मिनट दिये जाएं तो हरेक 15 मिनट का समय चाहेगा। यह तो आप पर निर्भर है।

श्री सुख राम : मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं जो सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो सरकार में ही हैं तथा आप वित्त मंत्री के कानों में धीरे से कह

सकते हैं। बात यह नहीं है कि विपक्ष के सदस्यों को इसे सभा के समक्ष उठाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुख राम : मेरा सजेशन यह है कि इसमें इम्युनिटी स्कीम चलाई जाए। या तो हमारा जो डेफिसिट 5 प्रतिशत दिखाया गया है, इसको आधा परसेंट बढ़ाया जाए, इससे 3000 करोड़ रुपया आता है और इसको बिजली के क्षेत्र में दिया जाए या फिर इम्युनिटी स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए, जैसे पहले चलाई गई थी, ताकि लोगों से रुपया लेकर अनअकाउंटेड मनी का इसमें उपयोग हो सके। जैसे आप गोल्ड बांड्स में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, गोल्ड बांड से इनवेस्टमेंट नहीं होता, उसमें आपको क्रेडीबिलिटी बढ़ती है, उधार देने के लिए, लेकिन इससे आपके पास इतना रुपया आता है; उसको आप इनवेस्ट करिए और मैं समझता हूं 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में जितने प्रोजेक्ट आपके कम्प्लीट होने वाले हैं, उनको कम्प्लीट करिए और इनसे जो आमदनी होगी, उसको अगले प्रोजेक्टों में लगाइए। जब तक बिजली का संकट दूर नहीं होता, तब तक चाहे जितनी नीतियां बनाई जाएं, उनमें रुकावट पड़ती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सी चीजें थीं, लेकिन समय बहुत कम है। इसलिए मैं सदन से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक बजट है, इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था और ऊंची हो जाएगी। अगर साउथ कोरिया, ताइवान जैसे छोटे-छोटे देशों को बाहर के लोग हड़प नहीं कर सके तो हिन्दुस्तान तो आज आजादी के 45 वर्षों के बाद अपने पैरों पर खड़ा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, मगर हमें रुपया चाहिए, इनवेस्टमेंट चाहिए और सरकार ने बजट में जो नीतियां बताई हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए सारा सदन समर्थन दे और इस बजट को पास करे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया (नोगोंग) : महोदय, मैं बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह इस देश के गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। केन्द्रीय बजट हमारी आर्थिक नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है किन्तु इस बजट में बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति जैसी कुछ ज्वलन्त आर्थिक समस्याओं के हल का कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, वर्ष 1991-92 के बजट के संशोधित अनुमानों को देखने से साफ पता चलता है कि बजट घाटा बजट अनुमानों से कम है तथा इसमें राजस्व घाटे में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि भी सम्मिलित है। वर्ष 1992-93 के बजट के राजस्व और व्यय प्रस्तावों से मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ेगी। इसके साथ ही इससे हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, बजट में ग्रामीण विकास तथा मानव संसाधन विकास में कटौती की गई है तथा रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, स्वास्थ्य देख-रेख, सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। किन्तु प्रस्तावों में गरीबी, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी पर बिना कोई ध्यान दिए हुए निजीकरण करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज भी हमारे 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबी को कम करने के लिए योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है।

[श्री मुही राम सैकिया]

कराधान प्रस्तावों की इन उल्लेखनीय बातों से जैसे प्रत्यक्ष करों में रियायत, आयात शुल्क में कटौती, उत्पाद शुल्क के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि से आम लोगों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तथा श्रमिक वर्ग के लिए अनगिनत परेशानियां पैदा हो जाएंगी। केवल यही नहीं, उत्पाद शुल्क में वृद्धि से आम लोगों पर सीधा बुरा असर पड़ेगा तथा इससे मुद्रा स्फीति और भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त पूंजीगत माल पर आयात शुल्क और कम कर देने से निश्चित रूप से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे हमारी समस्त अर्थव्यवस्था के द्वार विदेशियों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुल जाएंगे। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था के तेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

हमारे बजट की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए बजट में केवल 35 प्रतिशत का प्रावधान है तथा शेष व्यय आन्तरिक बजट संसाधनों से पूरा किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि नियन्त्रित मूल्यों में और भी वृद्धि होने की सम्भावना है जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी।

बार-बार यह कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति, आत्म निर्भरता, गरीबी को कम करने तथा समान वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बोझ उठाने, मूल्य चुकाने तथा कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न यह है कि किसकी कीमत पर ? कौन करेगा कुर्बानी तथा इसका बोझ कौन वहन करेगा ? बजट प्रस्तावों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सब समाज के गरीब तबकों, श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग को सहन करना पड़ेगा न कि प्रबुद्ध वर्ग, अमीर वर्ग, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या बड़े औद्योगिक घरानों को। इसके विपरीत अमीर वर्गों को अधिक फायदा होगा। निगम कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा वे अपनी वस्तुओं का आयात कम टैरिफ दर पर बिना किसी प्रतिबन्ध के कर पायेंगे। आयातित माल या उनके संघटकों की कीमतों में वृद्धि से तथा उत्पाद शुल्क मे वृद्धि का असर सीधे उपभोक्ताओं अर्थात् आम आदमी पर पड़ेगा। इसलिए गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर इन सब उपायों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बड़े उद्योगपतियों को कोई भी कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी।

इसके अलावा, आधुनिकीकरण, विपणनीकरण तथा विश्वव्यापारीकरण आदि का प्रश्न भी आता है। इन सभी चीजों से देश में अनेक औद्योगिक इकाइयां बन्द हो जाएंगी। महोदय, लघु तथा कुटीर उद्योगों में वर्षों से लाखों लोग कार्य कर रहे हैं। इन लोगों में मुख्यत: हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग ही है। कुटीर तथा लघु उद्योगों की प्रगति के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। विदेशी पूंजी गत माल के अधिकाधिक आयात से कमजोर वर्ग के इन लोगों के जीवनयापन में कटौती करनी पड़ेगी। अपनी आय कमाने के लिए जो लोग इन छोटे उद्योगों में कार्य करते हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन उद्योगों को बन्द करने से अमीर तबके के लोगों, बड़े उद्योगपतियों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा होगा। यह समाज के कमजोर वर्गों के हित में नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से मुद्रास्फीति तथा नियंत्रित मूल्य और बढ़ेंगे। यह सभी बोझ गरीब तथा समाज के कमजोर वर्गों को ही वहन करना पड़ेगा। इन बजट प्रस्तावों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए यह बजट समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन्हें और बढ़ाएगा। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री शिव शरण सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट किसानों और मजदूरों के हित

के खिलाफ और रोजगारी एवं विकास के खिलाफ है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि दूसरी औद्योगिक, आर्थिक और व्यापारिक नीति ही नहीं बल्कि शिक्षा और कृषि नीति भी सब की सब इस सरकार ने वर्ल्ड बैंक आई० एम० एफ० और अन्तर्राष्ट्रीय मल्टी नेशनल कंपनियों के माध्यम से अमेरिका के चरणों पर समर्पित कर दी है। हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति अगर इस बजट पर फक्र करता है तो वह समझ लें कि वह हिन्दुस्तान की आवाज नहीं है। हिन्दुस्तान गांवों का है और किसान-मजदूर इस बजट के खिलाफ है। अगर कोई कहता है कि इस बजट का स्वागत हो रहा है तो वह निराधार है। इसकी जांच की जा सकती है। चंद महीनों में देहात के लाखों लोग, शहर में रहने वाले लोग और सरकारी कर्मचारी एक या दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सड़कों पर आयेंगे, इस नीति, मंहगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो स्वदेशी स्वावलम्बन और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मुक्ति के लिए इसका जो मार्ग था उसको इस बजट द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज बुलन्द होगी और आप नहीं चेते तो संघर्ष का रास्ता अपनाया जायेगा। मुझे याद है गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चन्द्र बोस, सरदार भगत सिंह, जय प्रकाश नारायण और डा० लोहिया ने हमें क्या बताया था। आपके इस बजट ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया है और आप गौरव करते हैं। नेहरू जी ने कहा था :—

[अनुवाद]

"दूसरों के उदाहरणों से लाभान्वित होते हुए हमें कोई अपना रास्ता ढूंढना है लेकिन वह रास्ता ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्थिति के अनुरूप हो।

हम अपनी जीवन शक्ति के उस प्राचीन आदर्श को भी ध्यान में रख सकते हैं जो आज विद्यमान सभी चीजों का आन्तरिक आधार है।"

3.01 म० प०

[हिन्दी]

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

क्या सत्तारूढ़ दल के लोग नेहरू जी के इन शब्दों पर विचार करेंगे। क्या आपका यह बजट इस स्प्रिट में है या नहीं। हमारी विदेश नीति और सुरक्षा नीति को भी आपने दूसरों पर निर्भर कर दिया है। एक समय था जब हिन्दुस्तान में "बुद्धं शरणं गच्छामि" का मंत्र उच्चारण होता था। आज यह शर्म की बात है कि सत्तारूढ़ दल "अमेरिकन शरणं गच्छामि" मंत्र को इसके उच्चारित कर रहे हैं। क्या यह हमारा गौरव है, कदापि नहीं। प्रधान मन्त्री जी, वित्त मंत्री जी और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह आम सहमति से कर रहे हैं। आपने इस बजट के लिए आम सहमति को प्राप्त किया है। इस पार्लियामेंट में जितने विरोधी दल हैं क्या उनसे आपने सहमति ली है? क्या देश के अन्दर जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे आपने राय ली है। कदापि नहीं ली है। हिन्दुस्तान के 85-90 प्रतिशत लोग जो देहात में रहते हैं उनकी राय आपने नहीं ली है। केवल विश्व बैंक आई० एम० एफ० और एड कौंसिल की बैठकों में आपकी सहमति हुई है। जिससे हिन्दुस्तान का कोई मतलब नहीं है। आपने हमें गलत रास्ते पर रखा है।

मैं देख रहा हूं इस बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं बताया गया है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपने लक्ष्य

[श्री शिवशरण सिंह]

निर्धारित किया है कि हम काफी रोजगार उपलब्ध करायेंगे, गरीबी हटायेंगे और सोशल नीड्स की पूर्ति करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यह रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के बदले बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है और इससे बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। गरीबी हटाने के बदले आप गरीबी और बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं जिससे साधारण जनता की आर्थिक कमर टूटने वाली है। यह देश भी टूटने वाला है। सोशल नीड्स के लिए आपने जो राशि दी है उस पर जो व्यवहार हो रहा है वह आपके और हमारे सामने है। आप उस पर विचार करें। क्या आपने सोचा है कि जो धनराशि दी है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जो कुछ धनराशि हम देते हैं विकास के लिए उसका 85 प्रतिशत हिस्सा गोलमाल हो जाता है, केवल 15 प्रतिशत ही विकास कार्य में खर्च हो पाता है। वित्त मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी ने इसके लिए क्या सोचा है। इसमें इस बात की क्या कोई झलक है कि आप मितव्ययिता करना चाहते हैं या फिजूलखर्ची करना चाहते हैं। इसकी कोई चर्चा नहीं है। "दान बांधो, खर्च पर रोक लगाओ" इसकी कोई चर्चा नहीं है इस बजट में, आपने भ्रष्टाचार रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। जब फिजूलखर्ची करेंगे, खर्च पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देंगे तो क्या होगा? आपकी सारी योजनायें बर्बाद होंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भ्रष्टाचार को दूर कीजिए, अपने में मितव्ययिता बरतिये।

मैं कल सुन रहा था, डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि किस तरह से एक-एक मिनिस्टर खर्च कर रहे हैं। आपकी यह बहुत फिजूलखर्ची है। पहले आप अपने घर को सम्भालें, तब बाहर आपका हक बनता है।

इस बजट का स्वागत कौन कर रहा है। देश के 85-90 प्रतिशत लोग क्या इसका स्वागत कर रहे हैं, नहीं वे नहीं कर रहे हैं। केवल तीन से पांच प्रतिशत लोग जो पूंजीपति हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जो जनता के शोषण द्वारा अपना खजाना भरते हैं वे इसका स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे उधर के माननीय सदस्य ने कहा है कि तमाम जगह इसका स्वागत हो रहा है। लगता है आपको तमाम लोगों की आशा और आकांक्षाओं की जानकारी नहीं है, आप उससे अवगत नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो चलिए देहात में, आप कल बोट क्लब पर आयें और देखें। अभी हमारे भारतीय जनता पर्टी के लोगों का प्रदर्शन हो रहा है वहां जाकर नब्ज टटोलिये कि क्या हो रहा है। आप यह नहीं करेंगे, असलियत को नहीं पहचानेंगे। कृपा करके इस पर ध्यान दें। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात बहुत जरूरी है, होना चाहिए। बहुत से राज्य हैं जिनके साथ आपने न्याय नहीं किया है, बिहार, से मैं आता हूं वह एक पिछड़ा हुआ राज्य है। उसकी आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पर खनिज पदार्थ भी ज्यादा हैं। जिससे केन्द्र अपनी आमदनी बढ़ाता है। वहां जो बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं जैसे बाढ़ है, जल-जमाव है और सिंचाई का अभाव है। उसकी व्यवस्था आप राज्य पर छोड़ते हैं जो असमर्थ है उसको दूर करने के लिए। तो आज उत्तर बिहार में जहां 4 करोड़ लोग रहते है, वहा पर बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिये, वहां की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर जल जमाव है, नियंत्रण करेंगे तो वह उपजाऊ जमीन निकल आयेगी। उसके फलस्वरूप आप वहां पर 50-60 लाख टन अनाज पैदा कर सकते हैं प्रतिवर्ष। आप गेहूं मंगा रहे हैं अमेरिका से जो ज्यादा दाम पर आ रहा है। उस गेहूं को आप आटा मिलों को कम रेट पर देते हैं और जब वह आटा तैयार हो जाता है तो आम जनता को ज्यादा दर पर बेचा जाता है यह कैसा सिलसिला है? क्या इससे गरीबी दूर होगी, क्या इससे मंहगाई दूर होगी?

सभापति महोदय, जब मैं असंतुलन की बात कर रहा था तो मुझे दिखाई देता है कि सारे देश

में कितना बड़ा असंतुलन रखा गया है जिसमें उत्तर बिहार में रेल से जोड़ने की बात भी है। आज आजादी प्राप्त किए 45 साल हो गये हैं, वहां के 25 लाख लोग 15-20 प्रखण्डों से मांग करते आ रहे हैं कि हाजीपुर से वैशाली, साहिबगंज, अहराज, मोतीहारी होते हुए नेपाल की सीमा सुगौली तक रेलवे लाईन बनायी जाये और सन् 1947 से यह नारा लगा रहे हैं लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हो सका है, सरकार शीघ्र इसका निर्माण करे।

सभापति महोदय रेलवे बजट में यह सब हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं सब की बात को ध्यान में रखूंगा। समय बहुत कम है, आप मेहरबानी करके वाइंड अप करें···

श्री शिव शरण सिंह : यह तो मैंने सदन की जानकारी के लिए कह दिया। एक जबरदस्त बात और कहूंगा कि उत्तर बिहार में सबसे कम विद्युत की आपूर्ति होती है और जहां विद्युत नहीं है, उसका विकास कैसे हो सकता है ? एक थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरपुर कांटी में 660 मेगावाट का बनना था···

सभापति महोदय : विद्युत मंत्री जी आपके यहां बैठे हुए हैं, उनसे कहिए।

श्री शिव शरण सिंह : तो मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल 220 मेगावाट के दो यूनिट बनाए गए लेकिन अफसोस की बात है कि धनराशि की कमी के कारण केवल 50-60 मेगावाट विद्युत का ही प्रतिदिन उत्पादन होता है। इसलिए विद्युत मंत्री से सादर निवेदन करूंगा कि इस ओर भी जरा उपाय कर दिए जाएं कि उत्तर बिहार को और विशेषकर पिछड़े इलाकों को विद्युत की आपूर्ति हो सके।

तीसरी बात यह है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय जल व्यवस्था है, उसमें गण्डक योजना और कोसी सिंचाई योजना 1960 में शुरू हुई थी लेकिन आज तक इन्कम्पलीट पड़ी हुई है। इस योजना से नेपाल की सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश की होती है और बिहार के उत्तरी हिस्से की सिंचाई होती है और वह भी बन्द है। मुझे ऐसा लगता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि आप इसको जल्द पूरा कराएं।

सभापति महोदय, एक बात और कृषि विकास के लिए बहुत-कुछ कहा गया है। इसका विकास कैसे होगा ? 90 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि देश में 5—10 प्रतिशत लोगों के कब्जे में है और केवल 5—10 प्रतिशत भूमि 90 प्रतिशत लोगों के पास है। इतनी बड़ी खाई है तो कैसे कृषि का विकास करेंगे ? सही बात तो यह है कि कमर्शियल बेसिस पर खेती करने वाले बड़े-बड़े किसान कहते हैं, विकास हो सकता है लेकिन करोड़ों छोटे किसानों का भला नहीं होगा। अत: जमीन का बंटवारा किया जाए, अब रहा सवाल भूमि सुधार का। मुझे नहीं लगता कि आप भूमि सुधार करेंगे। करोड़ों लोग भूमिहीन होकर इन्तजारी नहीं करेंगे। उनकी भूख जग चुकी है और वे मार्च करेंगे और जमीन पर कब्जा करेंगे और जो कमायेगा वही खायेगा की आवाज बुलन्द करेंगे। इसलिए इस ओर भी जल्दी ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदय : ठाकुर साहब, अब आप जल्दी ही वाइंड अप कीजिये।

श्री शिव शरण सिंह : बस, खत्म कर रहा हूं। अब अन्तिम बात कह रहा हूं। राजनैतिक आजादी हमने हासिल की और बड़ी कुर्बानी की। उसी कुर्बानी में एक शहीद था सरदार भगत सिंह, जिसने बम मारा था और उसने हंसते-हंसते फांसी के तख्ते को चूमा था। उन्होंने कहा था कि जब हम

[श्री शिव शरण सिंह]

आजाद होंगे तो आजाद भारत में किसान मजदूरों का राज होगा। हो रहा है ?

बहुत कुर्बानी देने के बाद हमें राजनैतिक आजादी मिली है लेकिन आर्थिक गुलामी की जंजीर हमारे हाथों में, देश के 90 प्रतिशत लोगों के हाथों में जकड़ी हुई है। मुझे आशा थी कि यह गुलामी की जंजीर टूटेगी, लेकिन यह जो बजट आया है, जो फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यह जंजीर अभी नहीं टूटने वाली है। इसको तोड़ने के लिए पुन: हमें लाखों की तादात में शहीद होना पड़ेगा, लाखों की तादात में जबर्दस्त आन्दोलन करना पड़ेगा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम आन्दोलन करेंगे और उस आर्थिक गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं अन्तिम बात कहता हूं और अन्तिम बात उम्र के अन्तिम समय में याद आती है। वह यह है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वैसे ही मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है। आपको और हमको मानव बनाना है। केवल फैक्टरियों से काम नहीं चलेगा। मानव को पूर्ण और मानवता सहित मानव का सृजन हमें करना है। क्या इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ? गांधी जी ने जहां देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वहां रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मंत्र द्वारा वे आध्यात्मिकता की ओर हमें लेकर चल रहे थे। यानि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद, दोनों के संतुलन से लोगों के जीवन के सामने उदाहरण रख रहे थे। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे वित्त मंत्री केवल भौतिकवादी हो गए हैं, जरा सोचें इससे ऊपर उठकर, भौतिकवाद ही सब-कुछ नहीं है। आध्यात्मवाद को भी रखिए और संतुलन से चलिए और जो ये सारी गड़बड़ियां हैं, उनको दूर कीजिए। कोई भी धर्म वाले लोग हों, उनका मूल मंत्र जनता की सेवा करना है। जो शोषित है, गरीब है, दुखमय है, उसकी सेवा कीजिए। क्या इस बजट के द्वारा इस राष्ट्र की मानवता की पुकार को आप पूरा कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी की और जो आज बचे हुए हैं जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, उन पर भी ध्यान दें। इंदिरा जी ने उन्हें 500 रुपये दिए थे सम्मान पेंशन के रूप में। राजीव जी ने 750 रुपये दिये प्रति माह।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपने आवंटित समय से अधिक समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण सिंह : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस अनुरोध के साथ कि इस पेंशन को कम से कम 1500 रुपये प्रति माह कर दीजिए ताकि स्वतंत्रता सेनानियों की असुविधा कुछ हद तक दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गोपी नाथ गजपति।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज (उडीपी) : मैं सभापति महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल हम लोग 11.30 म० प० तक बैठे थे जिसमें यह निर्णय लिया गया था—जब संसदीय कार्य मंत्री ने

एक संकल्प जैसी चीज पेश की थी—कि कल जो सदस्य बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें आज पहले बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या उन व्यक्तियों को आज मौका दिया जा रहा है। मैं यही जानना चाहूंगा।

सभापति महोदय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपना आसन छोड़ने के पूर्व मुझे कहा था कि उन्होंने बिलकुल वैसी ही प्रक्रिया अपनाई तथा जो माननीय सदस्य कल देर रात तक बैठे थे, उनके नाम बोलने वालों में पहले शामिल किया गया है, फिर भी यदि कोई छूट गया हो, या आप किसी गलती का एहसास कराते हैं तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीज : धन्यवाद महोदय।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : क्या आज भी उन्हें इसके लिए देर रात तक रुकना पड़ेगा?

सभापति महोदय : इसके बारे में मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। वर्तमान स्थिति के मुताबिक मैं यह समझता हूं कि वित्त मंत्री आज 6 बजे उत्तर देने वाले हैं। फिर भी, यदि सभा की राय हो, तो हम देर तक बैठ सकते हैं तथा वित्त मंत्री से भी हम देर तक बैठने का अनुरोध कर सकते हैं। यह सभा के ऊपर निर्भर है। सभा की जैसी इच्छा होगी, वैसा ही किया जाएगा। अब श्री गोपी नाथ गजपति बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, कल रात, 11 बजकर कुछ मिनट पर, जितने लोग बोल चुके थे, उसके बाद शायद मेरा ही नाम आने वाला था।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : और मेरा नाम भी आने वाला था।

श्री विजय कुमार यादव : जब मेरा ही नाम आने वाला था, उस वक्त, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा नाम कब आएगा। मैं लेट आवर्स तक हाउस में बैठा वेट करता रहा।

सभापति महोदय : मिस्टर, विजय कुमार यादव, आपका नाम यहां है, लेकिन थोड़ा ठहर के है।

15.21 बजे

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : सभपति महोदय, देश के बजट जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा करते समय सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार की आर्थिक नीति वास्तव में सफल हुई है? इस संबंध में निश्चित उत्तर देना शायद अभी सम्भव नहीं है। अनेक उपायों के परिणाम प्राप्त करने में अभी समय लगेगा क्योंकि उनका कोई बना-बनाया समाधान नहीं है। एक असक्षम, अन्तर्मुखी अर्थव्यवस्था को रातों-रात कुशल बहिर्मुखी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

तथापि, भविष्य में विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद विभिन्न प्रवृत्तियों तथा आंकड़ों से आशा की रोशनी झलकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम आंकड़ों में न खोकर इस पर समग्र रूप से दृष्टि डालें।

[श्री गोपी नाथ गजपति]

इसका परिणाम यह निकला है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव ने अपने दल के सदस्य डा० मनमोहन सिंह तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर आर्थिक नीति को बदला है तथा इसमें व्यापक परिवर्तन किए हैं जो कि अब से कुछ ही माह पूर्व राजनीतिक दृष्टि से असम्भव समझा जाता था।

किसी नीति की सफलता का अनुमान लगाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह समझना है कि अन्य सरकार के सत्ता में आने से इस नीति में बदलाव की कितनी सम्भावनाएं हैं। कांग्रेस सरकार का पैकेज मूल में अपरिवर्तनीय दिखता है। यह अपरिवर्तनीयता अधिकतर इस कारण से है कि देश की काफी हद तक दिवालिएपन की स्थिति हो गई थी और कोई अन्य सरल उपाय नहीं रह गया था।

सम्पूर्ण विश्व में राजनीतिज्ञ इसलिए बदनाम हैं कि वे कठोर विकल्प तभी अपनाते हैं जब आसान विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तथापि, विश्व भर में यह सही नहीं है कि दिवालिया हो गए देशों के नेता शीघ्र अथवा व्यापक रूप से आमूल मूल परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानते हैं! असाधारण साहस और दूरदर्शिता प्रदर्शित करने का श्रेय सरकार को जाता है।

वर्ष 1992-93 का सामान्य बजट अत्यन्त प्रगतिशील, हमारी भावी आवश्यकताओं के अनुरूप और गतिशील है। इसमें रुपये को परिवर्तनीय बनाने, वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने, सीमा शुल्क दरों में अत्यधिक कमी करने, सोने का आयात करने की अनुमति देने, आयकर की दरों में कमी करने; आदि जैसी अनेक स्वागत योग्य बातें हैं।

सरकार की नई आर्थिक नीति आमतौर पर स्वीकृत आर्थिक विकास सम्बन्धी नेहरूवादी माडल को जारी रखना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण वर्ष 1991-92 की पहली छमाही में व्यापार घाटा, जो गत वर्ष 2.43 बिलियन डालर था, को कम करके 1 बिलियन डालर करने में सहायता मिली है। तथापि, इस घाटे को मुख्य रूप से आयात के दबाव के माध्यम से पूरा किया गया है जो निश्चित रूप से संकट से उबरने का उपाय तो है लेकिन इसे अनिश्चितकाल तक बनाए नहीं रखा जाना चाहिए। अधिक मात्रा में उत्पादन और निर्यात करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबन्धों में छूट दी जानी चाहिए। यह छूट व्यवहार्य बन गई है क्योंकि जुलाई, 1991 में अवमूल्यन के पश्चात 2,600 करोड़ रुपये का चिंताजनक निम्न आंकड़ा मार्च, 1992 के मध्य तक 11,000 करोड़ रुपये से ऊपर के सम्मानीय आंकड़े तक पहुंच गया है। यह सफलता का स्पष्ट सूचक और कठोर परीक्षा है जिसके बिना अन्य नीतियां गड्ड मड्ड हो जाती।

ऋण सेवा भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए भारत की कुशलता बहुत कुछ उसकी उचित निर्यात वृद्धि दर को बनाये रखने की क्षमता तथा अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने पर निर्भर करती है। भारत अपने अत्यन्त कुशल कार्य बल को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम मजदूरी दे रहा है जिसके कारण भारत सेवा से सम्बन्धित उद्योग, उदाहरण के तौर पर कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी में उच्च निर्यात के लिए अपनी सम्भावनाओं का पता लगा सकता है। अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए और उन्हें पोर्टफोलियो के लिए या सीधे निवेश के लिए देश में अपनी बचत वापस लाने हेतु कर प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 1 करोड़ अनिवासी भारतीय हैं जिनके द्वारा हमारे देश में 10 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा लाई जाने की सम्भावना है।

यह अत्यावश्यक है कि भारत गैर-आवश्यक आयात पर अपनी निर्भरता कम करे और इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करे जिसका प्रयोग केवल दूरसंचार, परिवहन, आदि जैसी आधार भूत सुविधाओं और अर्थव्यवस्था की उत्पादनकारी क्षमता के लिए किया जाना चाहिए। योजना अधिकारियों द्वारा दीर्घकालीन आधार पर विदेशी मुद्रा संरक्षित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन संबंधी एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए।

हमारे व्यवहारिक केन्द्रीय मंत्रियों, जाने-माने उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, आदि जिन्होंने आशावादी टिप्पणियां की हैं, द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विशिष्ट विचारों को जानकर हमें प्रसन्नता हुई है। डा० मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से हमें आश्वासन दिया है कि यह बजट मुद्रास्फीति पर रोक लगाएगा। श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने भारी मात्रा में कर सुधारों का वायदा किया है। माननीय श्री पी० चिदम्बरम जी ने जोर से इस बात की घोषणा की है कि उदारवादी औद्योगिक नीति से सभी को लाभ होगा। प्रसिद्ध न्यायविद श्री नानी पालखीवाला ने कहा है कि इस वर्ष का बजट सामान्य व्यक्तियों का बजट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनका युग परिवर्तनकारी बजट है जो विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी वैध भूमिका निभाने के प्रति एक नये अध्याय का शुभारम्भ कर रहा है। इसके अलावा कराकस में पिछली जी-15 देशों की बैठक में सरकार और उद्योग के बीच सहयोग के मामलों में जो युगान्तरकारी परिवर्तन लाया गया है वह भारत सरकार और उद्योग नेताओं के बीच निकट समन्वयन और परामर्श के रूप में परिलक्षित होती है। 'एस्सोचेम', 'फिक्की', 'सी० ई० आई०' एफ० आई० ई० ओ०', और 'सी० आई० आई०' के अध्यक्षों ने 'जी-15 बैठक' में भारत सरकार सहित भारतीय उद्योग के सम्मिलित होने का स्वागत किया। भारतीय उद्योग के शीर्षस्थ निकायों ने विचार व्यक्त किया था कि इस अभिनन्दनीय शुभारम्भ को विकसित तथा और मजबूत किया जा सकता है।

फिर भी माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि वह कतिपय करों को वापस लेने से संबंधित कुछ बजट प्रस्तावों की समीक्षा करें जिनका आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। धारा 80 ग ग क, 80 ग ग ख, 80 ठ, आदि के वापस लिए जाने से राज्यों में बचत संग्रहण को क्षति पहुंच सकती है जैसा कि तमिलनाडु की सक्रिय मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती जय ललिता ने विशेषरूप से कहा है सरकार का कृषि के विकास, निर्माण और अन्य बातों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि इन शीर्षों के अन्तर्गत आबंटित राशि में काट-छांट की जाती है तो इसका उल्टा असर होगा। महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे सीमेंट, इस्पात और जीवन रक्षक औषधियों पर शुल्क कर, आदि में कमी की जानी चाहिए क्योंकि यह न तो विनिर्माता और न ही उपभोक्ता के लिए लाभदायक है।

प्राधिकारियों को पब्लिक कम्पनियों पर धन-कर लगाने के बारे में दुबारा से सोच-विचार करना चाहिए जिनको वित्त अधिनियम, 1960 द्वारा निरसित किए जाने और अनुत्पादक आधार पर अधिकांश पब्लिक कम्पनियों की शहरी भूमि पर धन-कर लगाए जाने के पश्चात पुनः पुरःस्थापित किए जाने की मांग की गई है। आय-कर पर विशेष अधिशुल्क लगाना संदिग्ध बात होगा क्योंकि इससे राज्यों को अधिशुल्क के माध्यम से संग्रहीत कर में अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा।

सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आने वाले वर्षों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए निर्यात में वृद्धि किए जाने की सम्भावनाएं हो सकती हैं। तथापि, उन निर्यातकों, जो अधिकांशतः रुपये में कारोबार कर रहे थे, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार को पूंजीगत बाजार की ओर भी सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं किया

[श्री गोपी नाथ गजपति]

जा सकता कि आने वाले वर्षों में निजी कारपोरेट सेक्टर को अपने पूंजीगत संसाधनों को गतिशील बनाना होगा चूंकि अधिकांश संसाधन इस सेक्टर से मिलते हैं। पूंजी बाजार सूचकांक की उपेक्षा करने का मतलब होगा निवेशक के विश्वास को व्यापक रूप से ठेस पहुंचाना।

इसके अलावा जीवन रक्षक और दृष्टि रक्षक उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। तथापि, इस वर्ष के बजट में एक विसंगति है जो विनिमय दरों, जो दृष्टि रक्षक उपस्करों और औषधियों के आयात के लिए उपलब्ध कराई गई है, के बारे में है। जबकि जीवन रक्षक औषधियों और उपस्करों के लिए विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा आधिकारिक विनिमय दरों पर उपलब्ध कराई जायेंगी लेकिन दृष्टि रक्षक उपस्करों के लिए विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर निश्चित की जायेगी। इससे दृष्टि रक्षक उपस्करों की कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अत: इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपस्करों को भी आधिकारिक विनिमय दरों के अन्तर्गत खरीदे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्तत: दृष्टि के बिना जीवन जीने योग्य नहीं है। मद्रास के एक प्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डा० जे० अग्रवाल ने टिप्पणी की थी कि ऐसे लोग समाज पर भी बोझ बन जायेंगे।

आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए साक्षरता को बढ़ावा देने और जनसंख्या को नियंत्रित करने की नितांत आवश्यकता है। ऊर्जा की कमी, परिवहन की कठिनाईयों और सिंचाई की कमियों को, जो क्षेत्रीय विकास के लिए अनिवार्य है, युद्ध स्तर पर निपटा जाना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवन्टित की जानी चाहिए। आज इस बात की सख्त जरूरत है कि हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों का सुधार किया जाये। तथापि, देश की ऋण विश्वसनीयता जो कुछ समय पहले लुप्त हो गई थी अब फिर से दिखाई देने लगी है। इस बात का बहुत शोर शराबा मचा है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव के आगे हार मान ली है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें देश की अर्थ व्यवस्था के हित में है तो मैं साहसपूर्वक कहूंगा कि इन्हें स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने इस नई नीति को प्रेरणा नहीं दी है अपितु यह कांग्रेस दल का चुनाव घोषणा-पत्र है जिसने इस नीति को उत्प्रेरित किया था और जो मूलरूप से पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा तैयार की गई थी।

अंत में मैं "एसाचेम" के साहसी और सफल अध्यक्ष श्री एम० शंकर द्वारा 18 मार्च, 1992 को दूरदर्शन पर श्री दीपक वोहरा के साथ हुई भेंट वार्ता के दौरान की गई टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित समझता हूं। उन्होने यह बात दावे के साथ कही कि हमारी सरकार ने, हमारी अर्थ व्यवस्था ने हमें 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए एक अत्यंत आशावादी स्थिति उत्पन्न की है। मैं अपने टेनिस के पुराने और कक्षा के साथी से सहमत नहीं हूं। अत: मैं पूरे मन से वर्ष 1992-93 के सामान्य बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, जब 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया था तो हमने सोचा था कि शायद यह सबसे अच्छा बजट है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इसकी व्याख्या के पश्चात हमें पता चला कि यह एक नाटक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और चीनी में लिपटी कुनीन है जो अंतत: विष बनेगी।

वित्त मंत्री द्वारा इस वर्ष पेश किए गए केन्द्रीय बजट से बहुत सी आकांक्षाएं और आशंकाएं भी पैदा हुई थी। मेरे विचार से देश को पूर्णत: दिवालिया बनाने का दोष उस दल को स्वीकार करना होगा जिसने इस देश पर चालीस वर्षों तक शासन किया है। वित्त मंत्री ने यह बताकर सराहनीय कार्य किया है कि गतिशील बनाई गई सुधार प्रक्रिया के परिणाम दो या तीन वर्षों के पश्चात ही प्राप्त होंगे।

बजट को सरल बनाने के उद्देश्य से मैं उसे चार भागों में वर्गीकृत करना चाहता हूं।

एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए; दूसरा, संगठित श्रमिक बल और वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए; तीसरा, व्यापारियों और लघु उद्योग इकाइयों के लिए तथा चौथा, बड़े उद्योगों के लिए। राष्ट्र के समक्ष बड़ी समस्या है बढ़ती मुद्रास्फीति। जिसकी ओर ध्यान देने के लिए किसी भी वित्त मंत्री को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए,।

12.8 प्रतिशत की स्थिर दर से जीवन स्तर में सुधार की गुंजाइश बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यह कहने से कोई राहत नहीं मिलती कि दर को 16 प्रतिशत से कम किया गया है मुद्रास्फीति से गरीब और निश्चित आय वाले व्यक्ति को कठिनाई होती है। यदि वित्तीय अनुशासन पैदा हो जाए तो उससे मुद्रा स्फीति की दर पुन: एक अंकीय हो सकती है।

सरकार ने हमारे समाज के कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक प्रचार किया है, मैं बताना चाहूंगा कि राशन के कुछ दुकानों ने ग्राहकों के प्रति ठीक व्यवहार नहीं किया है और उनके द्वारा दिए जाने वाला माल, जिसमें पत्थर और सीमेंट मिली होती है, खाने के लायक नहीं होता है। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे अपने राशन कार्ड पर ऐसा ही मिलावटी माल मिला।

इसलिए बजट में एक मिशनरी भावना के साथ मुद्रास्फीति से लड़ने की व्यवस्था नहीं है। अत: मैं आग्रह करूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तंत्र का प्रबंध और अधिक कार्य कुशल बने ताकि लोगों को राशन की दुकानों से बढ़िया किस्म का माल मिल सके।

बजट में संगठित क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत आय कर ढांचे के पुनर्गठन के रूप में कतिपय राहतों का प्रस्ताव है। मेरे विचार से 28,000 रुपये की सीमा, को 22000 रुपये से बढ़ाकर की गई है, वह 40,000 रुपए तक बढ़ाई जानी चाहिए। छूट में की गई इस वृद्धि को देखते हुए धारा 80 ख को वापस लेना इसे नकारने के समान है।

जहां राष्ट्र कर ढांचे के पुनर्गठन का व्यापक स्वागत करता है तथा प्रवेश बिन्दु और एक लाख रुपए से ऊपर जो कर लगाए गए हैं उनको देखते हुए यह राहत भ्रामक है।

वित्त मंत्री ने दाएं हाथ से जो कुछ भी उदारता पूर्वक दिया है वही बड़ी चतुराई से बाएं हाथ से छीन लिया है।

वित्त मंत्री ने छोटे किसानों के संघ का जो प्रस्ताव रखा है, तो उसके बारे में मैं ब्यौरे की प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र मूलत: ग्रामीण क्षेत्र है।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हाल के आंकड़े, गत वर्ष के कम उत्पादन के कारण निराशाजनक हैं। सूखे से पीड़ित राज्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की किसी नीति की प्रतीक्षा में है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रावधान, शुष्क भूमि कृषि के लिए प्रोत्साहन, सहकारी क्षेत्र

[श्री मोरेश्वर सावे]

से ऋण एकत्र करने तथा योजना परिव्ययों में अर्थपूर्ण आवंटनों के आह्वान के बारे में मुझे डर है कि इस संबंध में कोइ प्रावधान न किए जाने से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनसे उत्पादन वृद्धि की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से हमारे सदस्यों को पढ़ना नहीं चाहिए।

श्री मोरेश्वर सावे : मैं मुद्दों के बारे में कह रहा हूं।

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, कृपया उन्हें कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : मेरे विचार से हमारे सदस्यों को अपने भाषण पढ़ने नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री मोरेश्वर सावे : महोदय, राज सहायता में कटौती जो गैर-योजना व्यय की प्रमुख समस्या है, का हम स्वागत करते हैं। इस मद में 25.0 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्याप्त नहीं है और उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। मुझे ग्रामीण विकास के परिव्यय में कटौती करने पर भारी आपत्ति है। निष्कर्ष में मैं अन्त में बताऊंगा कि यह प्रतिशतता कम कैसे हुई है।

हम ऋण-जाल में फंसते हुए प्रतीत होते हैं। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में प्रस्तावित रिआयतों से उद्योग विकास परक और अधिक गतिशील बनेगा। कीटनाशकों के निर्माण में बीजों को विदेशी स्रोतों से अधिक आसानी से प्राप्त करने में निहित खतरा है। पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में कटौती तथा नायलान, विस्कोस और वस्त्रों आदि पर शुल्क में रिआयतें स्वागत योग्य हैं।

लोग बैंकिंग उद्योग में उन आर्थिक सुधारों और उसे तर्कसंगत बनाने के बारे में जानना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं।

इसे और अधिक सक्षम और कारोबार के प्रति सचेत बनाने के लिए कोई अर्थपूर्ण दिशा नहीं है।

व्यक्तिगत आय-कर के मामले में यह एक चतुराई का कार्य है। मेरे विचार से धारा 80ठ 80न ग (क) और 80न ग (ख) को बहाल करना चाहिए क्योंकि इससे पेंशनभोगियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सेवानिवृत होने वाले और जरूरतमंद लोगों को बचत करने से हतोत्साहित करता है।

अतः, यह सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी जाए क्योंकि यह उचित है। सम्पत्ति कर संशोधनों के संकेत गंभीर हैं और हमारे समक्ष एक अनोखी स्थिति पैदा हो सकती है। गृह सम्पत्ति जैसी राष्ट्रीय सम्पत्ति पर भारी कर लगाया गया है। संक्षेप में, बजट में बेरोजगारी, गरीबी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लक्ष्य नहीं बनाया गया है। यद्यपि, घाटा कम किया गया है, परन्तु राष्ट्र को अपना लचीलापन सिद्ध करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में अनिवेश से भारी रुग्णता और बेरोजगारी फैलेगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार 227 सार्वजनिक उपक्रमों में से 58 उपक्रम रुग्ण हैं। यदि उन्हें पुनर्जीवित करना है तो हमें

15,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस राशि से लगभग चार लाख लोगों का पुनर्वास किया जाएगा परन्तु इसी धनराशि से 15 लाख और लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अतः इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को अनिवेश और पुनर्वास कार्यक्रमों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और जहां तक संभव हो, इन रुग्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में चलाने से बचना चाहिए।

फिर, पूंजी निर्गमों पर नियन्त्रण समाप्त करना एक बड़ा जुआ सिद्ध होगा। जब आप राष्ट्र को विदेशी प्रतियोगिता और निवेश के लिए खोलने जा रहे हैं तो लघु उद्योगों की उपेक्षा करने और हमारे उद्योग पर उचित ध्यान न देने से और अधिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ये सुझाव इस प्रकार हैं :

(1) आयात विकल्प की प्रक्रिया और सामरिक महत्व के लघु उद्योगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) श्रम कानूनों और कार्यान्वयन के साथ-साथ मजदूर संघ सम्बन्धी क्रिया-कलापों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) ग्रामीण निर्धनों पर अमीर और मध्यवर्ग के किसानों के प्रभुत्व पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

(4) ऋण माफी योजनाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) बाह्य वित्त से हमें केवल राहत ही मिल सकती है किन्तु हमारी समस्याओं का समाधान करने का विकल्प नहीं हो सकता। हमें प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।

(6) छूटों में कमी बजट घाटे को कम करने का सबसे अनुकूल परन्तु प्रतिरोधी समाधान है।

(7) उन्नत कार्य-कुशलता के द्वारा उर्वरकों, सिंचाई जल तथा विद्युत की लागत में कमी की जा सकती है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से धन प्राप्त हो जाने के पश्चात अनुत्पादक खर्च में कमी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग न किया जाए।

(9) अवमूल्यन के कारण रक्षा सम्बन्धी प्रावधानों में हुई वृद्धि निरर्थक होती जा रही है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

महोदय, अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1981-82 में, सरकारी बजट में विकास खर्च 42 प्रतिशत और अन्य खर्च 58 प्रतिशत था। अब, 1991-92 में विकास खर्च घटकर 29.2 प्रतिशत रह गया है और अन्य खर्च 70.3 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, 1981-82 में, हमारे आंतरिक ऋण 30,684 करोड़ रुपये और विदेशी ऋण 11,298 करोड़ रु० थे। वर्ष 1991-92 में, आंतरिक ऋण 1,71,589 करोड़ रुपये और विदेशी ऋण

[श्री मोरेश्वर सावे]

35,122 करोड़ रुपये है। वर्ष 1981-82 में, कुल ऋण 59,749 करोड़ रुपये था और वर्ष 1991-92 में यह 3,55,201 करोड़ रुपये है। इस प्रवृत्ति से आप समझ सकते हैं कि हमें इस समय कितना भार उठाना पड़ रहा है।

वर्ष, 1983-84 में, हमने छूट पर 2,749 करोड़ रुपये खर्च किये थे। हमें 4,795 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ रहे थे तथा रक्षा पर हम 5,831 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे। इसके विपरीत, यदि आप 1991-92 के आंकड़े देखें तो आप महसूस करेंगे कि अब हमारी स्थिति क्या है। 1983-84 में, छूट 2,749 करोड़ रुपये थी और 1991-92 में यह 10,395 करोड़ रुपये है, अर्थात यह बजट का 9.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार आन्तरिक तथा बाह्य ब्याज के रूप में 1983-84 में 4,795 करोड़ रुपये देने की तुलना में अब हम 1991-92 में 27,450 करोड़ रुपये इस मद के लिए दे रहे हैं। यद्यपि रक्षा बजट 1983-84 में 5,831 करोड़ रुपये से बढ़कर 1991-92 में 16,350 करोड़ रुपये हो गया है, तथापि यह अब 16.4 प्रतिशत से घटकर 14.4 प्रतिशत हो गया है।

अतः इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन बातों पर गम्भीरता से विचार करें वे उन प्रस्तावों में उचित संशोधन करें जो उन्होंने 29 फरवरी, 1992 को प्रस्तुत किये थे।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। एक ओर तो इस बजट को जन-विरोधी, निर्धन-विरोधी, मजदूर-विरोधी तथा कृषक विरोधी कहा गया है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रचार माध्यम इस बजट को एक विशिष्ट बजट, रूढ़ि तोड़ने वाला प्रसिद्ध और प्रगतिशील बजट बता रहे हैं। मेरा विचार है कि यह एक व्यावहारिक बजट है।

जब हम देश की आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं तो हम इस बजट को गरीब-विरोधी और जन-विरोधी नहीं कह सकते। परन्तु इसके साथ-साथ हमें बजट का और उन परिस्थितियों का संक्षिप्त अध्ययन भी करना चाहिए जिनके अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री को ये बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने पड़े हैं।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक संकट अभी भी दूर नहीं हुआ है। भुगतान संतुलन की स्थिति काफी ऊंची हो गई है। परन्तु इसकी कमियां अभी भी दूर नहीं हुई हैं। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि मुद्रास्फीति की सुदृढ़ प्रवृत्तियां अनेक कठिनाइयों के साथ देश में अभी भी मौजूद हैं। हमारे वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी कठिनाई वित्तीय घाटे में कमी करने की है। खर्च की तीन मदें अर्थात् रक्षा, ऋण और छूट पर ब्याज ऐसी मदें हैं जिनको वित्त मंत्री ने छुआ तक नहीं है और रक्षा खर्च पर बजट तैयार करते समय उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है जहां तक अन्य छूटों का सवाल है हमें छूट को जारी रखना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डा० मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया बजट आज की परिस्थितियों में एक व्यवहारिक बजट है।

विगत वित्त मंत्री के नाते पिछले वर्ष प्रस्तुत बजट की तुलना में विद्यमान वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० ए० एम० खुसरो का कथन उद्धृत करता हूं :

"प्रत्येक पूर्व बजट एक निश्चित ढांचे के अन्तर्गत कार्यरत रहता है। लेकिन इसने तो अर्थ-नियन्त्रणवाली अर्थव्यवस्था को उदार अर्थव्यवस्था में बदलकर मूल ढांचे को ही बदल दिया है।"

वास्तव में, इससे पता चलता है कि उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा इससे काफी हद तक नियन्त्रण को उदार बनाया गया है। इस बजट की एक मुख्य विशेषता यह है कि इससे पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय घाटे में कटौती हुई है। उन्होंने 1990-91 में वित्तीय घाटे को 44,650 करोड़ रुपये से कम करके 1991-92 में 37,792 करोड़ रु० कर दिया गया। यह गर्व की बात है तथा वित्त मंत्री इस मुद्दे पर बधाई के पात्र है। उन्होंने आगे कहा कि अगले बजट तक वह इस घाटे को 37,792 करोड़ रु० से कम करके 34,408 करोड़ रु० कर देंगे। यदि वित्त मंत्री सदन को दिये गये आश्वासन को पूरा करते हैं तो, जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है, यह निश्चित ही एक लीक से हटकर कार्य होगा।

मैं भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में कुछ जिक्र करूंगा जिसका वित्त मंत्री ने अपने बजट में अनेक बार उल्लेख किया है। भुगतान संतुलन की स्थिति को 2,600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपये करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री द्वारा किये गये कुछ उपायों ने भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करने में हमारी सहायता की है।

भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की नीति और स्वर्ण के साथ-साथ स्वर्ण बांड नीति लागू करने के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये सभी प्रगतिवादी धारणाएं हैं जो हमारी आर्थिक प्रणाली को स्थिर करने में हमारी सहायता करेंगी।

इस नीति के अनेक लाभ हैं, ये तीन चीजें अर्थात भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता इसका तात्पर्य विनिमय दर पर 40 प्रतिशत और बाजार निर्धारित कीमत पर अन्य 60 प्रतिशत के साथ-साथ अनिवासी भारतीय द्वारा सोने का आयात तथा प्रस्तावित स्वर्ण बांड नीति, ये सभी विदेशी तथा देश के व्यापार संचालकों में हमारे रुपये की स्थिति के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार करेंगे। कुछ विशिष्ट चीजों को छोड़कर अन्य सभी पूंजीगत सामानों का आयात भी विदेशी मुद्रा के बदले किया जाएगा और इसके पश्चात निर्यात आयात नीति को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भारतीय रुपये की स्थिति और मजबूत होगी।

स्वर्ण आयात के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह एक प्रशंसनीय विचार है, सभी अनिवासी भारतीयों के लिए सोना लाना संभव नहीं हो सकता जैसा कि बजट में बताया गया है, विशेषकर जब हम प्रति 10 ग्राम सोने पर 450/- रुपये के शुल्क की ओर ध्यान देते हैं।

मैं यह कहूंगा कि हम सोने के आयात को ही प्रोत्साहित क्यों न करें ताकि सोने की तस्करी बिल्कुल बन्द हो सके। जैसा कि अनुमान लगाया गया है। हमारी सोने की आवश्यकता प्रतिवर्ष 200 टन है। यहां तक कि उदारीकरण की इस नीति के पश्चात भी मेरे विचार से हमें स्वदेशी उपभोग के लिए 150 टन सोना चाहिए। इसलिए हमें सोने के आयात को कानूनीरूप से प्रोत्साहित करना पड़ेगा।

सोने की नीति हमारी आर्थिक नीति में एक आशा की किरण है किन्तु चांदी के बारे में क्या

[श्री ई० अहमद]

नीति है ? चांदी अब एक दुर्लभ धातु है तथा जहां तक हमारे देश की बात है हमारी स्थिति बहुत खराब है। खाड़ी तथा अन्य देशों से चांदी भारत में तस्करी द्वारा लाई जाती है। सोने की तुलना में इससे 100 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। सभी बड़ी कम्पनियां तथा इलेक्ट्रानिक कम्पनियां चांदी की ओर बढ़ रही हैं।

इसलिए, सरकार को सोने की तरह चांदी के आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में कोई नीति बनानी चाहिए।

अब वे तस्कर जो यह समझते हैं कि सोने की तस्करी में अब कोई फायदा नहीं है चांदी की तस्करी की ओर बढ़ रहे हैं तथा इस देश में कुछ बड़े व्यापारी लोग भी हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चांदी की ऐसी तस्करी को प्रोत्साहित करते हैं।

अतः, मैं सरकार से जोरदार आग्रह करता हूं कि देश में चांदी की तस्करी रोकने के लिए कोई नीति बनाये या उपाय करे।

दूसरी बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा वह है खुदरा दुकानों के लिए नये कर लागू करना। वित्त मंत्री ने इसे उचित बताया है। उन्होंने अपने भाषण के भाग (ख) के पैरा 62 में यह कहा है :

> "80 करोड़ से अधिक की आबादी वाले हमारे देश में मुश्किल से 70 लाख लोग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर अदा करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कर जाल के अन्तर्गत नए कर दाताओं को लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरा प्रस्ताव 5 लाख रुपए से कम के वार्षिक कारोबार वाले दुकानदारों व अन्य खुदरा व्यापारियों के सम्बन्ध में एक परिकल्पित कर पद्धति लागू करने का है।"

मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ही अन्यायपूर्ण तथा अनुचित बात है कि वित्त मन्त्री गरीब छोटे खुदरा दुकानदारों को कर की परिधि में ले आएं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां वे कर लगा सकते है। वे उन लोगों पर कर लगा रहे हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपये से कम है। सच तो यह है कि कुल कारोबार तथा लाभ का कोई सम्बन्ध नहीं है। कारोबार तो 5 लाख रुपये का हो सकता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो 5 प्रतिशत भी लाभ कमाए। यदि वित्त मंत्री इस तथ्य को ही लें कि 5 लाख रुपये के कारोबार से 5 प्रतिशत का लाभ होगा, तो भी वार्षिक आय केवल 2000/- रुपये ही बनती है। सरकार ने उनको आयकर छूट दी है जिनको वार्षिक आय 25000/- रुपये तक है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 2500 रुपये है। छोटे तथा लघु दुकानदारों की आय शायद इस सीमा तक भी न हो।

सभापति महोदय : ई० अहमद जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री ई० अहमद : महोदय, जब भी मैं बोलता हूं आप मेरी बात काट देते हैं। मेरे लिए केवल यही माफी है···(व्यवधान)। इसलिए यदि वे कर परिधि में अधिक लोगों को लाना भी चाहें तो भी उन्हें अधिकार के तौर पर छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों आदि को कर परिधि में इस तरीके से

नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह एक स्वैच्छिक जमा है।

श्री ई० अहमद : यह स्वैच्छिक जमा नहीं है। जहां तक वित्त मंत्री का सम्बन्ध है यह स्वैच्छिक जमा है। किन्तु, जब इसे निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लागू किया जाएगा तो अधिकारी स्वयं ऐसे लोगों पर दबाव डालेंगे क्योंकि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसलिए यह स्वैच्छिक नहीं है। इसको इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए। यह इस तरह नहीं होना चाहिए।

साथ ही कुछ अन्य बातें भी हैं। इस बजट में उन तटीय लोगों के लिए कुछ विशेष उपबन्ध नहीं है जो मत्स्य पालन तथा ऐसी ही अन्य व्यवसायों से अपना जीवनयापन करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 3520.24 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था किन्तु 1992-93 में इसे घटाकर 3113 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। क्यों? ग्रामीण विकास कार्यक्रम से हमारे गरीब लोगों को मदद मिल रही है। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित आवंटन में सरकार ने कटौती क्यों की? इसके साथ ही वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था किन्तु इस वर्ष घटाकर इसे 2046 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह भी एक भारी चिन्ता की बात है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ई० अहमद : समाप्त करने से पूर्व मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि देश के लिए उदारीकरण तो एक अच्छी बात है किन्तु अधिक उदारीकरण खतरनाक है। हमारी स्थिति क्या है? इस उदारीकरण के पश्चात छोटे तथा लघु पैमाने के उद्योगों का क्या होगा? उन्हें विदेशी निवेशकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला करना है। इसलिए, हम देश में लघु तथा छोटे उद्योगपतियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे इस क्षेत्र के साथ हम न्याय नहीं कर पायेंगे।

अन्त में इन चन्द शब्दों के साथ एक बार फिर मैं वित्त मंत्री द्वारा इस बारे में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री महोदय ने अपनी पीठ स्वयं थपथपाई और बड़े गदगद होकर कहा कि आने वाले 10 वर्षों में हम बेकारी पर काबू पा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति कहीं भी चिन्ता व्यक्त नहीं की है, बेरोजगारी के कारणों को उन्होंने तलाश नहीं किया है, जिन कारणों की वजह से आज बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस 44 वर्ष के शासनकाल में बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी प्रकार के ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। बहुत तरीके ढूंढे गए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बेरोजगारी वृद्धि का अनुपात 10 गुना अधिक है। सरकार ने 2 प्रतिशत बेरोजगारी दूर करने के लिए साधन मुहैया कराए तो बेरोजगारी बढ़ने का अनुपात ढाई प्रतिशत रहा।

[श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल]

4.00 म० प०

जवाहर रोजगार योजना के नाम पर स्वत: रोजगार योजना के नाम पर, शहरी रोजगार योजना के नाम पर तथा विभिन्न प्रकार से रोजगार देने का हमने प्रयत्न किया। लेकिन कारण क्या हुआ कि हम चाहते हुए भी बेरोजगारी को कहीं रोक पाने में सफल नहीं हुए ? कारण की तलाश अगर की जाए तो बहुत साफ लगता है जिस काम के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन हमने नहीं दिया। जिस काम की जहां मांग थी, जहां जिस प्रकार का उत्पादन था उस उत्पादन के आधार पर उद्योग लगाए जाने चाहिए थे, उन उद्योगों को ध्यान में रखकर उस प्रकार का रोजगार बनाने, उद्योग लगाने का संकल्प नहीं रखा।

4.01 म० प०

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ हमने यह भी ध्यान में नहीं रखा कि बाजार में जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है उसमें खड़ा होने के लिए हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह प्रचार का युग है। टेलीविजन के माध्यम से बड़े-बड़े अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से अपना प्रचार करके बड़ी-बड़ी कम्पनियां लोगों के दिमाग में अपने सामानों का उपयोग करने के रिए प्रेरित करती हैं। हम सवेरे जब सोकर उठते हैं तो हमारे हाथ में टूथपेस्ट और ब्रुश होता है। हम जब पेस्ट करके निकलते हैं तो शेविंग, क्रीम, साबुन, ब्लेड और सौंदर्य के सारे प्रसाधन बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा बनाए हुए होते हैं। हमारे दैनिक जीवन की शुरुआत शारीरिक सफाई से होती है और सुबह से ही हमारे अन्दर इस प्रचार का काम होता है। इसी हाउस में, मैं उस समय मेम्बर नहीं था, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि सदन में एक बार एक प्रयत्न किया था कि···

4.02 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

···जो सामग्री उत्पादित होगी उद्योगों के वर्गीकरण में सामानों के रिजर्वेशन में। वित्त मंत्री कहते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर कर लेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मंत्र दिया है क्या उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आ जाने से इस देश का कुटीर उद्योग, इस देश का लघु उद्योग पनप पाएगा ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक बड़े रोजगार की अपेक्षा छोटे उद्योग छ: गुणा कहीं अधिक रोजगार देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 44 ऐसी दवा बनाने वाली कम्पनियां हैं जो उन दवाइयों का निर्माण करती हैं जिन दवाइयों के निर्माण पर उनके देशों में भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसलिए कि उन दवाओं के उपयोग करने के बाद लोग शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। हमारे पास लिस्ट है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में सामानों को बना कर हमारे यहां से पैसा लेकर चली जा रही हैं। हमारे यहां के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करती हैं ये कम्पनियां। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की किस्मत यही है ? क्या आपने ध्यान रखा कि खेत में काम करने वाला किसान 44 वर्ष बाद, जिसके पैर की बिवाई एक अंगुल गहरी

है लेकिन 50 पैसे का मोम खरीद कर वह दवाई करने लायक आज भी नहीं है। क्या आपने चिन्ता की है उस किसान की जो दिन भर मेहनत करके खेत से आता है और शाम को आलू खा कर सो जाता है ? क्या आपने चिन्ता की है उस किसान की जो किसान तीज-त्योहार और शादी-विवाह को कर्जे में मनाता है। हिन्दुस्तान का किसान अपनी किस्मत का मारा नहीं है, हिन्दुस्तान का किसान अपने कर्म का मारा नहीं है, हिन्दुस्तान के किसान से उसका भगवान रूठा हुआ नहीं है। अगर कोई रूठा हुआ है, अगर किसी ने उसकी किस्मत से खिलवाड़ किया है तो इस सदन में बैठे हुए लोगों ने किया है। उन्होंने ध्यान में नहीं रखा कि किसान की आवश्यकता क्या है। किसान के लड़के की आवश्यकता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह देश 80 परसेंट गांवों का है। यह देश 80 परसेंट किसानों का है। यह देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, यह देश बेरोजगारी को तब तक दूर नहीं कर सकता जब तक कृषि पर आधारित उद्योगों के निर्माण को ध्यान में रख कर इस देश की नीतियां नहीं बनाई जाती।

जब तक इस देश में उद्योगों का वर्गीकरण नहीं किया जाता, समन्वय स्थापित नहीं किया जाता उनमें कृषि पर आधारित उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे और मांग के अनुसार काम की व्यवस्था होने लगेगी और जब कुटीर और लघु उद्योग को खड़ा करने के लिए व्यवस्था कर देंगे तो उस दिन हिन्दुस्तान की किस्मत बदलेगी। मैं देखता हूं कि इस बजट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वित्त मंत्री इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जो भी सरकार आती है तो वह शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात करती है। सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि इस देश में कैसी शिक्षा नीति आनी चाहिए। वे रोजगारपरक शिक्षा की बात करते हैं। किन्तु इस देश में रोजगार का उत्पादन करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। रोजगार का उत्पादन करने वाली शिक्षा के लिए जो व्यय करने जा रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। बरसों से मांग है कि इस देश की शिक्षा नीति को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम पूरे बजट का दस प्रतिशत खर्च करना होगा और किसानों को उठाने के लिए पूरी तरह से सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जिस दिन हम इस दर्द और मर्म को समझेंगे तो उस दिन हिन्दुस्तान की किस्मत बदलेगी और आगे बढ़ेगी। यह बजट गरीब किसानों, मजदूर और विद्यार्थियों के हित की चिंता नहीं करता है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष जी, 29 तारीख को माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो बजट रखा तो उसके समर्थन में कुछ विचार रखूंगा। माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, लेकिन मैं उस भूमिका में नहीं जाकर के राजस्थान के गरीब तबके का नक्शा आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं कभी-कभी आपके सामने बहुत उत्तेजित हो जाता हूं और इसलिए होता हूं कि उन लोगों की दशा के बारे में यहां कहता हूं और अब भी कहना चाहूंगा। एक कहावत है—ऊंट जब चलता है तो उसका होंठ लटका रहता है और लोमड़ी उसको देखकर है यह समझती है कि वह गिर जाए तो मैं उसको खाऊं। इसी प्रकार गरीब जनता को यह आशा रहती है कि हमको कुछ खाने को मिलेगा और मजदूरी मिलेगी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे सामने परेशानी है बल्कि सभी के सामने होगी और खाने की व्यवस्था कम होने के कारण गरीब जनता में बहुत परेशानी होती है। हमने और बी० जे० पी० ने कहा था कि हम जीतकर आएंगे तो खाने-पीने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वह बीच में लटका हुआ है। बी०जे०पी० की सरकार कहती है कि केन्द्र जब तक सप्लाई नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं दे सकते···(व्यवधान)···केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से अन्न की पूर्ति करनी है। इस

[श्री भेरू लाल मीणा]

दोनों के बीच में वह जनता मारी जाती है। मैंने पिछले संसद के अधिवेशन में और उसके पूर्व भी अपने विचार व्यक्त किए थे। लेकिन आज तक न तो अकाल का काम चालू हुआ और न अनाज की बढ़ोत्तरी की। हम लोग यहां पर गरीब जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनकर आते हैं। इस प्रकार की जो परेशानी है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अनाज का कोटा बढ़ाया जाए ताकि उन लोगों को कम से कम एक समय खाने को मिल सके।

चूंकि आप समय कम दे रहे हैं इसलिए मैं जल्दी-जल्दी कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। नई औद्योगिक नीति सरकार लाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। किन्तु निजीकरण करने से उसका क्या नुकसान होगा, इसका भी अन्दाजा लगाया जाना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सलूम्बर, जिला उदयपुर मे बजाज समूह का कारखाना है। उस औद्योगिक इकाई में काम करने वाले श्रमिकों के साथ कम्पनी प्रबन्धकों द्वारा ऐसी हरकत की जाती हैं जो देखी नहीं जा सकतीं, बयान नहीं की जा सकतीं। भारी अत्याचार उनके साथ किया जाता है, अन्याय किया जा रहा है। इस प्रकरण को मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस कारखाने के प्रबन्धकों ने बिना कारण फैक्टरी को 24 दिन तक बन्द रखा। जब चालू किया तो मजदूरों ने पूछा कि 24 दिन के पैसे का क्या होगा, तब उन्होंने यूनियन के अध्यक्ष के साथ कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मारपीट की। यही नहीं, इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने मजदूरों को आपस में लड़ा दिया। आप जानते हैं कि प्रबन्धक मजदूरों के अन्दर गुटबन्दी करा देते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। जब अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई तो मजदूरों ने उत्तेजित होकर 13 दिसम्बर को हड़ताल की। आज 105 दिन हो गए हैं उस सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल हुए, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। राज्य सरकार को कहा गया तो राज्य सरकार ने उल्टे धारा तीन लगाकर मजदूरों को और उकसा दिया। उनकी परेशानी दूर करने के बजाय और उलझा दी। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि निजीकरण से सब जगह ऐसा ही होने लगे। क्योंकि प्राइवेट कम्पनीज वाले मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे; मजदूरों की सहायता नहीं करेंगे। आधुनिकीकरण के तरीके से काम चलाएंगे जिससे मजदूरों की छंटनी होगी। जब पहले से देश में बेरोजगारी है तो मजदूरों की जब छंटनी होगी और मुनाफा कमाने की कोशिश होगी तो मजदूरों का क्या होगा। इसलिए मैंने अपनी तरफ से किसानों और मजदूरों के लिए बात कही है। उस पर आप ध्यान दें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा मैंने केन्द्र सरकार से कुछ प्रश्न पूछे थे कि राज्य सरकार को राज्यवार कितना बजट का हिस्सा दिया जाता है और उसके साथ ही यह भी पूछा था कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या विशेष फण्ड दिया जाता है। मैंने कुल मिलाकर देखा कि राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को बहुत ही कम बजट अलाट किया गया। उसी तरह से समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी वहां कम पैसा दिया है। मैं चाहूंगा राजस्थान में चूंकी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं इसलिए उन लोगों के लिए अगर वास्तव में विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसके लिए केन्द्र सरकार ज्यादा बजट अलाट करे। जो मैंने अन्न का कोटा बढ़ाने की बात कही है, मजदूरों के साथ शोषण की बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाए।

बी० जे० पी० ने इस देश में किस तरह से लोगों को गुमराह किया, यह मैं बताना चाहता हूं। पहले इन्होंने मठ पूजा अभियान सारे देश में चलाया और लोगों को गुमराह किया। उसके बाद इन्होंने

कलश यात्रा निकाली और सारे देश को गुमराह किया। उसके बाद ईंट पूजा शुरू हुई और फिर रथ यात्रा निकाली और देश को गुमराह करने का प्रयत्न किया। जो सही बात है वह सभी को माननी चाहिए···(व्यवधान)।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्दसौर) : बजट पर बोलिए।

श्री भेरू लाल मीणा : इसलिए ये मन्दिर बनाने में रहे हैं और देश को बरबाद करने का रास्ता बना लिया है। मन्दिर बनाने में पेट नहीं भरता। भगवान तो सबके हृदय में हैं। हनुमान जी श्री राम के भक्त थे···

अध्यक्ष महोदय : आप रामायण वगैरह न लाइए। यह टाईम बहुत कीमती है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भेरू लाल मीणा : मैं इस बजठ का समर्थन करता हूं और यह बजट बहुत सराहनीय है, अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर प्रस्तुत किए गए 1992-93 के बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट के ब्यौरे में जाने से पहले मैं सदन का ध्यान निम्नलिखित चौंकाने वाले तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब इस सदन में पहला बजट पेश किया गया था उस समय बजट घाटा एक करोड़ रुपए था और जब 1992-93का यह बजट पेश किया गया है बजट घाटा बढ़ कर 20,000 करोड़ रुपये हो चुका है।

नवें दशक में बड़े घरानों या औद्योगिक गृहों के पास जमा कुल धन 6541 करोड़ रुपये कूता गया था और 1991-92 में यह आंकड़ा बढ़कर 50000 करोड़ रुपये हो गया है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 42 करोड़ हो गई है और रिकार्डों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग सात करोड़ है और लगभग पांच करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं जिनका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों में दर्ज नहीं है। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक आपने ऋण लेकर जो धन इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय किया है वह बेकार चला गया है। अन्तिम तस्वीर यह है कि हमारी मातृभूमि आज भी भीख का कटोरा लेकर विदेशों के दरवाजे पर खड़ी है।

[हिन्दी]

हमारी भारत माता को भिखारी के रूप में आपने जग के सामने 45 साल की आजादी के बाद खड़ा किया है। यह सब पिक्चर है।

[अनुवाद]

वह सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं।

[हिन्दी]

इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

[श्री अन्ना जोशी]

[अनुवाद]

मैं आपको याद दिलाता हूं कि 24 दिसम्बर, 1991 को यहां राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी और हमारे प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों ने यह कहा था कि राज्य सरकारों के व्यय में कम से कम दस प्रतिशत की कटोती की जानी चाहिए। किन्तु उसके ठीक एक सप्ताह बाद 31 दिसंबर को यहां से नागपुर गए और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। महाराष्ट्र राज्य के व्यय में करोड़ों रुपये की वृद्धि हुई।

जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सरकार हमें चुनौती देती है कि हम इसका उदाहरण दें ताकि वह इस बात का पता लगाए कि इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। इस सदन के 45 सदस्यों ने प्रधान मंत्री, जिनके पास उद्योग मंत्रालय का काम भी है, को एक ज्ञापन दिया है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि मारुति उद्योग लिमिटेड के उन उच्च अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए जिनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के 17 मामलों में जांच की है। हमारे पास उनके विरुद्ध कई मामले और हम उन पर मुकदमा चलाना चाहते हैं। किन्तु चार मास बीत चुके हैं, न तो प्रधान मंत्री जी ने और न ही उद्योग राज्य मंत्री ने अपनी अनुमति दी है। मैं भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देता हूं। सत्तर मारुति कारें गुड़गांव स्थित मारुति कारखाने से भेजी गई। उन्हें दिल्ली में मारुति के शोरूम में भेजा जाना था। किन्तु वह सत्तर कारें शोरूम में कभी नहीं पहुंची। ये कारें कहां गई। यह कितनी राशि की थी? इसका समायोजन किस प्रकार हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं जानता।

1983 में उन्होंने ,50 करोड़ रुपए मूल्य के फालतू पुर्जों का आयात किया था। 1983 से लेकर 1992 तक पिछले 9 वर्षों से वह 2000 पेटियां वहीं पड़ी हैं। यह फालतू पुर्जे कौन लाया? उनका इस्तेमाल कहां होना है? उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? उन पेटियों को खोला क्यों नहीं गया? यह सब आरोप लगाए गए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है। उन्हें सबूत मिले हैं और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें इन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं।

इससे यह भी प्रतीत होता है कि सरकार ने हमें, गरीब वर्गों को, ग्रामीण वर्गों को जो वायदे किए, उन पर अमल नहीं किया। मेरे पास आंकड़े मौजूद है। उन्होंने वह राशि भी नहीं दी जो उन्होंने पिछले वर्ष दी थी। मैं "बजट एक नजर" पुस्तक में से उल्लेख करूंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके सुधार की प्रधान मंत्री हमेशा बात करते हैं, के लिए पिछले वर्ष 18 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस बार यह केवल 10 करोड़ रुपये है। यह कम क्यों है? यह पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग आधा है। ऐसा क्यों है? लघु उद्योगों और कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के मामले में भी यही स्थिति है। पिछले वर्ष 350 करोड़ रुपये दिया गया था। इस वर्ष यह केवल 335 करोड़ रुपये है। ऐसा क्यों है। इस प्रकार के कई आंकड़े हैं।

बजट की त्रासदी केवल यही नहीं है। यदि आप गरीब लोगों या निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उन्हें आपके पूर्ववर्तियों ने जो दिया है उसे लेना भी नहीं चाहिए। किन्तु आपने यह भी किया है। एक भद्र पुरुष से यह आशा की जाती है कि यदि वह कुछ दे नहीं

सकता तो उसे यह नहीं लेना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री को बताता हूं कि आय कर में 22,000 रुपए के स्लैब से 28,000 रुपए तक की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। यह एक तकनीकी वृद्धि है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसे बढ़ाकर 48,000 रुपए किया जाना चाहिए; तथा आय कर अधिनियम की धारा 80 ठ, 80 ब म(क) 80 म म (ख) के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं बहाल की जानी चाहिए।

दूसरे अवयस्कों की आय को उनके माता-पिता के आय के साथ जोड़ना एक अत्यन्त कड़ा उपबन्ध है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

तीसरे, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा 94 में कहा है कि वह निर्धन वर्गों के लिए आवास को बढ़ावा देना चाहते हैं इसलिए उन्हें निमाण सामग्री पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। कारुगेटेड शीटें, सीमेंट पाईप लघु एककों द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें छूट नहीं दी गई है। उनके मामले में उत्पाद शुल्क कम नहीं किया गया। वे भी गृह निर्माण सुविधा का भाग है; और इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में भी रियायत दी जानी चाहिए।

चौथे, मैं लघु बचत योजनाओं के बारे में कुछ कहूंगा। विदेशों में सरकार सेवा निवृत्ति, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बिमारी, विकलांगता आदि का ध्यान रखती है। किन्तु, हमारे देश में वृद्धावस्था बीमारी, विकलांगता आदि के लिए हमें स्वयं व्यवस्था करना होती है। लघु बचत योजना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है; यह स्वयं रोजगार का एक तरीका है। देश भर में लाखों लोगों का इससे रोजगार मिला हुआ है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत एजेंट महिलाएं है; वे ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और कुछ कमा रही हैं। एक ओर जहां वे कमा रही हैं, व आपको भी करोड़ों रुपये दे रही हैं। किन्तु आपने उन्हें कोई रियायत नहीं दी है। इसलिए उन्हे यह भी दी जानी चाहिए।

अन्त में, देश में विदेशी मुद्रा का भण्डार बनाने के लिए आपने निर्यात से होने वाली आय को कर मुक्त किया है। इसके साथ ही आपने उन परियोजनाओं को छूट नहीं दी जो विदेशों में पूरी की जाती है। उनकी आय पर 50 प्रतिशत कर लगता है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आय कर की दोनों धाराओं 80-ज ज ख और 80-ज ज ब पर समान रूप से विचार करें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलाडुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। हमारे समक्ष एक जटिल पहेली है। जहां देश बजट प्रस्तावों की सराहना कर रहा है वहीं विपक्ष उनका उपहास उड़ा रहा है। फिर भी, संसदीय लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि हम जनता की करतल-ध्वनि से बहरे न हो जाएं। विपक्ष की चिंताओं का उत्तर देना भी आवश्यक है। मेरे विचार से इस समय इन चिंताओं का उत्तर देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पंडित जवाहर लाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना और अनुरक्षण करने के हमारे दल, हमारी सरकार और हमारे देश के उद्देश्य की घोषणा किये जाने के बाद से आज हमारी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक नाजुक मोड़ पर है।

प्रश्न यह है कि क्या हम समाज के समाजवादी ढांचे का मार्ग छोड़ रहे हैं? हमारे वामपंथी मित्र, विशेषकर साम्यवादी मित्र, जिन्होंने आपातकाल के समय पंडित जी की निंदा की थी और जिन्होंने

[श्री मणि शंकर अय्यर]

समाज के समाजवादी ढांचे की अवधारणा का उस समय मजाक उड़ाया था जब इसे पहली बार प्रतिपादित किया गया था, और जो वर्षों तक यह दिखावा करते रहे कि हमारा दल केवल एक बुर्जुआ लोकतान्त्रिक दल है न कि समाजवादी दल, अब अचानक नेहरू मॉडल और आवड़ी ढांचे के समर्थक बन गए हैं।

यह अच्छी बात है कि काफी लम्बे समय के बाद उन्हें समझ आ गई है। परन्तु अब उन्हें समझ आती जा रही है तो उनका हमारे बारे में यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम नासमझ बनते जा रहे हैं।

हमारा समाजवाद क्या है ? निश्चय ही हमारा समाजवाद भारत के साम्यवादी दल, 'ए' से से 'जेड' तक के किसी भी अक्षर वाले भारत के साम्यवादी दल का समाजवाद नहीं है। क्यों ? संक्षेप में इसका कारण यह है कि आरम्भ से ही पंडित जी ने समाजवाद के साम्यवादी संस्करण में यह दोष पाया था कि वह मताग्रही और अव्यावहारिक है। अब पंडित जी के निधन के 30 वर्ष पश्चात् साम्यवादियों के भगवान् में अविश्वास किया गया है, साम्यवादियों की पुस्तक को अस्वीकार कर दिया गया है और साम्यवादियों के पैगम्बर को मानने से इंकार कर दिया गया है। इसीलिए, हमारा समाजवाद साम्यवादियों का समाजवाद नहीं है। हमारा समाजवाद कोई आयातित विचारधारा नहीं है। हमारा समाजवाद स्वदेशी है। इसीलिए यह एक प्रामाणिक समाजवाद है।

इस प्रामाणिकता की मुख्य विशेषता क्या है ? वह यह है कि हमारा समाजवाद लचीला और अनुकूलनशील है। हम अपनी सफलताओं पर निर्माण करते हैं। साम्यवादियों की तरह हमारा गरीबी में कोई निहित स्वार्थ नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है और एक पद्धति है।

कांग्रेस पार्टी के समाजवाद का उद्देश्य क्या है ? मेरे विचार से इसे एक वाक्य में इस प्रकार कहा जा सकता है 'गरीबी हटाना'। इसे देश के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है ? मैं पिछले 10 या 20 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पिछले 70 वर्षों की बात कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने यह कह कर इसकी शुरुआत की थी कि दरिद्रनारायण के रूप में सर्वशक्तिमान की पूजा करना ही हमारा समाजवाद है। पंडित जी ने इसका भारत के आधुनिक मन्दिरों के रूप में वर्णन किया था। इन्दिरा जी ने कहा था। 'गरीबी हटाओ'। राजीव जी ने कहा था कि हमारी आर्थिक नीति का केन्द्र बिन्दु गरीबी हटाना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस वर्ष के बजट में 'समाजवाद' शब्द नहीं आया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि बजट में यह शब्द नहीं आया है और शायद आप ठीक कहते हैं, मैंने इसका उपहास किया था। मैं एक मिनट में उस बात पर आता हूं। सर्वप्रथम तो मैं यह समझाना और स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे समाजवाद का उद्देश्य क्या है। अब मैं हमारे समाजवाद की पद्धति की व्याख्या करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अपने देश के महानतम समाजवादी—जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करता हूं। वह मेरे दल के अध्यक्ष थे और इस देश के प्रथम प्रधानमन्त्री थे। पंडित जी ने अक्तूबर, 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में हमारे समाजवाद की पद्धति का चित्र

शब्दों में उल्लेख किया था मैं उन्हें उद्धृत करता हूं :

"हम जो भी पद्धति लागू करें उसकी एकमात्र परीक्षा उसके परिणाम हैं। इसलिए किस सीमा तक सरकारी क्षेत्र होना चाहिए और किस सीमा तक गैर-सरकारी क्षेत्र होना चाहिए, इसका निर्णय उनके परिणामों को देख कर करना चाहिए।"

पंडित जी ने यह बात 1951 में कही थी।

अब हम इस बात को इस बजट पर और 41 वर्षों के पश्चात् 1992 में इस बजट में प्रस्तुत आर्थिक नीति पर लागू करके देखें। महोदय, सरकार ने जिन आर्थिक सुधारों की अब बात की है वे वर्तमान आर्थिक संकट का परिणाम नहीं है। उन्हें किसी भी ढंग से लिया जाना था तथा कांग्रेस दल के 1989 और 1991, दोनों बार के घोषणापत्रों में इनका पूर्वाभास हो गया था। वर्ष 1989 के घोषणा पत्र में हमने विशेष रूप से यह बात कही थी कि उत्पादन, कार्य-कुशलता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किए जाएंगे, हम नौकरशाही का नियंत्रण हटाएंगे और राज्य के नियंत्रण में केवल वही क्षेत्र रखेंगे जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन्हें विशिष्टता के आधार पर लिया जाएगा, और यह आवश्यक होने पर ही किया जाएगा। वर्ष 1989 के हमारे घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि हमारे उद्यमी धन और रोजगार पैदा करने के लिए मुक्त होंगे और उन्हें नौकरशाहों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना होगा। उस समय हम सत्ता में नहीं आए। वर्ष 1991 में हमने जब दूसरा चुनाव लड़ा तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में विशेष रूप से यह बताया गया था और वचन दिया गया था कि उन सभी क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्र को धीरे-धीरे हटा लिया जाएगा जहां गैर-सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र ने क्षमता विकसित कर ली है। इसलिए ये सुधार तो किए ही जाने थे चाहे संकट होता या नहीं। परन्तु वी० पी० सिंह सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया और उसके पश्चात् चन्द्र शेखर सरकार ने इन आर्थिक सुधारों को एक अनिवार्य आवश्यकता बना दिया।

श्री रोशन लाल : कांग्रेस ने 43 वर्षों तक क्या किया ?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अभी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस समय हम जो ढांचागत सुधार कर रहे हैं उसकी दो मुख्य बातें है। पहली बात तो तत्कालिक संकट से निपटना है। दूसरी बात विकास के आगामी चरण के लिए मार्ग निर्धारित करना है।

हमारा तत्कालिक संकट बाहरी संतुलन का है। यह संकट, जैसाकि हमारे विरोधियों ने कहा है, हमारे विदेशी सार्वजनिक ऋण मे अत्यधिक वृद्धि होना है। यह मूल कारण है। परन्तु जब भी हम दूसरों से ऋण लेते है, तो हम इस विश्वास के साथ लेते हैं कि हम उसे चुका देंगे। वर्ष 1985 और 1986 में जब राजीव गांधी ने यह पाया कि हमारा निर्यात का स्तर हमारे सार्वजनिक विदेशी ऋण की तुलना में कम बढ़ रहा है तो वह निर्यात बढ़ाने के कार्य में जुट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरोत्तर तीन वर्षों में भारत से हमारे निर्यात के मूल्य में रुपयों में नहीं बल्कि डालर में कम-से-कम 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसे कहते हैं संकट प्रबन्ध।

इन्दिरा जी और राजीव गांधी ने इस विदेशी ऋण को कम करने में केवल एक बड़ी गलती की। गलती यह की कि वे यह पूर्वानुमान नहीं लगा सके कि वी० पी० सिंह की सरकार आएगी और उसके बाद चन्द्र शेखर की सरकार आएगी। उन्हें इसका भी पूर्वाभास नहीं हुआ कि वी० पी० सिंह सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए साम्यवादी और सम्प्रदायवादी आपस में मिल जाएंगे और

[श्री मणि शंकर अय्यर]

न ही उन्हें इस बात का पूर्वाभास हुआ कि हम ऐसी सरकार का समर्थन करेंगे जो हरियाणा के दो सिपाहियों की बंधक है। (व्यवधान)

श्री रोशन लाल : वह किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं यह पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम··· (व्यवधान)··· कृपया आप बैठेंगे ? मैंने आपकी बात नहीं मानी है। महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से संरक्षण की अपील करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारों की आलोचना करने का एक मंच है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि कांग्रेस दल को कम्युनिस्टों की भांति विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कोई हौवा नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के संस्थापक सदस्य हैं और हमने ही विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने भागीदारों के साथ बैठकर संस्था के अन्तर्नियमों पर बातचीत की और ऋण की श्रेणियों का निर्धारण किया तथा ऋण की शर्तें और ऋण की प्रक्रियायें तय की। और यह सभी कर्जदारों के लिए एक समान है। ये विकासशील तथा विकसित देशों के लिए एक समान है। ब्रिटेन को अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता होती तो उनको भी उन्हीं शर्तों का सामना करना होता है जो हमने किया है। हमें वैसा कोई भय नहीं है। हमारे अन्दर वह डर नहीं है और उसका कारण यह है कि हमारे बिलों का निरीक्षण करने के लिए कोई के० जी० बी० नहीं है। हम जानते थे कि हमें विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष जाना होगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह आपत्तिजनक बात है। इस तरह का कथन नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है महोदया। मैं कहूंगा, 'जब तक यह सिद्ध न हो जाये'··· (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब के० जी० बी० के बारे में सुना जा रहा है। ऐसा राजीव गांधी के शासनकाल में क्यों नहीं हुआ ? ऐसा इन्दिरा जी के शासनकाल में क्यों नहीं हुआ ?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदया, मैं इसका उत्तर दूंगा। पहली बात तो यह है कि हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते। दूसरी, आप हमारी सरकार के विरुद्ध गलत आक्षेप लगा रहे हैं।

जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है कि भुगतान संतुलन की समस्या का कारण ऐसे घटनाओं के फलस्वरूप हुआ जो हमारे नियन्त्रण के बाहर थी। पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा था। इसके फलस्वरूप पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो गई थी।

लेकिन जब हमें ऐसे संकट का सामना करना पड़ रहा हो, तब एक उत्तरदायी सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ? राजीव गांधी की सरकार को 1987 में एक भयानक सूखे का सामना

करना पड़ा था। उस समय मेरे सामने बैठे हमारे मित्र, जो आज मेरे द्वारा के० जी० बी० का उल्लेख किए जाने का विरोध कर रहे थे, उस समय हमारे नेता के विरुद्ध गलत आरोप लगा रहे थे। उन्होंने उस समय इन व्यर्थ की राजनीतिक बातों पर अपना समय व्यर्थ न कर, सूखे की स्थिति पर चर्चा की। इसके परिणामस्वरूप भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार हमने सफलतापूर्वक सूखे का सामना किया तथा सकारात्मक विकास दर को भी प्राप्त किया। और उन्होंने क्या किया? एक ओर तो कुछ लोग 'मंडलम', 'मंडलम' कह रहे थे तथा कुछ लोग 'राम-जन्म', 'राम-जन्म' गा रहे थे। यह श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का गैर-जिम्मेदाराना कार्य था···।

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह मंडल आयोग का उल्लेख कर रहे थे। उन्हें यह जानना चाहिए कि आयोग का गठन···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आपको मालूम है कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है? हमने प्रक्रिया का पालन करने में कहां गलती की है? कृपया मुझे बताएं। कृपया इस प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न न उठाया करें। आपका व्यवस्था का प्रश्न असंगत है।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने विगत आठ महीनों में एक संकट को सुअवसर में बदल दिया है। उन्होंने हमारे आरक्षित कोष पुनः भर दिया है। उन्होंने विश्व में हमारी विश्वसनीयता को पुनः बहाल किया है और उन्होंने जंजीर से बंधे चूहे को मुक्त रूप से घूमने वाले बाघ में बदल दिया है। जबकि पूरा विश्व इसका समर्थन कर रहा है, श्री आर्य और उनके लोग वही पुराना मंत्र अलाप कर रहे हैं।

दूसरा, हमने विकास के लिए अगले चरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। प्रथम चरण में हमें उपनिवेशक अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। यह एक ऐसा संगठित क्षेत्र था जिसमें विदेशियों का प्रभुत्व था तथा जिन्हें राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति प्राप्त था। उस समय, हमारे देश में छोटा-सा पूंजीवादी वर्ग था जिसमें अधिकांशतः व्यापारी, एकाधिकारी और यदि मैं हमारे एक मित्र का प्रिय कथन का उपयोग कर सकता हूं तो वे 'कंप्रेडोरस' थे। उस समय उद्योग नाम मात्र के थे, निम्नकोटि की प्रौद्योगिकी थी, नाम मात्र के बचत और नाम मात्र निवेश था। पिछड़े क्षेत्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उस समय व्यावसायिक कुशलता नाम मात्र की थी। उस समय गुणवत्ता तथा परिमाणात्मक, दोनों की दृष्टि से अपर्याप्त तकनीकी कुशलता थी।

अतः, उस समय हमारे कार्य दुगुना था। पहला, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समाप्त करना तथा दूसरा, आधुनिकता के नये युग का शुभारम्भ करना। हमने उपनिवेशवाद युग को समाप्त कर दिया है। अब एण्ड्र यूले, मैकिनन मैकेनजी, गिलैंडरस आरबुथनॉट तथा डनलप कहां हैं? वे सभी यहीं हैं। लेकिन वे सभी भारतीयों के हाथों में हैं।

इस देश में लाखों छोटे, लघु तथा मझोले नये उद्यमी हैं। सरकार की कार्यवाही तथा निजी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशियों को यहां से भगा दिया गया है।

एक नये आधुनिक युग को प्रारम्भ करना हमारे लिए दूसरा प्रमुख कार्य था। इस कारण से सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रमुख भूमिका अदा करने का कार्य सौंपा गया। अर्थव्यवस्था के उच्च शिखर पर हम पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसे पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र की सैकड़ों इकाइयां हैं जिसमें से अनेक काफी सक्षम हैं। एक स्तर पर नये उद्योगों को संरक्षण

[श्री मणि शंकर अय्यर]

प्रदान करने की आवश्यकता थी। कुछ क्षेत्रों में इसकी अभी भी आवश्यकता है। लेकिन देश को मुख्यतः नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के चरण से बढ़कर उन्हें समर्थ उद्योग बनाना होगा।

हमने प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर अनेक लघु और मझोले उद्योग विकसित किए हैं। अब वक्त आ गया है जब हम उन्हें स्वावलम्बी बनाएं। हमने पिछले तैंतालीस वर्षों में और मैं अपने मित्रों के प्रश्न का उत्तर देता हूं, उद्यमों का विकास तथा विस्तार, उनकी प्रबंधकी कार्यकुशलता, तकनीकी कार्यकुशलता को स्वदेशीय अनुसंधान और विकास के माध्यम से देश के पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाया है। हमारा बचत दर विश्व के किसी भी विकासशील देशों से ज्यादा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्वसनीय और सुदृढ़ है। इस संदर्भ में मैं दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।

सर्वप्रथम हमारे लघु उद्योगों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बिलकुल परास्त कर दिया है। लघु उद्योगपति श्री केरसन भाई पटेल द्वारा निर्मित निरमा ने हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्मित सर्फ को पछाड़ दिया है। लघु उद्योग द्वारा निर्मित रसना ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा निर्मित 'टैंग' उत्पाद को पछाड़ दिया है। हमारी ओनिडा तथा वीडियोकान जैसी छोटी-छोटी कम्पनियां इतनी विकसित हो गई हैं कि इन्होंने फिलिप्स जैसी विशाल बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को किनारे लगा दिया है।

और जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, तो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र की मारुति ने निजी क्षेत्र के हिन्दुस्तान मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। हमारा भारतीय टेलिफोन उद्योग एलकेहल से टक्कर ले रहा है। सी-डॉट ने आई० टी० एण्ड टी० को पीछे छोड़ दिया है। हमारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स टाईटन की बराबरी कर रहा है।

हमारा सरकारी क्षेत्र अब सक्षम है। हमारा स्वदेशी निजी क्षेत्र भी सक्षम है। अब इस संबंध में जी-हुजूरी करना और हीन भावना रखना, कोई मतलब नहीं रखता। वर्तमान चरण में हमें विगत की सफलताओं पर निर्माण करना चाहिए। नेहरू जी की आदर्शों का सार यह है कि सफलताओं पर निर्माण करना चाहिए न कि असफलताओं पर रोना चाहिए। हमें इस देश के उभरते प्रतिभाशाली युवाओं का विकास के काम में उपयोग करना चाहिए और श्री मनमोहन सिंह के बजट का यही संदेश है।

हम सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी जनता में विश्वास है तथा हम देश पर भरोसा करते हैं। विपक्षी दलों को न तो अपने लोगों पर विश्वास है और न ही अपने देश पर भरोसा है। सफलता के अभाव में, आत्म विश्वास राहतें, हीन भावना से तथा बैसाखी के सहारे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि समूचा विश्व और हमारा देश आज श्री मनमोहन सिंह की सराहना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्री अटल जी द्वारा हमारे वित्त मंत्री में केवल 'मोहिनी' का रूप देखना है, जबकि हम उन्हें अपना उद्धारक मानते हैं जो कि वह निःसंदेह हैं। क्योंकि *विपक्ष···से पूर्ण है तथा क्या हमारा सत्ता पक्ष···पूर्ण है।

[अनुवाद]

निष्कर्ष में, मैं संक्षेप में कुछ खास बात और कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि वित्त मंत्री ने यह तो मान लिया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है तथा उन्होंने कृषि के लिए वित्तीय

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रकृति की अनेक रियायतें दी हैं तथा लघु किसान कृषि-व्यापार संघ की स्थापना की घोषणा भी की है। तथापि, उन्होंने जल क्रान्ति को बिल्कुल ही नजरअन्दाज कर दिया है। मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मत्स्य पालन भी कृषि का ही एक अंग है तथा उन्होंने जब तक कृषि मंत्री कोई राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति की घोषणा करें तथा राष्ट्रीय मत्स्य पालन बोर्ड की स्थापना करें। तब वे तक मत्स्य पालन को कम से कम अस्थायी तौर पर कृषि के समान मानने को सहमत हो गए हैं : इस बीच कम से कम एक, पी० ई० डी० ए०, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस प्रस्तावित संघ में सम्मिलित कर लिया जाए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है वनस्पति के बारे में। जो भी मैं कहना चाहता था वह मैंने एक पंक्ति में कह दिया तथा उसका ब्यौरा वित्त मंत्री को लिखित में भेज दिया। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यदि वे वनस्पति पर छूट को दुगुना कर दें तो इस देश में छोटे-मोटे तेलों का उत्पादन दुगुना हो जाएगा तथा उससे हमें 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यदि वे उत्पादन शुल्क छूट को दुगुना कर दें तो मैं उनसे 12 महीने के भीतर-भीतर विदेशी मुद्रा में बचत की पेशकश कर रहा हूं।

एक विषमता है। महोदय, इन्होंने पोलिप्रोपिलीन को पोलिथिलिन तथा नाइलान फिलामेंट धागे के बराबर नहीं माना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस विषमता को दूर करें।

निष्कर्ष में अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण में दो बड़ी खामियों की ओर दिलाना चाहूंगा। एक तो वह है जिससे मैं भी विपक्ष के बहुत से सदस्यों की भांति सहमत हूं जिसमें श्री फर्नान्डीज जैसे प्रकाण्ड बुद्धिजीवी, जिन्होंने मुझे बुद्धिजीवी कहा है जैसे कि यह कोई गाली हो। बुद्धिजीवी श्री फर्नान्डीज ने जो बात कही मैं भी उस पर जोर देना चाहता हूं कि वित्त मंत्री की यह गलती है कि उन्होंने शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा तथा उनके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे शीघ्र राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाएं तथा उस लक्ष्य को निर्धारित करवाएं जो कि भारत सरकार की नीति में पिछले 20 वर्षों से सिद्धान्तरूप से चला आ रहा तथा वह यह है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पादन का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री के बजट में दूसरी खामी यह है कि उन्होंने श्री राजीव गांधी का कहीं उल्लेख नहीं किया। यदि राजीव गांधी न होते तो यह बजट भी न होता।

अध्यक्ष महोदय : एक चीज है जो मैं सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। सदस्यों के लिए बहुत ही कम समय उपलब्ध है। कृपया, आप प्रस्तावना तथा प्राक्कलनों को छोड़कर सीधी बात कहें ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल पाएं। अब श्री विजय कुमार यादव।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा इस बजट की काफी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट है, क्रान्तिकारी बजट है, देश की दिशा को बदलने वाला बजट है, एक नये अध्याय की शुरुआत करने वाला बजट है और साहसिक कार्य है, ऐसा कहा जा रहा है।

मैं समझता हूं कि इस तरह के विशेषण इसके पहले भी बजट के मौके पर दिए जाते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से, जबकि पुराने बजट और इस बजट में बुनियादी फर्क है। पंडित जवाहर लाल

[श्री विजय कुमार यादव]

नेहरू ने, इन्दिरा गांधी ने जिन नीतियों का प्रतिपादन किया था और आज जो आर्थिक और औद्योगिक नीति के तहत यह बजट बनाया गया है,दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है । इसके पहले के बजटों में जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से दूर रहने की बू आती थी, विदेशी पूंजी पर निर्भरता का विरोध होता था, वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० की शर्तों पर कर्जा लेना आर्थिक गुलामी में फंसना माना जाता था, आर्थिक स्वावलम्बन की बात होती थी, राजकीय क्षेत्र को अर्थ में कमांडिंग हाइट पर पहुंचाने की बात की जाती थी, कृषि पर जोर दिया जाता था, बेरोजगारी को दूर करने की बात की जाती थी, ग्रामीण विकास के महत्व को कबूला जाता था, स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया जाता था, गरीबी हटाओ और समाजवाद की स्थापना की बात की जाती थी और पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था को अपने देश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, उस समय भी बजट के मौके पर यह इसी तरह की बात करते थे।

आज जब वर्ल्ड बैंक और आई०एम०एफ० के सामने घुटने टेक दिए गए हैं, उनकी शर्तों पर बजट बनाया गया है, विदेशी पूंजी के लिए भारत के द्वार खोल दिए गए है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में आकर देश को लूटने और देश में अब तक हुए तकनीकी और दूसरे तरीके से चोट पहुंचाने की छूट दी जा रही है, प्रतियोगिता के आधार पर, आर्थिक स्वावलम्बन की जगह पर विदेशी निर्भरता की बात की गई है, इसके जरिए, कृषि की उपेक्षा की गई है, ग्रामीण विकास की उपेक्षा की गई है, बेरोजगारी को छोड़ दिया गया है, उसको दूर करने के मामले को और घरेलू उद्योगों पर करारी चोट की गई है, इस बजट के जरिये, तब भी इस बजट की तारीफ उसी तरह से की जा रही है ।

इसका कोई युक्तिसंगत जवाब नहीं है या तो वह यह कहें कि अब तक जो रास्ता उन्होंने अपनाया था, वह गलत अपनाया था। अब वह समाजवाद के विरोध की बात करते हैं और उसके ऊपर चोट की बात करते हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने भी साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की थी और उसकी प्रशंसा की थी। आज उनका नाम लेकर भी उनके जो लोग हैं, वह उसके खिलाफ बात कर रहे हैं । सरकार ने पावर में आने के समय यह वायदा किया था, जो देश के अन्दर संकट है, उस संकट को हल करने के लिए संसद के सदस्यों की संख्या को महत्ता नहीं दी जाएगी। आम सहमति के आधार पर राष्ट्रीय नीतियों को तय किया जाएगा। विरोधी दलों के लोगों ने इस संकट को हल करने के लिए पूरा सहयोग देने का वायदा किया था और प्रधान मंत्री जी के इस आश्वासन का स्वागत करते हुए अपनी सेवा अर्पित करने की बात की थी। जब नई आर्थिक और औद्योगिक नीति का सूत्रपात हुआ, तो पूरे देश में उसकी आलोचना की गई। अपोजीशन के जो नेता थे, जो देश के सजग प्रहरी हैं, जो इन्टलैक्चुअल्स हैं, और देश की आम जनता ने उसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने उन तमाम विरोध की अवहेलना करते हुए बजट बनाने के मौके पर देश की आवाज को नहीं सुना। देश की आवाज के आधार पर देश के आर्थिक संकट को दूर करने का रास्ता नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आपको आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। यह बहुत ही खतरनाक बात है। आज भले ही आप खुश हो लें, लेकिन इसके नतीजे जो सामने आ रहे हैं, वह बहुत खतरनाक हैं। बजट का क्या हश्र है, बजट में किनके हितों की रक्षा की गई है, इसको भी आपको देखना चाहिए। बजट में राष्ट्रीय कंपनियों के हितों को, विदेशी पूंजीपतियों के हितों को, अप्रवासी भारतीय लोगों के हितों की रक्षा की गई और आम जनता, चाहे मजदूर हो या किसान, देश के जो 80-85 फीसदी लोग हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। उन पर संकट को हल करने का बोझ डाला

गया है और इस बजट के जरिए मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाया गया है।

कहा जाता है कि हमको तीन साल का समय चाहिये। कहा जाता है कि आगे आने वाले दिन संकट के होंगे, लेकिन मैं पूछता हूं, यह संकट किन लोगों पर डाला जा रहा है? आम जनता को कहा जा रहा है कि देश को यदि इस संकट को उबारना है, तो तुम्हें कुर्बानी करनी होगी, लेकिन फायदा दूसरे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जिनसे इस बात की अपील भी नहीं की जा रही है, जिनसे त्याग करने की बात भी नही कही जा रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, दोनों, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अपनी तारीफ खुद कर रहे है। इनके साथ तारीफ मे हां-में-हां मिलाने वाले लोग हैं, टैक्स मे चोरी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, चोर बाजारी करने वाले लोग, आई०एम०एफ० के लोग और वर्ल्ड बैंक के लोग। ये लोग मिल कर इनके बजट की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बारे मे इनका कहना है कि पूरा देश इनका स्वागत कर रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में प्रबल विरोध हो रहा है। प्रबल विरोध शहरों मे हो रहा है, देहातों में हो रहा है और खेत-खलिहानों मे हो रहा है। आप देखिएगा, आगे आने वाला जो दिन होगा, उसमें इसके खिलाफ ज्वाला उठेगी, हंसने से काम नहीं चलेगा, जिन लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है, उनके द्वारा हम और आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट सुविधा-भोगी हैं, जिससे आम जनता इस बजट की चोट से कराह रही है। उनको कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। आप उनको दशा को देखिए, उनकी दशा लगातार बदतर हो रही है। आप संकट को हल करने के लिए कहते है; ढांचागत परिवर्तन करना चाहते हैं और यह व बह परिवर्तन लाना चाहते है। मैं कहता हू, आई०एम०एफ० ओ वर्ल्ड बैंक का जिन देशों ने भी सहारा लिया, इन दोनों शक्तियों का सहारा लिया, पुराना इतिहास बताता है, चाहे लैटिन अमेरिका हो और चाहे अफ्रीकी देश हों, पुराना इतिहास और तजुर्बा बताता है, कि जो इनके चक्कर में फंसे है, उनको आयात पर निर्भरता बढ़ी है। उस देश में मुद्रास्फीति बढ़ी है और उनके विकास का रास्ता अवरुद्ध हुआ है और कर्ज के फन्दे मे वे लोग फंसे है। उनकी राजनीतिक आजादी भी समाप्त हुई है। हमारे देश के अन्दर भी आर्थिक गुलामी नजर आ रही है और उनकी शर्तों को मनवाने की मजबूरी से यह राजनीतिक गुलामी भी बिलकुल साफ-साफ नजर आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि समय अभी भी है और इस समय को देखते हुए यह जो बजट है आप इस बजट को वापस लीजिए और इस बजट को वापस लेकर के वोट आन एकाउंट 3-4 महीने का पेश कीजिए। जो पार्लियामेंट के अन्दर मुख्यालय पार्टियों के लोगों से उनके मशविरे से आगे आने वाले दिनों में आप नया बजट को पेश करने की बात कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए। देखिए, सब पार्टी के टाईम खत्म हो गए हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का टाइम बचा हुआ है। आपकी पार्टी का टाइम तो पहले ही खत्म हो गया है। आपको एक घंटे से ज्यादा टाइम दिया गया है, आपकी पार्टी को।

श्री विजय कुमार यादव : यह आपकी मेहरबानी है। बस हम दो-तीन मिनट और बोलेंगे। मेरा कहना यह है कि इस बजट में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है, बजट में जो व्यवस्था की गई है और मैं जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से आता हूं, हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन में उस बिहार का नं० सबसे आगे है और ऐसी स्थिति में हमारे यहां के जो मुख्य मंत्री लालू प्रसाद जी हैं वे वित्त मंत्रालय से, प्रधानमंत्री से बात करते रहे, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इसे दूर करने की मांग करते रहे है मेरा सुझाव है कि राज्यों के आबंटन का जो मौजूदा आधार गाडगिल फार्मूला है, उसको बदला जाए और नया फार्मूला आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर बनाया जाए। इसे मान कर

[श्री विजय कुमार यादव]

बिहार को अपेक्षित मदद पहुंचायी जाये।

बिहार इतना बड़ा प्रांत है, वहां सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, पूरे देश को वह मदद पहुंचाता है लेकिन खुद भूखा है, अविकसित है, मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस मामले में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। इन्कम टैक्स की सीमा के बारे में मैं यह कहना चाहता हू कि इसको कम से कम 36,000 कम से कम कीजिए और जो आप यह कहते हैं कि इससे राज्यों को घाटा हो जायेगा तो पांच लाख से ऊपर के लोगों पर, अभी आपने जो टैक्स लगाया है, उसमें आप बढ़ोत्तरी करके इसमें जो कमी होगी उसको आप पूरा कीजिए।

भूमि सुधार के मामले में सरकार बहुत धीमी गति से चल रही है, सीलिंग को नीचे करना चाहिए और जो उसमें कानूनी फलोस हैं, जिसके चलते लैंड-लोर्ड उसका फायदा उठा लेते हैं और भूमिहीनों को वह जमीन नहीं मिल पाती है, आप इसके बारे में भी विचार कर दूर कीजिए। इसके साथ-साथ आप शहरी सम्पत्ति का भी हदबन्दी का रास्ता निकालिए।

अन्त में एक बात और कह करके मैं खत्म कर देता हूं वह है आतंकवाद और साम्प्रदायिक दंगों में काफी लोगों को परेशान होना पड़ता है, इसके लिए केन्द्रीय सरकार को अलग से इस बजट में फंड मुहैया करना चाहिए, इसमें जो लोग मारे जाएं, आतंकवादियों की तरफ से या साम्प्रदायिक दंगों में मारे जाएं, उनको कम से कम दो लाख रु० का मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था, सरकार को फंड से करनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था आप बजट में करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस बजट का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे फाइनेंस मिनिस्टर का उत्तर होने वाला है। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही टाइम बचा है, दूसरी पार्टी का टाइम नहीं बचा है और दूसरी बात यह है कि मैंने प्रेसीडेंट की स्पीच पर जो डिबेट हुआ था उसकी लिस्ट मंगा ली है और जिनका नाम इसमें हैं, उन लोगों को इसमें अगर टाइम नहीं दिया गया तो दूसरे लोगों को टाइम दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आप प्रेसीडेंट की स्पीच पर बोल चुके हैं, अब आप इस बार नहीं बोलेंगे।

[अनुवाद]

आप कृपया यह बात समझिए तथा इसमें सहयोग दीजिए।

5.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री मन मोहन सिंह द्वारा इस सभा में प्रस्तुत किए गए वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय सरकार के बजट का समर्थन करता हूं।

मैं अपना भाषण उनके बजट से उद्धृत करते हुए आरम्भ करता हूं।

6.00 म०प०

मैं उद्धृत करता हूं :

"यह बजट युद्ध के डर, अभाव और शोषण से मुक्त भारत तथा हमारे गणराज्य के निर्माताओं के सपनों के भारत का निर्माण करने वाले इस महान राष्ट्रीय उद्यम के सफल कार्यान्वयन में योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। हम उन सपनों को साकार करने के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे, कोई भी भार वहन करेंगे और कोई भी बलिदान करेंगे। भारत पुनः प्रगति पथ पर अग्रसर है। हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेंगे।"

महोदय, ये शब्द केवल भारत के वित्त मंत्री के नहीं हैं बल्कि भारत के उस नागरिक के दिल की आवाज है जिसे देश से बेहद प्यार है, जो एक महान राष्ट्रवादी है और एक महान देशभक्त है, जिसकी यह तीव्र इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश आगे बढ़े ताकि निर्धनतम व्यक्ति आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त कर सके। उन व्यक्तियों को, जो देश को महान देखना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। उन्हें इस बजट और इस महान भारतीय, माननीय मन मोहन सिंह जी का समर्थन करना चाहिए। उनके बारे में मुझे एक शे'र याद आता है—

[हिन्दी]

हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पदा।

[अनुवाद]

मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने श्री मनमोहन सिंह जी की लम्बी राष्ट्र सेवा के पश्चात उनकी क्षमताओं और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत के उनके स्वप्न को पहचाना और देश का आर्थिक भविष्य उनके सक्षम हाथों में सौंप दिया। अपनी ओर से मैं केवल वह नारा लगा सकता हूं जो हम प्रायः चुनावों के दौरान लगाते हैं।

[हिन्दी]

"मनमोहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।"

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में बड़ी सावधानीपूर्वक समस्याओं को प्रस्तुत किया है और उन्हें हल करने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों पर ध्यान दिया है। ये सब बातें हमारे चुनाव घोषणा पत्र में विद्यमान हैं, जिसकी परिकल्पना हमारे महान नेता श्री राजीव गांधी द्वारा की गई थी।

उन्होंने दुकानदारों के बारे में भी सोचा। उन्होंने उन दुकानदारों को यह एक बड़ा प्रोत्साहन दिया जो 5 लाख रुपये मूल्य का व्यापार कर रहे हैं; वे 1400 रुपये देकर चैन की नींद सो सकते हैं। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के बारे में भी सोचा था और विकलांगों के माता-पिता को 12,000 रुपये की छूट प्रदान की थी। और सर्वोपरि, उन्होंने हमारे देश की महिलाओं, हमारे देश के उपेक्षित वर्ग पर

[श्री सुनील दत्त]

भी ध्यान दिया तथा महिलाओं को 75,000 रुपये की आय अर्जन पर कर में 15,000 रुपये की छूट प्रदान की···(व्यवधान)।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह केवल करदाता महिलाओं के लिए है। हमारे देश में कितनी महिलाएं कर देती हैं ?···(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : उन्होंने वृद्ध महिलाओं को भी छूट दी है। उन्होंने 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोगों के बारे में भी सोचा है। उन्होंने कलाकारों और तमाशा दिखाने वालों पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने गैस पीड़ितों के बारे में भी सोचा है। उन्होंने लोगों की चिकित्सीय देख-रेख और उपचार पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में भी सोचा है और उन्होंने दोहरी कर-प्रणाली का भी विचार किया है।

इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को 5 किलो स्वर्ण के आयात की अनुमति देकर देश में और देश से सोने की तस्करी पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने अनेक अन्य उद्योगों के बारे में भी सोचा है। उन्होंने पेट्रो-रसायनों, तिलहनों, कीटनाशकों, ऐस्बेस्टास, सीमेंट, उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में भी सोचा है और उन पर शुल्क 80 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत कर दिया है। इलैक्ट्रोनिक्स पर शुल्क 60 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने आवास क्षेत्र, कृषि और उद्योग पर भी ध्यान दिया है।

सबसे बढ़कर, मैं माननीय वित्त मंत्री के कल्पनाशील दृष्टिकोण की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सभी क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया है। उन्होंने उद्योग, कृषि, इलैक्ट्रानिकी भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में सोचा है। और इस बजट में उन्होंने काफी प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है।

बजट तो बजट है। यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है कि उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। मैं इसमें सुधार के लिए विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचनाओं और दिए गए सुझावों की प्रशंसा करता हूं। एक कहावत है कि :

[हिन्दी]

सोने को जितना पिघलाओगे, उतना ही वह कुन्दन बनता है। हम तो आपके आभारी हैं, अपोजीशन पार्टीज के आभारी है कि आप हमें कुन्दन बना रहे हैं।

आप हमारी जितनी अधिक आलोचना करेंगे हममें उतना ही अधिक सुधार होगा। परन्तु यह हमारे लिए अति कष्ट कर बात है कि विपक्षी दलों के सुप्रसिद्ध नेता यह कहें कि हम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथ अपनी अखंडता बेच रहे हैं।

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि देश की अखंडता और गरिमा की चिन्ता केवल उन्हें ही नहीं है। इस ओर के भी सभी माननीय सदस्य राष्ट्रीय अखंडता के प्रति उतने ही प्रतिबद्ध हैं और यदि किसी भी समय हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय अखंडता तथा हमारे देश का सम्मान दांव पर लगाया जा रहा है तो अपनी ही सरकार की आलोचना करने वाले हम पहले व्यक्ति होंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत का भविष्य और उसका सम्मान सुरक्षित हाथों में है। मैं इसमें विश्वास करता हूं :

[हिन्दी]

मेरे महबूब मेरे वतन तुझपे कुर्बान मैं जाने मन,
सिख ईसाई मजबूत बाजू तेरे हिन्दू मुस्लिम हैं तेरे नैन।

[अनुवाद]

जब तक हम सभी में यह भावना है तब तक हमारा भारत हमारे सपनों का भारत होगा।

माननीय मंत्री ने आय कर की छूट सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी है। मेरा निवेदन है कि अवमूल्यन···(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : मुद्रास्फीति भी।

श्री सुनील दत्त : मुद्रास्फीति तो निश्चित रूप से है। आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी यह माना है कि यह है। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते।

और, महोदय, चूंकि हमारे भारतीय समाज में परिवार का प्रत्येक सदस्य कमाने वाला नहीं होता है, इसलिए वह सीमा बढ़ाकर 36,000 रुपये की जानी चाहिए।

जीवन बीमा निगम, यू० टी० आई०, राष्ट्रीय बचत योजना और अन्य धनराशि, बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज तथा धारा 80 सी सी ए, 80 सी सी बी और 80 एल के अंतर्गत यू टी आई और कम्पनी शेयरों पर लाभांश की सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई है। धारा 88 के अंतर्गत 10,000 रुपये तक छूट मिल सकती है। धारा 80 सी सी ए, 80 सी सी बी और 80 एल के अंतर्गत इन छूटों को वापस लेने से लोगों में निवेश के लिए बचत करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी तथा विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों में गिरावट आएगी। सेवा निवृत्त व्यक्तियों और विधवाओं को, जिनकी रोजी-रोटी का स्रोत केवल निवेश ही है, धारा 80 एल के अंतर्गत कर रियायत को वापस लेने से अधिक कष्ट होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि धारा 80 एल के अंतर्गत कर रियायत को वापस न लिया जाये और राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश के सम्बंध में धारा 80 सी सी ए के अंतर्गत तथा म्यूच्यूअल फंड की इक्विटि से जुड़ी बचत योजनाओं में निवेश के लिए धारा 80 सी सी बी के अंतर्गत कटौती जारी रखी जाएं।

महोदय, मंत्री महोदय ने धूम्रपान करने वालों का ध्यान रख कर भी कृपा की है और उन्होंने फिल्टर्ड सिगरेट पर कतिपय शुल्क लगाएं हैं। मंत्री महोदय धूम्रपान नहीं करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गैर-फिल्टर सिगरेटों फिल्टर सिगरेटों की तुलना में अधिक हानिकारक है। अतः, मेरा मत है कि कि यदि फिल्टर सिगरेटों को छूट दे दी जाए और गैर फिल्टर सिगरेटों पर शुल्क लगा दिया जाए, तो बेहतर होगा।

मैं वित्त मंत्री के बजट भाषण के भाग-ख का पैरा 85 पढ़ना चाहता हूं। इसमें यह कहा कहा गया है :

"फिल्में, हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी बन गई हैं। इसलिए, मुझे इस महत्वपूर्ण उद्योग की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंता है। फिल्म उद्योग, जिसे केवल टी० वी० और वीडियो से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, को राहत प्रदान के

[श्री सुनील दत्त]

उद्देश्य से मैं सिनेमाटोग्राफ फिल्म के असंसाधित रंगीन नेगेटिवों पर आयात शुल्क को विद्यमान स्तर से 20 प्रतिशतांक तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव से 8 करोड़ रुपए की राजस्व-हानि होगी।"

मैं फिल्म उद्योग की ओर से माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्भवत: सरकार ने पहली बार इस गरिमापूर्ण सभा में देश की एकता राष्ट्रीय अखंडता और धर्म निरपेक्षता में भारतीय सिनेमा के योगदान और महत्व को सराहा है। मैं फिल्म उद्योग की ओर से इस गरिमापूर्ण सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस राष्ट्र, देश तथा इसके नागरिकों के प्रति किसी भी सेवा के लिए फिल्म उद्योग हमेशा सहर्ष तैयार रहेगा फिल्म उद्योग के प्रति यह सम्मान अनेक के वर्षों बाद जाहिर किया गया है। काश! आज से बत्तीस वर्ष पूर्व आप वित्त मंत्री होते। यहां मुझे एक दोहा याद आ रहा है। मैं फिल्म उद्योग की ओर से यह दोहा आपको सुनाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

"कहां थे आप, जमाने के बाद आए हो,
मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो"

[अनुवाद]

काश! आप जैसा कोई व्यक्ति बत्तीस वर्ष पूर्व आया होता जब कोई विडियो, नही हुआ करता था, विडियो की कोई चोरी नहीं हुआ करती थी, कोई केबल टी० वी० नहीं था, न ही कोई सी० एन० एन० और न ही स्टार टी० वी० था। अब हमें इन सभी के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। यदि फिल्म उद्योग को कोई कर राहत नहीं दी जाती तो उनका भविष्य अंधकार-मय है। मंत्री महोदय, आप आर्थिक दृष्टि से भारत के भविष्य को संवारना चाहते हैं। इसलिये फिल्म उद्योग को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए।

विभिन्न व्यवसायों को आवंटित की जा रही 32,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा में से हम मात्र 75 करोड़ चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारतीय सिनेमा के प्रति कंजूसी नहीं दिखायेंगे।

अब मैं फिल्मी कलाकारों के लिए वार्षिक वृत्ति योजना के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्मी कलाकारों के अभिनय करने की जिन्दगी सीमित होती है। उनकी सफलता की अवधि करीब दस वर्ष की होती है तथा महिला कलाकारों के मामले में यह और भी कम होती है। अन्य व्यवसायों में लगे हुए लोगों जैसे डाक्टरों वास्तुकारों, वकीलों इत्यादि, के मामले में ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उनकी धन अर्जित करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अत:, कलाकारों के भविष्य के लिए वार्षिक वृत्ति योजना शुरू की गई थी तथा उन्हे पारिश्रमिक के बदले वार्षिक वृत्ति दी जाती थी। सन् 1975 तक इन वार्षिक वृत्तियों को "अस्तियों" की परिभाषा से बाहर रखा गया था तथा यह धन कर के दायरे से बाहर थी। सन् 1975 में इस योजना को धन कर के क्षेत्र में लाया गया जबकि, अन्य व्यावसायिक धन कर के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि फिल्मी कलाकारों के साथ यह भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोग भी व्यावसायिक हैं।

फिल्म उद्योग करीब दस लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह दूरदर्शन की भी सहायता करता है। यह अन्य केन्द्रीय करों के अलावा राज्य सरकारों को मनोरंजन कर के रूप में राजस्व

प्रदान करता है। फिल्म उद्योग राष्ट्रीय अखंडता को बनाये रखने के लिए कार्य करता है। फिल्म उद्योग देश के लाखों लोगों का मनोरंजन करता है तथा उनका दिल बहलाता है। ऐसी अनेक फिल्मी पत्रिकाएं तथा दैनिक अखबार हैं जो अपनी पत्रिकाओं तथा अखबारों में इन फिल्म उद्योगों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। अब तक फिल्मी उद्योग नेगेटिव तथा पोजिटिव दोनों प्रिन्टों के लिए आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता था। सन् 1960 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने ऊटी में नेगेटिव तथा पोजिटिव फिल्मों के लिए कच्चा माल तैयार करना प्रारम्भ किया। यह बात बत्तीस,वर्ष पूर्व की है। इसी कारण मैं चाहता था कि काश आप बत्तीस वर्ष पूर्व वित्त मंत्री होते। फिल्मी उद्योग अब पुराना हो चुका है। लेकिन ऊटी में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा एक फुट भी कच्चा माल तैयार नहीं किया गया। इसी कारण मैं कहता हूं :—

[हिन्दी]

"कहां थे आप, जमाने के बाद आए हो,
मेरे जनाब के जाने के बाद आए हो।"

आप आ गए हैं तो हमारी समस्या का भी हल कीजिए।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने अपने कच्चे माल (पोजिटिव) की कीमत पहले ही 14 प्रतिशत बढ़ा दी है। इससे प्रति 1000 फुट रोल पर 378 रुपये प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। हमें एक प्रिन्ट के लिए करीब सोलह एक हजार फुट रोल की जरूरत होती है। इससे एक प्रिन्ट 6048 रुपये महंगा हो गया है। हमें प्रत्येक फिल्म के करीब एक सौ प्रिन्ट जारी करते हैं। इसके कारण फिल्म उद्योग के लोगों पर 6,04,800 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। पिछले वर्ष आपने जम्बो रोल पर 20% की जो छूट दी थी, उसका लाभ फिल्म उद्योग को नहीं मिल रहा है। इस तरह से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स अपने घाटे को पूरा कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप इस 20 प्रतिशत की कटौती का लाभ सीधे हमें उपलब्ध करा कर इस एकाधिकार को समाप्त करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उद्योग राज्य मंत्री श्री कुंगन जी से इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बन्द करने की आग्रह करें।

आपने, अपने भाषण के पैरा 87 में समाचारपत्र उद्योग के प्रति सहानुभूति दिखाई है। उस दिन आपके भाषण के दौरान उनमें से अनेक लोग दीर्घा में उपस्थित थे। अब उनमें से ज्यादातर लोग यहां नहीं होते। आपने स्टैंडर्ड अखबारी कागज को सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त करा दिया है। आपने चमकदार अखबारी कागज को भी सीमा शुल्क से मुक्त किया है। मेरे विचार से इनके बीच तीन करोड़ रुपये का अन्तर है। मैं समझता हूं कि यह रियायत हमें भी मिलनी चाहिए (व्यवधान)।

इसमें कोई संदेह नहीं है मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर न दें।

श्री सुनील दत्त : मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा क्योंकि वह मेरे नेता तथा महासचिव···

अध्यक्ष महोदय : सदन के बाहर आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप लॉबी में भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री सुनील दत्त : महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण के पैरा 60 में कहा है कि "बच्चा मनुष्य का पिता है।" महोदय, यह एक अंग्रेजी कहावत है।

[श्री सुनील दत्त]

यह कहावत यूरोपीय बच्चों के लिए चरितार्थ होती है क्योंकि वे प्रत्येक बच्चे को स्वावलम्बी बनाना सिखाते हैं तथा वे बहुत कम उम्र में ही स्वतन्त्र हो जाते हैं। उन्हें शादी या किन्हीं अन्य बातों में कभी कोई समस्या नहीं होती। "यह कहावत भारतीय आबोहवा तथा भारतीय संस्कृति में चरितार्थ नहीं होती।" माता-पिताओं के लिए अपने बच्चों का लालन-पालन करना ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उनके लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनकी लड़कियों की शादी हो जाए और इसी कारण मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग के लोग अपनी लड़कियों की शादी तथा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए धन सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए, महोदय मेरे विचार से यह कहावत भारतीय आबोहवा तथा भारतीय संस्कृति में उपयुक्त नहीं है तथा बच्चों की आय को उनके माता-पिता की आय से जोड़े जाने के कारण मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों को गहरा आघात लगा है जो कि अपने बच्चों के विकास के लिए धन इकट्ठा करते हैं। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने धन का सही तालमेल बिठा सकें, कितने ऐसे कर दाता हैं जो एक लाख रुपया से ज्यादा धन कमा रहे हैं? लेकिन यहां उन लोगों पर, जो अपने जीवकोपार्जन के पश्चात कुछ धन इस उद्देश्य से सुरक्षित रखते हैं कि बच्चों के बड़े हो जाने पर, उनकी शादी या उच्च शिक्षा पर व्यय कर सकें और जिससे उनको लाभ हो सके। अत: महोदय, मुझे विश्वास है कि आप इसे बहाल करेंगे।

महोदय, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए तथा बजट के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश में कुछ बड़ी समस्याएं हैं। देश में कुपोषण तथा भूख के कारण प्रति मिनट पांच बच्चों की मृत्यु होती है। जिसमें एक वर्ष की आयु से लेकर पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। वर्ष 1985 में दहेज के कारण हुई 2600 से ज्यादा मौतों की शिकायत दर्ज करवाई गई तथा दहेज के कारण ऐसी अनेक मौतें हुई, जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। ये मौतें मुख्यत: लड़कियों के माता-पिता द्वारा उनके ससुराल वालों को धन दिए जाने में असमर्थ होने के कारण हुई हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि आप इन समस्याओं पर ध्यान देंगे। हमारे देश में लाखों बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, लाखों लोग अभी भी अशिक्षित हैं तथा चारों तरफ—पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, असम में साम्प्रदायिक तनाव है। राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद की समस्या आपके सामने हैं। महोदय, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी आपको सहयोग देंगे। लेकिन ये सारी समस्याएं यहां व्याप्त हैं और इन समस्याओं का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके तथा भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। साथ ही मुझे विश्वास है कि हम इस बजट के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे।

*श्री ऑस्कर फर्नाण्डिस (उदीपी) : महोदय, वर्ष 1992-93 के सामान्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, समय की कमी के कारण मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ही चर्चा करूंगा। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं जो संतुलित है। हम लोक सभा के सदस्य इस सदन में बैठकर बजट पर चर्चा कर रहे हैं। बाद में हम इसे पारित करेंगे। किन्तु, मैं इस पुनीत सदन के सदस्यों को सूचित करता हूं कि इस देश के लोग इस बजट को 29 फरवरी, 1992 को ही जब वित्त मंत्री ने इसे यहां प्रस्तुत किया था, पारित कर चुके हैं। देश महत्वपूर्ण वित्तीय उलझन में से निकल रहा है और हमें इन चुनौतियों का सामना करना है। हमें स्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। देश के पांच सौ वर्ष के इतिहास से पता चलता है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमें इसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हम में किसी भी समस्या को हल करने की शक्ति है। यदि हमारे किसान और ग्रामीण लोग एकजुट होकर काम करें तो हमें विदेशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के मामले में भारत का स्थान विश्व में अमरीका के बाद दूसरा है। यदि लोक सभा के सभी सदस्य और अन्य लोक प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वे इस चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर सकते हैं। हमें यह साहसी कदम उठाना होगा और यदि ग्रामीण लोग सहयोग दें तो हमें अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

कुछ सदस्य, विशेषकर विपक्ष के सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। किन्तु उन्हें कुछ विकल्प भी सुझाने चाहिएं। माननीय मंत्री महोदय ने सभी सम्भावनाओं पर विचार करने के पश्चात ही बजट तैयार किया है। वह एक जिम्मेदार अर्थशास्त्री हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए बजट का देश के सभी भागों में लोगों ने स्वागत किया है।

हमारे आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। हम तेल के आयात पर भारी रकम व्यय कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में तिलहन पैदा करने में सक्षम हैं बशर्ते कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाए।

जो लोग लघु उद्योग स्थापित कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हमने कर्नाटक में एक साहसिक कदम उठाया है। राज्य सरकार विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से उनका माल बेचने में उनकी मदद कर रही है। यदि देश भर में लघु उद्योगों को इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए तो यह उत्पाद न केवल हमारे 85 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त होंगे बल्कि इनका निर्यात भी किया जा सकता है।

माननीय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि इस बजट का स्वागत न केवल हमारे बच्चों बल्कि हमारे बच्चों के बच्चों द्वारा भी किया जाएगा। इस बजट ने राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।

रैक्टीफाई स्पिरिट की भारी मात्रा का इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो रहा है। यदि हम सीरा से पर्याप्त मात्रा में रैक्टीफाईड स्पिरिट का उत्पादन करें तो भारी मात्रा में मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। तेल के आयात को कम करके कम से कम 40% विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है।

जैसा कि मेरे सहयोगी श्री मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, हमें अनाज पैदा करने वाले किसानों की भांति मछुआरों को भी पूर्ण संरक्षण देना होगा। मछुआरे मछली पकड़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। समुद्री खाद्य का निर्यात करके हम मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। मछली, झींगा मछली आदि की न केवल देशी बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारी मांग है। किन्तु हैरानी है कि हम अपेक्षित स्तर तक उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें अपने समुद्री उत्पादों को तुरन्त बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मछुआरों को सभी सम्भव सहायता दी जाए।

महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं। अतः मेरे पास भाषण जारी रखने के लिए समय नहीं है। इसलिए, अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं, माननीय प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस बजट को मैंने ही ऐतिहासिक नहीं कहा बल्कि विख्यात अर्थशास्त्री और संवैधानिक विशेषज्ञ श्री एन० ए० पालकीवाला ने भी बम्बई में विश्व की सबसे बड़ी बजट बैठक में इसे एक ऐतिहासिक बजट बताया है।

वित्त मंत्री ने कर सुधार संबंधी राजा चेलिहा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में दिये गए सुझावों में से कुछ सुझावों को स्वीकार किया है और कुछ सिफारिशों को बजट प्रस्तावों मे शामिल किया है।

बजट की कुछ विशेषताएं ये हैं। विदेशी मुद्रा का भण्डार पुन: 11,000 करोड़ रु० हो गया है; और अनिवासी भारतीय अपनी जमा-राशि नहीं निकलवा रहे हैं। मुद्रास्फीति घट कर 12 प्रतिशत हो गई है। विदेशी मुद्रा में साधारण सीमा शुल्क की अदायगी करके पांच किलो सोने का आयात करने की अनुमति दी गई है; स्वर्ण बांड जारी किए जा रहे हैं जिन पर ब्याज मिलेगा और उस पर आयकर और उपहार कर नहीं लगेगा। सोना वापस लौटाने की गारंटी दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप बाजार में सोने की कीमतें कम हो गई हैं।

उर्वरकों पर दी जाने वाली सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस सारे मामले पर विचार किया जाएगा ताकि कृषकों को भी फायदा हो सके।

वर्ष 1991-92 की तुलना में रक्षा परिव्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि विद्यमान परिस्थितियों और अन्य देशों के बजटों को देखते हुए यह अधिक होनी चाहिए। एक रैंक-एक पेंशन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है और रक्षा कर्मचारियों के मामले में इसे लागू किया गया है। इससे जवानों का मनोबल बढ़ा है।

आय कर की तीन स्लैब प्रणाली लागू की गई है जिसका सभी ने स्वागत किया है। 5 लाख रुपये तक की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर 1,400 रुपये आय कर लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि इन दुकानदारों को अपना लेखा पूरा करने और प्रस्तुत करने के लिए इधर-उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। छूट सीमा के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के भरण-पोषण की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है और इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं के लिए मानक कटौती में 3,000 रुपये की अतिरिक्त सीमा भी रखी गई है।

भोपाल गैस पीड़ितों को जो मुआवजा मिला है इसमें उन्हें आय कर के भुगतान करने से छूट दी गई है। एअर कन्डीशनर अब बिलासिता की वस्तु नहीं रह गई है। ऐसा हमारे वित्त मंत्री कहते हैं और उन्होंने वातानुकूलित रेस्टोरेन्ट और अन्यों को भी छूट दी है। सहकारी समितियों को अपनी आय में आय-कर देने की छूट दी गई है।

मशीनरी और पंजीगत माल पर आयात शुल्क काफी कम कर दिया गया है।

सावधि जमा से होने वाली आय पर जो आय-कर लगता था उससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नुकसान पहुंचता था, अब इस प्रावधान को हटा कर उन्हें राहत दी गई है। इस सम्मानीय सभा द्वारा बजट पास करने से पूर्व बजट प्रस्तावों में सुधार की काफी गुंजाइश है। मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा।

आय कर छूट की सीमा 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी गई है। यह छह हजार रुपये की वृद्धि एक छलावा है। यही बात इस सभा में सभी सदस्य कह रहे हैं। उदाहरण के लिए टेल्को में जमादार के रूप में काम करने वाला व्यक्ति 5,000 हजार रुपये मासिक वेतन पाता है फिर भी उसे इस छूट सीमा में हुई वृद्धि से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस छूट सीमा में वृद्धि करें।

लघु उद्योगों को, जो निर्यात द्वारा लगभग 30 प्रतिशत विदेशी मुद्रा कमाते हैं, कोई राहत देने की घोषणा नहीं की गई है। इस पहलू की तत्काल और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। और उनके द्रुत विकास के लिए कर छूट के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

एसबेस्टास सीमेंट उद्योग को सीमा-शुल्क में कमी करके राहत दी गई है। तथापि, इससे इस उत्पाद के उपभोक्ता मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस कच्चे माल की खरीद अधिक विदेशी मुद्रा देकर की जाती है और जिस पर सीमा-शुल्क लगता है और इसके अलावा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में भी वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के पैरा 94 में ईंटों, टायरों, प्रोफेब्रिकेटिड दरवाजों, प्लास्टिक, लोहा और स्टील से बनी खिड़कियों के मामले में छूट दी है। इसके अतिरिक्त सीमेंट से बनी सीटों पर, जो छत को ढकने के काम आती है और पानी की सप्लाई में काम आने वाले एसपेस्टास से बने पाइपों पर भी रियायत दी गई है क्योंकि ये भी तैयार उत्पाद है और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।

मैं दो-तीन मिनट और लूंगा क्योंकि कुछ अनुदानों पर चर्चा नहीं हो पायेगी। मैं समय कम होने और कुछ क्षेत्रीय बातों पर बोलने के कारण कुछ मुद्दों को छोड़ रहा हूं।

कुछ समय पहले पुणे स्थित केन्द्रीय शुल्क उत्पाद समाहर्तालय को दो भागों में बांट कर इसका एक भाग पुणे में और दूसरा कोल्हापुर में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया था। सरकार ने लाखों रुपया खर्च करके एक भवन का निर्माण किया है। इस समय यह सहायक कलेक्टर के अन्तर्गत है। मैं सुझाव दूंगा कि पुणे के इस भाग जैसे भोर, वालचन्द नगर आदि को पुणे कार्यालय के साथ लगाया जाए। जैसाकि पुणे स्थित कार्यालय का विभाजन करके आधा भाग कोल्हापुर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है। इससे छह जिलों को फायदा पहुंचेगा। यह जो निर्णय लिया गया है उसे तत्काल लागू किया जाए।

मैंने एक बात और कहनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि मुम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ कोल्हापुर ले जाई जाए। मैं कोल्हापुर में इस उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के प्रश्न को कई बार उठाता आ रहा हूं। चूंकि यहां पर कानून और न्यायिक मामलों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। हमारे क्षेत्र के छह जिलों अर्थात, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा सिन्धु, दुर्ग और रत्नगिरि बार एसोसिएशन ने कोल्हापुर के पक्ष में एक संकल्प पारित किया है।

यदि आप जसवन्त सिंह की रिपोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर चलें तो कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहां आपको उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करनी पड़ेगी ताकि इन जिलों को लाभ पहुंच सके।

आज की स्थिति के अनुसार मुम्बई उच्च न्यायालय में 1,70,000 मामले लम्बित पड़े हैं और छह जिलों के लगभग 2,400 आपराधिक मामले मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े हैं। पिछले

[श्री उदयसिंह राव गायकवाड़]

छह वर्षों से लगभग 30,000 मामले लम्बित पड़े हैं। स्वभावत: यह हर कोई समझता है कि सरकार की नीति यह है कि न्याय को खुद सबके पास जाना चाहिए। अत:, कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की न्याय पीठ का होना बहुत जरूरी है। हमारे एक मित्र ने कहा कि जो मांग हम कर रहे हैं वह हमें पहले मिली हुई थी। स्टेट के शासन के दौरान कोल्हापुर में इसके भारत सरकार के साथ विलय होने तक यहां उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय था। कोल्हापुर के कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जैसे बी०पी० गजेन्द्रगडकर, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री भारत भूषण और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहिब अम्बेडकर। उन्होंने कोल्हापुर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। बात यही नहीं है सन् 1949 में कोल्हापुर में छह जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति करके उन्हें मुम्बई के उच्च न्यायालय में भेजा गया। वे हैं माननीय न्यायाधीश एल०एम० परांजपे, माननीय न्यायाधीश बी०बी० राजू, माननीय मावलंकर, माननीय न्यायाधीश जोशी, माननीय न्यायाधीश देशपांडे और माननीय न्यायाधीश माने।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर, जिनकी शताब्दी हम इस वर्ष मना रहे हैं, की स्मृति में कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की एक न्याय पीठ की स्थापना की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री संतराम सिंगला बोलेंगे। सभा म उनका यह पहला भाषण है। आपको 10 मिनट का समय दिया गया है। मेरे घंटी बजाने से पूर्व आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रस्तावों, जिन्हें विभिन्न लोगों ने क्रांतिकारी, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा नरम कहा है, के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए पहली बार अवसर प्रदान किये जाने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान सरकार के गठन से दो वर्ष पूर्व अर्थव्यवस्था की जानबूझकर उपेक्षा करने तथा उसमें घोर अर्थव्यवस्था होने के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई; मुद्रास्फीति चरम सीमा तक पहुंच गई और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारतीय अर्थव्यवस्था का दर्जा सबसे नीचे चला गया। भुगतान-संतुलन का भारी संकट उत्पन्न हो गया और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार केवल दो सप्ताह के आयात के लिए रह गया था। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का कोई ज्ञान न होने के फलस्वरूप उपजी निराशा की स्थिति में तत्कालीन सरकार ने धन इकट्ठा करने के लिए देश के स्वर्ण भंडार को अन्तर्राष्ट्रीय साहूकारों के पास गिरवी रख दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वालों और इसे बनाये रखने वालों, जिनमें से कुछ इस सम्मानीय सभा के विपक्ष के बैंचों पर विराजमान हैं, को यह शोभा नहीं देता है कि वे इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की कटु आलोचना करके केवल राजनैतिक लाभ पाने के लिए वर्तमान बजट और प्रस्तावों में कमियां ढूंढें।

[हिन्दी]

इस देश की उस वक्त कैसी हालत थी सोश्यल पालिटिकल और इकनौमिक, उसकी स्थिति मैं आपको दो लाइनों में बताना चाहता हूं :

"एक चाक हो, तो सी लूं गरेबाँ अपना,
जालिम ने फाड़ डाला है तार-तार करके।"

[अनुवाद]

ऐसे निराशाजनक वातावरण में श्री पी०वी० नरसिंह राव ने इस देश की सरकार की बागडोर संभाली और एक सच्चे मसीहा की भांति, गम्भीरतापूर्वक, देश के करोड़ों लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। मैं तो यही कहूंगा कि यह बजट वास्तव में इस बात की सुस्पष्ट घोषणा करता है कि हमारे देश की यात्रा अबाधित आर्थिक विकास के पथ पर चलती रहेगी। भारत की नियंत्रित, अन्तर्मुखी अर्थव्यवस्था को बाजार के अनुकूल बहिर्मुखी अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुधारात्मक उपाय अपरिवर्तनीय है। न केवल बजट घाटे, जो अनुमानित स्तर से बहुत नीचे था, को नियंत्रित करने अपितु आर्थिक घाटे को भी, जो वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 6·5 प्रतिशत था, कम करने में प्राप्त की गई सफलता का श्रेय सरकार को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बजट में भारी समायोजनों को देखने से पता चलेगा कि मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। यह अगस्त, 1991 में 16 7 प्रतिशत की चरम सीमा से घटकर अब लगभग 11 प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप जनता को निश्चितरूप से व्यापक और स्थायी लाभ मिलेगा।

भारतीय रुपये को, जैसाकि प्रस्ताव किया गया है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाने से निश्चय ही हमें विदेशी मुद्रा जिसकी हमें हमेशा जरूरत रहती है, लगातार और काफी मात्रा में मिलती रहेगी। व्यापार, उद्योग और पूंजीनिवेश के परिकल्पित सुधारों से सम्बन्धित इस उपाय से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में जान आयेगी अपितु इसके प्रतिक्रियास्वरूप अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का महत्व भी बढ़ जायेगा। फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बाजार की विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को श्रमजीवी महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के हित में उचित तथा वांछनीय भेद रखते हुए व्यक्तिगत आय-कर छूट की सीमा को बढ़ाने की लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग को मान लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि यह वृद्धि मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव को समाप्त करने में पर्याप्त नहीं है। आय-कर अधिनियम की धारा 80ग ग क, 80ग ग ख और 80 ठ के अन्तर्गत निवेश करने संबंधी लाभ को वापिस लेने का सोच-समझकर उठाया गया कदम जिससे बचत के बजाय साम्या निवेश पर जोर दिया जा सके, वास्तव में सहसा उठाया गया कदम है। हो सकता है कि हमारी जनता इस परिवर्तन के अनुकूल तेजी से अपने आपको न ढाल सके और इसके परिणामस्वरूप आरम्भ में उठाया गया यह कदम विरोधी कदम सिद्ध हो। इसके साथ-साथ लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभी उपायों को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए, जैसा की साम्या निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विचार किया जा रहा है, सभी रियायतों को वापस लिये जाने के प्रश्न पर फिर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

यह प्रशंसनीय बात है कि संघवाद की भावना के अनुरूप बजट प्रस्ताव इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि केन्द्रीय कराधान से राज्यों के हिस्से में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हो सके। इससे राज्यों को अपनी

[श्री सन्त राम सिंगला]

विकास संबंधी योजनाओं के लिए अधिक राशि मिल सकेगी : संघवाद के छद्म मुजाहिदों के लिए यह उचित जवाब है जिसका नारा वे केवल अपनी संकीर्ण प्रादेशिकता को छिपाने के लिए लगाते रहते हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि केन्द्रीय कराग्रान से किसी राज्य के हिस्से की व्यवस्था विशिष्ट राजनैतिक-भौगोलिक स्थिति, जिसमें मेरे पंजाब राज्य को रखा गया है, को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि पंजाब की स्थिति सारे देश को मालूम है।

पंजाब ने हमेशा से ही हमारे देश के धन को लूटने के इच्छुक आक्रमणकारियों के आक्रमणों को सहन किया है। भारत के रक्षक कहे जाने वाले पंजाब के लोगों ने पूरे देश की शान्ति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालकर इन आक्रमणकारियों को हमेशा वापस खदेड़ा है। आज की स्थिति अभी भी खराब है। हमारा पड़सी देश पंजाब की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। राष्ट्र की आर्थिक सम्पदा के निर्माण में पंजाब की भागीदारी की गति बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए ऐसी स्थिति में सामान्य परिस्थितियों की तुलना में काफी अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

बजट में बैंकों के संवृद्धि सांविधिक नकदी अनुपात (एस० एल० आर०) को कम करके 8.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे जरूरतमन्द व्यक्तियों को धन उधार देने के लिए बैंकों के पास और अधिक धन उपलब्ध हो जायेगा। यद्यपि ऐसा कदम स्वागत योग्य कदम है, तथापि मैं इस बात पर जोर दूंगा कि बैंकों द्वारा ऐसे राज्यों में जहां बैंकों में अधिक धनराशि जमा की जाती है, निवेश करने के लिए प्रतिपादित नियामक उपाय किए जाने चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पंजाब में बैंकों में ऋण और जमा राशि के अनुपात में काफी अन्तर है।

पंजाब के कृषकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और उद्यमियों को बैंकों की इस अनैतिक प्रथा के कारण धन का अभाव रहता है। पंजाब के उद्यमी की स्थिति अपने ही देश के व्यक्ति द्वारा सूली पर चढ़ाये जाने से कम नहीं है। उसे उस कच्चे माल के लिए काफी पहले पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, जो उसे बाहर से प्राप्त करना है। दूसरी ओर उसे अपना माल पंजाब से बाहर बाजारों में बेचने के लिए साख बनानी होती है। पंजाब में बैंक पंजाब के लोगों की इन कठिनाइयों में भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। इस संकट का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई अनेक नीतियों के बावजूद बैंक पंजाब के लोगों को कोई छूट नहीं दे रहे हैं और प्राय: उन नीतियों को नौकरशाहों की मेजों तक ही सीमित रखने में सफल हो जाते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि पंजाब के कृषक, उद्योगपति, व्यापारी और उद्यमी के लिए ऋण देने की एक विशेष योजना होनी चाहिए जिसके मानदण्ड तथा वित्तीय सिद्धान्त भी विशेष होने चाहिए और उद्यमियों को एक विशेष अवधि के लिए कम ब्याज पर बैंकों से ऋण मिले और ऋण की बकाया राशि का मूल्यांकन करने तथा ऋण की वसूली के लिए भी विशेष मानदण्ड होने चाहिए। वर्तमान स्व: रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत 25,000 रुपये से 35,000 रुपये मिलते हैं। इसे बढ़ाकर कम-से-कम 100,000 रुपये किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सन्त राम सिंगला : मैं तीन, चार मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। पंजाब में उद्यमियों की कठिनाइयां भाड़ा समानीकरण योजनाओं को वापस लेने के प्रस्ताव के कारण और अधिक जटिल

हो जायेंगी। इससे इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होगी। विशेष कर इस्पात बेलन उद्योग और मशीन उपकरण उद्योग, जो कि पंजाब में लघु क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैले हैं, पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा अर्थात कोयले और विद्युत की लागत में वृद्धि के कारण सामान्य उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं माननीय वित्त मन्त्री को सुझाव दे सकता हूं कि वे इन प्रस्तावों पर पुनः विचार करें और ऐसे वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो यह सुनिश्चित कर सकें कि उपर्युक्त उद्योगों के ये मूल स्रोत और पंजाब के अन्य दो प्रमुख उद्योगों, अर्थात, होजरी तथा खेल सामान उद्योग को कच्चा माल पंजाब के उद्यमियों को कच्चा माल पैदा करने वाले राज्यों में कच्चे माल की कीमतों की तुलना में लाभप्रद कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।

पंजाब के युवकों में कुंठा के मुख्य कारणों में से एक अत्यधिक बेरोजगारी है। पंजाब ने न केवल प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में काफी पहले परिपूर्णता प्राप्त कर ली है बल्कि कृषि जोत भी काफी छोटी हो गई हैं। इस प्रकार से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश युवकों के पास कोई काम नहीं है। खाली मस्तिष्क शैतान का घर वाली कहावत आज की पंजाब समस्या पर सही चरितार्थ होती है। पंजाब के युवकों को विनाशकारी रास्ते से हटाने का केवल एक ही रास्ता है कि जहां तक हो सके उन्हें लाभप्रद और सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। यह केवल पंजाब को एक उन्नत औद्योगिक राज्य बनाकर ही किया जा सकता है।

पंजाब के लोग स्वभाव से ही परिश्रमी, अभिनव परिवर्तन करने वाले, उत्साह से परिपूर्ण और हमेशा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के उत्सुक रहे हैं। जो व्यक्ति हरित क्रान्ति और श्वेत (दुग्ध) क्रान्ति को लाये हैं, वे औद्योगिक क्रान्ति लाने में भी सक्षम हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने यह कर दिखाया है और उद्योग के क्षेत्र में भी हम इसे निश्चित रूप से करेंगे। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि आवश्यकता की इस घड़ी में हम पंजाब में बड़े पैमाने पर भारी उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित न कर सकें? पंजाब में भारी उद्योगों में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सम्पूर्ण पंजाब राज्य में विद्यमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जा चाहिए। पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स, आटोमोबाइल उद्योग तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करते समय पंजाब को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब के उद्यमी युवकों को अन्य सहायक इकाइयां स्थापित करने में इन उद्योगों से सहायता मिल जायेगी। माननीय वित्त मन्त्री ने देश में कृषि-व्यापार केन्द्र खोलने की योजना घोषित की है और मैं आशा करता हूं कि ये केन्द्र पंजाब में भी खोले जायेंगे।

देश को इस बात पर गर्व है कि पंजाब दो दशकों की अवधि के दौरान हरित क्रान्ति में अग्रणी रहा है। पंजाब एक अन्य आर्थिक क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने की प्रक्रिया में भी शामिल रहा है।

ऐसी आलोचना की जाती है कि हम पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों से हट गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिनकी दूर दृष्टि ऐसा सुदृढ़ आधार स्थापित करने की थी जिस पर चलकर हम आज अपना आर्थिक भवन खड़ा कर पाए हैं, ने महसूस किया था कि मात्र राजनैतिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना निरर्थक है।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां आज की आर्थिक आवश्यकताओं, नेहरू जी, इन्दिरा जी और राजीव जी द्वारा घोषित नीतियों के अनुसरण में वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा बजट संबन्धी प्रस्तावों की यह कह-

[श्री सन्त राम सिंगला]

कर आलोचना करना, कि ये प्रस्ताव नेहरू युग से अलग हैं, आधारहीन और निरर्थक हैं।

कोई भी बजट सम्बन्धी उपाय, आर्थिक नीतियां और राज सहायता एक सौहार्द पूर्ण वातावरण के बिना सफल नहीं हो सकती हैं। ऐसा वातावरण तभी बनाया जा सकता है जब देश में शांति; सामाजिक सद्भावना और प्रशान्ति हो। मैं इस सम्बन्ध में और पंजाब में चुनाव कराने के लिए प्रधान मंत्री को उनकी राजनैतिक बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देता हूं। पंजाब की जनता भी बधाई की पात्र है क्योंकि उसने ऐसे समय में, जबकि धमकियां और भय का वातावरण था, चुनाव में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके साहस का परिचय दिया। संसद और पंजाब विधान सभा दोनों में कांग्रेस दल को सत्ता सौंप कर पंजाब की जनता ने श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में तथा कांग्रेस दल की विचारधारा और उसके कार्यक्रमों में अपना विश्वास व्यक्त कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री सन्त राम सिंगला : महोदय, मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

मैं कामना करता हूं कि हमारे अकाली साथी भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते और पंजाब को वर्तमान पीड़ा के दौर से निकालने के लिए जनता का जनादेश प्राप्त करते जनादेश प्राप्त करने की अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना प्रदर्शित करने के बजाय, उन्होंने चुनावों का बहिष्कार करके इससे भागने का रास्ता अपनाया।

[हिन्दी]

मैं आपके सामने कुछ बातें पंजाब के बारे में भी कहना चाहता हूं···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : आप पहली अपनी स्पीच में ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? दूसरे भी इस पर बोलने वाले हैं।

श्री संत राम सिंगला : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ दो मिनट ही लूंगा। पंजाब समस्या पार्टली लॉ एण्ड आर्डर, पार्टली पोलिटिकल, पार्टली इकनामिक और पार्टली एक्सटरनल इंटरफियरेंस की है। ये सारी समस्याएं अगर हम रिलाइज करें, केवल एम्पलायमेंट पंजाब को दे दें तो काफी हद तक हल हो सकती हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड, उस पर हमें अमल करना चाहिए और चण्डीगढ़ जल्द से जल्द पंजाब को देना चाहिए ··(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब पर यह चर्चा नहीं है, बजट पर यह चर्चा है।

श्री संत राम सिंगला : आप मुझे दो मिनट और बोलने दें। पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है। पंजाब में न माइंस है, न मिनरल्स है, न गैस हैं, न आयल है और न ही फॉरेस्ट है। पंजाब के लिए पानी बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि पानी की जो समस्या है, वह जल्दी सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देनी चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यमुना का पानी है, उसमें भी पंजाब का हिस्सा है। ···(व्यवधान)···।

उसको वह पंजाब को मिलना चाहिए···(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री असलम शेर खां बोलें।

[हिन्दी]

यह पंजाब पर भाषण नहीं है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका भाषण कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका भाषण कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां (बेतूल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बजट से पहली बार सबको बहुत आशाएं हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने हर चीज को बहुत बारीकी से लिया और हर चीज की तरफ उन्होंने ध्यान दिया लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज तक हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर खेलों को कोई दर्जा नहीं मिल पाया है। हमारा मुल्क 85 करोड़ की आबादी का मुल्क है लेकिन खेलों के मैदान के अन्दर हम बहुत छोटे-छोटे मुल्कों से भी पीछे रहते हैं। चाहे ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, इन मुल्कों से भी भारत पीछे रहता है। क्योंकि, मैं समझता हूं कि खेलों को भारत के अन्दर जो महत्व मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।

आपने देखा कि बहुत-सी चीजों की, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत थी तो उसके लिए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के अन्दर अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया जाता और बजटरी सपोर्ट दी जाती तो आज हमारा सिर जो खेलों के मैदान के अन्दर शर्म से झुक जाता है, यह हमें देखने को नहीं मिलता। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर खेलों को, खेलकूद को आप बढ़ावा देंगे तो उससे लड़के-लड़कियों को, नौजवानों को एक अच्छा नागरिक बनने का मौका मिलेगा।

आज हम पंजाब को देखते हैं, पंजाब एक ऐसी स्टेट थी, जिसने भारत के लिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी दिए लेकिन उसके बाद खेलों के मामले में वहां कमी आई, बजट के अन्दर खेलों को सपोर्ट नहीं किया गया तो वहां के लड़कों ने बन्दूकें उठा लीं इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट के अन्दर पिछले बजट से भी कम प्रावधान है। पिछले साल खेलों के लिए 68 करोड़ का बजट था, उसको घटाकर इस साल 57 करोड़ कर दिया गया तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहां खेलों का स्तर ऊंचा उठेगा।

मैं समझता हूं कि खेल एक ऐसी चीज है, जो मजहब से ऊपर आदमी को उठाती है। हर

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असलम शेर खां]

खिलाड़ी जब खेलता है तो वह अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए खेलता है। हम लोगों का लाखों रुपया लॉ एण्ड आर्डर के लिए खर्च होता है, भाईचारा पैदा करने के लिए, देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए खर्च होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर खेलों को बढ़ावा दिया जाता तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती।

आज मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि गांवों के अन्दर पहले स्कूलों के माध्यम से थोड़े-बहुत खेल होते थे, लेकिन आज स्कूलों के अन्दर खेल नहीं के बराबर हैं। दूसरी तरफ खेल को जो महत्व दिया गया, उसका लेविल बहुत नीचे हो गया। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेलेंस के रूप में लेंगे। आज इसके लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की जरूरत है।

अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका के अन्दर नीग्रोज खेलों में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं लेकिन अगर उनका बैकग्राउण्ड देखें तो वह लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करते लेकिन चूंकि उनके पास खेलकूद का इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास पूरी फैसिलिटी होती है तो वहां एक से एक बढ़कर खिलाड़ी पैदा होते हैं। भारत में खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है लेकिन हमारी कोशिश अभी तक उस तरफ नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस काम को एक नेशनल चेलेंस के रूप में लेकर किया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि भारत के अन्दर अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं हो सकते।

दूसरी तरफ हमारे नौजवानों के लिए कोई रिक्रिएशन नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। आपने इस बजट से बहुत उम्मीदें दिलाई हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इस उम्मीद से नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलीं, तो मुल्क के अन्दर बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। जब ज्यादा उम्मीदें जगाई जाती हैं, तो लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। मैं इस नजर से भी इस बात को कहता हूं कि आप अगर खेलों के अन्दर दावा दें तो कुछ तो उनको मौका मिलेगा, चाहे कल्चरल लेवल हो, चाहे नौकरी की बात हो और चाहे देश की एकता तथा अखण्डता की बात तथा देश के अन्दर भाईचारे की बात हो। मुझे उम्मीद है, आप इसका ध्यान रखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं बजट और उसके विभिन्न प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। यह खुशी की बात है कि डा० मनमोहन सिंह ने देश को दिवालिया होने से बचा लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की स्थिति पुन: उत्पन्न न हो, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बजट घाटा कम किया गया है तथा इसे और भी कम करने का वायदा है। परन्तु यह स्वयं में काफी नहीं है। हमें अपने साधनों से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। हमें एक नये सिद्धान्त के अनुसार तब तक अपने खर्चे कम करने होंगे और मितव्ययिता बरतनी होगी जब तक कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत नहीं लेते। मुझे सरकार या विपक्ष की ओर से मितव्ययिता बरतने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है।

इससे भी अधिक हमें औद्योगिक और कृषि, दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार करना होगा और सेवा क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ानी होगी। ऐसा करने से ही राष्ट्र बचेगा। मात्र वित्त व्यवस्था से

खिलवाड़ करने से हमें केवल तात्कालिक लाभ मिल सकता है। तथापि, अन्ततः वास्तविक संकट केवल तभी दूर हो सकता है जब हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करें।

इस संदर्भ में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इससे हमें ऐसी उत्पादकता प्राप्त हो सकती है जैसी कि हम उन्नत चाहते हैं। इसलिए जब वित्त मंत्री कहते हैं कि हमें विदेशों में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी लेनी होगी तो मैं उनसे सहमत हूं, परन्तु एक शर्त के साथ। क्या इसका तात्पर्य यह है कि हम अधिकाधिक प्रौद्योगिकी का आयात करते चले जाएं ?

मेरे विचार से हमें जापान के माडल का अनुसरण करना होगा। वे प्रौद्योगिकी का आयात करने में हिचकिचाते नहीं हैं। वह एक बार जो प्रौद्योगिकी आयात करते हैं तो उस पर खर्च किए गए प्रत्येक डालर के मुकाबले वह पांच डालर अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं। उन्होंने उस प्रौद्योगिकी को कहीं अधिक प्रभावी बनाया है। इससे भी बढ़कर उन्होंने यह किया है उसे अपनी प्रौद्योगिकी का रूप दे दिया है और फिर उसे उसी देश को निर्यात कर दिया है जहां से उन्होंने मूल रूप से उसका आयात किया था।

इसलिए मैं डा० मनमोहन सिंह और सरकार को सुझाव दूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यक हो हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वहां हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम विदेशों और बहुराष्ट्रिकों से प्रौद्योगिकी का आयात ही करते रहें। हमें उस प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए अपने देश में उपलब्ध व्यापक वैज्ञानिक प्रतिभा और प्रौद्योगिकी जनशक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि जब हम प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह हमारी परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल होती हो। पहले उसे अनुकूल बनाना होता है, फिर उसे आत्मसात करना होता है और उसके बाद उसमें सुधार लाना होता है। यह बात अनुभव करनी होगी और ध्यान में रखनी होगी। वास्तव में, मेरे विचार से हमारे अनुसंधान और विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को और सुदृढ़ और सक्रिय बनाना होगा ताकि हम दूसरों की खोजों और नवीन बातों का पूरा लाभ उठा सकें जैसा कि जापान द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है।

अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र, श्रमिक उत्पादकता पर आता हूं जिस पर मेरे विचार से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्यवश यहां अनेक मार्ग अवरोधक हैं। हमारे यहां श्रमिक विधान है जो मेरे विचार से और अधिक श्रम नियोजन में बाधा है। यह पहले से ही नियोजित श्रमिकों के लिए निहित स्वार्थ का प्रावधान करता है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात पर विचार करने की है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से कैसे उबरें। मेरे विचार से हम इन बाधाओं पर तब तक काबू नहीं पा सकते जब तक कि हम मजदूर संघों की बहुलता और आपसी प्रतिद्वंद्विता और एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर बोलना समाप्त नहीं करते। प्रायः अनेक बार यह सुनने को मिलता है कि एक मजदूर सब श्रमिकों से कहता है कि उन्हें 30 प्रतिशत बोनस मांगना चाहिए; दूसरा कहता है कि उन्हें 35 प्रतिशत बोनस मांगना चाहिए और···

6.00 म० प०

···तीसरा कहता है कि केवल 30 प्रतिशत या 35 प्रतिशत ही क्यों; 40 प्रतिशत क्यों नहीं ? (व्यवधान) यह प्रतिशतता बोली बढ़ती जाती है। इसलिए जब तक इन संघों की बहुलता रहेगी

[श्री इन्द्रजीत]

और उनके राजनीतिक सम्पर्क रहेंगे तब तक श्रमिक क्षेत्र में कोई सद्भावना और शान्ति नहीं होगी तथा हमें हड़तालों, धीमें कार्य करो तथा हाल ही में उत्पन्न विभिन्न अन्य बातों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना होगा। इसलिए मैं भारत सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि अब मानवीय पहलू पर सोचने का समय है। हमारी कार्य संस्कृति में परिवर्तन और सुधार करना होगा। दुर्भाग्यवश, आज हमारी संस्कृति यह है कि हम कम से कम काम करें और अधिक से अधिक प्राप्त करें।

अनेक वर्षों से पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम ने इस इस सभा में कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :—

"हमने जमींदारी को समाप्त कर दिया है। यह उपयुक्त समय है जब हम श्रमिक सामन्तवाद को भी समाप्त कर दें।"

मेरे विचार से अनेक वर्षों पूर्व कही गई उनकी इस बात को आज दोहराने की आवश्यकता है। निःसंदेह, प्रारम्भिक चरण में श्रमिकों को बाहरी नेतृत्व की आवश्यकता थी। परन्तु आज का श्रमिक पूर्ण प्रशिक्षित है। वे व्यावसायिक हैं और उन्होंने अब विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है।

अतः मेरा विचार है कि राजनीतिक दलों और कामगार यूनियनों के बीच इस समय जो संबंध है और बाहरी लोगों द्वारा श्रमिकों पर अधिकार जमाने और फिर उनका शोषण करने की जो प्रवृत्ति है उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सहमति बनाना आवश्यक है, जिससे कि हम एक स्वस्थ्य और ठोस अर्थव्यवस्था में कार्य करते हुए और अधिक सुख की प्राप्ति कर सकें। इसके बावजूद भी, इसकी कुछ सीमाएं हैं। किन्तु, यदि हमें सही प्रगति करना है तो मैं एक अपील करना चाहूंगा। इस अपील के अनुसार हमें तीन साल तक हड़ताल नहीं करनी चाहिए, तीन साल तक बन्द का आंदोलन नहीं करना चाहिए और तीन साल धीरे कार्य करने की चाल नहीं चलनी चाहिए। जहां तक सम्भव हो इसकी सफलता के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए (व्यवधान)।

ठीक है, हमें तीन साल तक तालेबन्दी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है हम इसे भी शामिल करते है। यदि इसे तीन साल तक लागू करने में कठिनाई होती है तो हम इसे कम अवधि के लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक मांग को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि हमें तीन साल तक हड़ताल, धीरे कार्य करने की चाल तथा तालाबन्दी नहीं करनी चाहिए। और इसी कारण मैं केवल तीन साल तक ऐसा नहीं करने की अपील कर रहा हूं। यदि हम अपने क्रिया-कलापों में तीन साल तक सामंजस्य और शान्ति बहाल करने में सफल हुए तो मुझे इसकी आशंका नहीं कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तथा विश्व को यह दिखा सकते हैं कि हम सभी क्षेत्रों में उनका सामना करने को तैयार हैं। ऐसा करने से हम राष्ट्री एकता, राष्ट्रीय विश्वास कायम रख सकते हैं तथा किसी भी स्थिति का सामना करने की हममें राष्ट्रीय क्षमता भी हो सकती है।

इस तथ्य के बावजूद कि अनेक ऐसे और मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता लेकिन अपना भाषण

समाप्त करने के पूर्व मैं सिर्फ एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा । महोदय, मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री परिवार नियोजन तथा कर संरचना के बीच कुछ सामंजस्य स्थापित करें । इस संदर्भ में, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा। मेरा प्रस्ताव है और मैं उनसे अपील करूंगा कि सबसे पहले वह कर में छूट की सीमा का 28,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दें (व्यवधान) । श्री अटल जी कृपया मुझे बोलने दें । किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में यह आपके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि कर में छूट की सीमा को उन लोगों के लिए 30,000 रुपये से 36,000 रुपये कर दिया जाए जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि इस सामंजस्य को जारी रखा जाए तथा साथ ही यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन लोगों को जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं उन्हें उच्च कर कोष्ठक में एक या दो प्रतिशत की कर सीमा में छूट प्रदान की जाए (व्यवधान) ।

मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह कहेंगे कि इससे अनेक ऐसे लोग सामने आएंगे जिनका कोई बच्चा नहीं है । मैं जानता हूं कि कुछ लोग यह भी कहेंगे कि मेरे प्रस्ताव से परिवार नियोजन संबंधी मुख्य समस्या से निपटने में कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा क्योंकि यह समस्या हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा व्याप्त है । यद्यपि, यह आवश्यक है कि इस दिशा में हम सही कदम उठाएं । प्रश्न सही कदम और सही दिशा निर्देश का है । अब ज्यादातर लोग शहरों में आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कई अन्य सुझाव देना चाहता था परन्तु मैं वित्त मंत्री से केवल एक अपील कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं । उन्होंने कर संरचना को और सुगम बनाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने उन लोगों का जीवन और सुगम बनाने का प्रयत्न किया जो कर इत्यादि अदा करते हैं । यद्यपि, इसकी दो समस्याएं हैं—आयकर अधिकारी राज तथा निरीक्षक राज । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इन समस्याओं पर ध्यान दें । अनेकों ऐसे मामले हैं जहां आयकर अधिकारियों ने सम्पत्ति का अनुचित मूल्यांकन किया है । इनमें से अनेक मामले न्यायालय के समक्ष हैं । लम्बे समय तक परेशानियों और कठिनाइयों के बाद न्यायालय ने कभी-कभी आयकर अधिकारियों के विरुद्ध अपना फैसला दिया है । लेकिन ऐसे आयकर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मेरे विचार से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें आयकर अधिकारियों को सम्पत्ति का मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ठहराया जाना चाहिए और जहां यह सिद्ध हो जाए कि सम्पत्ति का मूल्यांकन गलत इरादे से किया गया है । वहां इन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि पूरी सभा वित्त मंत्री को सुनने को उत्सुकता से इन्तजार कर रही है । तो भी, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर वित्त मंत्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने अच्छा सहयोग दिया है । उन्होंने कल रात 11.30 म० प० तक बैठकर चर्चा में भाग लिया । तथापि, समय के अभाव में सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं हो सका । हमने देखा है कि सामान्यतः उन सदस्यों ने जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया था, उन्होंने बजट पर चर्चा नहीं की है । मेरे पास दोनों सूची मौजूद हैं । मैं दोनों सूचियों को अपने पास रख रहा हूं । जब हम अन्य मंत्रालय के मांगों पर चर्चा करेंगे तब हम उन सदस्यों को अपना विचार रखने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें अभी बोलने का अवसर नहीं मिल पाया है ।

इन शब्दों के साथ ही हम लोग वित्त मंत्री से उत्तर की आशा करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, कल रात के साढ़े 11 बजे तक हम यहां बैठे रहे और हाउस में हमें आश्वासन दिया गया, कुमार मंगलम जी ने रेजोल्यूशन रखा कि जो सदस्य आज बैठे हुए हैं, उनको कल समय दिया जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने भी बजट पर अपनी बात रखनी है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी डिमांड्स पर चर्चा के समय आपको पहले समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, कुछ राजनीतिक दलों के साथ न्याय नहीं किया गया है (व्यवधान) यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है (व्यवधान) हम लोग इस संदर्भ में अपना विरोध करते हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मुझे सदस्यों को समय प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब यह निर्णय आप लोगों को करना है कि क्या आप लोग देर रात तक बैठने के लिए इच्छुक हैं। समय की कमी भी है। विधेयक को राज्य सभा में भेजना होता है तथा उन्हें पारित करवाना होता है। हम लेखानुदानों पर चर्चा कर रहे हैं। हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हम बजट पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को इस चर्चा में शामिल करने की कोशिश किया है। मामला यहीं समाप्त नहीं होता है।

हमारे पास पुनः विभिन्न मंत्रालयों पर चर्चा करने के लिए काफी समय है। वे सदस्य जो इस संदर्भ में विशिष्ट मुद्दा उठाने को इच्छुक हैं उन पर निश्चय ही विचार किया जा सकता है। मैं कह चुका हूं कि इन सूचियों को मैं अपने पास रख रहा हूं। हम उन्हें निश्चय ही बोलने का अवसर प्रदान करेंगे। यदि किसी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया, तो मुझे इसका दुःख है। लेकिन यह आप जानते हैं कि आप अपने एक-एक मिनट, एक-एक सेकेण्ड का उपयोग अपने लिए करते हैं। आपके समय का कोई अन्य उपयोग नहीं कर रहा है। दीर्घा में बैठकर इसका उपयोग कोई और नहीं कर रहा है। पीठासीन अधिकारी इसका उपयोग नहीं कर रहा है। इसका उपयोग सदस्यों द्वारा ही किया जा रहा है। अतः कृपया मेरी बात समझें और सहयोग करें।

मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं। अपनी भावना को व्यक्त करने की आपकी इच्छा को मैं समझता हूं। निश्चय ही इसी उद्देश्य के लिए आप यहां आये हैं। लेकिन इसके लिए हमें समय का प्रावधान करना होगा। कृपया समझने की कोशिश करें। कृपया गलत न समझें तथा चर्चा शुरू करें (व्यवधान) हम उन्हें बाद में बोलने का अवसर प्रदान करेंगे (व्यवधान)।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : हम लोग देर रात तक बैठेंगे तथा सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। हमारे पास लम्बी सूची है (व्यवधान) श्री जेना मैं आपको बोलने का अवसर नहीं प्रदान कर सकता हूं। यहां नामों की सूची बहुत लम्बी है। कृपया यह मेरे ऊपर छोड़ दें क्योंकि आपके पास वह सब सूचना उपलब्ध नहीं है जो मेरे पास है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : सभा में कोरम का अभाव था (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें सहायता प्रदान करेंगे (व्यवधान) वे समझ गए हैं (व्यवधान) कृपया अब बैठ जाएं।

वित्त मन्त्री (श्री मन मोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट के बारे में बहुमूल्य और विभिन्न प्रकार के वाद-विवाद पर सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी को मैंने बड़े ध्यान से और आदरपूर्वक सुना है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। मैं इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुआ कि विचार तथा दृष्टिकोण में भिन्नतर होते हुए भी यह देश कतिपय मूल राष्ट्रीय मूल्यों तथा राष्ट्रीय लोकाचार को संरक्षण प्रदान करने के लिए संगठित है। अतः इस सभा में जो वाद-विवाद हुआ है उससे मुझे बहुत उत्साह मिला है। यह हमारे महान गणतंत्र के भविष्य का शुभ सूचक है। मैंने माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री चन्द्र शेखर को बड़े आदर के साथ सुना और सभा में बहुत ही प्रबुद्ध भाषण हुए। मैं कहूंगा कि मैं वाद-विवाद के स्तर से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं और विशेषरूप से मैं इसके लिए श्री अटल जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं इस संबंध में उर्दू के कवि गालिब की एक कविता की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है :

"हैं और भी दुनिया में सुखन्वर बहुत अच्छे।
कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और"।।

जहां तक श्री चन्द्र शेखर जी का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से आज वह यहां उपस्थित नहीं हैं, वह बहुत गुस्से में बोले। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। लेकिन मुझे सभा में इस बात को कबूल करना चाहिए कि सभा में बहुत उत्तेजना थी परन्तु मैंने इसे कम करने की कोशिश नहीं की। मैं इसको कोई वाद विषय नहीं बनाने जा रहा हूं। मैंने उनके साथ काम किया है; मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि :

"कितने शीरी हैं तेरे लब ऐ रकीब।
गालियां खा के भी बेमजा नहीं"।।

अध्यक्ष महोदय, केवल एक महीना पहले पिछले माह की 25 तारीख को इस मसले पर बहुत कुछ कहा गया है। मुझे खेद है कि दो पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित इस सभा के कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों ने इस मसले पर बोलने के लिए बहुत मेहनत की लेकिन उनकी यह मेहनत व्यर्थ सिद्ध हुई। यह देश अब इन तथ्यों को अच्छी तरह से जानता है और मैं उन बहुत सी बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा जो अब सार्वजनिक सम्पत्ति है। तथापि मैं कुछ बातों को कहना नहीं चाहता हूं। बार-बार यह आरोप लगाया गया है कि यह एक ऐसा बजट है जो विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रेरणा से तैयार किया गया है और मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गये मॉडल का आंख मीच कर अनुसरण कर रहा हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ऐसा कहा है, श्री चन्द्र जीत यादव ने ऐसा कहा है और श्री चन्द्रशेखर जी ने भी ऐसा कहा है। उन सभी का आदर करते हुए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वे निश्चितरूप से गलती पर हैं। मैं जिस मॉडल का अनुसरण कर रहा हूं यह वो मॉडल है जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में गहन तफसील के बाद तैयार किया गया है। क्योंकि यह आरोप लगाया गया है इसलिए अब मैं आपको पैरेवार पढ़कर सुनाऊंगा। अब मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि

[श्री मनमोहन सिंह]

यह सब क्या है ? हमारी सरकार को सबसे पहले वित्तीय असमानताओं को दूर करना होगा । मैं इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 22 को पढ़कर सुनाता हूं, जो निम्न प्रकार है :

"कांग्रेस बजट प्रणाली में फिजूलखर्च में व्यापकरूप से कटौती करके, गैर-विकास संबंधी व्यय को सुव्यवस्थित करके और विशेषकर अलाभकर सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक गतिशील और लाभोन्मुख बनाकर सरकार के राजस्व आधार का विस्तार करके वित्तीय सन्तुलन बहाल करेगी । घाटे की वित्त व्यवस्था नियंत्रणीय समानुपात तक सीमित होगी ।"

महोदय, यह सीधे हमारे दल के घोषणा-पत्र से लिया गया है । जब मैं यह बात कहता हूं तो मुझे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा किये गए महान योगदान का स्मरण हो जाता है । यह उनकी विरासत है यह उनका अच्छा कार्य है ।

हमारी सरकार को जो दूसरा कार्य करना है वह भुगतान संतुलन के संकट से निपटना है। हम भुगतान संतुलन के संकट से कैसे निपटने जा रहे हैं ? मैं चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 24 को पुनः पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है :—

"कांग्रेस अत्यधिक निर्यात संवर्धन एवं प्रभावी आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, उचित परिवर्तन दर प्रणाली स्थापित करके और अर्थ व्यवस्था में उत्पादकता तथा कार्य कुशलता बढ़ाकर वर्तमान विदेशी मुद्रा के संकट की समस्या से निपटेगी ।"

भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए हमने ठीक ऐसा ही किया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने बैंककारी सुधारों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि हम यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार ले रहे हैं । मैं बैंककारी सुधारों संबंधी विषय पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 24 को पुनः उद्धृत करता हूं, जो निम्न प्रकार है :—

"कांग्रेस हमारे स्वदेशी और विदेशी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिक दक्ष बनाने तथा उन्हें इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से उनके कार्यकरण में सुधार करने हेतु विशेष ध्यान देगी । सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को बाहर से धनराशि इकट्ठा करने की अनुमति होगी । कांग्रेस नई "म्यूचुअल फंड्स" विशेषकर निजी क्षेत्र में "पेंशन फंड्स" की स्थापना की भी अनुमति देगी ।"

मैं ठीक ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा हूं ।

अब मैं औद्योगिक नीति संबंधी सुधारों के विषय में बताना चाहूंगा । कल श्री चन्द्र शेखर जी ने आर्थिक नीतियों में 'अत्यधिक परिवर्तन' संबंधी मुद्दा उठाया था । यह 'अत्यधिक परिवर्तन' क्या हुआ है, क्या वह इसके बारे में बतायेंगे ? मैं पुनः उद्योग संबंधी विषय के बारे में सीधे चुनाव घोषणा-पत्र से पृष्ठ 36 से ली गई पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है :—

"कांग्रेस विदेशी मुद्रा कमाने के लिए उद्योगों की व्यापक श्रेणियों में निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने हेतु उच्च प्राथमिकता देगी । उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, निर्यात में वृद्धि करने और उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग की

अनुमति दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसा विदेशी निवेश आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचाये बिना हो।"

कल माननीय सदस्य ने पूछा था कि हमने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को क्यों समाप्त कर दिया गया है? मैं कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा-पत्र में दिए गये निदेश को उद्धृत करना चाहूंगा। पृष्ठ 37 में कहा गया है:—

"कांग्रेस विनिर्माण के किसी क्षेत्र में सामरिक अथवा सैनिक महत्व को छोड़कर, किसी क्षेत्र अथवा किसी वैयक्तिक उपक्रम के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास करेगी और सभी विनिर्माण क्रियाकलापों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।"

महोदय, तत्पश्चात मैं चुनाव घोषणा-पत्र के पृष्ठ 35 और 36 को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है:—

"कांग्रेस ठोस नीति ढांचे का अनुसरण करेगी; ठेकेदारी को बढ़ावा देगी, पूंजी बाजार का विकास करेगी, नई प्रौद्योगिकी का आयात करेगी और आम आदमी के लाभ के लिए प्रतिद्वन्द्विता को बढ़ावा देगी।"

मैं आप से और इस सम्माननीय सभा से निवेदन करता हूं कि हमने जो औद्योगिक नीति तैयार की है वह हमारे उस निदेश और वचन के ठीक अनुरूप है जो हमने लोगों को दिया है।

महोदय, इसके पश्चात कांग्रेस दल के चुनाव घोषणा-पत्र में पृष्ठ 37 पर सार्वजनिक उपक्रम के बारे में यह कहा गया है कि:—

"नये क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यह वांछनीय होगा कि वह कम जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों को छोड़ दे..."

"कांग्रेस यह देखेगी कि सरकारी क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों से धीरे-धीरे हट जाये जिनमें गैर-सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों ने क्षमता प्राप्त कर ली है।"

महोदय, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के इन सभी उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारी सरकार द्वारा जून 1990-91 में सत्ता में आने के बाद से किये गये नीति संबंधी अनेक परिवर्तनों का प्रेरणा स्रोत यही घोषणा-पत्र है। अत: मैं इस आरोप के बारे में आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात से अत्यन्त दुख होता है कि ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को आन्तरिक राजनैतिक वाद-विवाद का मुद्दा बनाया जाता है जिनके साथ हमारा गत 40-45 वर्षों से लेन-देन चल रहा है और इनका नाम इस प्रकार से लिया जाता है जोकि मेरी दृष्टि में हमारे देश की परम्पराओं के विपरीत है। परन्तु यह पुरानी बात है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं समझता हूं कि हमने जो कुछ किया है उसका स्रोत कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र है।

चन्द्र शेखर जी ने कल नेहरूवादी नीति का प्रश्न उठाया था। दुर्भाग्यवश, वे आज यहां मौजूद नहीं हैं। चन्द्र जीत यादव जी ने भी वही मुद्दा उठाया था। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक और सामाजिक नीति के मूल उद्देश्यों के संबंध में पंडित जी के समय से लेकर अब तक हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जनता से जो वायदे किए थे, हम उनसे पीछे नहीं हटे हैं और मैं यह बात पूरी ईमानदारी से कहता हूं। हम भारत को एक आत्म-निर्भर देश बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

[श्री मनमोहन सिंह]

हम भारत को तकनीकी दृष्टि से एक विकसित राष्ट्र बनाने तथा गरीबी दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार के सत्ता में आने के समय जून, 90-91 की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी, भुगतान सन्तुलन की स्थिति बिगड़ी हुई थी। महोदय, ऐसे समय में देश के दीर्घ कालिक उद्देशों को पूरा करने और राजकोषीय स्थिति को ठीक करने के लिए हमें कुछ कठोर उपाय करने पड़े। श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा अन्य अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर होने वाले खर्च में कटौती की है। मुझे इस बात का भारी खेद है। माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मुझे इस का भारी खेद है परन्तु मैं आप को यह स्पष्ट कर दूं कि भारत की आज की वित्तीय स्थिति में हम अपने राष्ट्रीय जीवन की मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए एक साथ इतना अधिक कार्य नहीं कर सकते। केवल केन्द्रीय सरकार की ठोस वित्तीय प्रणाली के द्वारा ही निर्धनता के उन्मूलन के लिए संसाधनों को हस्तान्तरित किया जा सकता है और इन साधनों से गरीब लोगों की सहायता की जा सकती है चाहे वे बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के या उड़ीसा के।

अतः मैं आपके और इस माननीय सभा के सामने निवेदन करता हूं कि सरकार आज निर्धनता, पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असन्तुलन के मूलभूत मुद्दों का समाधान करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षित कार्य में लगी हुई है। आज हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। ताकि आने वाले समय में हम उन समस्याओं का अधिक शक्ति तथा विश्वसनीयता के साथ समाधान कर सकें।

आजकल लेनिन का हवाला अधिक प्रचलन नहीं है परन्तु आप मुझे मेरी इस बात के लिए क्षमा कर देंगे कि यदि हमारी नीति की किसी प्रकार व्याख्या की जाती है तो वह कुछ इस प्रकार होगी—हम एक कदम पीछे हटे हैं ताकि हम दो कदम आगे बढ़ सकें। अतः हमने जो कुछ भी किया है वह किसी भी प्रकार से नेहरू जी अथवा उन आदर्शों से हटकर नहीं है जिनकी पक्षकर कांग्रेस पार्टी रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चन्द्रजीत यादव और श्री चन्द्र शेखर ने यह मुद्दा उठाया है कि देश में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। 'मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं।' हमारे प्रधान मंत्री इस बारे में हमेशा यही कहते रहते हैं कि आज इस देश की समस्याएं इतनी जटिल हैं कि कोई अकेला व्यक्ति या कोई अकेला दल इस भार को स्वयं वहन नहीं कर सकता।' अतः हम इस सदन के अन्दर और इससे बाहर देश की सम्पूर्ण जनता का समर्थन तथा राय प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन चुनौतियों का कारगर तरीके से मुकाबला तभी कर सकते हैं जिनका सामना आज हमारी अर्थव्यवस्था और राज्यतन्त्र को करना पड़ रहा है। ये कोई साधारण चुनौतियां नहीं हैं। आज हमारे सामने ये चुनौतियां हैं कि देश का सबसे समृद्ध राज्य केन्द्रीय सरकार के खजाने के लिए भारी बोझ बना हुआ है और आज कश्मीर जल रहा है। 'हजारों करोड़ रुपये का घाटा केन्द्रीय सरकार को वहन करना पड़ रहा है।' आपकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें केन्द्र को हस्तान्तरित कर दिया जा रहा है। उसके कारण केन्द्रीय सरकार पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन सभी समस्याओं का समाधान दलगत भावना से नहीं किया जा सकता। आज की इन भयंकर चुनौतियों से निपटने के लिए हम ईमानदारी से अपने देश की जनता के सभी वर्गों की राय तथा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं।

मैं एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि श्री चन्द्र शेखर ने औद्योगिक नीति के क्षेत्र में

मुद्दाओं की चर्चा की है। पिछले 10 वर्षों में ऐसी कई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि 50 और 60 के दशकों में बनाई गई भारतीय औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है जबकि वह देश के लिए काफी लाभदायक रही है। ऐसी रिपोर्टें सरकार की ओर सरकार से बाहर की भी हैं और मैं पूर्ण गम्भीरता से कहता हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अधिकांश पेशेवर अर्थशास्त्री, चाहे वे दक्षिण पन्थी हों अथवा वामपन्थी, इस बात पर सहमत हो गये हैं कि देश के भीतर ही और अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है क्योंकि औद्योगिक लाइसेंस देने की पुरानी पद्धति अनुत्पादक हो गई है, इससे कठोरता और आय तथा सम्पत्ति में असमानतायें आ गई हैं। अत: यह मुद्दा मतभेद का नहीं है। 'इस जनादेश को पूरा करने के प्रयास के साथ-साथ हम राष्ट्रीय सहमति का सम्मान भी कर रहे हैं।'

केवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में विचारों में मतभेद हो सकता है और वह विदेशी निवेश का क्षेत्र है। मेरा सादर निवेदन है कि इस क्षेत्र में भी हम अपनी वर्तमान नीतियों में उल्लिखित उद्देश्यों से बाहर नहीं गए हैं। 'आप तो जून, 1991 से पूर्व की भारत की विदेश नीति के बारे में जानते ही हैं यह नीति जवाहर जी, इन्दिरा जी और राजीव जी के चिन्तन का फल है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है ? इस नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में हम विदेशी निवेश का स्वागत करेंगे। वास्तव में, पुरानी नीतियों ने ही कुछ क्षेत्रों में तो शत-प्रतिशत आधार पर विदेशी निवेश को अनुमति दी थी। परन्तु इसमें कुछ समस्याएं थीं। समस्याएं ये थी कि इन सभी मामलों को सरकार के माध्यम से आना पड़ता था। प्रत्येक मामले को अपनी क्रिया-विधि होती थी। यह क्रियाविधि तब कुशल रही होगी जब हमारी औद्योगिक नीति लघु थी परन्तु यह क्रियाविधि आज जैसी विविध आयामी अर्थव्यवस्था में अक्षम हो गई है। अत: बहुविध औद्योगिक पद्धति आरम्भ करने में यह हमारी सफलता का परिणाम है। विदेशी निवेश को विनियमित करने की पुरानी क्रियाविधि अलाभकारी हो रही थी। अत: हमने क्या किया ? हमने केवल यही कहा कि यदि आप कतिपय मानदण्डों को पूरा करते हैं तो यहां पर आपके लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के क्षेत्र हैं। यदि आप इन क्षेत्रों में कतिपय मानदण्डों को पूरा करते हैं तो विदेशी निवेश का भारत के व्यापार सन्तुलन पर कोई भार नहीं पड़ेगा, यदि आप पूंजीगत सामान का आयात करते है तो आप इसे विदेशी इक्विटी से पूरा कर सकते है और यदि आप हमारे देश से लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निर्यात करके पूरा कर लेंगे। आपको उद्योग भवन में किसी नौकर शाह के पास जाना नहीं पड़ेगा।

आप जाईए तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अपने आपको पंजीकृत कराईए। यदि आप इन क्षेत्रों से बाहर आना चाहते हैं तो एक-एक करके मामलों की जांच की जाएगी। इसलिए, संक्षेप में हमने यही किया है तथा श्री चन्द्रशेखर जी ने भी सदैव यही कहा है कि हम हमेशा नौकरशाही के शिकंजे को कम करने के पक्ष में हैं। विदेशी पूंजी निवेश के उपयोग के संबंध में हम किसी भी राष्ट्रीय वचन बद्धता से पीछे नहीं हटे हैं। मैं समझता हू कि हमने अपनी पूरी प्रणाली को अधिक सुस्पष्ट, सरल तथा विश्वसनीय बनाया है तथा इस प्रक्रिया में हमने अनावश्यक विलम्ब तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त कर दिया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सभी मामलों में किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य की अवहेलना नहीं की गई है। राष्ट्र के महान आदर्श ही हमारी विचार धारा का मार्गदर्शन तथा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे तथा वे ही हमारे आधार स्तम्भ रहेंगे।

अब मैं बजट के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में कहना चाहता हूं जिसे आप पसन्द करें या न करें। मेरे विचार से असल बात तो यह है कि पहली बार हमने वित्तीय अनुशासन बहाल करने के

[श्री मनमोहन सिंह]

लिए विश्वसनीय प्रयास किया है। मैं इसके परिणाम से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हूं। परन्तु मेरे विचार से केवल एक ही वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के वित्तीय घाटे में 2 प्रतिशत कमी का आना कोई कम बात नही है। हमें तो पूरा वर्ष भी नहीं मिला। हमने जून में सत्ता सम्भाली थी। जुलाई में हमने बजट पेश किया तथा अगस्त में बजट प्रस्ताव प्रभावी हुए। हम सात माह की इस लघु अवधि के दौरान आपको एक ऐसा परिणाम दिखा सके हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय उससे कम है जो मैंने जुलाई, 1990 में इस सम्मानीय सभा के समक्ष पेश किया था। यह सच है कि इस परिणाम में कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना कि दिया जाना चाहिए था। मुझे उन कमियों का पता है परन्तु जितना समय हमारे पास था उसमें हमने पहली बार खर्च पर नियन्त्रण पाने का साहस से मुकाबला किया। मेरा इस सभा से निवेदन है कि इन त्रुटियों के प्रति नरम रुख अपनाये जाने की आवश्यकता है तथा उसका उदारता से मूल्यांकन करना आवश्यक है। मैं यह भी कहूंगा कि हमने पहली बार ऐसा बजट पेश किया है जिसमें यह कहा गया है कि बजट घाटा तथा मौद्रिक-घाटा उस घाटे से कम होगा जितना कि मैंने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था। मेरे विचार से हमने वित्तीय सुधार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे से पूछा है कि आप कीमतों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, आपने कीमतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसी प्रकार से विपक्ष की ओर के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि मैं तथा हमारी सरकार यह भूल चुकी है कि हमने लोगों से कीमतों को पुराने स्तर पर लाने अर्थात कम करने का वायदा किया था। मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधान मंत्री जी इस आरोप का पहले उत्तर दे चुके हैं। हम यह मानते हैं कि कीमतों के मामले में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए, तथा यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम चिन्तित हैं तथा मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले महीनों में हम मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे तथा इसमें हमें सफलता भी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मुझे अधिक विश्वास इस लिए भी है कि जो वित्तीय सुधार हमने लागू किए थे काफी समय के बाद अब उनके अच्छे परिणाम आने लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा, विदेशी मुद्रा की स्थिति अब कुछ और बेहतर हो गई है क्योंकि अब हमें गेंहूं, चावल जैसी आवश्यक वस्तुएं निर्यात नहीं करनी पड़ेगी। हमें गत वर्ष इनका निर्यात इसलिए करना पड़ा कि हमें डीजल, उर्वरक, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। इसलिए कीमतों पर इसका दबाव पड़ना स्वाभाविक था आज हमे वह सब करने की आवश्यकता नहीं इसलिए मुझे आशा है कि खाद्य वस्तुओं पर जो दबाव पड़ा था, जिससे हमें तथा इस देश के गरीब लोगों को कष्ट हुआ है वह भविष्य में कम हो जाएगी।

दूसरी बात यह है कि विदेशी मुद्रा की हमारी स्थिति अब कुछ बेहतर है। अब हम अनेक ऐसी वस्तुओं का आयात कर सकेंगे जिनका आयात हम नहीं कर पाए। मार्च, 1991 में लगाए गए आयात सम्बंधी प्रतिबन्धों को अब हटा लिया गया है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सप्लाई के मामले में आज स्थिति अच्छी है।

किन्तु मैं आपको अति स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में अभी भी अर्थव्यवस्था में बहुत असन्तुलन है। जब सभा के जिम्मेवार सदस्य जो पहले प्रधान मंत्री या विपक्ष के नेता रह चुके हों मुद्रास्फीति के बारे में एक भय पैदा करने का प्रयास करें तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आंकड़ो का उतना प्रभाव नहीं होता जितना इस भय का। कई बार तो केवल अन्दाजा

ही लगाया जाता है। यह आपका सोच ही तो है तथा आप यदि निराशावादी दृष्टि कोण अपना लें और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक भारतीय आधा किलो या इससे कुछ अधिक खाद्यान्न या वनस्पति तेल जमा करना आरम्भ कर दे तो इससे इस देश में कीमतों के ढांचे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी लोग इस विषय पर बोलें। थोड़ी जिम्मेवारी महसूस करते हुए बोलें। यदि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम मुद्रास्फीति पर काबू पा लेंगे।

दूसरा मुद्दा यह उठाया गया है कि इस बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। यह मेरा पक्का विश्वास है कि खाली खजाने से न तो गरीबी दूर होगी, न बेरोजगारी की समस्या ही दूर होगी और न ही इससे क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या हल होगी और न ही भुगतान सन्तुलन की इतनी बड़ी कठिनाई से हम समस्याओं का हम समाधान कर सकेंगे।

श्री चन्द्रशेखर जी यहां नहीं हैं। अप्रैल, 1991 में उन्होंने अपने वित्त मंत्री को विश्व के हर कोने में कुछ न कुछ धन राशि मांगने के लिए भेजा ताकि इस देश को जीवित रखा जा सके। तत्कालीन वित्त मंत्री जापान गए तथा विश्व की सभी प्रमुख राजधानियों में गए। वे खाली हाथ लौट आए।

अब पिछली सरकार से मिली इस प्रकार की भुगतान सन्तुलन की स्थिति और वित्तीय स्थिति में गरीबी की समस्या को क्षेत्रीय असन्तुलन तथा बेरोजगारी की समस्या को हम तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि भारत की वित्तीय प्रणाली में व्याप्त खामियों को ठीक न किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह देश वित्तीय अनुशासन के औचित्य को समझ ले तो यह सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि आज केन्द्रीय सरकार बेहतर वित्तीय अनुशासन का पालन कर रही है किन्तु राज्यों के वित्तीय तन्त्र में जो कुछ हो रहा है मैं उससे चिन्तित हूं और यह तब हो रहा है जब कि मैंने केन्द्रीय सरकार के व्यय में कटौती की है और राज्यों को कम से कम 4000 करोड़ रुपए अधिक भेजे हैं।

यदि वित्तीय स्थिति की हालत को बेहतर बनाना है तो राज्यों को केन्द्रीय सरकार को सहयोग देना होगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि हम 1992-93 में ऐसा करें तो मैं समझता हूं कि 1993-94 में गरीबी दूर करके क्षेत्रीय असंतुलन को नियंत्रण करने के संबंध में मैं इस सम्मानित सभा में और अधिक अच्छे कार्यक्रम लेकर आ सकूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा मत्स्य पालन, जैसा कि श्री मणी शंकर अय्यर ने कहा है कि कृषि में मत्स्य पालन भी सम्मिलित होना चाहिए, पर मैं और अधिक खर्च करना चाहता हूं।

इसलिए मैं इस तर्क में विश्वास नहीं रखता कि यह बजट गरीबों का विरोधी है क्योंकि गरीबों के लिए सबसे अधिक कष्टकर बात मुद्रास्फीति की है और आप केवल अधिक धन खर्च करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध वित्त मन्त्री माना जा सकता था यदि मैं प्राथमिक क्षेत्रों पर बहुत अधिक खर्च करने के प्रस्ताव लेकर आता और फिर उस खर्च को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक के मुद्रणालय में जाता। मेरे विचार से भारत के लोगों के साथ यह एक बड़ी धोखा-धड़ी होगी।

मैंने अपनी जनता के सामने बहुत ईमानदारी से स्पष्ट तस्वीर रखी है क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग आर्थिक स्थिति की गम्भीरता को समझेंगे। मुझे अपने लोगों पर विश्वास है। वे इसे

[श्री मनमोहन सिंह]

समझते हैं और जिस प्रकार का दृष्टिकोण लोग इस बजट के प्रति अपना रहे हैं उससेइस बात का प्रमाण मिलता है। मैं जानता हूं कि कौन से लोग इससे नाखुश हैं। ये वे लोग हैं जो तस्करी द्वारा सोना हमारे देश में लाते हैं। या वे लोग जो देश में हवाला व्यापार के संरक्षक हैं वे इससे खुश नहीं हैं···(व्यवधान)

हमारे देश के ईमानदार नागरिक खुश हैं। वे अत्यधिक नौकरशाही के भार को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वे एक बेहतर अर्थव्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार के कार्य एक खुली किताब की तरह उनके सामने हो। इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट गरीबों के विरुद्ध नहीं है और ना ही अमीरों के पक्ष में है···(व्यवधान)

इस संबंध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, जैसा कि मैं पहले कई बार कर चुका हूं, कि हम अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। लेकिन हम भारत के सम्मान को ताक पर रख कर ऐसा कभी नहीं करेंगे और भारत के सम्मान तथा राष्ट्रहित को सदा ध्यान में रखेंगे। मैं सभा के समक्ष इस बात का वचन देता हूं। किन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब हम ऋण दाताओं से ऋण लेने की बात करते हैं तब कुछ शर्तें भी होती हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आज मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक की लगभग 11 परियोजनायें चल रही हैं···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पढ़ देता हूं। इस संबंध में मैं पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन करता हूं। उन्होंने ठीक ही किया है। मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के सदस्यों को यह जानकारी दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वेच्छा से कुछ शर्तें स्वीकार की है। अब मैं समझता हूं कि हमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के विरुद्ध ऐसा आरोप लाना चाहिए कि उन्होंने विश्व बैंक को बजट संबंधी जानकारी पहले से ही दी है। मैं उनके द्वारा किये गए वादों को पढ़कर सुना देता हूं।

कलकत्ता शहरी विकास परियोजना—3 : कलकत्ता महानगर निगम 1986-87 तक संपत्तियों के कुल कर योग्य मूल्य को एक निर्धारित स्तर तक बढ़ायेगा; कलकत्ता सी० एम० ए० नगरपालिकाओं, के क्षेत्र में तथा एच० एम० सी०; सी० एम० सी० के क्षेत्रों में यदि करों की दर को दिसम्बर, 1987 तक पूरा किए जाने वाले मूल्यांकन के समय अपर्याप्त समझा जाये तो सम्पत्ति कर का पुनः मूल्यांकन किया जाए; सी० एम० सी० के लिए 1987-88 तक जल आपूर्ति के लिए सम्पूर्ण लागत की वसूली की जाए···(व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : श्रीमान, यह केन्द्रीय वित्त मंत्री को शोभा नहीं देता ···(व्यवधान)

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : श्रीमान, मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे अगले मुद्दे पर आयें। हम नहीं चाहते कि सभा में बैठे किसी भी पक्ष के लोग नाराज हों। मेरे विचार में हमने काफी देख लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्रीमान, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा अवसर नहीं है जब वित्त मन्त्री पर आरोप लगाए जाये। प्रधानमन्त्री

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने जो कहना था वह कह दिया है। लेकिन मैं यह आशा करता था कि वित्त मन्त्री भारत के संसद में बजट संबंधी बहस का उत्तर देते हुए सभा के सामने एक अधूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। मैं केवल इतना कह सकता हूं··· (व्यवधान)

मैं नाराज नहीं हूं। प्रधानमन्त्री मुझसे यह आशा कर सकते हैं कि मैं नाराज न रहूं किन्तु मैं खुश नहीं हूं। उन्होंने उत्सुकतावश एक मामला उठाने का प्रयास किया है जिसकी कमजोरी से वे अवगत हैं। वे पश्चिम बंगाल सरकार से समर्थन की अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन ऐसा सही तथ्यों के आधार पर हो सकता है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं यह बात पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीक ही किया है ··· (व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : श्रीमान प्रश्न यह नहीं है। उन्हें विभिन्न प्रकार के ऋणों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वे संरचनात्मक समायोजन ऋणों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण से मिला रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : श्रीमान, व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें।

श्री तरित बरण तोपदार : श्रीमान, वित्त मंत्री ने बहुत विवादास्पद मामला उठाया है। मैं अध्यक्ष पीठ से इसका अनुरोध करता हूं कि जो उन्होंने कहा है उसके स्पष्टीकरण के लिए समय निर्धारित करें और दूसरे पक्ष के उत्तर भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। मंत्री महोदय।

श्री मनमोहन सिंह : श्रीमान, मैं फिर कहता हूं कि मैं यह बात पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करने की भावना से नहीं कह रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आदर करता हूं और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि जिन लोगों को मार्क्स ने एकीकृत किया था उनके वित्त मन्त्री उन्हें पृथक करें। अत: मैं पश्चिम बंगाल सरकार के लिए किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहता। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीक ही किया है। अत: इस बात का कोई आधार नहीं है··· (व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : श्रीमान, वे संरचनात्मक समायोजन ऋण को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए ऋण से जोड़ रहे हैं··· (व्यवधान) वे तथ्य को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं ··· (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : श्रीमान, यह अनुचित है··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : उन्होंने यह विषय कैसे शुरू कर दिया··· (व्यवधान) में रखेंगे। श्रीमान, आप कृपया इन शब्दों को निकाल दें। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें क्योंकि उन्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वे ऐसा दिखा रहे हैं कि वे कोई ऐसी बात कह रहे थे जो··· (व्यवधान)। मेरे विचार में इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे कार्यवाही से निकालना होगा। यह माननीय वित्त मन्त्री के अधिकार में नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, अपनी बात जारी रखें ।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : श्रीमान, किसी ने कहा है :—

[हिन्दी]

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होता ।"

अध्यक्ष महोदय : तो मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि यह बजट कवितामय है ।

श्री मनमोहन सिंह : श्रीमान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मामला उठाया था कि वित्त विधेयक में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं ।

मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि बहुत से संशोधन हुए हैं । किन्तु, बड़े आधारभूत सुधारों की स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता । किन्तु मैं समझ गया हूं कि जब कभी आधारभूत सुधार किए जा रहे हों, जहां तक संभव हो सदन के पास अधिक समय होना चाहिए । किन्तु इस बार हमें अत्यधिक गति से काम करना पड़ा है । हमारे पास समय भी सीमित था । हमारी सरकार केवल आठ मास से सत्ता में थी । हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक थे । यदि मैंने कर प्रणाली को यूं ही छोड़ दिया होता तो हमने आर्थिक नीति मे जो प्रोत्साहन प्रभाव दिया है, उसका महत्व कम हो जाता । इसलिए, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि जिस स्थिति में हम थे उसमें, इस बार हमारे पास कोई विकल्प नहीं था । अटल जी ने भी मुद्दा उठाया है कि क्या हम नई जिम्मेदारी से निपटने के लिए कर प्रशासन तैयार कर रहे हैं ? मेरा अनुरोध है कि कर की दरों को उदार बनाना एक अच्छी बात है ? किन्तु उदार बनाने के साथ ही इन्हें सख्ती से निपटना चाहिए । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं और हमारी सरकार कड़ाई से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और कर अपवंचन करने वालों को सरकार सख्ती से निपटेगी । कानून लागू करने वाले तंत्र को चुस्त बनाया जाएगा । ऐसी मुझे आशा है । इसलिए, जब मैं अगले वर्ष इस सदन के समक्ष उपस्थित होऊंगा । मैं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति के बारे में रिपोर्ट देने की स्थिति में होऊंगा ।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कई सुझाव दिए गए हैं । अटल जी ने कर छूट सीमा को बढ़ाए जाने का मामला उठाया । मैंने शायद इस सदन में नहीं, कहीं और यह मामला उठाया है कि इन मामलों में सन्तुलन और अनुपात रखना होगा । वित्त मंत्री के रूप में ईमानदारी की बात यह है कि थोड़े से व्यय से मैं इस सदन की वाहवाही लूट सकता हूं । लेकिन किस लागत पर ? लेकिन यह बोझ राज्य सरकारों को वहन करना होगा । यदि आप गरीबी दूर करने के काम को गम्भीरता से लें, यदि आप यह महसूस करते हैं कि कृषि क्षेत्र में अधिक संसाधन लगाए जाएं और यह निश्चित रूप से राज्य के विषय हैं तो नुकसान किसे होगा । इसी भावना के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह उन कठिनाइयों को समझे जो मुझे विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करने में है । लेकिन मैं खुले विचार रखता हूं । कोई भी परिवर्तन जो मैं करता हूं, वह वित्त विधेयक में संशोधन के रूप में शामिल करने होंगे और इस बीच की अवधि के दौरान मेरा विचार यहां पर वाद-विवाद सुनने और विभिन्न लोगों से बातचीत करने का है ।

जैसाकि अटल जी ने कहा कि मैं विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत करूंगा कि विभिन्न रियायतों से वह कहां तक प्रभावित हुई हैं । जब मैं वित्त विधेयक प्रस्तुत करूंगा तो मैं फिर इस सदन में आऊंगा ।

आयकर कानून के पुनर्गठन के पैकेज के अंग के रूप में मैं अपने 1992-93 के बजट भाषण में व्यक्तियों और एच०यू०एफ० के मामले में छूट सीमा बढ़ाने, कर दर को कम करने उप-कर की लेवी की धन संबंधी सीमा बढ़ाने और कतिपय करों को वापस लेने का प्रस्ताव किया है। इस आशय के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ के अन्तर्गत कटौती को वापस लिए जाने से निम्न और मध्यम आय वर्गों, जिनकी विनिर्दिष्ट स्रिक्षतों से विनिर्दिष्ट आय है, की कर-देयता बढ़ जाएगी। बैंकों ने भी यह अभ्यावेदन दिया है कि धारा 80-ठ के वापस लिए जाने से बचत जुटाने की दृष्टि से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस सदन को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार निम्न वर्ग तथा मध्यम आय वर्गों के लिए तथा उनकी ओर से दिए गए इन तथा अन्य अभ्यावेदनों के प्रति असंवेदनशील नहीं रहेगी।

इन सभी अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है और ऐसी रियायतें जो आवश्यक है, वह उचित समय पर वित्त विधेयक, 1992-93 में उपयुक्त संशोधन करके दी जाएंगी।

बजट प्रस्तुत करते समय मैंने परियोजना आयातों और साधारण मशीनरी शुल्क को 80% से घटाकर 60% करने का प्रस्ताव किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के संबंध में भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मुझे इन सभी को विस्तार से देखने का समय नहीं मिला। किन्तु दो या तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां गम्भीर परिणामों के कारण तुरन्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि मैं उनसे निपटने के लिए इस अवसर का प्रयोग करूं और मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं। मैंने कहा कि बजट प्रस्तुत करते समय मैंने परियोजना आयातों और साधारण मशीनरी पर शुल्क को 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। मुझे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह कटौती पर्याप्त नहीं है। विशेषरूप से निर्यातकों ने अभ्यावेदन किया है कि यदि हमें निर्यात के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है तो पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को घटाये जाने की आवश्यकता है। मैंने इन अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और पाया कि इनमें काफी दम है। चूंकि हमारा इरादा सीमा शुल्क को अगले तीन से चार साल की अवधि में धीरे-धीरे कम करने का है, मैं यह महसूस करता हूं कि हम तुरन्त कोई छोटा-मोटा संशोधन कर सकते हैं। तदनुसार मैं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात परियोजना आयातों और साधारण मशीनरी जिन पर 60 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लग रहा है को घटाकर 55 प्रतिशत कर करने का प्रस्ताव करता हूं। इन पूंजीगत वस्तुओं के पुर्जों के शुल्क की दर के वर्तमान अन्तर को बनाये रखने के लिए उसी अनुपात में कम किया जायेगा।

महोदय, इस बजट में मैंने, टैरिफ की ऊंची दरों में कमी करने के उद्देश्य से रियायती शुल्क आयातों के लिए कतिपय अन्तिम इस्तेमाल अधिसूचनाओं को हटाने का प्रस्ताव भी किया है। परिणाम स्वरूप ईंधन कुशल हल्के व्यावसायिक वाहनों के पुर्जों की आयात शुल्क की दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। यह एक ऐसा उपाय है जिसकी ओर जार्ज फर्नान्डीज ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है। इन वाहनों पर उत्पादन शुल्क को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया था। अब यह अभ्यावेदन दिया गया है कि आयात शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन शुल्क में वृद्धि से हल्के व्यावसायिक वाहन उद्योग पर भारी बोझ पड़ा है। बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे वाहनों का आमतौर पर अच्छे वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस प्रकार के ईंधन कुशल व्यावसायिक वाहनों के पुर्जों पर आयात शुल्क को 1 मार्च, 1992 के स्तर पर बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं।

[श्री मनमोहन सिंह]

महोदय, अपने बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में मैंने चीथड़ों और सिंथेटिक वेस्ट पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। इस प्रक्रिया में चीथड़ों पर आयात शुल्क, जो 1 मार्च, 1992 से पहले 35 प्रतिशत था बढ़कर 110 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ-साथ टैरिफ की उच्च दरों में कटौती के अंग के रूप में सिंथेटिक वेस्ट पर लगने वाले आयात शुल्क को कम करके 110 प्रतिशत किया गया है। आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने का दोहरा उद्देश्य था—एक तो बिना कटे-फटे कपड़ों के आयात के माध्यम से रियायती दरों के दुरुपयोग को रोकना तथा सिंथेटिक वेस्ट पर आयात शुल्क में कमी किये जाने के कारण राजस्व को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति करना था। कुछ संसद सदस्यों ने मेरे ध्यान में यह बात लाई है कि इस युक्तियुक्तकरण से रद्दी ऊन उद्योग जो पूरी तरह से आयातित चीथड़ों पर निर्भर था, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रद्दी ऊन उद्योग में बहुत से छोटे-छोटे एकक हैं जो इस समय इस बोझ को वहन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आयात शुल्क में हुई इस वृद्धि को वापस लेकर इसे 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, इस रियायत से राजस्व को लगभग 245 करोड़ रुपये का घाटा होगा। आयात शुल्क में किये गये परिवर्तनों को प्रभावी करने संबंधी अधिसूचना की प्रतियां जल्द ही सभा पटल पर रखी जायेंगी।

महोदय, मेरे विचार से मैंने वाद-विवाद में उठे अधिकांश पहलुओं को ले लिया है। मैं उन सभी सदस्यों से खेद प्रकट करता हूं जिनके मुद्दों को मैंने नहीं लिया है। मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखूंगा। यदि किन्हीं विशेष मुद्दों पर सदस्यों के साथ व्यक्तिगत चर्चा की आवश्यकता है तो मुझे विभिन्न मुद्दों पर उन सभी के साथ व्यक्तिगतरूप से चर्चा करके प्रसन्नता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का इस बजट को दिये गये समर्थन और साथ ही साथ इसकी आलोचना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, एक स्पष्टीकरण। (व्यवधान)। वे प्रसन्नचित्त हैं और दो प्रश्नों का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या वित्त मंत्री सोमनाथ जी को दोपहर भोज या रात्रि भोज तथा इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे?

(व्यवधान)

7.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री अत्यधिक प्रसन्न हैं और इस प्रसन्नचित्त अवस्था में वे दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे।

यह प्रश्न छोटे पैमाने की कुछ इकाइयों ने कतिपय सामानों के आयात के बारे में मेरे पास भेजा है। यह आयातों पर मूल्यानुसार शुल्कों के बारे में है। क्या आयातों के मूल्य की रुपये में गणना सरकारी विनिमय दरों के आधार पर अथवा संविदा के समय मौजूद बाजार दरों अथवा रुपये के परिवर्तनीय होने के कारण स्वीकृति के समय की दरों के आधार पर की जाएगी? यदि यह बाद वाली दर है तो बाजार दर पर विदेशी मुद्रा का सृजन करते समय आयात शुल्क में छूट किस सीमा तक प्रभावित होगी?

अभूतपूर्व स्टाक एक्सचेंज वृद्धि से भारी लाभ मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लाभों से करों की वसूली के लिए कोई विशेष उपाय किया गया है।

ये दो बातें हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हमने आंशिक परिवर्तनीयता की जो पद्धति आरम्भ की है, उससे निर्यातों के साथ-साथ कुशल आयात प्रतिस्थापन को प्रेरणा मिलती है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह भारत को औद्योगिकीकरण की विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास है, यह ऐसा नहीं है, और यह प्रस्ताव किया गया है कि शुल्क बाजार की विनिमय दरों पर एकत्रित किया जाएगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मेरे विचार से जो व्यक्ति लाभ अर्जित करता है वह उसकी गणना कराधान के उद्देश्यों से भी करता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1992-93 की लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 5 में मांग संख्या 1 से 27, 29, 30, 32 से 89, 91, 93 से 98 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	लोकसभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	358,41,00,000	1,41,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	25,27,00,000	93,43,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	62 60,00,000	—

1	2	3	4
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	41,69,00,000	10,76,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	3,41,00,000	4,02,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1598,70,00,000	21,[illegible]4,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	9,57,00,000	4,70,00,000
8.	पर्यटन विभाग	12,98,00,000	2,7[illegible],00,000
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	1,75,00,000	26,00,000
कोयला मंत्रालय			
10.	कोयला मंत्रालय	28,3[illegible],00,000	120,00,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	501,93,00,000	46,32,00,000
12.	पूर्ति विभाग	4,63,00,0000	—
संचार मंत्रालय			
13.	संचार मंत्रालय	1,56,00,000	—
14.	डाक सेवाएं	259,78,00,000	11,46,00,000
15.	दूर संचार सेवाएं	880,75,00,000	669,83,00,000
रक्षा मंत्रालय			
16.	रक्षा मंत्रालय	250,46,00,000	18,96,00,000
17.	रक्षा पेंशनें	353,28,00,000	—
18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	1489,54,00,000	—

1	2	3	4
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	170,01,00,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	421,08,00,000	—
21.	रक्षा आयुध निर्माणियां	352,81,00,000	—
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1926,14,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
23.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	51,96,00,000	95,00,000
विदेश मंत्रालय			
24.	विदेश मंत्रालय	99,52,00,000	11,50,00,000
वित्त मंत्रालय			
25.	आर्थिक कार्य विभाग	73,66,00,000	23,32,00,000
26.	करेंसी, सिक्का, निर्माण और स्टाम्प	66,51,00,000	30,06,00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	102,08,000	5435,81,00,000
29.	राज्य सरकारों को अन्तरण	945,89,00,000	24,16,00,000
30.	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार	—	38,76,00,000
32.	व्यय विभाग	76,80,00,000	55,00,000
33.	पेंशनें	100,07,00,000	—
34.	लेखा परीक्षा	48,60,00,000	—
35.	राजस्व विभाग	24,26,00,000	25,00,000
36.	प्रत्यक्ष कर	45,75,00,000	15,00,00,000
37.	अप्रत्यक्ष कर	73,00,00,000	23,31,00,000

1	2	3	4
खाद्य मंत्रालय			
38.	खाद्य मंत्रालय	441,58,00,000	23,10,00,000
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय			
39.	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	5,52,00,900	1,11,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
40.	स्वास्थ्य विभाग	95,37,00,000	27,88,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	183,29,00,000	3,00,000
गृह मंत्रालय			
42.	गृह मंत्रालय	62,77,00,000	2,16.00,000
43.	मंत्रिमंडल	2,04,00,000	—
44.	पुलिस	337,68,00,000	45,73,00,000
45.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	52,19,00,000	20,71,00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	16,54,00,000	9,71,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
47.	शिक्षा विभाग	285,63,00,000	9,00,000
48.	युवा कार्य और खेल विभाग	18,44,00,000	33,00,000
49.	कला और संस्कृति	21,02,00,000	—
50.	महिला और बाल विकास	81,44,00,000	17,00,000
उद्योग मंत्रालय			
51.	औद्योगिक विकास विभाग	52,72,00,000	32,00,000
52.	भारी उद्योग विभाग	6,22,00,000	48,31,00,000

1	2	3	4
53.	सरकारी उद्यम विभाग	24,00,000	—
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	53,65,00,000	32;26,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
55.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	17,20,00,000	4,45,00,000
56.	प्रसारण सेवाएं	158,71,00,000	59,50,00,000
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	69;91,00,000	12,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	23,83,00,000	—
59.	कम्पनी कार्य विभाग	1;83,00,000	1,00,000
खान मंत्रालय			
60.	खान मन्त्रालय	21,84,00,000	7;13,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
61.	संसदीय कार्य मंत्रालय	20,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
62.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय	8,86,00,000	38,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
63.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	8,70,00,000	50,00,00,000
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
64.	योजना	14,57,00,000	1,67,00,000

1	2	3	4
65.	सांख्यिकी विभाग	8,64,00,000	15,00,000
66.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	14,00,000	—
विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
67.	विद्युत विभाग	79,62,00,000	327,66,00,000
68.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	20,74,00,000	76,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
69.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1216,87,00,000	8,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	42,45,00,000	5,08,00,000
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	45,58,00,000	68,00,000
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	12,80,00,000	—
इस्पात मंत्रालय			
73.	इस्पात विभाग	69,00,000	214,68,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय			
74.	जल-भूतल परिवहन	5,31,00,000	9,50,00,000
75.	सड़कें	69,12,00,000	88,09,00,000
76.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	21,82,00,000	39,73,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय			
77.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	122,11,00,000	27,64,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
78.	शहरी विकास और आवास	87,35,00,000	86,11,00,000

1	2	3	4
79.	लोक निर्माण कार्य	44,61,00,000	16,52,00,000
80.	लेखन सामग्री और मुद्रण	19,90,00,000	35,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
81.	जल संसाधन मन्त्रालय	50,56,00,000	3,02,00,000
कल्याण मंत्रालय			
82.	कल्याण मन्त्रालय	77,50,00,000	7,15,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
83.	परमाणु ऊर्जा	85,66,00,000	82,34,00,000
84.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	65,92,00,000	25,67,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग			
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	13,14,00,000	1,28,00,000
महासागर विकास विभाग			
86.	महासागर विकास विभाग	6,77,00,000	1,26,00,000
अन्तरिक्ष विभाग			
87.	अन्तरिक्ष विभाग	71,86,00,000	13,14,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
88.	लोक सभा	4,54,00,000	—
89.	राज्य सभा	1,61,00,000	—
91.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	5,00,000	—
(बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र)		--	
93.	दिल्ली	188,33,00,000	140,40,00,000

1	2	3	4
94.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	30,58,00,000	25,83,00,000
95.	दादरा और नागर हवेली	6,07,00,000	2,35,00,000
96.	लक्षद्वीप	8,38,00,000	2,15,00,000
97.	चंडीगढ़	36,10,00,000	9,04,00,000
98.	दमन और दीव	4,37,00,000	2,06,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	12967,17,00,000	9953,06,00,000

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह लेखानुदान है। हम वित्त मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि जिन मांगों को पारित कर दिया गया है तथा जिन पर लेखानुदान पूरा हो चुका है, उनमें से कोई नई मद व्यय के लिए नहीं ली जायेगी। वित्त मंत्री को इस बारे में आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत, वे उस राशि का प्रयोग नहीं कर सकते है जिस पर हम नई परियोजनाओं के लिए मतदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे पूरी तरह से संविधान का अनुपालन करेंगे। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री संविधान, कानूनों और नियमों का अनुपालन करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने संविधान का अनुपालन करना चाहिए परन्तु श्री चिदम्बरम की व्याख्या के अनुसार नहीं। वे अमरीकी व्याख्या के अनुसार चलते हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं कम से कम कानून के अनुसार कार्य तो करता हूं, परन्तु आप तो जंगल के कानून के अनुसार कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1991-92 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 6 में निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाए।

मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 62, 65, 67, 70, 76, 78, 79, 81-83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, और 97."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की
अनुपूरक मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाली अनुदान की मांग राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि	280,35,00,000	—
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	1,00,000	75,22,00,000
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	2,00,000	21,50,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	—	11,67,00,000
6.	उर्वरक विभाग	956,13,00,000	2,80,00,000
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मन्त्रालय	10,13,00,000	—
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
9.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	—	1,00,00,000
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग	535,98,000	—
संचार मंत्रालय			
15.	दूर संचार	36,68,00,000	221,99,00,000
रक्षा मन्त्रालय			
16.	रक्षा मंत्रालय	139,64,00,000	—

1	2	3	4
17.	रक्षा पेंशनें	90,00,00,000	—
18.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	134,77,00,000	—
19.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	49,98,00,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	288,23,00,000	—
विदेश मंत्रालय			
24.	विदेश मंत्रालय	48,09,00,000	—
वित्त मंत्रालय			
25.	आर्थिक कार्य विभाग	2,20,00,000	—
26.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	—	1,00,000
27.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	104,18,00,000	4,00,000
30.	राज्य सरकारों को अंतरण	1163,03,00,000	—
34.	लेखा परीक्षा	7,34,00,000	—
36.	प्रत्यक्ष कर	15,50,00,000	—
खाद्य मंत्रालय			
38.	खाद्य मन्त्रालय	246,88,00,000	—
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
40.	स्वास्थ्य विभाग	—	6,82,00,000
41.	परिवार कल्याण विभाग	122,42,00,000	—
गृह मंत्रालय			
43.	मंत्रिमंडल	3,14,00,000	—
44.	पुलिस	186,16,00,000	1.00,000
46.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	—	10,00,000

1	2	3	4
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
47.	शिक्षा विभाग	3,00,000	—
49.	कला और संस्कृति	2,00,000	26,00,000
उद्योग मंत्रालय			
51.	औद्योगिक विकास विभाग	1,00,000	—
52.	भारी उद्योग विभाग	2,00,000	51,77,00,000
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	1,00,000	—
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	2,00,000	—
खान मंत्रालय			
60.	खान मन्त्रालय	5,98,00,000	—
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
62.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय	—	2,15,00,000
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
65.	सांख्यिकी विभाग	—	1,45,00,000
विद्युत और ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत मंत्रालय			
67.	विद्युत विभाग	1,00,000	2,00,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7,88,00,000	—
भूतल परिवहन मंत्रालय			
76.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1,00,000	28,69,00,000

1	2	3	4
शहरी विकास मंत्रालय			
78.	शहरी विकास और आवास	—	1,98,00,000
79.	लोक निर्माण कार्य	16,36,00,000	1,00,000
जल संसाधन मन्त्रालय			
81.	जल संसाधन मन्त्रालय	—	4,88,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
83.	परमाणु ऊर्जा	—	1,00,000
84.	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	—	1,50,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग			
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	1,00,000	—
अन्तरिक्ष विभाग			—
87.	अन्तरिक्ष विभाग	25,98,00,000	—
संसद; राष्ट्रपति; उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
89.	राज्य सभा	84,00,000	—
गृह मन्त्रालय संघ राज्य क्षेत्र			
93.	दिल्ली	11,19,00,000	8,00,000
94.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	29,91,00,000	1,48,00,000
96.	लक्षद्वीप	2,91,00,000	89,00,000
97.	चण्डीगढ़	27,32,00,000	90,00,000
	जोड़	4488,37,00,000	437,72,00,000

7.06 म० प०

विनियोग (लेखानुदान)* विधेयक, 1992

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : **मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनमोहन सिंह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक** प्रस्तुत करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने बोलने के बारे में एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नोटिस देख लिया है। आपने जिस अध्ययन और बुद्धिमानी के साथ इसे उठाया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। परन्तु आप जानते हैं कि हम केवल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ही पारित कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाने का अवसर आपको बाद मे मिलेगा। यदि यह चर्चा आज ही पूरी हो जाती तो मैं आपको निश्चित रूप से अनुमति दे देता। परन्तु मैं बाद में अनुमति दूंगा।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरी पहली दो मदें उद्योग मंत्रालय से संबंधित हैं और प्रधान मंत्री इसके प्रभारी हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

*दिनांक 26-3-1992 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत किया गया।

[श्री राम नाईक]

हमें अनेक नई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति, व्यापार, बैंक और वित्त के बारे में नीतियों की घोषणा की है। यहां तक कि लघु उद्योग से संबंधित नीतियों की घोषणा भी की गई है। परन्तु अभी तक सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग के बारे में अपनी नीति की घोषणा नहीं की है। यह एक ऐसा उद्योग है जो सभी गांवों में फैला हुआ है तथा अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सरकार को खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा करनी चाहिए। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उद्योग अब स्थापित हो रहे हैं यदि वे खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले सामान का उत्पादन करने लग जाएंगे तो सम्भवत: इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह खादी और ग्रामोद्योग के बारे में इसे स्पष्ट करे क्योंकि यह रोजगारोन्मुख उद्योग है।

दूसरे, देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी है जो खादी और ग्रामोद्योग की देखरेख करता है। सौभाग्य से मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी संघ, जो सरकार से मान्यता प्राप्त संघ है, का अध्यक्ष भी हूं। इसमें भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमने पहले ही एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हाल ही में 20 मार्च, 1992 को मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5 लाख कम्बलों की आपूर्ति की गई है। जबकि पूरे उद्योग की स्थापित क्षमता अथवा उत्पादक क्षमता केवल 1 लाख है, देहरादून के केवल 3 संगठनों द्वारा ही इतने अधिक कम्बल बनाये जाने की बात कही गई है। मैसर्स खादी ग्रामोद्योग एस० एस० लिमिटेड, माजरा देहरादून ने एक वर्ष में 2,67,036 कम्बलों का उत्पादन किया है। दूसरा संगठन एस० के० नस लिमिटेड, बालानशला, देहरादून द्वारा 76,335 कम्बल और एक अन्य उद्योग एस० पी० मेमोरियल ग्रामोद्योग सोसाइटी द्वारा 43,392 कम्बल बनाये जाने की बात कही गई है। क्या ये छोटी इकाइयां इतने अधिक कम्बल बना सकती हैं? जो कुछ हो रहा है वह यह है कि ऊनी कम्बलों पर 10 प्रतिशत की छूट है। अब यह खरीद, खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों से न की जा करके अन्य कम्बल निर्माता मिलों से की जा रही है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें जिससे कि खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को मिलने वाली छूट का लाभ अन्य मिलों के निर्माता न ले सकें।

तीसरा मुद्दा औषध नीति से संबंधित है। "ऋण लाइसेंस प्रणाली" के अन्तर्गत हजारों लघु औद्योगिक इकाइयां औषधों का निर्माण कर रही हैं। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है; इसके फलस्वरूप, हमें दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। लगभग 6,000 कारखाने रुग्ण हो गये हैं। इस कारण बेरोजगारी में भी उतनी ही वृद्धि होगी।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नई औषध नीति की घोषणा करे जिससे लघु कारखाने औषधों का उत्पादन जारी रख सकें।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं इन सभी मुद्दों पर गौर करूंगा। हम इसके बारे में तथा अन्य अलग-अलग मामलों पर शीघ्र ही गौर करेंगे तथा इसकी छानबीन करेंगे।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी नई नीति की घोषणा करना जरूरी है। तथापि, अन्य क्षेत्रों से संबंधित नीति को देखते हुए यदि कोई सुधार करना हो, तो हम इसको जांच करेंगे तथा मैं सदस्यों को सूचित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.10 म० प०

विनियोग विधेयक, 1992*

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित** करने की अनुमति दी जाये।"

---

*दिनांक 26-`-1992 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 के खण्ड 2 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-9 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तात स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। अब सभा कल शुक्रवार, 27 मार्च, 1992 के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.15 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 27 मार्च, 1992/7 चैत्र 1914 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

**राष्ट्रपति के सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत किया गया।

मुद्रक : विन्ध्य वासिनी पकेजिन्ग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53